अष्टम माला, खंड 2, अंक 6

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No.
Date

(खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 2, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 9, शुक्रवार 22 मार्च, 1985/1 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	**1—17**
*तारांकित प्रश्न संख्या : 141 से 146	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	**17—99**
तारांकित प्रश्न संख्या : 147 से 152 और 154 से 160	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 750 से 851	
सोवियत समाजवादी गणतन्त्र संघ के दूतावास के एक कर्मचारी की हत्या के बारे में वक्तव्य	**100—101**
श्री एस० बी० चव्हाण	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	**101—104**
राज्य-सभा से संन्देश	**104**
स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1985	**105**
राज्य सभा द्वारा यथापारित	
सरकारी विधेयक—पुरःस्थापित	**105—106**
(एक) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक	105
(दो) संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक	105
(तीन) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	106
नियम 377 के अधीन मामले	**106—110**
(एक) तालचर कोयला क्षेत्रों तथा इब घाटी कोयला क्षेत्रों को कोल इण्डिया लि० की एक पृथक सहायक कम्पनी, जिसका मुख्यालय उड़ीसा में हो, के अधीन लाने की आवश्यकता	
श्री हरिहर सोरन	106
(दो) स्वतन्त्रता सेनानी वीर सुरेन्द्र साई की स्मृति में एक स्मारक डाक-टिकट जारी करने की आवश्यकता	
श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही	107

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) पश्चिम जर्मनी में हजारों गायों की कथित हत्या को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता	
श्री एन० बेंकट रत्नम	107
(चार) तंजावूर जिले में सिंचाई के लिए पानी की अपर्याप्त सप्लाई और कावेरी नदी जल-विवाद को निपटाने की आवश्यकता	
श्री एस० सिंगरावडीवेल	108
(पांच) बाड़मेर और कच्छ जिलों में तस्करों और जासूसों की घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता	
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	108
(छः) अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्च-शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	
श्री जी० एम० बनातवाला	108
(सात) गोवा, दमन और दीव के लिए न्यायाधीशों के अधिक पद मंजूर करने की आवश्यकता	
श्री शान्ताराम नायक	109
(आठ) दक्षिणी कमान के वायुसेना-परिसर के लिए त्रिवेन्द्रम असैनिक हवाई-अड्डे के पूर्वी भाग के साथ लगी भूमि को अर्जित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता	
श्री ए० चार्ल्स	109
(नौ) आन्ध्र प्रदेश स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उगाड़ी के दिन छुट्टी घोषित करने की आवश्यकता	
श्री अजय विश्वास	110
सामान्य बजट, 1985-86—सामान्य चर्चा और अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984-85	**110—150**
श्री एच० एम० पटेल	110
श्री जैनुल बशर	115
डा० कृपासिन्धु भोई	119
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	122
श्री जार्ज जोसेफ मुण्डाकल	124
श्री आई० रामा राय	125
श्री योगेश्वर प्रसाद	127
श्री बी० बी० रमैया	129

विषय	पृष्ठ
श्री दिग्विजय सिंह	132
श्री रामप्यारे पनिका	135
श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण	138
श्री एस० पलाकोंड्रायुडू	139
श्री मनोरंजन भक्त	141
डा० ए० कलानिधि	144
श्री मनोज कुमार पाण्डे (भाषण असमाप्त)	148
रेगिस्तान विकास कार्यक्रम सम्बन्धी संकल्प	
(जारी—चर्चा समाप्त नहीं हुई)	**150—180**
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	150
श्री आनन्द पाठक	156
श्री गिरधारी लाल व्यास	158
श्री राम सिंह यादव	161
श्री आर० अन्नानम्बी	163
श्री मोहर सिंह राठौड़	164
श्री मूल चन्द डागा	166
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	168
श्री रामप्यारे पनिका	169
श्री के० डी० सुल्तानपुरी	171
श्री गिरधारी लाल डोगरा	174
श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी	176

लोक सभा

शुक्रवार, 22 मार्च, 1985/1 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

महाराष्ट्र के चन्द्रपुर, नागपुर और यवतमाल जिलों में कोयले की उपलब्धता

*141. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि महाराष्ट्र के चन्द्रपुर, नागपुर और यवतमाल जिलों में कोयला भारी मात्रा में उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो वहां कितनी मात्रा में कोयला उपलब्ध है ;

(ग) देश में इस समय कितने कोयले का उत्पादन हो रहा है और आवश्यकता कितनी है तथा दस वर्ष के बाद कोयले की कितनी आवश्यकता होने की सम्भावना है ;

(घ) देश की कोयले की आवश्यकता को पूरा करने हेतु उक्त क्षेत्रों में कोयला खानों में कब तक खनन कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा ; और

(ङ) क्या इनमें रोजगार प्रदान करने में विदर्भ की जनता को प्राथमिकता दी जाएगी ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और यवतमाल जिलों में फैले वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र और नागपुर जिले में फैले उमरेर, काम्पटी सिलेवाड़ा कोयला क्षेत्रों में क्रमशः लगभग 1257 और 785 मिलियन टन कोयले के प्रमाणित भंडार हैं।

(ग) वर्ष 1984-85 का कोयले का कुल अनुमानित उत्पादन 146.57 मिलियन टन है। इस उत्पादन स्तर पर उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। वास्तव में तो खान-मुहाना स्टाक चालू वित्तीय वर्ष के शुरू के 22.69 मिलियन टन से बढ़कर 1-3-1985 को 26.29 मिलियन टन हो गया है। वर्ष 1994-95 में कोयले का उत्पादन लगभग 325 मिलियन टन होने का अनुमान है। इतने उत्पादन से कुल अनुमानित मांग पूरी हो जाएगी।

(घ) इस कोयला क्षेत्र में कोयले का खनन अनेक वर्षों से चल रहा है और वर्धा एरिया के

खानों से वर्तमान उत्पादन 6.24 मिलियन टन है। नागपुर एरिया की खानों से इस समय 3.35 मिलियन टन कोयले का उत्पादन हो रहा है। इन दोनों कोयला क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक नई खनन परियोजनाएं खोलने के लिए निर्दिष्ट की गई हैं। चन्द्रपुर और यवतमाल जिलों में खोलने के लिए निर्दिष्ट परियोजनाओं में से कुछ हैं—रायतवाड़ी, महाकाली ओपेनकास्ट, पाइली-भाटाडीह ओपेनकास्ट, मुंगेली ओपेनकास्ट, गौरी, ओपेनकास्ट, गौरी भूमिगत, बेहराबन कोलारपिपरी, विरूंचिन्चली, बाबूपेठ और बैंडर। कुछ खनन ब्लाकों में भू-वैज्ञानिक अन्वेषण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और कुछ अन्य क्षेत्रों में यह कार्य चल रहा है।

नागपुर जिले के सम्बन्ध में यहां सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो नई खानें शुरू की जाएंगी उनमें गोंडेगांव, पाटनसांवगी शाफ्ट खान, सौनार विस्तार और काम्पटी ओपेनकास्ट शामिल हैं। इनमें से कुछ खानों की परियोजना रिपोर्टें बनाई जा रही हैं।

(ङ) कोयला कंपनी जो भर्ती करती है वह सारी की सारी स्थानीय रोजगार कार्यालय द्वारा अनुशंसित नामों में से, निर्दिष्ट मानदण्डों और उम्मीदवारों की पात्रता और उपयुक्तता के आधार पर की जाती है।

इन सबके अलावा, भूमि-वंचितों को भी इस उद्देश्य के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रोजगार दिया जाता है।

श्री विकास मुत्तेमवार : माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसके अन्तर्गत मैं उनसे जानना चाहूंगा कि चन्द्रपुर, नागपुर और यवतमाल जिले में कोयले के विपुल भंडार को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने चन्द्रपुर जिले में दो महाओष्णिक बिजली केन्द्रों को; जिनकी क्षमता 4 हजार मेगावाट है, मान्यता दी है, क्या उन केन्द्रों के चलाने के लिए कोयला मंत्रालय के पास पर्याप्त कोयला है, यदि नहीं तो उसको पूरा करने की कौन सी योजना मंत्रालय के पास है ?

इन खानों में से खनन कार्य करने के लिए क्या वित्तीय प्रावधान किए गए हैं और इसमें कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध होने वाला है ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, जो दो महाऔष्णिक केन्द्र शुरू होने वाले हैं, उनके लिए जितना कोयला लगेगा, वह उसी विभाग में उपलब्ध है। हमारी यह योजना है कि सातवीं योजना में हम कम से कम 14.93 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करने जा रहे हैं, जिससे कि 12 मिलियन टन की आवश्यकता तो इन दोनों महाऔष्णिक केन्द्रों के पूरे होने पर होगी। वह आज हमारे पास उपलब्ध है और उसकी व्यवस्था है। उसके लिए आर्थिक प्रावधान किया गया है। काम चालू हो गया है और सारी खदानों से पूरी तरह से कोयला उपलब्ध होगा।

जहां तक काम का सवाल है, अन्दाज यह है कि जो यह हम नया करीबन 10 मिलियन टन कोयला उत्पादन करेंगे तो कम से कम 10 हजार लोगों को काम मिलेगा।

श्री विलास मुत्तेमवार : मन्त्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में कई स्थानों पर कोयला खान शुरू करने की बात की है। मैं इस सन्दर्भ में मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या इसमें पिछड़े क्षेत्र को प्राथमिकता देने का आपके मन्त्रालय का कोई इरादा है और इसके अन्तर्गत जैसा कि आपने अपने उत्तर में बताया है, चिरमू तहसील के अन्तर्गत बन्दर खान, जिसकी क्षमता 70 लाख मीट्रिक टन है, उसमें कब काम शुरू होगा। क्या उसके लिए कोई वित्तीय प्रावधान किया गया है, अगर है, तो इन खानों में जिन लोगों की जमीन जाने वाली है, उनको मुआवजा देते वक्त क्या कोई व्यावहारिक दृष्टि-कोण रखा जाएगा और क्या रोजगार देते वक्त वहां के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

श्री वसन्त साठे : जी हां, पिछड़े इलाकों पर तो ज्यादा ध्यान दिया जाता है और दिया जाएगा। जहां तक बन्दर का सवाल है, सातवीं योजना में उसको सम्मिलित किया गया है और उसमें काम हो रहा है। उस योजना में लगभग 90 लाख मीट्रिक टन का अनुमान है। और उस पर करीबन 9 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। अभी शुरू में हमने इसी साल डेढ़ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और उसमें काम चालू हो रहा है। अभी तो यही योजना है कि जहां भी खदान कार्य शुरू होता है ज्यादा से ज्यादा वहीं के लोगों को काम दिया जाना चाहिए।

श्री शान्ताराम पोतदुखे : मैं जानना चाहूंगा कि चन्द्रपुर में जो ओपनकास्ट माइन बनने जा रही है, और उसके लिए वहां के किसानों की जमीन ली जा रही है, क्या उसके लिए मुआवजा मांगा गया है और क्या उसका कोई मेमोरेण्डम मन्त्री महोदय के पास आया है ; अगर आया है तो मुआवजे के बारे में क्या विचार किया जा रहा है ?

श्री वसन्त साठे : मेरे पास अभी मेमोरेण्डम नहीं आया है। मेमोरेण्डम आने के बाद ही क्या उनकी मांग है और कितना पैसा दिया जा सकता है, इस पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री डी० बी० पाटिल : महोदय, प्रश्न के भाग (ङ) के उत्तर में कहा गया है कि जिनकी भूमि ली गई है, उन्हें सरकार द्वारा निर्दिष्ट मानदण्डों के आधार पर रोजगार दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि वे मानदण्ड क्या हैं और जहां तक उनके मन्त्रालय का सम्बन्ध है, क्या इन मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाता है।

श्री वसन्त साठे : मेरे पास मानक मानदण्ड नहीं हैं। मैं वे मानदण्ड माननीय सदस्य को दे दूंगा। लेकिन मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि मानदण्डों का कड़ाई से पालन कराने का हर सम्भव प्रयास किया जाता है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि बहुत दिनों से कोयला खानों के आधुनिकीकरण की जो चर्चा सरकार करती चली आई है, क्या सरकार के पास ऐसी कोई योजना है कि इतनी समय सीमा के अन्दर इस कार्य को पूरा करने का सरकार का विचार है ? अगर है तो वह योजना क्या है ?

श्री वसन्त साठे : उपाध्यक्ष जी, हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि हर क्षेत्र में अधिक से अधिक आधुनिक तन्त्र का उपयोग किया जाए और कोयले के क्षेत्र में तो उसकी ज्यादा आवश्यकता है। कोयला खानों को आधुनिकतम करने के लिए या उनका आधुनिकीकरण करने के लिए रांची में एक सेन्ट्रल माइन प्लेनिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट खुला हुआ है और वह हमेशा इस प्रयास में रहता है कि कैसे नये से नये तन्त्र का उपयोग किया जाए—जैसे ओपन कास्ट माइंस का तन्त्र है। जितने भी नए तन्त्र हैं उनका उपयोग करके ज्यादा से ज्यादा कोयले का उत्पादन कम से कम लागत और खर्च में कैसे हो उसके लिए इसका प्रयास रहता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का पुनर्गठन

*142. **श्री इंद्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के संगठनात्मक ढांचे के बारे में तथा निगम की जनशक्ति आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। राष्ट्रीय वस्त्र निगम (नियन्त्रक कम्पनी) के संगठनात्मक ढांचे और जनशक्ति सम्बन्धी आवश्यकता के सम्बन्ध में एक कन्सलटैंट को एक अध्ययन करने का काम सौंपा गया है। अध्ययन में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (नियन्त्रक कम्पनी) की भूमिका कार्य का निर्धारण करना और साथ ही विभिन्न प्रभागों के कार्यों को सरल तथा कारगर बनाना शामिल है।

(ग) तथा (घ) कन्सलटैंट की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राष्ट्रीय वस्त्र निगम कई वर्षों से मुख्य रूप से या संभवत: संपूर्ण रूप से रुग्ण अथवा गैर-सरकारी नियोजकों द्वारा बन्द मिलों का अधिग्रहण कर रहा है, राष्ट्रीय वस्त्र निगम की वित्तीय स्थिति का निराशाजनक होना तथा उसके द्वारा लगातार हानि उठाना कुछ आश्चर्य की बात नहीं यद्यपि मैंने देखा कि 1983-84 में, हाल ही में हमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इसे पहली बार कुछ मुनाफा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस जांच अथवा अध्ययन में जिसे आप आरम्भ कर चुके हैं अथवा करने जा रहे हैं, उसमें सरकार को इन मिलों के कुप्रबंध, भ्रष्टाचार, उचित मूल्यों पर कच्चे माल की कमी, सूती कपड़े की अपर्याप्त मशीनरी भंडारों तथा फालतू पुर्जों की अपर्याप्तता आदि के सम्बन्ध में प्राप्त हो रही शिकायतों पर भी ध्यान दिया जाएगा। क्या जांच में इन सब मामलों पर ध्यान दिया जाएगा अथवा इसमें केवल संगठनात्मक ढांचे सम्बन्धी परिवर्तन के सम्बन्ध में ही विचार किया जाएगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यद्यपि इसका मुख्य कार्य संगठनात्मक परिवर्तन से सहायक निगमों की तुलना में राष्ट्रीय वस्त्र निगम (नियन्त्रक कम्पनी) की भूमिका तथा कार्यों के निर्धारण करना है तथापि निगमित कार्यालय के विभागों का कार्य सरल और कारगर बनाना, तथा निगमित कार्यालय के संगठनात्मक ढांचे एवं जनशक्ति का अध्ययन भी इसमें शामिल करना है। अध्ययन कराने का मुख्य उद्देश्य यही है जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, उन्होंने ठीक ही कहा है कि हमने केवल रुग्ण और बन्द पड़ी मिलों को ही अधिग्रहण किया है। आरम्भ से ही हमें कठिनाई का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्हें यह जानकर खुशी होगी कि जनवरी 1985 में 35 मिलों को नकद मुनाफा हुआ है। हाल ही के वर्षों में हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सरकार का हमेशा यह विचार रहा है कि उन्हें रुग्ण और बन्द पड़ी मिलों का अधिग्रहण करना है, इनमें से अधिकांश मिलों की मशीनरी बहुत पुरानी और जर्जर हो चुकी थी और इनके आधुनिकीकरण आदि के लिए बहुत अधिक पूंजी निवेश करने की आवश्यकता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार उन मिलों का अधिकरण क्यों नहीं करना चाहती जो अच्छी स्थिति में हैं जिनमें बहुत अच्छी और नई मशीनरी लगी है, जिनके माल की विदेशों में भी मांग है लेकिन फिर भी उन्हें निजी मालिकों द्वारा बन्द कर दिया गया ? मैं विशेष रूप से एंग्लों-फ्रेंच टैक्सटाइल मिल, पांडिचेरी के मामले का उल्लेख कर रहा हूं, जैसाकि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, वहां माननीय प्रधानमन्त्री ने अपनी हाल ही की चुनाव बैठक के दौरान लोगों को आश्वसान दिया था कि इस मिल को जो 2-1/2 वर्षों से बन्द पड़ी है और उसके 7000 श्रमिक बेरोजगार हो गए है, पुन: खोलने के लिए शीघ्र ही कदम उठाये जाएंगे। मैं समझता हूं मन्त्री महोदय मेरी इस बात का विरोध नहीं करेंगे कि उन्होंने भी यह कहा था कि तकनीकी दृष्टि से यह मिल बहुत अच्छी थी, इसकी मशीनरी एकदम नई थी

और इसके माल की विदेशों में भी मांग थी। क्या कारण है कि ऐसी मिलों का अधिग्रहण न करके सरकार केवल जर्जर मिलों का अधिग्रहण करती है और इसी कारण सरकार को हानि उठानी पड़ती है।

प्रो० मधु दंडवते : वित्त मंत्री महोदय को मरीज बहुत अच्छे लगते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह कहना ठीक नहीं है कि केवल जर्जर मिलों का ही अधिग्रहण किया जाता है। माननीय विपक्षी सदस्य ने भी यह मांग की थी कि जब मिलें जर्जर अवस्था में हों तो सरकार को उनका अधिग्रहण करना जाहिए। और जब हम उनका अधिग्रहण करते हैं तो हमें कहा जाता कि हमने केवल जर्जर मिलों का ही अधिग्रहण किया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उन मिलों का अधिग्रहण क्यों नहीं करते, जो अच्छी हालत में हैं किन्तु बन्द पड़ी हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : माननीय सदस्य को याद होगा कि बम्बई में हमने 13 मिलों का अधिग्रहण किया। हमारे मानदण्ड के अनुसार वे मिलें अधिग्रहण किए जाने योग्य थीं लेकिन बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि वे मिलें, एलफिन्सल और अन्य मिलें, रुग्ण मिलों की श्रेणी में नहीं आती। हमने अपील की है। चूंकि यह मामला अभी निर्णयाधीन है, मैं इस पर और कुछ नहीं कहूंगा।

आई० डी० आर० अधिनियम के अन्तर्गत एण्डलो फ्रेंच मिल के सम्बन्ध में हम गहराई से जांच करवा रहे हैं। लेकिन मैं इस सम्मानित सदन को एक बात यह बता देना चाहता हूं कि नेशनल टेक्सटाइल मिल को आरम्भ से अब तक कुल 529 करोड़ रुपए की हानि हुई है, यह सच है लेकिन उत्पाद-शुल्क में इसका योगदान 300 करोड़ रुपए रहा है ; और मजदूरी के रूप में इसने 1400 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इतनी कम कीमत पर इतने अधिक लोगों को जीविका प्रदान करने के पीछे कोई सामाजिक दायित्व निभाया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नेशनल टेक्सटाइल मिल के विरोध में नहीं हूं। मुझे गलत मत समझिये।

श्रीमती ममता बनर्जी : पश्चिमी बंगाल में, टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कारपोरेशन को राष्ट्रीय कपड़ा निगम से पर्याप्त आर्डर नहीं मिल रहे हैं। यदि इस निगम को पर्याप्त आर्डर नहीं मिलते तो इसकी फैक्टरी बन्द हो जाएगी और इसके श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। क्योंकि यह फैक्टरी राष्ट्रीय कपड़ा निगम के आर्डरों पर निर्भर हैं, मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास निगम को पर्याप्त आर्डर देने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ताकि यह निगम चालू रह सके।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस विशिष्ट प्रश्न के बारे में इस समय मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

श्री आशुतोष लाहा : पश्चिम बंगाल में, बंगाल एनामिल कम्पनी, जोकि बहुत बड़ी कम्पनियों में से है, बन्द पड़ी है। परिणामस्वरूप 1800 श्रमिक इस समय बेरोजगार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास इस कम्पनी के अधिग्रहण सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है।

श्री विश्वताथ प्रताप सिंह : यह प्रश्न राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत आने वाली मिलों से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य ने जिस कम्पनी के बारे में पूछा है वह कम्पनी इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों से सम्बन्धित नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि उनका प्रश्न इस प्रश्न की सीमा में नहीं आता।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : बिहार के गया जिले में प्रबन्धकों द्वारा जूट मिल की स्थिति खराब

कर दी गई है और अब वह बन्द की स्थिति में है। चार सौ मजदूरों का भुगतान चार-चार महीने तक नहीं होता है। मैं, यह जानना चाहता हूं कि क्या उस स्थिति में सुधार करवाने के लिए सरकार कोई जांच करवायेगी।

[अनुवाद]

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह प्रश्न राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सामान्य संगठन के सम्बन्ध में है। राष्ट्रीयकृत मिलों की संख्या 103 है। कुल मिलों की संख्या 125 है और प्रत्येक मिल विशेष पर अलग से चर्चा करना संभव नहीं है। अतः मैं समझता हूं कि मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार द्वारा अधिग्रहण की गई किसी मिल के बन्द होने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध में मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र, इंदौर, की कुछ मिलों जैसे, स्वदेशी कॉटन मिल और अन्य मिलों, का जिक्र करूंगा जिनका आधिग्रहण किया गया है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

कारखानों द्वारा लेवी चीनी का निर्यात

*143. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखानों द्वारा 1983-84 के दौरान राज्यवार, कितनी मात्राओं में लेवी की चीनी का निर्यात किया गया ;

(ख) क्या 1984-85 के लिए लेवी की चीनी के निर्यात हेतु लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) चीनी का निर्यात राज्य व्यापार निगम की मार्फत सारणीबद्ध है। राज्य व्यापार निगम ने 1983-84 के दौरान 8.135 लाख मे० टन चीनी का निर्यात किया।

(ख) तथा (ग). अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार, 1977 के अन्तर्गत कलैंडर वर्ष 1984 के लिए भारत के पास 6.5 लाख मे० टन का निर्यात कोटा था। मूलतः इस कोटे को पूरा करने की इच्छा थी। तथापि, उत्पादन, खपत रुखों, कीमतों तथा नए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार की स्थिति की समीक्षा करने के बाद कलैंडर वर्ष 1984 के दौरान निर्यातों को लगभग 3 लाख मे० टन तक सीमित रखने का विनिश्चय किया गया था। कलैंडर वर्ष 1984 के दौरान वास्तविक निर्यात 2.87 लाख मे० टन के हुए। वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान लगभग 1.56 लाख मे० टन के वास्तविक निर्यात होने की आशा है जिससे 37.10 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा आय होगी।

[हिन्दी]

बालासाहेब विखे पाटिल : उपाध्यक्ष जी, जवाब यह दिया कि सभा-पटल पर कागज रख दिया गया है। मैंने यह प्रश्न किया था कि जो 1983-84 में एक्सपोर्ट हुआ, उसकी स्टेटवाइज फीगर्स दी जाएं। लेकिन स्टेटवाइज फीगर्स नहीं दी हैं। एस० टी० सी० से जो एक्सपोर्ट होता है, वह हरेक चीनी

मिल के साथ एग्रीमेंट करके ही होता है। यह पता नहीं चलता कि स्टेटवाइज फीगर्स देने में क्या कठिनाई है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट महाराष्ट्र से होता है और महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन घट रहा है। मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहूंगा। दूसरी बांत यह जानना चाहूंगा कि 1983-84 में जो चीनी विदेश में भेजी है, उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। 1984-85 में जितना तय किया था, उतनी चीनी एक्सपोर्ट नहीं की गई। उसका क्या कारण है, क्योंकि चीनी के दाम देश में कम रखे गए थे। उसकी वजह से गन्ने के दाम कम दिए गए। गन्ने का दाम कम होने के कारण आज भी चीनी का उत्पादन कम हो रहा है। उत्पादन के बराबर हम चीनी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि अब तक कितनी चीनी इम्पोर्ट की है और उसमें हमने कितनी धनराशि खर्च की है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मान्यवर, वर्ष 1983-84 में महाराष्ट्र की फैक्टरियों से 4.17 लाख मीट्रिक टन चीनी ली गई, तमिलनाडु से 1.33 लाख मीट्रिक टन, कर्नाटक से 1.01 लाख मीट्रिक टन, आन्ध्र प्रदेश से 0.85 लाख मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश से 0.61 लाख मीट्रिक टन और गुजरात से 0.48 लाख मीट्रिक टन। यह बात सही है कि महाराष्ट्र की फैक्टरियों से सबसे ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट के लिए ली गई। वर्ष 1983-84 में कुल 8.14 लाख टन चीनी का निर्यात किया गया, जिससे 210.92 करोड़ रुपया मिला। अब सवाल यह है कि हमने और ज्यादा एक्सपोर्ट क्यों नहीं किया, हमने वर्ष 1984-85 में 6.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने का निश्चय किया था लेकिन देश में चीनी के उत्पादन के आंकड़ों को देखते हुए कि हमारा कुल उत्पादन 59 लाख टन था, जबकि उससे पहले साल 82 लाख टन था, उत्पादन में कमी को देखते हुए, हमें वह विचार छोड़ देना पड़ा क्योंकि एक्सपोर्ट करने से देश के अन्दर चीनी महंगी हो जाती। इसी कारण हमने निर्यात करने की आवश्यकता महसूस नहीं की। केवल 3 लाख टन के लिए ही हमने कान्टैक्ट किया था, जिसके लिए सरकार ने अनुमति दी। वर्ष 1984 में कुल मिलाकर 2.51 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया गया।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : मैं इम्पोर्ट के बारे में भी जानना चाहता था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उस वर्ष 4.96 लाख मीट्रिक टन चीनी का इम्पोर्ट किया गया।

श्री बालासाहेब विखे पाटिल : दूसरा प्रश्न मैं वाणिज्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जहां पहले हम इण्टरनेशनल शुगर एग्रीमेंट के अनुसार चीनी का आयात व निर्यात किया करते थे, अब चूंकि वह संस्था टूट चुकी है, अस्तित्व में नहीं रह गई है, अब हम किस हिसाब से इम्पोर्ट करेंगे। वर्ष 1985 में पूरे कलैंडर वर्ष में कितनी चीनी आयात करने का आपने लक्ष्य रखा है और उसके लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी। साथ ही आयात को कम करने और देश में ही अधिक मात्रा में ही चीनी का उत्पादन करने के लिए आपकी मिनिस्ट्री क्या विचार रखती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक नये शुगर एग्रीमेंट का सम्बन्ध है, वह संस्था अभी भी अस्तित्व में है, टूटी नहीं है। इतना अवश्य है कि उनमें आपस में कुछ विषयों पर सहमति नहीं हो सकी, कोटा वगैरह की दिक्कतें पैदा हुई और इसीलिए कोटा फिक्स नहीं हुआ। लेकिन नया एग्रीमेंट अब भी अस्तित्व में है और आगे भी रहेगा। केवल कोटे की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सका। जहां तक वर्ष 1985 में चीनी के आयात का प्रश्न है, मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न न करें, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे बाहर के दामों पर पड़ता है। आप सिर्फ इतना समझ लें कि जो उचित होगा, उससे ज्यादा नहीं दिया जाएगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय और कृषि मंत्रालय दोनों प्रयत्नशील हैं। यदि आप इस सम्बन्ध में कोई सुझाव देना चाहें तो मैं अवश्य उनके पास तक भिजवा दूंगा।

[अनुवाद]

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव : माननीय मन्त्री महोदय इस देश के सबसे बड़े राज्य के भूतपूर्व मुख्य मन्त्री रह चुके हैं इसलिए वह इस विषय से अच्छी तरह वाकिफ है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह खाद्य मन्त्रालय के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही करेंगे ताकि यह देश अपनी आंतरिक खपत के लिए तथा हमारे निर्यात वायदों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चीनी का उत्पादन करे और अधिक चीनी निर्यात करके अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सके। अतः इसका आयात करने की बजाए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह खाद्य मन्त्री के जरिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे और उनसे गन्ना उगाने वालों के लिए लाभप्रद मूल्य देने की घोषणा करने के लिए कहेंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं माननीय सदस्य से पूर्णतया सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1983-84 में चीनी का उत्पादन कम रहा और आयात करना पड़ा, उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गन्ने के दाम कम मिले। इसके अलावा भी कई दूसरे कारण थे, जिनके फलस्वरूप चीनी का उत्पादन कम हुआ... चीनी के उत्पादन की कमी को देखते हुए, देश में चीनी का भाव अधिक न बढ़े, क्या बाहर से चीनी आयात करने का विचार कर रहे हैं?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैंने पहले ही अनुरोध किया है कि माननीय सदस्य इस पर ज्यादा जोर न दें कि कितना आयात किया जायेगा। जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं किया जायेगा न आयात किया जायेगा न निर्यात किया जायेगा।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदेईवेलू : महोदय, वर्ष 1984-85 में भारत में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ है? विश्व बाजार में हमें वास्तविक मूल्य कितना मिल रहा है? मेरे विचार से हमें विश्व बाजार में कम मूल्य मिल रहा है। अगर यह सच है, तो क्या भारत के पास विश्व बाजार में चीनी का अधिक मूल्य प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है? क्या सरकार की तरफ से ऐसा कोई प्रस्ताव है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह सच है कि हमारे देश में चीनी का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों से अधिक है। इसके मुख्य कारण गन्ने तथा हमारे कारखानों की उत्पादकता हैं। विश्व बाजार में वे सस्ता बेच सकते हैं। यह एक समस्या है कि किस प्रकार से अधिक मूल्य मिले। मेरे विचार से हमें पैकिट बन्द बढ़िया चीनी जैसी मदों का निर्यात करना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के पैकिट से हमें बेहतर मूल्य प्राप्त होगा।

श्री एच० एम० पटेल : एक प्रश्न है जिसका आपने उत्तर नहीं दिया है। यह महसूस किया गया है चूंकि गन्ना उत्पादकों को कम मूल्य दिया जा रहा है इसलिए उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। क्या इसमें कोई सचाई है? मेरे विचार से यह मूल प्रश्न है जो पूछा गया था।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मैं अन्य मन्त्रालयों के कार्य-क्षेत्र पर जवाब नहीं दूंगा।

श्री एच० एम० पटेल : यह ठीक है कि यह दूसरे मन्त्रालय से सम्बद्ध हैं। लेकिन आप भी निर्यात के प्रभारी मंत्री होने के नाते इससे पूरी तरह से सम्बद्ध हैं। मेरे विचार से, यह आवश्यक है क्योंकि आप चीनी का निर्यात करते हैं और देश में चीनी की उपलब्धता को देखते हुए निर्यात करने की मात्रा का निर्णय करते हैं। अगर ऐसा है, तो मेरे विचार से यह आपका फर्ज है कि अन्य मंत्रालय जो इससे संबद्ध है को यह बतायें कि वे गन्ना उत्पादकों को जो मूल्य दिया जाता है उसमें वृद्धि करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, इस विषय पर सरकार की एक नीति है और वह गन्ने के मूल्य की घोषणा करते हैं। राज्य सरकारें भी यह सुनिश्चित करती हैं कि किसानों को लाभप्रद मूल्य दिए जाए। यह सरकार की एक सामान्य नीति है।

लेकिन संरक्षण के अतिरिक्त हमें उत्पादकता के पहलू पर ध्यान एकाग्र करना होगा और खाद्य मन्त्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठा रहा हैं।

पश्चिम बंगाल में नई शाखायें खोलने के लिए शीर्ष (लीड) बैंकों को दिए गए लाइसेंस

*144. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में नई शाखायें खोलने के लिए शीर्ष (लीड) बैंकों को कितने लाइसेंस दिए गए ;

(ख) उनमें से कितने मामलों में शाखाएं खोल दी गई हैं ;

(ग) कितने लाइसेंस का उपयोग नहीं किया गया है ; और

(घ) उनका उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में तीन राष्ट्रीयकृत बैंक अर्थात् यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक आफ इंडिया अग्रणी (लीड बैंक) हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने गत तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल में इन बैंकों के अग्रणी जिलों में शाखाएं खोलने के वास्ते 112 लाइसेंस जारी किए थे। इन 112 लाइसेंसों में से 10 लाइसेंसों का उपयोग किया जा चुका है और 102 लम्बित पड़े हैं। अप्रैल 1982 से मार्च 1985 तक की अवधि की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत राज्य सरकारें जिला परामर्शी समितियों के परामर्श से ग्रामीण क्षेत्रों में शाखा खोले जाने के स्थानों का पता लगाती हैं। राज्य सरकार द्वारा पता लगाए गए ऐसे केन्द्रों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास शाखा खोलने के लिए बैंक के बीच आवंटन पर विचार करने के लिए भेज दिया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि पश्चिम बंगाल के मामले में इस प्रक्रिया में कुछ देर हुई है जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश प्राधिकार पत्रों/लाइसेंसों को 1984 की दूसरी छमाई या 1985 के शुरू में ही जारी किया जा सका। बैंक, शाखा खोलने के लिए उपयुक्त स्थान की अनुपलब्धता, पुलिस प्राधिकारियों से सुरक्षा की दृष्टि से अनुमति और सड़कों जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना भी कर रहे हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : महोदय, मन्त्री ने जो उत्तर दिया है उससे पश्चिम बंगाल के अग्रणी (लीड) बैंकों के काम-काज न करने तथा उपेक्षा करने की खराब तस्वीर खींची गई है। इसमें कहा गया है कि तीन वर्षों में जो 112 लाइसेंस दिए गए हैं, उनमें 10 लाइसेंस का उपयोग किया गया था तथा 102 लाइसेंस लम्बित पड़े हैं। इसके जो कारण हैं वे बहुत ही असंतोषजनक हैं। इसमें कहा गया है : उपयुक्त स्थान की अनुपलब्धता, पुलिस प्राधिकारियों से सुरक्षा की दृष्टि से अनुमति और सड़कों जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी।

अब हमने कुछ माह पहले देखा कि जब भूतपूर्व वित्त मन्त्री के सक्रिय सुझावों के अधीन पश्चिम बंगाल में किसी विशेष जनपद में कुछ बैंक शाखाएं खोलने की जोरदार कोशिशें की गई तो ऐसा करने

से उन्हें कोई नहीं रोक सका। वास्तव में यह राज्य सरकार के इस सुझाव के विपरीत था कि शाखाएं किसी विशेष जनपद में केन्द्रित नहीं होनी चाहिए और अन्य जनपदों में भी उनका विवेकपूर्ण वितरण होना चाहिए।

अगर सुरक्षा के लिए पुलिस से अनुमति लेना जरूरी है तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कारणवश कितने लाइसेंस रुके पड़े हैं।

जहां तक सड़कों जैसे आधारभूत सुविधाओं का प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति जो पश्चिम बंगाल में यात्रा करता रहा है वह यह मानेगा कि पिछले 7 वर्षों में—न कि पिछले वर्षों की तरह—सड़कों में बहुत सुधार हुआ है और उन पर जीप तथा मोटरें भी चल सकती हैं, इसके लिए राज्य सरकार तथा पंचायतों को धन्यवाद। (व्यवधान) अतः ये वास्तविक कारण नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसको लागू न करने के पीछे कुछ अन्य कारण भी हैं। अगर मंत्री जी यह कहते कि इसको लागू न करने का कारण रिजर्व बैंक को राज्य सरकार की सिफारिश देरी से मिलना है—उन्होंने कहा है कि सिफारिश 1984 के आखरी भाग में प्राप्त हुई—तो मैं यह जानना चाहता हूं कि 1982 तथा 1983 तक राज्य सरकार से कितनी सिफारिशें प्राप्त हुईं तथा उनमें से कितनी सिफारिशों का उपयोग नहीं हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैंने अपना उत्तर सिर्फ प्रश्न तक सीमित रखा है। जहां तक पश्चिम बंगाल में लीड बैंकों के कार्य निष्पादन का सम्बन्ध है, मैंने कहा है कि 112 में से 102 लंबित हैं। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध हैं, हमने आर० आर० बी० सहित वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खोली हैं।

वर्तमान शाखा लाइसेंस नीति के दौरान 373 शाखाएं खोली गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा लाइसेंस नीति के अनुसार जिला परामर्शदात्री समिति द्वारा केन्द्रों का पता लगाया जाता है जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर होते हैं। प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जायेगा; राज्य सरकार इस प्रस्ताव को भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेजेगी और भारतीय रिजर्व बैंक राज्य सरकार के साथ परामर्श करके केन्द्र आवंटित करेगा तथा उनको अनुमति देगा।

दिसम्बर, 1981 में भारतीय रिजर्व बैंक ने राज्य सरकारों को ऐसे केन्द्रों का पता लगाने के लिए पत्र लिखा था। पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने जनवरी, 1983 के माह में अपनी पहली सूची भेजी थी। इसके बाद उन्होंने अपने प्रस्ताव अलग-अलग समय पर भेजे। आखरी प्रस्ताव इस माह, अर्थात् मार्च, 1985 में आया है। वर्तमान लाइसेंस नीति अप्रैल 1982 से मार्च, 1985 की अवधि के लिए है।

हम भी राज्य सरकार तथा बैंकों के कार्य-निष्पादन से सन्तुष्ट नहीं हैं। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक समिति का गठन किया है जिसमें 'नैबार्ड' तथा भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि होंगे जो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी रखेंगे। 1062 अनुमतियां दी जा चुकी हैं। ज्यादातर अनुमतियां जून, 1984 के बाद दी गई हैं।

माननीय सदस्य ने विवरण मांगा है कि किस प्रकार अधिक प्रस्ताव पहली सूची में दिए गए। ये सब विवरण मैंने मांगे हैं और अगर माननीय सदस्य मुझे इसके लिए पत्र लिखेंगे तो मैं निश्चित रूप से उनको यह सूचना दे दूंगा। इसके साथ-साथ मैं राज्य सरकार से सहयोग का अनुरोध करता हूं। राज्य सरकार भी इस कार्य में तेजी लाये तथा आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करायें। यह दलगत मामला नहीं है यह एक राष्ट्रीय मामला है। हमें राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए। आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए; वहां सड़कें भी होनी चाहिए; वहां तक पहुंचने का साधन होना चाहिए तथा सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस की अनुमति भी होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : यहां पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन है ? आप किससे अपील कर रहे हैं ?

श्री जनार्दन पुजारी : पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। मैं आशा करता हूं कि राज्य सरकार अच्छा कार्य-निष्पादन दर्शायेगी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मेरे विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने यह कहा है कि वह इसके कार्यान्वयन को गम्भीरता से लेंगे और इस मामले पर राज्य सरकार सहयोग करने के लिए बिल्कुल तैयार है, मेरा ऐसा विश्वास है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वे कार्य कर रही हैं ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत टोके। मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : इस अवधि के दौरान आपने कुछ विदेशी बैंकों को यहां पर अपनी शाखाएं खोलने के लिए लाइसेंस दिए हैं। लेकिन आपने पश्चिम बंगाल सरकार को एक बैंक स्थापित करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने अपनी ही राज्य सरकार के प्रति भेदभाव क्यों बरता है तथा एक विदेशी बैंक के प्रति पक्षपात क्यों किया है।

श्री जनार्दन पुजारी : पश्चिम बंगाल सरकार के लिए बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रत्येक राज्य सरकार एक अलग बैंक स्थापित करने का अनुरोध कर रही है। कितने बैंक खोलने होंगे ? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : आपको इस मामले पर निर्णय लेना चाहिए।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : माननीय मन्त्री महोदय ने राज्य सरकारों तथा राज्य बैंकों के कार्य निष्पादन को स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने विशेष रूप से व्यवस्था की थी कि स्वयं-रोजगार कार्यक्रम को लागू किया जाना चाहिए। ऋण आवेदन-पत्रों का निपटान इस वर्ष 31 मार्च तक किया जाना चाहिए, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 50 प्रतिशत धनराशि से केन्द्र से, तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार से दी जानी चाहिए। परन्तु राजनैतिक बाधाओं और दबावों की वजह से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के कार्यक्रम, ऋण देने सम्बन्धी कार्यक्रम को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है।

क्या माननीय मंत्री महोदय इस बात की जांच करवायेंगे और इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए कदम उठायेंगे ? यह आधारभूत प्रश्न है।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन पुजारी : कार्य-निष्पादन की निगरानी और पर्यवेक्षण करना केन्द्र सरकार का कार्य है। हमें शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और हम इनकी जांच करवा रहे हैं।

नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना का प्रस्ताव

*145. **श्री चित्त महाटा :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात उद्योग के बारे में अभी हाल ही में एक गोल मेज सम्मेलन हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में नये इस्पात संयंत्रों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां।

(ख) गोल मेज सम्मेलन 18 और 19 फरवरी, 1985 को आयोजित किया गया था। देश में सरकार से तथा सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के इस्पात उद्योग में भूतपूर्व और वर्तमान प्रतिष्ठित व्यक्तियों को गोलमेज सम्मेलन में आमन्त्रित किया गया था। सम्मेलन में इस्पात क्षेत्र के सम्मुख महत्वपूर्ण मामलों जैसे भविष्य के लिए पूंजी-निवेश सम्बन्धी प्राथमिकता, अल्पावधि में परिचालन में सुधार करना, विपणन विकास, श्रमिक व कार्मिक सम्बन्धी नीतियों और परियोजना प्रबन्ध पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने दो नये इस्पात कारखाने—एक कारखाना उड़ीसा राज्य में देतारी क्षेत्र में और एक कारखाना कर्नाटक राज्य में विजयनगर में लगाने के लिए सिद्धांत रूप से निर्णय ले लिया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री चित्त महाटा : उत्तर में माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि वर्तमान इस्पात एककों की उत्पादन क्षमता कम होने की वजह से सरकार ने दो नये इस्पात कारखाने उड़ीसा और कर्नाटक में लगाने का निर्णय लिया है।

वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि देश की मांग को पूरा करने के लिए दुर्गापुर, बर्नपुर, बोकारो, भिलाई और राउरकेला की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं। इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ? कर्नाटक तथा उड़ीसा में प्रस्तावित नये इस्पात संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता क्या होगी और ये कब तक स्थापित किए जायेंगे ?

श्री वसन्त साठे : जहां तक वर्तमान इस्पात संयंत्रों का प्रश्न है यह सच है कि दुर्गापुर, राउरकेला, बर्नपुर, टिस्को तथा अन्य स्थानों के अधिकांश इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण की आवश्यकता है और इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए हमारे पास निश्चित योजनायें हैं। इसीलिए हमने यह सभी प्रयास किए हैं, न सिर्फ गोल-मेज सम्मेलन परन्तु कार्यकारी दलों का भी आयोजन किया गया। कल मेरी इन संयंत्रों के कार्यकारी अधिकारियों के साथ पूरा दिन बैठक हुई थी जिसमें क्या-क्या तुरन्त कदम उठाये जा सकते हैं और वे कौन से दीर्घकालिक उपाय हैं जिनकी आवश्यकता है, के बारे में चर्चा की गई थी। और मैं महसूस करता हूं कि उत्पादन बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका विद्यमान संयंत्रों का आधुनिकीकरण करना है और उन्हें उनकी निर्धारित क्षमता पर चलाना है। हमारा एक प्रमुख उद्देश्य यह है।

दूसरी बात यह है। जहां तक नए संयंत्रों का सम्बन्ध है, हमारी विचारधारा है कि इस्पात उद्योग में तकनीकी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तीव्र गति से विकसित हो रही है और इसलिए हमें श्रेष्ठ एवं प्रभावी लागत प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। इसीलिए हम इन दो संयंत्रों में कर्नाटक और उड़ीसा में आधुनिकतम प्रौद्योगिकी जैसे कि डी० आर०, आई० एन० आर० ई० डी० तथा के० आर० के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये सफल हुई और हम समझते हैं कि ये सफल भी होंगी—तो इससे देश में इस्पात के उत्पादन में वास्तव में क्रान्ति आ जाएगी। हमारे पास जो संशाधन हैं विशेष रूप में कोयले की कमी होने से वर्तमान प्रौद्योगिकी से हमें ज्यादा फायदा नहीं है इसीलिए हम आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है।

श्री चित्त महाटा : नये संयंत्रों के लिए कितना आवंटन किया गया है? मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार देश के पिछड़े क्षेत्रों में विशेष रूप में पूर्वी क्षेत्र में और अधिक इस्पात संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है।

श्री वसन्त साठे : मैंने इन दो संयंत्रों के बारे में बताया है। इसके अतिरिक्त हमारा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं कि देश को इस्पात की अत्यन्त आवश्यकता है। वास्तव में हमारे यहां इस्पात का उत्पादन 90 लाख टन पर रुक गया है। एक स्थिति में 1976 के करीब इस्पात संबंधी कार्यकारी दल ने यह अनुमान लगाया था कि शताब्दी के अन्त में अर्थात् अब से 15 वर्ष बाद इस्पात का उत्पादन 750 लाख टन हो जाएगा। परन्तु हम नहीं समझते कि हम इस शताब्दी के अन्त तक 220 लाख टन उत्पादन भी प्राप्त कर सकेंगे या नहीं जिस तरह से आजकल काम हो रहा है। **(व्यवधान)** अन्ततः यह निर्णय करना सदन पर निर्भर है कि किन संसाधनों को प्राथमिकता दी जाए। अगर हम देश में इस्पात चाहते हैं तो हमारे पास विश्व में सबसे अच्छे संसाधन हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा और हम लौह अयस्क का निर्यात करने की बजाय इसे इस्पात में बदल सकते हैं। प्रश्न सिर्फ प्रभावी लागत प्रौद्योगिकी और तरीकों का है। हम इस पर विचार कर रहे हैं। अगर सहयोग और संसाधन उपलब्धताएं हैं तो हम इसे वित्त मन्त्री और योजना आयोग से विचार-विमर्श कर सकते हैं इस दशा में मेरे विचार से हम देश में अधिक इस्पात उत्पादन कर सकते हैं।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं माननीय मन्त्री महोदय से गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्रों में इस्पात संयंत्रों की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता के बारे में जानना चाहता हूं और क्या सरकारी क्षेत्रों के संयंत्रों में दोषपूर्ण व्यावसायिक प्रबन्ध की वजह से रिसाव हो रहा है और क्या यह भी सच है कि आधुनिकीकरण और विस्तार के नाम पर वे निर्धारित क्षमता को अच्छा बनाने के लिए डिजाइन पेरा-मीटर में सुधार करने के लिए कह रहे हैं। उदाहरण के लिए 'टिस्को' संयंत्र जिसकी स्थापना तीस बर्ष पहले हुई थी वह सिर्फ थोड़े से नवीनीकरण से न कि आधुनिकीकरण या विस्तार से अब अपनी पूरी निर्धारित क्षमता से कार्य कर रहा है। हमारे सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र भी 'टिस्को' की प्रक्रिया का अनुसरण क्यों नहीं करते, वे 'टिस्को' के व्यावसायिक विशेषज्ञों को क्यों नहीं सम्मिलित करते और यह सुनिश्चित करें कि हमारी अधिष्ठापित क्षमता बेचे जाने वाले इस्पात और गर्म लोहे दोनों के बारे में निर्धारित क्षमता के बराबर हो?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

डा० कृपासिन्धु भोई : पिछली बार ही यह निर्णय लिया गया था कि दाईतारी और विजयनगर इस्पात संयंत्र जापान में प्रचलित अद्यतन प्रौद्योगिकी का आयात करेंगे। जापान में कम लागत पर इस अद्यतन प्रौद्योगिक के आधार पर बिक्री योग्य इस्पात का उत्पादन पहले ही शुरू हो चुका है। सरकार सातवीं योजना में क्यों नहीं ज्यादा धन का आवंटन करती? सदन में उनसे पहले मन्त्री महोदय ने कहा

था कि दाईतारी और विजयनगर संयंत्रों के लिए 400 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी जबकि सिर्फ एक करोड़ रुपए मात्र ही मुहैय्या किया गया है।

श्री वसन्त साठे : यह जानकारी देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उत्तर में मंत्री महोदय ने फरवरी 1985 में हुई गोल-मेज सम्मेलन की कार्य-सूची को बताया है उन्होंने गोल-मेज सम्मेलन द्वारा की गई सिफारिशों को नहीं बताया।

मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि गोल-मेज सम्मेलन की सिफारिशें निवेश प्राथमिकताओं के बारे में क्या थीं, क्या गोल-मेज सम्मेलन ने विशाखापत्तनम् इस्पात संयंत्र के लिए उच्च निवेटा प्राथमिकता के लिए सिफारिश की थी यह एक चालू परियोजना है और क्या इस वर्ष बजट प्रावधान सिफारिशों के अनुसार किया गया है।

श्री वसन्त साठे : गोल मेज सम्मेलन विशेष संयंत्रों के बारे में नहीं होता। इसमें सिर्फ आम सिफारिशें की जाती हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इसमें सिर्फ बातें होती हैं।

श्री वसन्त साठे : गोल मेज सम्मेलन में सामान्यतया यही होता है।

राष्ट्रीय इस्पात विकास परिषद् बनाने की उनकी सिफारिश थी और फिर विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशेष रूप में दलों का गठन करना अब ये दल प्रत्येक क्षेत्र के बारे में जांच करेंगे और सिफारिशें करेंगे...।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्षेत्र का अर्थ है संयंत्र ?

श्री वसन्त साठे : इसका अर्थ है कि वे श्रम उत्पादकता, संयंत्र आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी आदि से सम्बन्धित सिफारिशें करेंगे। वे विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत सिफारिशें करेंगे।

मैं पूरी तरह सहमत हूं कि गोल मेज सम्मेलन अथवा किसी भी तरह के प्रयासों का उद्देश्य यह पता लगाना होना चाहिए कि किस तरह से हम ज्यादा इस्पात का उत्पादन कर सकते हैं चाहे विशाखापत्तनम् में हो या कहीं और तथा हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी संगत हो जाती है। हम उसकी जांच कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य से पूरी तरह सहमत हूं कि हमारा उद्देश्य अधिक इस्पात पैदा करना होना चाहिए। इस्पात के बिना औद्योगिकीकरण नहीं हो सकता और इसलिए हमें इस्पात का अधिक उत्पादन करना चाहिए। वास्तव में मैंने गोल मेज सम्मेलन में मजाक में कहा था कि हमारा नारा होना चाहिए "भीख माँगो, उधार लो या चुराओ और इस्पात का उत्पादन बढ़ाओ।" अब आपको और क्या चाहिए ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रश्न यह था कि क्या मन्त्री महोदय विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को जल्दी ही चालू करने के लिए वित्त मन्त्री से धन लेने का उपाय करेंगे।

श्री वसन्त साठे : महोदय, मैं इसके लिए तैयार हूं, अगर वह मुझे इजाजत दें।

एक माननीय सदस्य : क्या वे अनुमति देंगे ?

श्री वसन्त साठे : या अगर आप अनुमति दें।

श्री चिन्तामणि जेना : मुझे बहुत ही खुशी है कि हमारे नए इस्पात मन्त्री देश में इस्पात के अधिक उत्पादन के लिये बहुत ही उत्साही हैं। इस बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने सदन की कार्यवाहियों को देखा है ? उनसे पहले मन्त्री महोदय ने कहा है कि दाईतारी इस्पात संयंत्र आधुनिक प्रौद्योगिकी से संस्थापित होगा और इसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए होगी।

दूसरे, क्या मैं जान सकता हूं कि 1985-86 बजट में जो कम राशि दी गई उसे बढ़ाया जा सकता था ताकि दाईतारी इस्पात संयंत्र को समयबद्ध कार्यक्रम में संस्थापित किया जा सके और इसे सातवीं पंचवर्षीय योजना से पहले पूरा किया जा सके। महोदय, मैं प्रिय प्रधानमन्त्री श्री राजीव जी तथा इस्पात मन्त्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस चिर प्रतीक्षित इस्पात संयंत्र को सातवीं योजना में शामिल किया।

श्री वसन्त साठे : महोदय, जहां तक उड़ीसा में दाईतारी एवं कर्नाटक में विजयनगर का संबंध है हमारे प्रतिवेदन में प्रत्येक के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परन्तु इस नई प्रौद्योगिकी में विद्युत अत्यन्त जरूरी है। जब हम संयंत्र के बारे में बात करते हैं तो राज्य सरकारों ने हमेशा ही हमें आश्वासन दिया है कि वे विद्युत की सप्लाई करेंगे परन्तु कर्नाटक और उड़ीसा में हमारा अनुभव रहा है कि जब सरकारी राजकोष के विशाल धन से संयंत्र की स्थापना की जाती है तो राज्य सरकारें विद्युत की सप्लाई नहीं करती हैं और इस तरह की नई प्रौद्योगिकी के लिए विद्युत अत्यन्त ही आवश्यक आदान है। मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार हमें अभी से बता दें कि वे हमें विद्युत नहीं देंगे तो हम अपने रक्षित विद्युत संयंत्रों के बारे में सोच सकते हैं ताकि सरकार संसद के समर्थन से इसकी जांच करा सके परन्तु प्रश्न यह है कि जब तक विद्युत के लिए आश्वासन नहीं मिल जाता मुझे सन्देह है कि ये संयंत्र कार्य नहीं करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : आपको 402 हार्स पावर दिया जा चुका है। आप और कितना चाहते हैं ?

श्री वसन्त साठे : हम हार्स पावर हैं परन्तु आप क्या हैं ?

भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग उद्योग के यंत्रीकरण सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशें

*146. **प्रो० मधु दंडवते :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग उद्योग के यंत्रीकरण सम्बन्धी समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या सरकार ने उक्त सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(घ) क्या ग्राहकों को शीघ्र और समय पर सेवा सुनिश्चित करने हेतु यंत्रीकरण/कम्प्यूटरीकरण आवश्यक समझा गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

बैंकों में कम्प्यूटर और मशीनें लगाने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। समिति ने बैंकों के कार्य के विभिन्न क्षेत्रों और बैंक कार्यालयों के विभिन्न स्तरों के यांत्रिकरण/कम्प्यूटरीकरण के एक क्रमबद्ध कार्यक्रम की सिफारिश की है। समिति ने काम के विभिन्न क्षेत्रों में मानकीकृत प्रक्रिया का सुझाव दिया है और विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त प्रकार के उपस्करों का सुझाव दिया है।

कार्यक्रम इस प्रकार अमल में लाया जाए कि काम में किसी प्रकार का व्यवधान न हो और धीरे-धीरे तथा सहज तरीके से यह परिवर्तन सम्भव हो सके। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि

वर्तमान जांच और प्रतिजांच के अलावा बैंकों की गलतियों तथा धोखा-धड़ियों के सम्बन्ध में कुछ अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय भी करने चाहिएं।

सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक से इस कार्यक्रम को दो से तीन वर्ष के अन्दर-अन्दर कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है। सरकार बैंकों की आन्तरिक प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार करने, बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने तथा बेहतर प्रबन्ध सूचना प्रणाली का निर्माण करने की दिशा में यंत्रीकरण और कम्प्यूटरीकरण को आवश्यक समझती है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह कम्प्यूटरीकरण/यंत्रीकरण किस विशेष क्षेत्र में चालू किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप सम्बन्धित विभागों के कितने कर्मचारी बेकार हो जायेंगे। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस कम्प्यूटरीकरण और यंत्रीकरण के इस प्रस्ताव के बारे में बैंक के विभिन्न कार्मिक संघों की प्रतिक्रिया क्या है ?

श्री जर्नादन पुजारी : इस कम्प्यूटरीकरण और पंजीकरण को लागू करने के लिए हमने परीक्षण के तौर पर प्रत्येक प्रमुख बैंक से एक-एक शाखा को चुना है। लगभग 15 शाखायें चुनी गई हैं। हम सहज परिवर्तन चाहते हैं। हम किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं चाहते हैं। न कोई छंटनी होगी और न किसी को निकाला जाएगा। कम से कम परिवर्तन किए जायेंगे। 15 शाखायें जो चुनी गई हैं उनके बारे में मेरे पास इस समय सूचना उपलब्ध नहीं है किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक ने दिल्ली, बम्बई और मद्रास के निकासी विभाग में यंत्रीकरण करने का निर्णय किया है और कलकत्ता क्षेत्र, विशेष कर उन कार्मिक संघों ने जिनका झुकाव भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की ओर है, इसका विरोध किया है।

(व्यवधान)

श्री जर्नादन पुजारी : आरम्भ में सभी कार्मिक संघों ने इसका विरोध किया था। यह स्थिति 1982 से पहले की है। अब हाल में हुए द्विपक्षीय समझौते के अनुसार वे कार्मिक संघ सहमत हो गए हैं। महोदय, जैसा कि इस सदन को पता है, इसका उद्देश्य समग्र रूप से बैंकिंग प्रणाली में ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। इस प्रकार की अनेक रिपोर्टें हैं कि कम्प्यूटरीकरण और यंत्रीकरण लागू करने से धोकाधड़ी का पता लगाना और अधिक सुगम हो जाएगा। इसलिए, इससे बैंकिंग प्रणाली में निश्चित रूप से सुधार होगा ; जैसा कि आपको पता है कि गत 15 वर्षों के भीतर बैंकिंग प्रणाली का भारी विस्तार हुआ है हम आगामी 15 वर्षों के दौरान और अधिक विस्तार देखने के इच्छुक हैं। हम लोग ग्राहक सेवा में निश्चित रूप से सुधार करके 21 शताब्दी में प्रवेश करना चाहते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया है। तथापि वह उसे सभा पटल पर रखने को सहमत हो गए हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है।

बैंक में कम्प्यूटरीकरण लागू करने के लिए दो मॉडल है। मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन सा मॉडल स्वीकार करेंगे।

प्रथम मॉडल इस प्रकार है :—

विभिन्न काउन्टरों पर निश्चित कार्यों को करने के लिए मेमोरी मोड्यूल्स से संलग्न स्टेण्ड लोन इलैक्ट्रोनिक लेजर पोस्टिंग मशीनें लगाई जायेंगी।

मॉडल-II इस प्रकार है :—

किसी भी शाखा में एकत्र माइको-प्रोसेसर पर आधारित प्रणाली संस्थापित की जाएगी।

प्राथमिक लेजरों में वाउचरों की प्रविष्टि आज की तरह हाथ से की जाएगी और इसके पश्चात् पूरक प्रविष्टियां, दैनिक-पुस्तक, सामान्य लेजर और अन्य सांख्यिकी विवरणियां तैयार करने के लिए सूचना माइक्रो-प्रोसेसर में भरी जायेंगी।

इनमें कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा है ?

श्री जर्नादन पुजारी : जैसा कि सदन को पता है कि मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरे माननीय मित्र प्रो० मधु दंडवते भी विशेषज्ञ नहीं हैं। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित कर चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के सभी अध्यक्षों को इसके सम्बन्ध में एक विशेष समिति गठित करने को लिखा है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं विशेषज्ञ नहीं हूं। किन्तु मैं आपको यह बता सकता हूं कि मेरा प्रश्न क्या है।

श्री जर्नादन पुजारी : इन बैंकों द्वारा गठित की गई ये विशेष समितियां होंगी। शुरू में हम लोग केवल मॉडल-I को अपना रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री जी ने अभी बताया है कि कलकत्ता यूनिट के जो लोग हैं, वे कम्प्यूटेराइजेशन को पसन्द नहीं करते हैं। तो क्या मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता में जो मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी है, उसकी यूनियन के कार्यकर्ताओं का जो फ्राडूलेंट काम हुए हैं, उनमें तालमेल बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वे इसका विरोध कर रहे हैं।... ...(व्यवधान)...

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कम्प्यूटेराइजेशन से फ्राडूलेंट एक्ट्स रुकेंगे और लन्दन में पंजाब नेशनल बैंक में और अन्य बैंकों के अन्दर जो फ्राड हुए हैं, क्या उस प्रकार के बड़े-बड़े फ्राड कम्प्यूटेराइजेशन से रुकेंगें और कलकत्ता में जो मार्कसिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की यूनियन है, उसके कार्यकर्ताओं का क्या ऐसे फ्राडों में कुछ हाथ है ?

...व्यवधान...

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

छिलका उतारे हुए बिनौले की खली के निर्यात में कमी

*147. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान छिलका उतारे हुए बिनौले की खली के निर्यात में भारी कमी आई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उसका निर्यात बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1980-81 से छिलका रहित बिनौला निस्सारण के भारत के निर्यात नीचे दिए जाते हैं :—

वर्ष	मात्रा (एम टी)	मूल्य (करोड़ रु०)
1980-81	2,09,497	27.88
1981-82	1,99,090	28.30
1982-83	1,74,868	22.86
1983-84	1,26,780	17.75
1984-85	44,707	6.17

(अप्रैल-जनवरी, अनन्तिम)

(ख) यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य देशों द्वारा मिश्रित पशु चारे में एफलेटोक्सिन की सहनशीलता के निम्न स्तरों के निर्धारण तथा प्रवर्तन और सोवियत संघ द्वारा भारत से आयातों में कमी से हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) गिरावट की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक तीन दिशा वाली योजना आरम्भ की गई है। इस योजना के घटक ये हैं :—

—विषाक्तता नियन्त्रण के ज्ञात तरीकों के बेहतर प्रयोग द्वारा विषाक्तता के स्तरों में कमी ;

—नये निर्विषीकरण तकनीकों का अनुसन्धान तथा विकास ; और

—बाजारों का विविधीकरण।

लौह अयस्क का मूल्य

*148. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लौह अयस्क का मूल्य, जो 1981-82 में उचित स्तर पर पहुंच गया था, 1982-83 में 12.5 प्रतिशत कम कर दिया गया तथा 1983-84 में निर्यात के लिए 12.5 प्रतिशत और कम कर दिया गया ;

(ख) क्या वर्तमान मूल्य 1980 के मूल्य के बराबर है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त (क) और (ख) के क्या कारण हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1981-82 में चल रही कीमतों की तुलना में 1982-83 के दौरान लौह अयस्क की विश्वव्यापी कीमतों में 11 से 17 प्रतिशत के बीच वृद्धि हुई। तथापि उसके बाद, विश्व में इस्पात उद्योग में गम्भीर मन्दी की वजह से लौह अयस्क की मांग कम हो गई जिससे 1983-84 के दौरान विश्व बाजार में लौह अयस्क की कीमतें 1982-83 की कीमतों की तुलना में 10.8 प्रतिशत से 12.9 प्रतिशत तक कम हो गई और इनमें गत वर्ष की कीमतों की तुलना में 1984-85 के दौरान 8.5 प्रतिशत से 12.4 प्रतिशत के बीच और कमी आई।

(ख) 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान लगातार 2 वर्षों तक लौह अयस्क की कीमतों में कमी आने के परिणामस्वरूप, चालू वर्ष के दौरान लौह अयस्क की कीमतें कम होकर लगभग 1980-81 के दौरान चल रही कीमतों के स्तर तक आ गईं।

(ग) इस्पात उद्योग में मन्दी तथा लौह अयस्क की कम मांग होने के साथ-साथ प्रमुख लौह अयस्क निर्यातकों द्वारा अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों से लौह अयस्क की अधिक

सप्लाई की स्थिति उत्पन्न होना पिछले दो वर्षों के दौरान लौह अयस्क कीमतों में गिरावट आने के प्रमुख कारण हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को दिया गया ऋण

*149. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाएगा तथा इसकी अदायगी कब तथा कितनी किश्तों में की जाएगी ; और

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ब्याज की अदायगी के लिए सरकार को और विदेशी ऋण लेना पड़ेगा ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) विस्तारित कोष सुविधा के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से की जाने वाली निकासियां साधारण साधनों और उधार लिए गए साधनों के 1:1 के अनुपात में होती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साधारण साधनों और उधार लिए गए साधनों पर लगने वाले प्रभार की दर अलग-अलग होती है। प्रभारों की वर्तमान दर इस प्रकार है :—

साधारण साधन :	7 प्रतिशत
उधार लिए गए साधन :	
साधनों की विस्तारित सुविधा	10.97 प्रतिशत
वित्तपोषण की अनुपूरक सुविधा	*12.45 प्रतिशत

*वित्तपोषण की अनुपूरक सुविधा सम्बन्धी साधनों के उपयोग पर भारत 3 प्रतिशत की पूरी दर पर आर्थिक सहायता (सब्सिडी) पाने का हकदार है।

ब्याज की वर्तमान दरों के आधार पर अगले तीन वर्षों में देय प्रभार की अनुमानित रकमें इस प्रकार हैं :—

	(लाख एस० डी० आर०)
1985-86	3761
1986-87	3482
1987-88	2921

(ख) जी, नहीं।

काले धन का पता लगाने के लिए छापे

*150. **श्री चिंतामणि जेना :**

श्री मोहन लाल पटेल :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एकत्र हो गए काले धन का पता लगाने के लिए सरकार ने क्या विभिन्न उपाय किए हैं ;

(ख) क्या चालू वर्ष के पहिले दो महीनों में कोई छापे मारे गए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अंतर्गत ऐसे उपाय समय-समय पर किए जा रहे हैं जो लेखा बाह्य आय के प्रसार और उसमें होने वाली अत्यधिक वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक हैं। इन उपायों में प्रशासनिक, विधायी तथा सांस्थानिक उपाय शामिल हैं।

(ख) तथा (ग). जनवरी और फरवरी, 1985 के दौरान आयकर विभाग ने 1133 तलाशियां लीं जिनमें प्रथम दृष्टया लगभग 6.61 करोड़ रुपए मूल्य की लेखा-बाह्य परिसंपत्तियां पकड़ी गईं।

दिल्ली में डी० डी० ए० के फ्लैट्स खरीदने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण

*151. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में फ्लैट्स और मकान खरीदने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डी० डी० ए० के फ्लैट्स और अन्य गैर-सरकारी फ्लैट्स खरीदने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा यह सुविधा दिल्ली में दी जा रही है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम बम्बई और कलकत्ता में "अपने अपार्टमेंट के मालिक बनिए" योजना के अन्तर्गत फ्लैटों की और मकानों की खरीद के लिए तथा मद्रास में केवल मकानों की खरीद के लिए ऋण देता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दिल्ली में कोई फ्लैट स्वामित्व के अधिनियम लागू नहीं है जिसके अनुसार सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम 1882 के अन्तर्गत प्रत्येक फ्लैट तथा उससे संलग्न सामान्य क्षेत्रों में और उससे सम्बन्धित आनुषंगिक सुविधाओं में अविभाजित अधिकार अचल सम्पत्ति की एक अलग इकाई होती है और जिसे बिक्री, बन्धक, पट्टा, उपहार, अदला-बदली आदि के जरिए अन्तरित किया जा सकता है। "अपने अपार्टमेंट के मालिक बनिए" योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम से ऋण लेने के लिए फ्लैट को बंधक रखना अनिवार्य होता है।

डालर के मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप विदेशी ऋण के भुगतान की देनदारी में वृद्धि

*152. **श्रीमती गीता मुखर्जी :**

श्री सी० पी० ठाकुर :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान विनिमय दर के अनुसार वर्ष 1984-85, 1985-86, 1986-87 और 1987-88 में विदेशी ऋण की अदायगी के रूप में कितना भुगतान करना होगा ;

(ख) क्या डालर के रूप में वृद्धि के फलस्वरूप ऋण की अदायगी का हमारा वार्षिक भार बढ़ जाएगा ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत की विदेशी ऋण सम्बन्धी देनदारियां इस प्रकार हैं :—

वर्ष	(करोड़ रुपए)
1984-85	1175
1985-86	1438
1986-87	2010
1987-88	2396

(ख) और (ग). विदेशी ऋण की समग्र राशि की वापसी-अदायगी केवल संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर में नहीं बल्कि विभिन्न मुद्राओं में की जाती है। डालरों के रूप में दिखाए गए ऋण पर, रुपए तथा डालर की विनिमय दर में हुए परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि यह वापसी-अदायगी डालरों में की जानी है। लेकिन डालर के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों से रुपए के रूप में दिखाए गए ऋण-भार में घट-बढ़ होगी जो विनिमय दर में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करेगी।

सिंगापुर की एक नौवहन कम्पनी द्वारा ऋणों का भुगतान न करने के कारण भारतीय बैंकों को हानि

*154. **श्री सी० जंगा रेड्डी :**

डा० ए० के० पटेल :

क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर की नौवहन कम्पनी द्वारा कई करोड़ डालर के ऋण का भुगतान न किए जाने के कारण छह भारतीय बैंकों को लगभग 10 करोड़ रुपए की हानि होने की सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) उक्त बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में क्या गलतियां की गईं तथा ऋण देने की प्रक्रिया में क्या खामियां हैं ; और

(घ) बैंकों द्वारा अपने ऋणों का भुगतान न किए जाने की सम्भावना को पूरी तरह समाप्त करने के लिए क्या ऐहतियाती उपाए किए गए हैं तथा नौवहन उद्योग में भारी मन्दी आने के प्रथम संकेत प्राप्त होने पर तुरन्त की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुसार और बैंकों में प्रचलित रीतिरिवाजों के अनुसार किसी ग्राहक के कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

अलबत्ता, प्रश्नगत लेन-देन के महत्व को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक को मामले की जांच करने और यह पता लगाने का अनुरोध किया गया है कि क्या नौवहन कम्पनी के साथ अपने व्यवहार में सम्बन्धित भारतीय बैंकों द्वारा स्वस्थ बैंककारी नियमों का पालन किया गया है या नहीं।

बम्बई में आयकर छापे

*155. **श्री सैयद मसुदल हुसैन :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने हाल ही में बम्बई में छापे मारे थे ;

(ख) क्या उक्त छापे फिल्मी उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों के यहां मारे गए थे ;

(ग) यदि हां, तो फिल्मी उद्योग सम्बन्धित व्यक्तियों के यहां मारे गए उक्त छापों के क्या परिणाम रहे तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या उन्हें भी गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमें चलाए जा रहे हैं ;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (च). प्रश्न ही नहीं उठते।

इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को घटिया स्तर की अग्निसह ईंटों की पूर्ति

*156. **श्री पूर्ण चन्द्र मलिक : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड को सप्लाई की गई अग्निसह ईंटें घटिया स्तर की थीं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अग्निसह ईंटों की पूर्ति करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते।

बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होना

*157. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बिक्री योग्य इस्पात के उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाये गए हैं।

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग). पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में बिक्रेय इस्पात के उत्पादन तथा वर्ष 1985-86 की उत्पादन योजना का ब्यौरा नीचे दी गई तालिका में दिया गया है :—

वर्ष	मुख्य उत्पादक	लघु इस्पात कारखाने	(हजार टन) कुल
1980-81	6304	1954	8258
1981-82	7257	2032	9289
1982-83	7293	2040	9333
1983-84	6397	1976	8273
1984-85 (अनुमानित)	6980	1795	8775
1985-86 (योजनागत)	7620	1900	9520

उत्पादन कारखानों की परिचालन की दृष्टि से उपयुक्तता, उपयुक्त क्वालिटी के आदानों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि तथा बाजार की आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। उपयुक्त रख-रखाव तथा वांछित क्वालिटी के आदानों की उपलब्धि सुनिश्चित करके क्षमता की अधिक प्राप्ति हेतु प्रयास किए जा रहे हैं।

दीर्घावधि उपाय के रूप में वर्तमान इस्पात कारखानों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन करके तथा नये इस्पात कारखाने लगाकर देश के इस्पात के उत्पादन में वृद्धि की जायेगी।

लघु इस्पात कारखानों की क्षमता में वृद्धि करने के लिए उन्हें वर्तमान इकाइयों का विस्तार करने, अपने उत्पादन में स्वतन्त्रतापूर्वक विविधता लाने, वायदा समीकरण (फारवर्ड इन्टीग्रेशन), निरन्तर ढलाई की मशीनें लगाने आदि जैसी सुविधाएं प्रदान की गई हैं।

विश्व के हीरा बाजार में भारत की स्थिति

*158. **श्री आर० अन्नानम्बी :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 31 दिसम्बर, 1984 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान निर्यात किए गए हीरों का मूल्य 1182 करोड़ रुपये था जिससे पता चलता है कि गत वर्ष के दौरान 1162 करोड़ रुपए के निर्यात की तुलना में इसमें केवल मामूली वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्यात के मूल्य में आई गिरावट से पता चलता है कि भारत विश्व के हीरा बाजार में अपना प्रभुत्व खो रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां, रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार, जनवरी-दिसम्बर, 1983 के दौरान 1164 करोड़ रु० के निर्यात की तुलना में जनवरी-दिसम्बर, 1984 की अवधि में कटे और पालिश हुए हीरों का निर्यात कुल मिलाकर 1,182 करोड़ रु० का हुआ।

(ख) और (ग). जनवरी-दिसम्बर, 1983 की अवधि की तुलना में जनवरी-दिसम्बर, 1984 के दौरान संसोधित हीरों के निर्यात में कोई गिरावट दिखाई नहीं दी।

खान मुहानों पर कोयला भंडार

*159. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलमन्त्री ने खानों के मुहाने पर कोयला भंडारों को हटाने के लिए पर्याप्त संख्या में वेगनों की व्यवस्था करने के लिए ठोस और तत्काल कदम उठाने का आश्वासन दिया है ;

(ख) क्या रेलवे ने उक्त आश्वासन को पूरा कर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो फरवरी, 1985 में कितने बैगन उपलब्ध कराए गए; और

(घ) खानों के मुहानों पर कोयला भंडारों की नवीनतम स्थिति क्या है?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग). इस्पात, खान और कोयला मन्त्री तथा रेल मन्त्री के बीच दिनांक 6 फरवरी, 1985 की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मई, 1985 तक कोयला लदान का लक्ष्य औसतन 13,200 वैगन प्रतिदिन रखा जाए। इसमें से 11,600 वैगन प्रतिदिन कोल इंडिया लि० को और 1200 वैगन प्रतिदिन सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० को सप्लाई किए जाने थे। फरवरी, 1985 के दौरान प्रतिदिन का वास्तविक लदान औसतन कोल इंडिया लि० द्वारा 10,755 और सिं० को० कं० लि० द्वारा 924 था।

(घ) दिनांक 1-3-1985 के कोयला स्टाक निम्नलिखित थे :—

		(मिलियन टनों में)
कोल इंडिया लि०	—	25.40
सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि०	—	0.72
अन्य	—	0.17
कुल		26.29

नई कपड़ा नीति

*160. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री बी० वी देसाई :

क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक नई कपड़ा नीति तैयार करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इस नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और इसके कब तक घोषित किए जाने की सम्भावना है ;

(ग) क्या नई कपड़ा नीति के अन्तर्गत हथकरघा उद्योग को भी शामिल किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो देश में और विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में हथकरघा उद्योग को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नई वस्त्र नीति बनाई जा रही है और यथाशीघ्र घोषित कर दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) हथकरघा उद्योग के विकास के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। शुरू की गई मुख्य योजनाएं निम्नोक्त प्रकार हैं :

(i) हथकरघा कपड़े की बिक्री पर विशेष छूट प्रदान करना ;

(ii) प्राथमिक और एपैक्स हथकरघा सहकारी समितियों तथा राज्य हथकरघा विकास निगमों के लिए अंश पूंजी सहायता ;

(iii) करघा पूर्व और करघा पश्चात संसाधन सुविधाएं के सृजन के लिए सहायता ;

(iv) करघों के सुधार और आधुनिकीकरण के लिए सहकारी क्षेत्र में हथकरघा बुनकरों को ऋण और अनुदान सहायता ;

(v) हथकरघा सहकारी समितियों को प्रबन्धकीय उपदान ;

(vi) हथकरघा बुनकरों को सतत रोजगार प्रदान करने के लिए हथकरघा जनता कपड़ा योजना ;

(vii) सहकारी समिति के दायरे से बाहर के बुनकरो को लाभ पहुंचाने के लिए गहन विकास परियोजना/निर्यात उत्पादन परियोजना।

ऊपर बताई गई योजनाएं पिछड़े क्षेत्र सहित सभी क्षेत्रों के लिए बनाई गई हैं। तथापि, पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हथकरघों के लिए कुछ योजनाओं के प्रावधानों को उदार किया गया है।

बम्बई में निर्माताओं द्वारा उत्पादन शुल्क का अपवंचना

750. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर अपबंचना-निरोधी (उत्पादन शुल्क) निदेशालय के एक शीर्ष अधिकारी द्वारा 28 फरवरी, 1985 को बम्बई में पीतल और तांबे के पाइपनिर्माताओं द्वारा लगभग 5 करोड़ रु० के उत्पादन शुल्क की बंधना करने का पता लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ;

(ग) कर अपवंचकों के विरुद्ध क्या कार्यबाही की गई ;

(घ) क्या उत्पादन शुल्क के अपवंचन का पता करने के लिए अन्य राज्यों में भी छापे मारे गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). जी, हां। अपवंचन निवारण (केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) निदेशालय ने, दिनांक 28 फरवरी, 1985 को बम्बई और अन्य स्थानों पर स्थित, तांबा और तांबा मिश्रधातु की शैल/ब्लेंक, पाइपों/टयूबों के निर्माताओं के परिसरों की तलाशियां ली थीं। अपवंचित किए गए उत्पादन शुल्क की अनुमानित रकम 5 करोड़ रु० है।

(ग) अपराधियों के खिलाफ केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के उपबन्धों के अधीन न्यायनिर्णयन और अभियोजना की उचित कार्यवाही की जाएगी।

(घ) और (ङ). जी, हां। वर्ष 1985 के प्रथम दो महीनों के दौरान लगभग 1103 मामले पकड़े गए हैं, जिनमें लगभग 2734 लाख रु० की उत्पादन शुल्क की थोरी का अनुमान है। अन्तर्ग्रस्त मुख्य

जिन्सें ये हैं कम्प्यूटर, कार्यालय-मशीनें, काटन फैब्रिक, तांबा और तांबा मिश्र धातु और पी० एस० सी० पोल्स ।

रायगढ़ जिले (मध्य प्रदेश) में खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

751. **कुमारी पुष्पा देवी :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में खनिज-आधारित कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य के रायगढ़ जिले में कुछ खनिज-आधारित उद्योग स्थापित करने का है ;

(ग) यदि हां, तो वहां इस प्रकार के खनिज-आधारित कितने उद्योग स्थापित किए जाने का विचार है ; और

(घ) इस मामले में उठाए गए कदमों का क्या ब्यौरा है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ). मध्य प्रदेश में निम्नलिखित प्रधान खनिज आधारित उद्योग हैं :—

1. एक इस्पात कारखाना
2. एक एल्यूमिनियम कारखाना
3. नौ सीमेंट कारखाने
4. दो उर्वरक कारखाने
5. दो एस्बेस्टस सीमेंट कारखाने
6. तीन सिरेमिक कारखाने (यूनिट)
7. सात रिफ्रेक्टरी यूनिट

इनके अलावा, तीन सल्फूरिक एसिड संयंत्र और तीन कास्टिक सोडा यूनिट हैं ।

समझा जाता है कि जिला रायगढ़ में तीन छोटे सीमेंट कारखाने भी खोलने का प्रस्ताव है ।

अन्य लघु खनिजों पर आधारित यदि कोई उद्योग होंगे तो उनकी सही संख्या, मध्य प्रदेश शासन से अपेक्षित सूचना मिलने पर, प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में पांच दिन का कार्य सप्ताह

752. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के कुछ उपक्रम पहले से ही पांच दिन के कार्य सप्ताह का पालन कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के सरकारी उपक्रमों तथा अन्यों के नाम क्या हैं तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुंजारी) : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल सरकार का भारत जूट मिल्स के राष्ट्रीयकरण हेतु प्रस्ताव

753. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से भारत जूट मिल्स का राष्ट्रीयकरण करने हेतु कोई प्रस्ताव मिला है जिससे कि इस मिल का आधुनिकीकरण किया जा सके और इसे सक्षम बनाया जा सके ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिकिया है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : (क) तथा (ख). पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार से दिसम्बर, 1983 में सन्दर्भ मिला था जिसमें यह कहा गया था कि चूंकि कुछ पटसन मिलों के राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी प्रस्थापना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, इसलिए मैसर्स भारत जूट मिल्स लि० हावड़ा पर भी विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार को मार्च 1984 में यह बता दिया गया था कि कुछ पटसन मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए कोई प्रस्थापना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने पटसन उद्योग की वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने के लिए संस्थागत वित्त के समन्वय के सम्बन्ध में एक स्थायी समिति गठित की थी राज्य सरकार को यह सलाह दी गई कि वह इस मिल के बारे में आवश्यक ब्यौरे के साथ पटसन आयुक्त के कार्यालय तथा उक्त समिति से सम्पर्क बनाए रखे। राज्य सरकार ने उपरोक्त सुझाव को स्वीकार कर लिया है।

पटसन और चाय उद्योगों में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग में लाया जाना

754. **श्री रेणुपद दास :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पटसन और चाय उद्योग क्षीण होते जा रहे थे क्योंकि उनके स्वामियों ने नई प्राद्यौगिकी का प्रयोग नहीं किया और पूंजी को अन्य क्षेत्रों में स्थानान्तरण कर दिया ;

(ख) क्या सरकार का विचार इन उद्योगों को बचाने के लिए इस मामले में कदम उठाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है यह उल्लेखनीय है कि पटसन उद्योग में संयंत्र और मशीनरी के आधुनिकीकरण। नवीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। यद्यपि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० वी० आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम जैसी वित्तीय संस्थाएं पटसन मिलों को उनके आधुनिकीकरण और पुनर्स्थापन कार्यक्रम के लिए सुलभ ऋण योजना के अन्तर्गत घटी हुई ब्याज दर पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं किन्तु उद्योग की ओर से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पटसन मिलों की जीवन क्षमता के बारे में अध्ययन करने और सम्भाव्य जीवनक्षम एककों के पुनर्स्थापन के लिए अनेक वित्तीय उपायों का सुझाव देने के लिए एक स्थाई समिति बनाई है। सरकार विभिन्न प्रयासों के माध्यम से घरेलू तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में पटसन उद्योग को बराबर मदद दे रही है।

जहां तक चाय उद्योग का सम्बन्ध है, यह उल्लेखनीय है कि अनेक वर्षों के बाद चाय कीमतों में हुए सुधार ने चाय उद्योग का भारी पुनरुद्धार हुआ है और इसके साथ-साथ चाय उद्योग में अधिक निवेश

क रुख बना है। चाय बोर्ड चाय उद्धोग की सहायता के लिए अनेक योजनाएं पहले ही चला रहा है तथा लाभों के पुर्ननिवेश के लिए नया प्रोत्साहन बजट प्रस्तावों का अंग है।

आयकर की अदायगी में चूक

755. **श्री सी० डी० गामित :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक फिल्मी कलाकार, निर्माता और निदेशक आयकर की अदायगी के मामले में चूक करने के अभी भी दोषी हैं ;

(ख) यदि हां, तो न्यायालयों में उनके विरुद्ध मामलों का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) उनसे बकाया कर की वसूली करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तथा (ख). ऐसे 194 फिल्मी सितारे, निर्माता तथा निर्देशक थे जिनकी तरफ 30-9-1984 की स्थिति के अनुसार 1 लाख रुपए से अधिक आयकर की मांगें बकाया थीं। चार कर-निर्धारितियों के विरुद्ध न्यायालय की कार्यवाहियां बकाया हैं, अर्थात् :

(क) श्रीमती एस० शंकरम्मा

(ख) श्री आशीष कुमार सेन गुप्ता

(ग) महबूब अली मुमताज अली

(घ) सुचित्रा सेन

(ग) प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति को देखते हुए, बकाया मांगों की वसूली/घटौती के लिए संबन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर समुचित उपाय किये जाते हैं इस उपायों में, अन्य उपायों के साथ-साथ, अपीलीय प्राधिकारियों से विचाराधीन अपीलें शीघ्र निपटाने का निवेदन करना शामिल है। इनमें, आयकर अधिनियम की धारा 226(3) तथा 179 के अन्तर्गत की जाने वाली कार्य-वाहियों का सहारा लेना तथा आयकर अधिनियम की धारा 222 के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी की वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की करना भी शामिल है।

शत्रु की सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रशासनिक निकाय का बम्बई से कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाना

756. **श्री अनिल बसु :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शत्रु की सम्पत्ति दावों के शीघ्र निपटान के लिए शत्रु की सम्पत्ति सम्बन्धी समस्त प्रशासनिक निकाय को बम्बई से कलकत्ता स्थानान्तरिक करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्यालय को बम्बई से कलकत्ता स्थानान्तरिक करने के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) इसे कब तक स्थानान्तरित कर दिया जाएगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

आयकर प्राधिकारियों द्वारा पकड़े गए दिखावटी खर्च दिखाए जाने संबंधी मामले

757. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा वर्ष 1983-84 और 1984-85 (28 फरवरी, 1985 तक) के दौरान पकड़े गए उन मामलों की संख्या कितनी है जो वर्ष 1974 में यथा संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार "दिखावटी खर्च" सम्बन्धी मामले हैं और जिनके सम्बन्ध में मुकदमे चलाए गए हैं ;

(ख) "दिखावटी खर्च" का निर्धारण करने संबंधी यदि कोई मार्ग निदेश हैं तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या महानगरों में 5 सितारा होटलों में शादी विवाहों पर किए जाने वाले ऐसे अत्यधिक खर्च के बारे में यह जांच की जा सकती है कि यह खर्च कहां से किया गया और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) से (ग). उपलब्ध सूचना के अनुसार आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 133 क (5) के अधीन, वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान 454 मामलों में और जनवरी, 1985 तक 458 मामलों में जांच-पड़ताल की गई थी। मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं और जांच-पड़ताल के परिणामों को कर-निर्धारण अधिकारियों के पास भेज दिया जाता है जिससे वे प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन समुचित कार्यवाही कर सकें।

पूंजी निवेश कम्पनियां

758. **श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूँजी निवेश व्यापार में लगी लगेभग सभी कम्पनियों को "स्टाक एक्स-चेंज" के दायरे में लाने के लिए पूंजी निवेश कम्पनियों की परिभाषा को व्यापक बना दिया है ;

(ख) यदि हां, तो नई परिभाषा की मोटी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या हाल में "लीजिंग" कम्पनियों और पूंजी निवेश कम्पनियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है ;

(घ) उन पूंजी निवेश कम्पनियों के नाम क्या हैं ; जिनकी प्रदत्त पूंजी 1 करोड़ रुपए से अधिक है ; और

(ङ) इन कम्पनियों की गतिविधियों पर, विशेषकर पूंजी निवेश के माध्यम से काले धन को वैध धन में बदले जाने पर, यदि कोई निगरानी रखी जा रही है, तो उसका स्वरूप क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). पहले से जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अनुसार, केवल उन्हीं कम्पनियों को निवेश कम्पनियों के रूप में मान्यता दी जाएगी जिनके मुख्य उद्देश्यों में, शेयरों अथवा ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की हामीदारी भरने अथवा उनका कारबार करने का कार्य एक उद्देश्य के रूप में विहित किया गया होगा। इसके अलावा केवल ऐसी निवेश कम्पनियों को जिनकी चुकता पूंजी एक करोड़ रुपए से कम की नहीं होगी, और जिनके शेयर धारकों की संख्या, संवर्धकों को छोड़कर, कम से कम 2,000 होगी तथा जिनके शेयर धारकों की संख्या में, कम्पनी की चुकता पूंजी में होने वाली-वृद्धि के अनुपात में वृद्धि होती रहेगी, स्टाक एक्स-चेंजों में सूचीबद्ध किया जा सकेगा। यदि एक ऐसी कम्पनी के शेयर धारकों की संख्या, संवर्धकों को छोड़कर, 1,000 से कम हो जाएगी जिसकी चुकता पूंजी-एक करोड़ रुपया होगी और इसी तरह इससे

अधिक चुकता पूंजी वाली कम्पनियों के सन्दर्भ में शेयर धारकों की संख्या में उतनी वृद्धि न हुई होगी, जितनी पूंजी की वृद्धि के अनुपात से होनी चाहिए, तो ऐसी कम्पनियों के शेयरों को सूची बहिष्कृत कर दिया जाएगा।

"निवेश कम्पनियों" की जो व्यापक परिभाषा सरकार ने हाल ही में प्रतिपादित करके जारी की है, उसके अनुसार किसी भी ऐसी कम्पनी को, जिसके संस्थान नियमों में, शेयरों अथवा ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की हामीदारी भरने, उनमें पूंजी का निवेश करने अथवा उनका कारबार करने का व्यवसाय, प्रासंगिक/सहायक अथवा अन्य उद्देश्यों के अन्तर्गत एक उद्देश्य-परक उपबन्ध के रूप में निहित किया गया हो, "निवेश कम्पनी" के रूप में अभिप्राप्त कम्पनी मान लिया जाएगा यदि इसके धारित शेयरों अथवा ऋणपत्रों का परिणाम इसकी पूंजी के मूल्य अर्थात् शेयर पूंजी और अबधि प्रारक्षित निधि की राशि के योग के 30 प्रतिशत से ज्यादा हो जाए अथवा किसी भी लेखांकन वर्ष में किसी भी समय शेयरों तथा ऋणपत्रों सम्बन्धी इसका कारबार, मौद्रिक मूल्य के हिसाब से, इसके कुल मौद्रिक कारबार के 50 प्रतिशत भाग से ज्यादा हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि एक करोड़ रुपए से कम की चुकता पूंजी वाली कुछ एक सूचीबद्ध कम्पनियां, जिनके शेयरों अथवा ऋणपत्रों अथवा अन्य प्रतिभूतियों की हामीदारी भरने अथवा उनका कारबार करने का कार्य उनके शेयरों को सूचीबद्ध किए जाने के समय उनकी मुख्य उद्देश्यपरक व्यवस्थाओं में एक उद्देश्य के रूप में विहित नहीं किया गया था, एक विशेष संकल्प द्वारा अपने शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करके और उस विशेष संकल्प को कम्पनी रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करके, ऐसे व्यवसाय को अपने उद्देश्यपरक उपबन्धों में शामिल करके अपना ले। इसलिए समस्त सूचीबद्ध कम्पनियों के लेखा-परीक्षकों को अपनी वार्षिक रिपोर्टों में ऐसी कम्पनियों के संबंध में एक प्रमाण पत्र भी देना होगा जो कि उपर्युक्त मापदण्डों के अनुसार अथवा परिस्थितियों में निवेश कम्पनियां बन गई होगी। उपर्युक्त दोनों श्रेणियों की कम्पनियों को स्टाक एक्सचेंजों की सूचियों से बहिष्कृत कर दिया जाएगा, यदि वे, उस तारीख से, जिससे वे निवेश कम्पनियां बनी हों। निवेश कम्पनियों के रूप में बनी कम्पनियों के तौर पर मान ली गई हों, छह महीने की अवधि के अन्दर-अन्दर उपर्युक्त उप-पैराग्राफ में निवेश कम्पनियों को सूचीबद्ध करने के लिए निर्धारित अपेक्षाओं का अनुपालन न करेंगी।

(ग) तथा (घ). पूंजी निर्गम नियंत्रक ने, जो कि पूंजी जुटाने के लिए स्वीकृतियां प्रदान करता है, ऐसी कम्पनियों को, जिनका उद्देश्य अन्य कार्यों के साथ-साथ लीजिंग कारबार करना तथा निवेश करना भी है, 1984-85 में (15-3-85 तक) कुल मिलाकर 83.92 करोड़ रुपए की मालियत की 55 स्वीकृतियां प्रदान की हैं. जब कि इसकी तुलना में वर्ष 1983-84 में कुल मिलाकर 65.81 करोड़ रुपए की 40 स्वीकृतियां दी गई थीं। संयुक्त पूंजी कम्पनियों के औद्योगिक वर्गीकरण के अन्तर्गत, जिसे कम्पनी कार्य विभाग ने अपना रखा है और जो विभाग कम्पनियों के पंजीयन के सम्बन्ध में अंक संकलन करता है, लीजिंग कम्पनियों को अलग से नहीं दिखाया जाता और निवेश कम्पनियों को कूट संख्या 6.52 अर्थात "निवेश तथा न्यास" के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जाता है। गत चार वर्षों के अन्त में इस कूट संख्या के अन्तर्गत कार्यरत कम्पनियों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	संख्या
1980-81	3122
1981-82	4548
1982-83	6102
1983-84	7433

उस विभाग द्वारा गैर-सरकारी कम्पनियों के तुलन पत्रों के निष्पादित अद्यतन विश्लेषण के अनुसार, 31 मार्च, 1982 को उद्योग कूट संख्या 6.52 के अंतर्गत एक करोड़ रुपए से ज्यादा रकम की चुकतीं पूंजी-वाली 26 कम्पनियों के नाम दर्ज थे। ऐसी कम्पनियों की सूची विवरण के रूप में प्रस्तुत की गई है।

(ङ) जो कम्पनियों निवेश और/अथवा लीजिंग के कारबार में व्यस्त हों, वे कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन पंजीबद्ध किसी भी दूसरी कम्पनी के समान होती हैं और उनको उस अधिनियम के सम्बद्ध उपबन्धों का अनुपालन करना पड़ता है। उनको, पूंजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम; विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों तथा विनियमों का भी यथास्थान पालन करना होता है। निवेश कम्पनियों तथा लीजिंग कम्पनियों को सूची-बद्ध करने के लिए जो मार्ग-निर्देश जारी किए गए हैं, वे ऐसी कम्पनियों की गतिविधियों पर अंकुश रखते हैं। जहां तक काले धन, को स्वच्छ धन के रूप में परिवर्तित करने में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका का सम्बन्ध है, सरकार को ऐसे किसी मामले की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम
1.	अलकापुरी इनवेस्टमेंट प्रा० लि०
2.	अरावली इनवेस्टमेंट प्रा० लि०
3.	भारत निधि लिमिटेड
4.	धौलागिरी इनवेस्टमेंट प्रा० लि०
5.	दिगविजय इनवेस्टमेंट लि०
6.	ईस्टर्न इनवेस्टमेंट लि०
7.	एलस्कोप प्रा० लि०
8.	हिमालय इनवेस्टमेंट प्रा० लि०
9.	इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०
10.	जयभारत क्रेडिट एण्ड इनवेस्टमेंट कम्पनी लि०
11.	कैलाश इनवेस्टमेंटस प्रा० लि०
12.	कंचनजंघा इनवेस्टमेंट्स प्रा० लि०
13.	मदन मोहन लाल ओरकम प्रा० लि०
14.	नर्मदा इनवेस्टमेंट्स प्रा० लि०
15.	नीलगिरी इनवेस्टमेंट्स प्रा० लि०
16.	आफसेड प्रा० लि०
17.	पिलानी इनवेस्टमेंट कारपोरेशन लि०
18.	प्रीमियर कंसट्रक्शन कम्पनी लि०

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम
19.	साराभाई केमिकल्स प्रा० लि०
20.	सिंधिया इनवेस्टमेंट्स प्रा० लि०
21.	श्यामनगर इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि०
22.	सुन्दरम फाइनेंस लि०
23.	स्युरेक होल्डिंग्स लि०
24.	टाटा सन्स लि०
25.	वादी फाइनेंस एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लि०
26.	वादी होल्डिंग्स लि०

कोकिंग कोल के लिए विदेशी सप्लायरों को बड़े आर्डर देने की योजना

759. **श्री महेन्द्र सिंह : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विदेशी सप्लायरों को कोकिंग कोल के बड़े आर्डर देने सम्बन्धी अपनी योजना की घोषणा की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख). अनुमान है कि वर्ष 1985-86 में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के इस्पात कारखानों की कोककर कोयले की मांग तथा देशीय स्रोतों से उपलब्धि में लगभग 15 लाख टन का अन्तर रहेगा। कोककर कोयले की इस आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए "सेल" ने राख की कम मात्रा वाले 10 लाख टन बढ़िया कोककर कोयले के आयात हेतु विश्व आधार पर निविदाएं आमंत्रित की हैं। निविदाएं प्राप्त हो गयी हैं और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है।

मैट्रिक पास बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण की मंजूरी

760. **प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान स्व-रोजगार हेतु मैट्रिक पास बेरोजगार व्यक्तियों को ऋण मंजूर करने के कार्यक्रम की कोई पुनरीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षा के निष्कर्ष क्या हैं तथा उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक बैंक को राज्य-वार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा प्रत्येक राज्य में कुल कितने मामलों में ऋण मंजूर किये गए, कितने मामलों में वास्तव में भुगतान किया गया ;

(ग) क्या ऋण मंजूर करने हेतु कोई मामले अब भी निपटाने के लिए लम्बित पड़े हैं ;

(घ) यदि हां, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में बैंकों को कोई शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार को प्रत्येक राज्य से बैंक-वार अब तक प्राप्त हुई शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (च). शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व रोजगार प्रदान करने की योजना की प्रगति पर भारत सरकार द्वारा और कभी-कभी भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भी निगरानी की जाती है। संलग्न विवरण में 31 मार्च, 1984 को समाप्त 1983-84 में और विवरण-2 में 21 मार्च, 1985 तक 1984-85 में इस योजना की राज्यवार प्रगति दिखायी गयी है। चूंकि, यह योजना निरंतर चलने वाली योजना है, इसलिए निपटाये जाने वाले ऐसे कुछ मामले लम्बित पड़े ही रहेंगे। लेकिन फिर भी, बैंकों को यह अनुदेश दे दिए गए हैं कि इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन शाखा में प्राप्त होने की तारीख से 14 दिन के अन्दर-अन्दर निपटा दिए जाने चाहिए। इस सम्बन्ध में प्राप्त होने वाली शिकायतें प्राय: ऋणों की मंजूरी में देरी, आवेदनों के रद्द किए जाने के बारे में होती हैं जब कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं उनके सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उनकी जांच की जाती है।

विवरण-एक

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 1983-84 में 31 मार्च, 1984 तक बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार को योजना के अंतर्गत दिए गए ऋणों की प्रगति

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य का नाम	83-84 के लिए लक्ष्य	जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संस्तुत आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	20,000	25401	14781	2936.00
2.	असम	6,700	10944	8021	1540.44
3.	बिहार	29,000	36766	14230	2278.64
4.	गुजरात	11,200	19585	10497	1588.88
5.	हरियाणा	5,300	9682	6189	998.99
6.	हिमाचल प्रदेश	2,000	6126	2465	449.69
7.	जम्मू एंड कश्मीर	1,800	2399	1416	287.95
8.	कर्नाटक	12,100	27667	12307	1960.00
9.	केरल	15,100	20967	18091	2110.00
10.	मध्य प्रदेश	17,500	39243	18786	2857.80
11.	महाराष्ट्र	20,800	52009	24579	4024.28
12.	मणिपुर	1000	1462	981	179.82
13.	मेघालय	400	632	353	75.09

1	2	3	4	5	6
14.	नागालैंड	250	253	189	39.25
15.	उड़ीसा	8,600	9722	6823	1368.62
16.	पंजाब	6700	15856	9047	1689.60
17.	राजस्थान	10,000	23414	15054	2365.30
18.	सिक्किम	100	28	15	3.65
19.	तमिलनाडु	17,500	33432	21247	3310.00
20.	त्रिपुरा	900	962	696	97.33
21.	उत्तर प्रदेश	36,000	47585	36857	5382.85
22.	पश्चिम बंगाल	25,500	41967	23680	4481.92
23.	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	100	112	66	15.22
24.	अरुणाचल प्रदेश	200	62	36	0.91
25.	चंडीगढ़	500	599	325	56.50
26.	दादरा और नगर हवेली	100	174	54	10.71
27.	गोवा दमन और द्वीप	जिला उद्योग केन्द्र कार्य नहीं कर रहा था			
28.	मिजोरम	200	179	196	42.61
29.	पांडचेरी	450	470	414	40.00
	कुल जोड़	2,50,000	4,27,738	242405	40154.05

स्रोत : उद्योग मंत्रालय आंकड़े अनन्तिम हैं।

विवरण-दो

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 1984-85 में 21 मार्च, 1985 तक बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना के अन्तर्गत दिए गए ऋणों की प्रगति

क्र० सं०	रा/संघ*क्षेत्र का नाम *राज्य	84-85 के लिए लक्ष्य	जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संस्तुत आवेदनों की संख्या	बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदनों की संख्या बैंकों को	राशि की स्थिति (लाख के अनुसार रुपये)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	15,100	24,295	9550	1300.00	15.3.85

1	2	3	4	5	6	7
2.	असम	8,200	6,424	1923	73.60	28.2.85
3.	बिहार	14,500	19,453	8220	1481.84	31.1.85
4.	गुजरात	10,700	×	3392	620.64	28.2.85
5.	हरियाणा	2,500	3,138	2065	413.04	31.10.84
6.	हिमाचल प्रदेश	6,300	×	×	×	—
7.	जम्मू एंड कश्मीर	1,400	1,500	400	61.98	18.3.85
8.	कर्नाटक	12,500	13,087	3084	498.01	28.2.85
9.	केरल	13,300	12,494	3490	×	28.2.85
10.	महाराष्ट्र	250,00	22,335	2931	×	15.2.85
11.	मणिपुर	1,000	1,459	1014	186.13	28.2.85
12.	मेघालय	400	297	294	×	28.2.85
13.	नागालैंड	200	×	×	×	—
14.	मध्य प्रदेश	19,100	24,233	3675	×	28.2.85
15.	उड़ीसा	7,000	5,063	2179	523.73	31.1.85
16.	पंजाब	12,000	6,813	578	98.48	31.12.84
17.	राजस्थान	15,000	19,739	4850	×	16.2.85
18.	सिक्किम	50	×	×	×	—
19.	तमिलनाडू	21,700	27,584	9394	1729.39	28.2.85
20.	त्रिपुरा	700	×	×	×	—
21.	उत्तर प्रदेश	37,600	4,843	403	22.62	31.12.84
22.	पश्चिम बंगाल	24,100	36,097	5581	×	15.3.85
23.	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	100	×	22	4.80	31.12.84
24.	अरुणाचल प्रदेश	50	82	42	9.17	31.1.85
25.	चंडीगढ़	300	176	95	13.00	31.1.85
26.	दादरा और नगर हवेली	100	67	56	10.89	31.1.85
27.	गोवा दमन और द्वीप समूह	300	×	×	×	—

1	2	3	4	5	6	7
28.	मिजोरम	200	200	105	22.61	28.2.1985
29.	पांडिचेरी	400	316	124	14.40	31.12.1984
	जोड़	2,50,000	2,29,695	63,462	7064.33	

*सूचना प्राप्त नहीं हुई

स्रोत : उद्योग मंत्रालय आंकड़े अनन्तिम हैं।

केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा बम्बई में फर्जी फर्मों तथा विदेशी मुद्रा के प्रेषण सम्बन्धी घोटाले का भंडाफोड़

761. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 24 जनवरी, 1985 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा बम्बई में कम से कम सात व्यक्तियों की गिरफ्तारी के साथ कई फर्जी फर्में चलाने और दुबई को विदेशी मुद्रा प्रेषित किए जाने से सम्बन्धित एक घोटाले का भंडाफोड़ किया गया ;

(ख) यदि हां, तो घोटाले की कार्य-प्रणाली सहित जैसी कि जांच से पता चली है, उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार के घोटालों को रोकने के लिए क्या कदम उटाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). प्रवर्त्तन निदेशालय से प्राप्त एक शिकायत के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 8(3) (4) के साथ पठित धारा 56 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने कुछ फर्जी फर्मों के नाम पर आयात के लिए जाली दस्तादेजों पर धोखे से दुबई को विदेशी मुद्रा प्रेषित की थी ।

इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 22 और 23 जनवरी 1985 को आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । न्यायालय से वारंट प्राप्त करके इन्हीं दिनों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा पहले इन व्यक्तियों के परिसरों की तलाशियां ली गई थीं जिसके परिणाम स्वरूप अपराध आरोपणीय दस्तावेज पकड़े गये थे । गिरफ्तार व्यक्तियों को न्यायालय में पेश किया गया था । उनमें से दो को जमानत पर छोड़ दिया गया था जबकि छः को 31-1-1985 तक पुलिस रिमांड में रखा गया और बाद में न्यायालय से आदेश पर उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया ।

चूंकि मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है, इसलिए इस स्तर पर आगे ब्यौरा देना समयोचित नहीं होगा । जांच पड़ताल पूरी होने पर मामले में उपयुक्त कार्रवाही की जाएगी ।

[हिन्दी]

मैसर्स भारत रिफ्रैक्ट्रीज, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार देना

762. **श्री हरीश रावत : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मैसर्स भारत रिफ्रैक्ट्रीज, देवलथाल, उत्तर प्रदेश अपने पिछले आश्वासन दावे के विपरीत प्रभावित क्षेत्रों के बाहर के लोगों को तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसी कुल कितनी नियुक्तियां की गई हैं तथा भविष्य में ऐसी नियुक्तियां रोकने के लिए सरकार द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नटवर सिंह) : (क) और (ख). भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि० की उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में देवलथाल के स्थान पर पिथौरागढ़ मेग्नेसाइट परियोजना इस समय निर्माण-पूर्व चरण में है। भारत रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड भर्ती करते समय भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार परियोजना के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिकों को प्राथमिकता देती है। अभी तक श्रेणी III और श्रेणी IV के पदों पर लगाये गए तीस व्यक्तियों में से केवल चार व्यक्ति परियोजना से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों के हैं। इन चार व्यक्तियों में से तीन व्यक्ति पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों के हैं और एक व्यक्ति, जो तनकपुर में रेल हैड पर तैनात किया गया है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले का है।

[अनुवाद]

भारतीय स्टेट बैंक की गुजरात में गांधी नगर स्थित शाखा में धोखाधड़ी के मामले

763. **श्री आर० पी० गायकवाड : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक की गुजरात में गांधी नगर स्थित शाखा के खोले जाने से अब तक उसमें लाखों रुपए की धोखाधड़ी के अनेक मामले हुए हैं ;

(ख) क्या उक्त शाखा के कर्मचारी धोखाधड़ी में सम्मिलित थे ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है, प्रत्येक धोखाधड़ी में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त थी और उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों में ऐसी धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वर्ष 1970 में जब से गांधी नगर शाखा खोली गई है, इसमें धोखाधड़ी की सात घटनाएं हुईं, जिनमें कुल मिलाकर 3.26 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी सात में से पांच घटनाओं में बैंक के 19 कर्मचारी अन्तर्ग्रस्त थे।

(ग) सूचना नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	कर्मचारियों की संख्या*	अन्तर्ग्रस्त राशि	की गई कार्रवाई
1.	1	12,100/-	निलम्बित पुलिस ने अभियोग-पत्र दर्ज करा दिया है।
2.	2	15,00/-	क्रम सं० 6 की एक अन्य धोखाधड़ी में दोनों को निलम्बित कर दिया गया। पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है।
3.	शून्य (केवल बाहरी व्यक्ति)	1,200/-	—
4.	शून्य (बाहरी व्यक्ति)	14,00/-	पुलिस जांच कर रही है।
5.	1	80,500/-	क्रम सं०6 की धोखाधड़ी में निलम्बित
6.	12	1.50 लाख	(क) बर्खास्त-1 (ख) निलम्बित-2 (ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश पर आठ कर्मचारियों के विरुद्ध हलके दण्ड की कार्रवाई पूरी होने वाली है। और (घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने एक कर्मचारी के विरुद्ध भारी दण्ड की कार्रवाई की सिफारिश की है।
7.	8	3.23 करोड़ रुपए	(क) बर्खास्त-1 (ख) निलम्बन-7

*अधिकारियों में कुछ एक से अधिक मामलों में अंतर्ग्रस्त हैं।

(घ) सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को उनकी सतर्कता, निरीक्षण और लेखा परीक्षा तंत्र को मजबूत करने और उसे इतना कारगर बनाने के लिए कहा है ताकि धोखाधड़ी और कदाचार की गुंजाइश न रहे। बैंकों से उनके कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं को गम्भीरता से लेने और दोषी कर्मचारियों को अनियमितता के अनुरूप दण्ड देने के लिए भी कहा गया।

इलायची के निर्यात हेतु नए बाजारों का पता लगाना

764. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा इलायची का निर्यात मुख्यतः मध्यपूर्व के देशों तक ही सीमित है ;

(ख) क्या इसके निर्यात के लिए नये बाजारों का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रयासों के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) मध्य पूर्व इलायची के लिए प्रमुख बाजार है जहां भारत भारत के कुल इलायची निर्यात की 80 प्रतिशत की खपत होती है।

(ख) तथा (ग). लीबिया, जोर्डन तथा मिश्र में बाजार का पता लगाने के लिए एक बाजार सर्वेक्षण किया गया था। आई० टी० सी० 1 एस० आई० डी० ए० से प्राप्त सहायता के अन्तर्गत सं० रा० अमरीका। प० यूरोप में इलायची के लिए नए अन्तिम प्रयोगों की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए भी एक अध्ययन किया गया था। प्राप्त की गई बाजार जानकारी के आधार पर एक नए बाजार के रूप में जार्डन को कुछ इलायची का निर्यात करना सम्भव हो सका है। चूंकि गत वर्ष तक भारतीय कीमतें काफी ऊंची थीं, इसलिए अभी तक नए बाजारों में अच्छा स्थान बनाना सम्भव नहीं हो सका है।

रूग्ण एककों द्वारा बैंकों से लिए गए ऋणों की अदायगी

765. **श्री अमल दत्त** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) रूग्ण एककों द्वारा अब तक बैंकों से कितनी धनराशि का ऋण लिया गया है ;

(ख) बैंकों द्वारा अब तक उसमें से कितनी धनराशि वसूल कर ली गई है ; और

(ग) सरकार द्वारा उन एककों के विरुद्ध, जिन्होंने ऋण की अदायगी किए बिना अपने एककों को बन्द कर दिया है, क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भेजी गई सबसे हाल की उपलब्ध सूचना के अनुसार दिसम्बर, 1983 के अन्त में बड़े, मध्यम और लघु रूग्ण एककों के नाम अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अग्रिमों की राशि 3101.29 करोड़ रुपए थी।

(ख) बैंक के साथ किसी औद्योगिक एकक का खाता एक निरन्तर खाता होता है और वित्तीय सहायता आवर्ती "रोल ओवर" आधार पर मंजूर की जाती है। अतः यह कहना सम्भव नहीं है कि बैंकों द्वारा रूग्ण एककों को उनके सहायता पोर्टफोलियों में से दिए गए ऋणों में से कितनी राशि वसूल कर ली गई है।

(ग) रूग्ण एककों के मामले में बैंक दिए गए अग्रिमों की वापसी की मांग कर सकते हैं, प्रतिभूतियों को लागू कर सकते हैं और बकाया राशियों की वसूली के वास्ते कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। जिन एककों का समापन कर दिया गया हो, उनके सम्बन्ध में अपनी रकम वसूल करने के लिए बैंक कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।

यूनियन बैंक की आनन्द निकेतन, नई दिल्ली स्थित शाखा में डकैती

766. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ध्यान 5 मार्च, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि बन्दूकों से लैस पंजाबी बोलने वाले चार नौजवान, दक्षिणी दिल्ली के सम्पन्न इलाके आनन्द निकेतन की यूनियन बैंक शाखा में दिन दहाड़े घुसे और चार

मिनट में आसानी से अपना काम समाप्त कर लगभग 45,000 रुपए की नकदी के साथ चम्पत हो गए ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या अब तक कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां। यह समाचार सरकार के नोटिस में आया है।

(ख) से (ग). यूनियन बैंक आफ इंडिया ने सूचित किया है कि 4 मार्च, 1985 को दोपहर लगभग 12.45 बजे चार व्यक्ति देसी रिवाल्वर घुमाते हुए आनन्द निकेतन (नई दिल्ली) शाखा में दाखिल हुए और 44,994 रुपए लूट कर ले गए। पुलिस को घटना की तुरन्त खबर कर दी गई थी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक कोई व्यक्ति गिरफ्तार नहीं किया गया है।

(घ) राज्य सरकारों से, जो मुख्य रूप से, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, बैंक डकैतियों/लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त निवारक उपाय करने के वास्ते अनुरोध किया गया है। सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को अपने परिसरों में कड़े सुरक्षात्मक उपाय करने के लिए भी मार्ग-निर्देश जारी कर दिए हैं।

प्रमुख वित्तीय संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक ऋण

767. **श्री अमर राय प्रधान : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की प्रमुख वित्तीय संस्थाओं के अनुसार देश की विभिन्न महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत द्वारा विदेशों से 7,500 करोड़ रुपए तक के वाणिज्यिक ऋण लिया जाना सुरक्षित सीमा होगी ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम तथा भारतीय औद्योगिक वित्त निगम जैसी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं ने बताया है कि उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय आयोजना-अवधि के लिए विदेशी वाणिज्यिक ऋणों के सम्बन्ध में "सुरक्षित" सीमा का ऐसा कोई निर्धारण नहीं किया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

त्रिपुरा को कोयले की सप्लाई

768. **श्री अजय विश्वास : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान त्रिपुरा को कितने मीट्रिक टन कोयले का नियतन किया गया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य की कोयला की वास्तविक आवश्यकता कितनी थी ; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान त्रिपुरा को वास्तव में कोयला की कितनी सप्लाई की गई ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग). कोयला नियन्त्रितव स्तु नहीं

है इसलिए कोयला विभाग या कोल इंडिया लि० द्वारा इसके आबंटन की भी कोई प्रणाली नहीं है। परन्तु विभिन्न राज्यों को कोयले के प्रेषण के लिए आबंटन रेलवे द्वारा, उन राज्यवार सीमाओं के भीतर किया जाता है जो रेलवे ही निश्चित करती है। त्रिपुरा राज्यों को रेल द्वारा कोयले के प्रेषण के सम्बन्ध में ऐसी कोई सीमा नहीं है। त्रिपुरा सरकार ने भी नवम्बर, 1984 तक कोल इंडिया लि० के पास कोई मांग-पत्र नहीं भेजा था। परन्तु कोल इंडिया को नवम्बर, 1984 में त्रिपुरा सरकार से 6000 टन ईंट बनाने वाले कोयले की सप्लाई के लिए मांग-पत्र मिला था। यह सप्लाई नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, असम से चाही गई है क्योंकि यही कोयला क्षेत्र उत्तरी पूर्वी राज्यों को कोयला सप्लाई का ठीक स्रोत है। कोल इंडिया लि० ने त्रिपुरा की कुल मांग पूरी करने के लिए मंजूरी दी है। परन्तु मार्च, 1985 तक वास्तव में केवल लगभग 1000 टन कोयला ही उठाया गया है।

जहां तक साफ्ट कोक का सम्बन्ध है, उत्तरी पूर्वी परिषद को काफी मात्रा में साफ्ट कोक देने का प्रस्ताव रखा गया है और यह अनुरोध किया गया है कि परिषद इसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न राज्यों को आबंटित कर दे। उत्तरी पूर्वी परिषद ने अब तक वहां के घटक राज्यों को साफ्ट कोक का कोई आबंटन नहीं किया है। फिर भी, पिछले अनुभव के आधार पर कोल इंडिया लि० ने नवम्बर, 1984 से मार्च, 1985 की अवधि के लिए त्रिपुरा को 200 मीट्रिक टन साफ्ट कोक का कोटा आवंटित किया है। पिछले तीन वर्षों में उठाई गई मात्रा का वर्षवार विवरण नीचे दिया गया है :—

1982-83	—	212 टन
1983-84	—	24 टन
1984-85 (फरवरी, 1985 तक)	—	316 टन

राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों की भूमिका

769. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई राष्ट्रीयकृत बैंकों के गैर-सरकारी निदेशक बैंकों की ऋण देने की नीतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप बैंकों को भारी हानियां हुई हैं और उत्पादन, वित्त तथा ग्रामीणों को वैयक्तिक ऋण प्रदान करने के उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई है ;

(ख) क्या बैंकों और बैंकिंग विभाग द्वारा अपनाई गई ऋण प्रदान करने की नीतियों/क्रियाओं की निगरानी और पुनरीक्षा हेतु कोई प्रणाली है और ऋण प्रदान करने की नीतियों के निर्धारण में सरकारी निदेशक क्या भूमिका अदा करते हैं ; और

(ग) इन अवांछित कार्यों को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 की धारा 7 (2) के अनुसार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्यों तथा कारोबार का सामान्य अधीक्षण, निदेशन और प्रबन्ध राष्ट्रीयकृत बैंक के निदेशक बोर्ड में निहित होता है। निदेशक बोर्ड के सदस्यों के रूप में, सम्बद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यों के निदेशन की सामूहिक जिम्मेदारी गैर-सरकारी निदेशकों की भी होती है जिसमें सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण नीतियों के सम्बन्ध में निर्धारित व्यापक सीमाओं का पालन किया जाना भी

शामिल है। सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के कारण बैंकों को हुई कोई "भारी हानियों" या "उत्पादन, वित्त तथा ग्रामीणों को व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने के उनके उद्देश्यों की पूर्ति न होने" के विषय में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) बैंकों का समय-समय पर निरीक्षण किए जाने के अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों पर समग्र नियंत्रण भी रखता है और बैंकों के परिचालनों के विभिन्न पहलुओं के विषय में मार्गनिर्देश भी जारी करता है जिनमें ऋण की राशि और दिशा, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा ऋणों का प्रबन्ध शामिल हैं। सरकार और रिजर्व बैंक के मनोनीत निदेशक भी बैंकों के कार्यों पर नज़र रखते हैं।

(ग) गैर-सरकारी निदेशकों के नाम ऐसे मार्ग-निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वे व्यक्तिगत मामलों को न रखें और न ही विशिष्ट ऋणों की मन्जूरी के लिए बैंक अधिकारियों पर दबाव डालें। जब कभी किसी गैर सरकारी निदेशक द्वारा उसकी प्रतिष्ठा प्रतिकूल व्यवहार के विशिष्ट मामले सरकार के ध्यान में आते हैं, तब उन पर उचित कार्रवाई की जाती है।

इस्पात के सम्बन्ध में राष्ट्रीय परिषद और कार्य दल की स्थापना का प्रस्ताव

770. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :**

श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय परिषद और पांच कार्यदलों की स्थापना का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस प्रकार की परिषद और कार्यदलों की स्थापना के क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नटवर सिंह) : (क) इस्पात के बारे में एक इस्पात परामर्शी परिषद तथा पांच कार्यदल गठित किए गए हैं।

(ख) और (ग). इस्पात परामर्शी परिषद इस्पात, खान और कोयला मन्त्री की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस परिषद में सरकार, इस्पात उद्योग, विशेषज्ञों, उपभोक्ताओं तथा श्रमिक नेताओं के प्रतिनिधि हैं। परिषद का गठन केन्द्रीय सरकार को इस्पात उद्योग के विकास तथा देश के इस्पात उद्योग के कार्यकरण में सुधार करने के लिए विचारों के आदान-प्रदान करने हेतु एक मंच के रूप में किया गया है।

इस्पात उद्योग की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नीतियों का तथा ऐसे कार्यों का, जिन्हें सरकार प्राथमिकता दे, पता लगाने हेतु पांच कार्यकारी दल गठित किए गए हैं। इन दलों में इस्पात के विशेषज्ञ, इस्पात उद्योग तथा सरकार के प्रतिनिधि हैं।

निम्नलिखित विषयों पर पांच कार्यकारी दल गठित किए गए हैं :—

(1) भविष्य के लिए पूंजी-निवेश सम्बन्धी प्राथमिकताएं।

(2) अल्पावधि में परिचालन में सुधार।

(3) विपणन विकास

(4) श्रम तथा कार्मिक

(5) परियोजना प्रबन्ध

बिहार से निर्यात की जाने वाली हस्त शिल्प की वस्तुएं

771. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार से विभिन्न देशों को निर्यात की जाने वाली हस्त शिल्प की वस्तुओं का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बिहार के लोगों को आत्म-निर्भर बनाने के लिए बिहार से हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार देश के दूरस्थ क्षेत्रों के लिए जहां से निर्यात किए जाने की सम्भावनाएं विद्यमान हैं, निर्यात दस्तावेजों सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाएगी ; और

(घ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या अन्य प्रोत्साहन दिए जाने का प्रस्ताव है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) राज्यवार निर्यात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, बिहार से निर्यात की मुख्य मदें हैं हाथ से गांठ लगे ऊनी कालीन, हस्त निर्मित पेंटिंग्स, घास पत्तियों, फाइबर्स तथा हार्न की बनी मदें, प्रस्तर शिल्प तथा आदिवासीय शिल्प की वस्तुएं।

(ख) भारत से हस्तशिल्प की वस्तुओं के, जिनमें बिहार की हस्तशिल्प की वस्तुएं भी शामिल हैं, निर्यातों के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :

(1) भारत के पर्व के अंग के रूप में संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस में हस्तशिल्प की वस्तुओं की प्रदर्शनियां आयोजित करने का प्रस्ताव है।

(2) अप्रैल-मई, 1985 में पश्चिम जर्मनी में भारत संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसके दौरान हस्तशिल्प की वस्तुओं के सजीव प्रदर्शन प्रस्तुत किए जा रहे हैं।

(3) जद्दाह, सऊदी अरब में हस्तनिर्मित कालीनों के लिए एक बिक्री केन्द्र खोला जा रहा है।

(4) मध्य पूर्व में हस्तशिल्प की वस्तुओं के लिए संवर्धनात्मक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिनके अन्तर्गत दोहा में एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है और एक अन्य कुवैत में करने का प्रस्ताव है।

(ग) सरकार सरलीकरण के उद्देश्य से निर्यात प्रलेखन की निरन्तर समीक्षा करती है।

(घ) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यातों के संवर्धन के लिए दिए जाने वाले प्रमुख प्रोत्साहन निम्नलिखित अनुसार हैं :

(1) हस्तशिल्प की वस्तुओं के निर्यात 10 प्रतिशत की नकद मुआवजा सहायता पाने के लिए पात्र हैं।

(2) लघु स्तरीय तथा कुटीर एककों के निर्यात सदन प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए पात्रता मापदण्ड को उदारीकृत किया गया है।

(3) निर्यात सदनों को अतिरिक्त लाइसेंस मंजूर करने के प्रयोजनार्थ लघु स्तरीय तथा कुटीर उद्योग द्वारा निर्यातों के एफ० ओ० बी० मूल्य को अन्य एककों द्वारा विनिर्मित ऐसे उत्पादों के एफ० ओ० बी० मूल्य की अपेक्षा उच्चतर प्रतिशतता पर परिकलित किया जाता है।

(4) 1984-85 के दौरान, घरेलू उत्पादन और निर्यात विपणन के बीच सम्बन्ध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से और साथ ही लघु। कुटीर क्षेत्र से निर्यातों में उद्यमिता पहल को समर्थन देने के लिए उद्यम व्यापारी निर्यातकों (ई० एम० ई०) की एक नई श्रेणी शुरू की गई है।

धनबाद और झरिया कोयला क्षेत्रों में सम्पूर्ण कोयला उद्योग के पुनर्गठन का प्रस्ताव

772. **डा० कृपासिन्धु भोई : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार धनबाद और झरिया कोयला खान क्षेत्रों में "माफिया" गुण्डागर्दी को समाप्त करने और सम्पूर्ण कोयला उद्योग को पुनर्गठित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ;

(ग) अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) "माफिया" गुण्डागर्दी कब तक पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ). कोयला क्षेत्रों में आमतौर पर "माफिया" कहे जाने वाले असामाजिक तत्वों की गतिविधियों का कोयला कम्पनी अर्थात भारत कोकिंग कोल लि० के काम पर कुछ हद तक बुरा प्रभाव पड़ता रहा है। कम्पनी के प्रबन्ध मण्डल ने, निगरानी और चौकसी को मजबूत बनाने और असामाजिक तत्वों से सांठगांठ या सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के अलावा, स्थानीय प्रशासन से भी कहा है कि वह ऐसी गतिविधियों पर नियन्त्रण करने की दृष्टि से पुलिस और अपराध न्याय प्रशासन को नीचे से मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए।

बिहार की राज्य सरकार ने धनबाद के जिला प्रशासन को निदेश दिए हैं कि वह दादा गिरोहबाजों और माफिया तत्वों के विरुद्ध, उनमें शामिल व्यक्तियों के प्रभाव आदि को परवाह किए बिना, ठोस कानूनी कार्रवाई करे। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों के निपटान के लिए धनबाद में तीन न्यायालय नियत किए हैं। इन नियत न्यायालयों में माफिया नेताओं के विरुद्ध महत्वपूर्ण मामलों के निपटान में शीघ्रता की जा रही है। इस प्रकार किए गए उपायों के कारण माफिया गतिविधियों में काफी हद तक सीमित कर दी गई हैं। फिर भी, इन गतिविधियों को रोकने के लिए कानून लागू करने वाली एजेन्सियां समन्वय के साथ लगातार कार्रवाई कर रही हैं।

"रिचेस्ट गोल्ड हाल ऑफ सी इन बाम्बे" शीर्षक से समाचार

773. **श्री हन्नान मोल्लाह :**

श्री महेन्द्र सिंह :

क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 फरवरी, 1985 के "स्टेट्समेन" में "रिचेस्ट गोल्ड हाल ऑफ सी-इन बाम्बे" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण बम्बई में समुद्र से वास्तव में सोने की कितनी मात्रा प्राप्त हुई है ;

(ग) वर्ष 1984 के दौरान आयकर और सीमा शुल्क विभागों द्वारा देश में सोने, हीरों और लेखा बाह्य धन की कुल कितनी मात्रा बरामद की गई ; और

(घ) सोने की तरस्करी से सोने के मूल्य में किस सीमा तक वृद्धि हो रही है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) 23 फरवरी, 1983 को बम्बई के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा बम्बई में हाजी बन्दर से परे समुद्र तल से कुल मिलाकर 4.09 करोड़ रु मूल्य की 1162 कलाई घड़ियां सहित 15650 तोले और 12 कि० ग्रा० भार का सोना बरामद किया गया और जब्त किया गया।

(ग) वर्ष 1984 के दौरान सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा देश-भर में कुल मिलाकर 13.62 करोड़ रु० मूल्य का सोना, हीरे और भारतीय विदेशी मुद्रा पकड़ी गई। इसी अवधि के दौरान आयकर विभाग द्वारा ली गई तलाशियों के दौरान, प्रथम दृष्टया, 20.96 करोड़ रु० मूल्य की लेखा बाह्य परिसम्पत्तियां (जिसमें जेवर, नकदी तथा अन्य परिसम्पत्तियां भी शामिल हैं) पकड़ी गयीं।

(घ) ऐसा नहीं माना जा सकता कि सोने की तस्करी के कारण सोने की कीमतों में वृद्धि हुई।

[हिन्दी]

राष्ट्रीकृत बैंकों के नये निदेशक मण्डलों का गठन

774. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राष्ट्रीयकृत बैंकों में इस वर्ष निदेशक मण्डलों को भंग कर दिया गया है अथवा उनकी कार्यविधि समाप्त होने से पूर्व नए निदेशक मण्डलों का गठन किया गया है ;

(ख) क्या इन निदेशक मण्डलों में आदिवासी क्षेत्रों से सदस्यों को शामिल किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं तथा वे किन-किन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल भंग नहीं किए गए हैं। अलबत्ता, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्ध और प्रकीर्ण उपबन्ध) स्कीम, 1970/80 के उपबन्धों के सन्दर्भ में केन्द्रीय सरकार ने अधिसूचित किया है कि संलग्न विवरण में सूचीबद्ध राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों के गैर-सरकारी निदेशक तीन वर्ष की अवधि पूरी कर लेने के बाद अपने पद पर नहीं रहेंगे। इस प्रकार खाली हुए पद अभी तक नहीं भरे गए हैं।

विवरण

1. केनरा बैंक
2. यूनियन बैंक आफ इण्डिया
3. सेण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया
4. यूनाइटेड कमर्शियल बैंक
5. बैंक आफ इण्डिया
6. सिंडीकेट बैंक
7. पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक
8. पंजाब नेशनल बैंक
9. बैंक आफ बड़ौदा
10. इलाहाबाद बैंक
11. बैंक आफ महाराष्ट्र

12. न्यू बैंक आफ इण्डिया

13. देना बैंक

14. इण्डियन ओवरसीज बैंक

[अनुवाद]

"कस्टम्स ब्लाक विन्टर क्लोदिंग फार रायट हिट" शीर्षक से समाचार

775. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 फरवरी, 1985 के "इंडियन एक्सप्रैस" में "कस्टम्स ब्लाक विन्टर क्लोदिंग्स फार रायट हिट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) "पीपल्स रिलीफ कमेटी" को भेजे गए 6 पैकेट एअर कार्गो काम्पलेक्स, दिल्ली, में दिसम्बर, 1984 में प्राप्त हुए; जिनके बारे में माल-सूची में यह घोषणा की गई थी कि उनमें इस्तेमाल शुदा वस्त्र हैं। "पीपल्स रिलीफ कमेटी" का एक प्रतिनिधि जनवरी, 1985 में सीमाशुल्क अधिकारियों से मिला और उसे यह सलाह दी गई थी कि इस माल पर सीमाशुल्क से छूट दिनांक 15-3-1982 की अधिसूचना संख्या 85-सीमाशुल्क में निर्धारित शर्तों को पूरा किए जाने पर, इस अधिसूचना के उपबंधों के तहत प्राप्त हो सकती है। उसके बाद कुछ और खेपें प्राप्त हुई थीं। इन खेपों की निकासी नहीं की गई क्योंकि दिनांक 19-3-85 तक उनकी निकासी के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं आया और न ही किसी व्यक्ति ने आगम-पत्र भरा जोकि किसी आयातित माल की निकासी के लिए कानून के अनुसार भरा जाना आपेक्षित होता है। दिनांक 19 मार्च, 1985 को, "पीपल्स रिलीफ कमेटी" ने 134 पैकेटों को दो खेपों के लिए निकासी सम्बन्धी दस्तावेज भरे थे ; और उनकी निकासी उसी दिन कर दी गई थी। बाकी की खेपों की निकासी के लिए अभी तक कोई भी दस्तावेज नहीं भरा गया है।

पर्यटकों द्वारा टी० वी० सेट लाने पर प्रतिबन्ध

776. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों द्वारा बैगेज नियमों के अन्तर्गत विभिन्न पत्तनों और हवाई अड्डों से प्रतिदिन लगभग 1000 टेलीविजन सेट भारत लाए जाते हैं ;

(ख) क्या इससे स्वदेशी टी० वी० निर्माताओं पर कुप्रभाव नहीं पड़ेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटकों द्वारा बैगेज नियमों के अन्तर्गत देश में टी० वी० सेट लाने पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा बैगेज नियमों के अन्तर्गत दी गई छूट को वापस लेने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) संघटकों पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्कों और उत्पादनशुल्कों में कमी करके स्वदेशी टेलीविजन-निर्माताओं को पहले से ही दी गई राहत को मद्देनजर रखते हुए यात्री-असबाब के अंग-रूप में यात्री-असबाब पर लागू शुल्क-दरों के तहत टेलीविजनों का आयात किये जाने से स्वदेशी उद्योग पर कोई प्रतिकूल-प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में विस्थापित व्यक्तियों को खपाना

777. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विस्थापित व्यक्तियों के प्रति परिवार से एक व्यक्ति की दर से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की नीति पर वचनबद्ध है ;

(ख) यदि हां, तो विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के अन्तर्गत प्रथम तथा द्वितीय चरण में कुल मिलाकर कितने विस्थापित व्यक्ति हैं और उनमें से अब तक कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है ;

(ग) इस प्रकार के सभी विस्थापित व्यक्तियों को खपाने का वर्ष-वार तथा श्रेणी वार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र प्राधिकारियों ने पांच हजार से अधिक व्यक्तियों को खपाने और रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थता जाहिर की है ; और

(ङ) यदि हां, तो शेष विस्थापित व्यक्तियों को सरकार का किस प्रकार रोजगार उपलब्ध कराने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारत सरकार की यह नीति है कि इस्पात कारखाने के निर्माण के लिए भूमि-अर्जन के कारण विस्थापित हुए प्रत्येक परिवार के एक हृष्ट-पुष्ट व्यक्तियों को इस्पात कारखानों में रोजगार देने पर विचार किया जाए।

(ख) अब तक स्थानांतरित किए गए परिवारों की कुल संख्या 4964 है। लगभग 4600 अन्य परिवारों को अभी स्थानांतरित किया जाना है। अभी तक 1275 विस्थापित व्यक्तियों को विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने में नियमित आधार पर रोजगार दिया गया है। 28-2-85 की स्थिति के अनुसार 4404 विस्थापित व्यक्तियों को इस्पात परियोजना के निर्माण कार्य में लगे ठेकेदारों द्वारा रोजगार दिया गया है।

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात कारखानों में विस्थापित व्यक्तियों को नियमित आधार पर खपाने का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

दिसम्बर 1982 तक	—	541
1983	—	583
1984	—	150
1985	—	1(28-2-1985 तक)
		1275

उपर्युक्त 1275 विस्थापित व्यक्तियों में से, 511 व्यक्तियों को ग्रुप "सी" के पदों (कुशल और अर्धकुशल) और 764 व्यक्तियों को ग्रुप "डी" के पदों (अकुशल) पर खपाया गया है।

(घ) और (ङ). अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने जैसे सम्भाव्य इस्पात कारखाने में पूरी तरह से रोजगार देने की गुंजाइश बहुत सीमित

है । इसके अलावा इस कारखाने को मुख्यत: अत्यधिक कुशल और अनुभवी कार्मिकों की आवश्यकता होगी । परियोजना प्राधिकारी रोजगार के मामले में विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता दे रहे हैं । उनको रोजगार देने की दृष्टि से उन्हें आयु में मामले में छूट दी जा रही है । कई मामलों में उन्हें रोजगार पाने के योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है ।

ऊपर बतायी गई स्थिति तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुमान है कि परियोजना में केवल 12,000 व्यक्तियों को रोजगार दिया जा सकता है, परियोजना प्राधिकारियों द्वारा हाल में लगाए गए अनुमान के अनुसार 5000 हजार से अधिक विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है । विस्थापित व्यक्तियों को स्वत: रोजगार उपलब्ध कराने, अनुषंगी उद्योगों/सेवाओं आदि में रोजगार देने की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

पटसन के लिए बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय मंडी

778. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग की समस्याओं के बारे में उसी प्रकार विचार करेगा जैसाकि महाराष्ट्र और गुजरात में कपड़ा उद्योग के बारे में किया गया ; और

(ख) यदि हां, तो जूट के लिए बेहतर अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी बनाने और पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग के रुग्ण अथवा बन्द एककों को बटाने के लिए सरकार का क्या विशेष आर्थिक उपाय करने का विचार है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). पटसन तथा वस्त्र उद्योग की समस्याएं एक जैसी नहीं हैं । तथापि, पटसन उद्योग की समस्याओं पर सरकार द्वारा वांछित ध्यान दिया जा रहा है और सरकार पटसन मिलों के कार्यसंचालन तथा अर्धक्षमता और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा क्षमता में सुधार लाने के लिए समय-समय पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाती रही है । सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) पटसन माल के निर्यात पर अधिक नकद मुआवजा सहायता का दिया जाना ;

(2) 50:50 हानि वहन आधार पर एस० टी० सी० पटसन उद्योग साथ संघ बनाकर उत्तर अमरीकी बाजारों को सी० बी० सी० के निर्यातों में, सहायता के लिए राज्य व्यापार निगम का सहयोग प्राप्त करना ;

(3) अनुसंधान तथा विकास प्रयासों तथा निर्यात संवर्धन में तेजी लाने के लिए एक नये पटसन उत्पाद विकास परिषद और पटसन उपकर की प्राप्तियों में से एक पटसन निधि का गठन करना ;

(4) लागत जमा आधार पर पटसन उद्योग से सरकार (डी० जी० एस० एण्ड डी०) द्वारा पटसन माल की खरीद ;

(5) सीमेंट उद्योग द्वारा 100 प्रतिशत नये पटसन बोरों का अनिवार्य प्रयोग लागू करना ;

(6) उर्वरकों की पैकिंग के लिए संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों की बजाय अधिक पटसन बोरों का प्रयोग करने के लिए अन्य प्रयोक्ता विभागों से आग्रह करना ;

(7) भारतीय पटसन निगम के माध्यम से नेपाल से कच्चे पटसन का मुक्त आयात ;

(8) पटसन मिलों की अर्थक्षमता का अध्ययन करने और संभाव्य तौर पर अर्थक्षम एककों के पुनरुद्धार के लिए अनेक वित्तीय उपायों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में एक स्थायी समिति की स्थापना करना ;

(9) कच्चे पटसन की सप्लाई स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(क) कच्चे पटसन के अधिक न्यायसंगत वितरण के लिए पटसन (नियंत्रण तथा लाइसेंसिंग) आदेश, 1961 के अन्तर्गत पटसन मिलों की स्टाक धारिताओं का विनियमन ;

(ख) विदेशों से कच्चे पटसन की 5 लाख गांठों के आयात के लिए प्रबंध करने हेतु भारतीय पटसन निगम को प्राधिकृत करना। तथापि, उपरोक्त प्राधिकार के आधार पर, भारतीय पटसन निगम लगभग 3 लाख गांठों के आयात के लिए संविदा कर सका है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पांच वर्षों के लिए ओवर ड्राफ्ट

779. **श्रीमती फूलरेणु गुहा :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने केन्द्र से कितनी बार ओवरड्राफ्ट लिया है ; और

(ख) राज्य में आर्थिक अनुशासन लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) निम्नलिखित सारणी में उन दिनों की संख्या दी गई है जिनको उक्त राज्य, भारतीय रिजर्व बैंक के पास ओवरड्राफ्ट में था :—

वर्ष	दिनों की संख्या
1980-81	303
1981-82	303
1982-83	251
1983-84	297
1984-85	253 (14 मार्च 1985 तक)

(ख) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वह ओवरड्राफ्ट का सहारा लेने से बचें। भारतीय रिजर्व बैंक ने 22 मार्च, 1984 को एक दिन के लिए राज्य सरकार के खाते से अदायगी करना रोक दिया था क्योंकि राज्य का 'ओवरड्राफ्ट लगातार सात कार्य दिवसों से अधिक के लिए उनको बताए गए ओवरड्राफ्ट की सीमा को पार कर गया था। हाल ही में, भारत सरकार ने अन्यों के साथ-साथ राज्य सरकार को सूचित कर दिया था कि वे 28-1-1985 को ओवरड्राफ्ट के जिस स्तर पर पहुंच गए थे उससे आगे न बढ़ें। राज्यों को यह भी सूचित कर दिया गया था कि यदि वे लगातार सात कार्य दिवसों से अधिक के लिए इस स्तर से आगे बढ़े तो भारतीय रिजर्व बैंक उनकी अदायगियां रोक देगा। तब से पश्चिम बंगाल ने लगातार सात कार्य दिवसों से अधिक के लिए इस सीमा को पार नहीं किया है ;

कच्चे पटसन को आवश्यक वस्तु घोषित करना

780. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से मजदूर संघ नेताओं ने मांग की है कि कच्चे पटसन को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाए तथा मालदार मिलों और सट्टा व्यापारियों के पास पड़े फालतू भंडारों का पता लगाने के लिए तुरन्त कदम उठाये जाने चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या कच्चे माल की कमी के कारण 12 से अधिक पटसन मिलें बन्द कर दी गई हैं जिससे लगभग 50,000 कामगार बेरोजगार हो गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इन मिलों को पुनः खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). कच्चे जूट को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन पहले ही आवश्यक वस्तु घोषित किया जा चुका है। श्रम मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, की अध्यक्षता में 26-2-1985 को हुई त्रिपक्षीय बैठक में ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने समृद्ध मिलों और व्यापारियों के पास पड़े अतिरिक्त स्टाकों का पता लगाने हेतु अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। जूट आयुक्त द्वारा उक्त बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य सरकार अपने प्राधिकृत फील्ड अधिकारियों से प्राप्त जांच रिपोर्ट के आधार पर तथ्य जूट आयुक्त के ध्यान में लाएं तो जूट (नियंत्रण तथा लाइसेंसिंग) आदेश, 1961 के अधीन समुचित कार्यवाही की जाएगी।

(ग) पश्चिम बंगाल में 13-3-85 को एक और जूट मिल के बन्द होने का समाचार है ? इस प्रकार पश्चिम बंगाल में बन्द पड़ी जूट मिलों की कुल संख्या अब 13 हो गई है और प्रभावित कामगारों की संख्या लगभग 39,000 हो गई है। ये आंकड़े 3 स्थाई रूप से बन्द पड़ी मिलों के अलावा हैं जिनसे 6,900 कामगार प्रभावित हुए।

(घ) औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों से सम्बद्ध राज्य सरकार ही उचित प्राधिकारी है और इस मामले में समुचित कार्यवाही करना उन्हीं पर निर्भर है।

शहतूत की प्रति हैक्टर पैदावार

781. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोया के रूप में शहतूत की खेती प्रति हैक्टेयर पैदावार का औसत कितना है ;

(ख) रेशम का उत्पादन करने वाले चीन, जापान और अन्य देशों की तुलना में इसकी क्या स्थिति है ; और

(ग) शहतूत की प्रति हैक्टेयर पैदावार बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). वर्ष 1980-81 के दौरान भारत तथा अन्य प्रमुख रेशम उत्पादक देशों की शहतूत की प्रति हैक्टेयर कोयों की औसत उपज निम्नलिखित प्रकार है :—

क्र०सं०	देश का नाम	प्रति हैक्टेयर कोयों की उपज (किग्रा०)
1.	भारत	342
2.	चीन	625
3.	जापान	415
4.	कोरिया गणराज्य	389
5.	सोवियत संघ	355

(ग) भूमि पर शहतूत तथा कोयों का प्रति हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। कुछ मुख्य कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) शहतूत की खेती के लिए सिंचाई सुविधाएं बढ़ाना ;

(2) शहतूत की अधिक उपज वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र बढ़ाना ;

(3) उन्नत किस्म के रेशम कीट बीज के प्रयोग को बढ़ाना ;

(4) देश में रेशम उद्योग के लिए अनुसन्धान तथा विकास कार्यों को सुदृढ़ बनाना ;

(5) शहतूत, रेशमकीट बीजों की उन्नत किस्मों तथा रेशम रीलिंग की उन्नत विधियों के प्रयोग के लिए किसानों तथा रीलर्स को प्रेरित करने तथा प्रशिक्षण देने के लिए विस्तार सेवाओं को बढ़ाना।

केरल सरकार का विशेष सहायता हेतु अनुरोध

782. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने राजस्व अन्तर को पूरा करने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम से कम 800 करोड़ रुपए की विशेष सहायता देने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है, क्योंकि आठवें वित्त आयोग की प्रतिकूल रिपोर्ट के कारण केरल को उसका उचित भाग नहीं मिला था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) 7वीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों के संसाधनों को परिकलित करते समय योजना आयोग में किए गए मूल्यांकन के अनुसार केरल सरकार ने अपने राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए विशेष व्यवस्था किए जाने का अनुरोध किया था।

(ख) राज्य सरकार ने कहा था कि वित्त आयोग ने उसके प्रक्षेपणों के लिए 1982-83 के वास्तविक आंकड़ों को आधार के रूप में स्वीकार किया था, यह वह वर्ष था जिसमें राज्य सरकार ने आयोजना-भिन्न के अधीन व्यय को कम करने के लिए विशेष प्रयास किए थे जिसके परिणामस्वरूप वित्त आयोग के अन्तरण के बाद, केरल को राजस्व अधिशेष राज्य घोषित किया था। भारत सरकार ने राज्य सरकार को पहले ही सूचित कर दिया है कि वित्त आयोग और योजना आयोग द्वारा किया गया संसाधनों का मूल्यांकन तुलनात्मक नहीं है और इसलिए वह किसी विशेष प्रतिपादन का आधार नहीं बन सकता।

[हिन्दी]

दरभंगा जिले में इंडियन बैंक की शाखा द्वारा दिए गए ऋण

783. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन बैंक द्वारा बिहार के दरभंगा जिले के जाले प्रखंड में सिंचाई प्रयोजनों हेतु नल-कूप लगाने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धनराशि के ऋण दिए गए ;

(ख) क्या दिए गए ऋण की राशि में से राजसहायता की धनराशि काटने के बाद की राशि पर ब्याज वसूल किया जा रहा है ; और

(ग) इस तरह दिए गए ऋण पर विभिन्न श्रेणी के किसानों से वसूल किए जा रहे ब्याज का क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आंकड़ा सूचना पद्धति से देश के प्रत्येक खंड के लिए प्रयोजनवार और बैंकवार सूचना उस प्रकार प्राप्त नहीं होती जिस प्रकार प्रश्न में पूछी गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) कृषि के लिए बैंक द्वारा अल्पावधिक ऋण निम्नलिखित ब्याज दरों पर दिए जाते हैं :—

(क) 5 हजार रुपये तक	11.5 प्रतिशत
(ख) 5 हजार रुपये से 10 हजार रुपये तक	12.5 प्रतिशत
(ग) 10 हजार रुपये से 25 हजार रुपये तक	15 प्रतिशत से अधिक नहीं
(घ) 25 हजार रुपये से अधिक	16.5 प्रतिशत से अधिक नहीं

कृषि के लिए सावधि ऋणों पर ब्याज की दरें निम्नानुसार हैं :—

(क) लघु सिंचाई और भूमि विकास	10.00 प्रतिशत
(ख) **अन्य प्रयोजन**	
(1) लघु किसान	10 प्रतिशत
(2) अन्य किसान	12.5 प्रतिशत

[अनुवाद]

अभ्रक का निर्यात

784. **श्री अमरसिंह राठवा :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में और कितनी मूल्य का अभ्रक का निर्यात किया गया ;

(ख) अभ्रक का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है ; और

(ग) वर्ष 1985-86 के दौरान अभ्रक का निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) गत तीन वर्षों के

दौरान साधित अभ्रक के निर्यात निम्नलिखित हैं :

मात्रा : हजार मै० टन

मूल्य : करोड़ रु० में

वर्ष	मात्रा	मूल्य
1982-83	11.75	21.58
1983-84	10.80	24.22
1984-85	+14.40	+21.50
(अप्रैल 84—फरवरी 85)	+अनन्तिम	

++सोत : मिटको

(ख) अभ्रक का निर्यात सोवियत संघ, जी० डी० आर०, पोलैंड, रूमानिया, चेकोस्लोवाकिया आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, चिली, फ्रांस, ग्रीस, हांगकांग, इटली, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, मलयेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, स्विटजरलैंड, सीरिया, ताईवान, हालैंड, थाइलैंड, ब्रिटेन, सं० रा० अमरीका, तथा पश्चिम जर्मनी को किया जाता है।

(ग) 1985-86 में भारतीय अभ्रक व्यापार निगम (मिटको) का अधिक व्यवसाय के लिए बातचीत करने, विदेशी खरीददारों से सम्पर्क बनाए रखने, निर्यात संवर्धन दौरे करने, व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने तथा भारतीय मिशनों की मार्फत प्रचार करने की दिशा में अपने प्रयासों को सीमित रखने का प्रस्ताव है।

देश में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

785. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो 1985-86 के दौरान देश को विश्व बैंक से कितनी सहायता प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारत सरकार प्रत्येक वर्ष परियोजनाओं की एक सूची तैयार करती है, जिसे विश्व बैंक समूह के सम्मुख सहायता के लिए प्रस्तुत किया जाता है। परियोजनाओं की वास्तविक संख्या जिनके लिए 1985-86 में सहायता मिल सकती है और इस प्रकार की सहायता की मात्रा, बैंक समूह के पास उपलब्ध निधियों और परियोजनाओं की तैयारी की स्थिति पर निर्भर करती है, इस समय इसकी सही स्थिति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

विश्व बैंक के वित्तीय वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है और इस समय वित्तीय वर्ष 1985 चल रहा है। इसके बारे में स्पष्ट स्थिति केवल 30 जून, 1985 के पश्चात् ही उभरकर

++कैब्रिकेटेड अभ्रक के निर्यातों के सम्बन्ध में आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

सामने आएगी। तथापि उन परियोजनाओं का विवरण संलग्न है जिनके लिए वित्तीय वर्ष 1984 अर्थात 1 जुलाई, 1983 से 30 जून, 1984 के दौरान विश्व बैंक समूह से सहायता के लिए करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विवरण

उन परियोजना करारों की सूची जिन पर वित्तीय वर्ष 1984 में हस्ताक्षर किए गए हैं

क्रम.सं०	परियोजना का नाम	सहायता की राशि (लाख अमेरिकी डालर में)	हस्ताक्षर किए जाने की तारीख
1.	उड़ीसा सिंचाई II परियोजना	1050	16-9-83
2.	अपर गंगा आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजना	1250	29-6-84
3.	गुजरात मध्यम सिंचाई II परियोजना	1720	29-6-84
4.	कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम परियोजना	2425	25-5-84
5.	फरक्का ताप विद्युत परियोजना-दो	3008	29-6-84
6.	मध्य प्रदेश शहरी विकास परियोजना	241	19-7-83
7.	आबादी परियोजना-तीन	700	8-2-84
8.	मध्य प्रदेश उर्वरक परियोजना	2036	25-5-84
9.	न्हावा शिवा पत्तन परियोजना	2500	25-5-84
10.	दुधिचुआ कोयला परियोजना	1510	25-5-84
11.	रेलवे विद्युतीकरण और कार्यशाला आधुनिकीकरण परियोजना	2807	25-5-84
12.	जल विभाजक विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना	310	8-2-84
13.	कर्नाटक सामाजिक वानिकी परियोजना	270	8-2-84

ब्राजील के साथ व्यापार संबंध

786. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ब्राजील के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और भारत-ब्राजील व्यापार सम्बन्ध किन मदों (आइटम्स) के लिए स्थापित किए जाने हैं ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). भारत

और ब्राजील के बीच व्यापार की अनुमति सदैव प्रत्येक देश के आयात तथा निर्यात सम्बन्धी कानूनों और नीति के अध्यधीन दी गई है। व्यापार सम्बन्धों का आगे विस्तार करने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से दोनों सरकारों के बीच 3 फरवरी, 1968 को एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ब्राजील से भारत को आयात की जा रही प्रमुख वस्तुयें हैं सोया तेल, रसायन, पिंड लोहा, इस्पात तथा रेल के पहिए। भारत से ब्राजील को निर्यात की प्रमुख मदें हैं चपड़ा, साइकिल के पुर्जे, सिले सिलाए परिधान, कतिपय मशीनरी तथा उनके पुर्जे मसाले आदि।

ब्रिटेन के सहयोग से कोयला परियोजनाएं

787. **कुमारी पुष्पादेवी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के संयुक्त सहयोग के साथ भारत में कितनी कोयला परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं ;

(ख) ये कोयला खनन परियोजनाएं किन स्थानों पर स्थापित हैं ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन में इन कोयला क्षेत्रों का कार्य निष्पादन कैसा रहा है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख). यू० के० के सहयोग से कोयला क्षेत्र में जो परियोजनाएं विकास के लिए हाथ में ली जा रही हैं वे हैं ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० की घुसिक, असनापनी, राधामाधवपुर और भारतचक। परन्तु यह परियोजनाएं अभी अन्वेषण, साध्यता रिपोर्ट की रचना अथवा जांच आदि को आरम्भिक अवस्थाओं में हैं। यू० के० के अनुदान और ऋण सहायता से विकास के लिए एक अन्य परियोजना अर्थात् सिंगरौली कोयला क्षेत्र की अम्लोरी परियोजना हाथ में ली गई है परन्तु इसमें अभी कोयला उत्पादन शुरू होना है।

(ग) चूंकि परियोजनाओं में से किसी में भी उत्पादन शुरू नहीं हुआ है इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

भारत और पश्चिम जर्मनी के बीच संयुक्त उद्यम

788. **श्री बी० वी० देसाई : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1985 में भारत का दौरा करने वाले पश्चिम जर्मनी के एक आर्थिक प्रतिनिधि मण्डल ने अपनी वस्तुओं के लिए यहां अच्छा बाजार तथा संयुक्त उद्यम लगाने की अच्छी संभावनाएं पाई ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार पर सहयोग बढ़ाने के लिए अधिक उदार नीति बनाने पर जोर दिया ;

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त प्रतिनिधि मंडल ने भारत में विभिन्न सम्बन्धित अधिकारियों से अनेक वार्ताएं की थीं ;

(घ) यदि हां, तो क्या उन्होंने सरकार को कुछ सुझाव दिए थे जिनके अनुसार उदार नीतियां बनाई जानी चाहिएं ताकि उनका आपसी सहयोग और अधिक सक्रिय और ज्यादा हो सके ;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (च). पश्चिम

जर्मनी के नार्दरिन वेस्टफालिया राज्य के आर्थिक कार्य मंत्री डा० आर० जोछिमसेन के नेतृत्व में पश्चिम जर्मनी के उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 17 से 20 फरवरी, 1985 तक दिल्ली का दौरा किया। यह एक निजी दौरा था, हालांकि जर्मन दूतावास के अनुरोध पर कुछ मुलाकातों की व्यवस्था की गई। इस प्रतिनिधि मण्डल का मुख्य उद्देश्य भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना के सन्दर्भ में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ ऊर्जा, कोयला तथा मशीन विनिर्माण के क्षेत्रों में विकास करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति जानना था। उनकी यात्रा के दौरान जर्मन प्रतिनिधियों को भारत के औद्योगिक तथा आर्थिक विकास तथा विभिन्न योजनाओं में उनकी भागीदारी के अवसरों की मोटे तौर पर जानकारी दी गई। यह स्पष्ट किया गया कि जहां कहीं आवश्यक होता है सरकार पद्धतियों को सरल, और नीतियों तथा योजनाओं को उदार बना रही है।

बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेश

789. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को निदेश जारी किए हैं जिनमें यह कहा गया है कि बैंकों के कार्यकारी निदेशक चेयरमैन बैंकों के भारी ऋणों के प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए नैतिक और कानूनी रूप से जिम्मेदार हैं ; और

(ख) यदि हां, तो फरवरी, 1985 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेश के अन्य मुद्दे क्या हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). उधार देने में अनियमितताओं और बड़े-बड़े अग्रिमों की समीक्षा न किए जाने तथा बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को अग्रिमों सम्बन्धी अनियमितताओं के बारे में समय पर सूचित न किए जाने के सन्दर्भ में रिजर्व बैंक ने दिसम्बर, 1984 में बैंकों के मुख्य कार्यपालकों को एक कारगर तथा कुशल सूचना प्रणाली तैयार करने का परामर्श दिया था। ताकि उन्हें बैंकों के बड़े अग्रिमों के बारे में सभी बातों की जानकारी रहे क्योंकि अपने बैंकों के बड़े अग्रिमों के प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी की नैतिक तथा कानूनी जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्हें यह भी परामर्श दिया गया है कि वे अपने दौरों के समय नियन्त्रक अधिकारियों के साथ बड़े अग्रिमों के विषय में चर्चा करें और ऐसे खातों के बारे में कार्रवाई करने के सिलसिले में अनुदेश जारी करें।

सातवीं योजना अवधि के दौरान उद्यान-कृषि फसलों का उत्पादन और निर्यात बढ़ाने हेतु उपाय

790. **श्री आर० अन्नाम्बी : वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उद्यान कृषि फसलों जैसे कि फल सब्जियों और मसालों का उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाने के उपायों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए समग्र लक्ष्यों के भीतर बागवानी की मदों के उत्पादन के वर्ष-वार लक्ष्यों को तैयार करने का अनुरोध किया है। इस अवधि के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए राज्य कृषि निर्यात आयुक्तों के साथ-साथ समय-समय पर विचार-विमर्श किया जाता है तथा निर्यात संवर्धन के जो उपाय किए जा रहे हैं ; उनमें

शामिल हैं ; बागवानी की विभिन्न मदों के निर्यात पर नकद पुआवजा सहायता, पंजीकृत निर्यातकों को आयात प्रतिपूर्ति, शुल्क वापसी की सुविधा प्रचार तथा प्रदर्शनी अभियान के लिए सहायता, उत्पाद संवर्धन, बाजार सर्वेक्षण, ताजे फलों तथा सब्जियों के निर्यात के लिए पर्याप्त कार्गो स्थान का आबंटन तथा अनुमोदित उपभोक्ता पैकों में उत्पादों के निर्यात पर अनेक प्रोत्साहन तथा सहायता।

पानागढ़ में नया करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस

791. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पानागढ़ में एक नये करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने परियोजना रिपोर्ट को जल्दी तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये हैं, ताकि देश में करेंसी नोट के अभाव में हो रही कठिनाई को ध्यान में रखकर इसका कार्य यथासम्भव शुरू किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्यस्थल के चुनाव के पश्चात् किया जाएगा। स्थल चयन समिति की सिफारिशों पर आधारित जमीन की उपलब्धता के बारे में खोज की जा रही है।

डालर का मूल्य बढ़ने के परिणामस्वरूप ऋण की अदायगी

792. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को यह जानकारी है कि वर्ष 1981 से अब तक की अवधि में अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपये का मूल्य 45 प्रतिशत कम हो गया है ;

(ख) भारत को कितनी अदायगी अभी करनी शेष है और डालर के मूल्य में वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वर्ष में 200 मिलियन अमेरिकी डालर के ऋण की अदायगी के लिए और अधिक डालर अर्जित करने सम्बन्धी सरकार की योजनाएं क्या हैं ;

(घ) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिए और ऋण लेने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह ऋण किस देश या वित्तीय अभिकरण और किन शर्तों पर लिया जाएगा ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ). भुगतान शेष की स्थिति का निर्धारण निश्चय ही, एक ऐसा अभ्यास है जो हमें अपने विदेशी मुद्रा भंडार की व्यवस्था करने के लिए करना होता है। मुद्रा विनिमय की दरों में होने वाले परिवर्तनों सहित विभिन्न तत्व हमारे भुगतान शेष के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। लेकिन अलग से केवल किसी एक मुद्रा के मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन होगा क्योंकि विनिमय की दरें स्थिर नहीं रहतीं। इसके अलावा, भुगतान शेष के अभ्यास कार्य में ऋण परिशोधन सम्बन्धी दायित्वों को भी ध्यान में रखा जाता है। भुगतान-शेष की स्थिति की निरन्तर समीक्षा होती रहती है और इसके लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाए जाते हैं।

31-12-81 और 14-3-85 के बीच भारतीय रुपये का मूल्य संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की तुलना में 30.85 प्रतिशत कम हो गया है। हमारे भुगतान शेष की स्थिति का विस्तृत ब्यौरा इस समय 1982-83 तक की अवधि के सम्बन्ध में उपलब्ध है और इसे 1984-85 की "आर्थिक समीक्षा' में प्रकाशित कर दिया गया है। यह आर्थिक समीक्षा 15 मार्च, 1985 को संसद के समक्ष रख दी गई है।

चाय विपणन के लिए नई नीति

793. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चाय विपणन के लिए नई नीति बनायेगी ;

(ख) यदि हां. तो नई नीति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए चाय निर्यात का लक्ष्य कितना है ;

(घ) क्या यह निर्णय किया गया है कि सभी चाय बनाने वाले एककों द्वारा भारतीय नीलामी के जरिए अनिवार्य बिक्री को 70 से बढ़ाकर 75 कर दिया जाए ; और

(ङ) रुग्ण चाय बागानों को क्या प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ङ). चाय विपणन योजना, 1985 अभीष्टतम निर्यात आय करने और साथ ही उचित तथा स्थिर कीमतों पर चाय की पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं। चाय विपणन नियंत्रण आदेश 1984 के उपबन्धों के अनुसार योजना में नीलामियों के जरिए चाय की बाध्यकारी माल उपलब्धता को 70% से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने की व्यवस्था है। कुल निर्यातों और साथ ही प्रत्येक तिमाही में समय निर्धारण का विनियमन नीलामी में निर्यात के लिए खरीदारी के साथ-साथ किया जाये। उत्तर और दक्षिण भारत से निर्यात के विभिन्न तरीकों के लिए प्रथक आबंटन किए गए हैं ; न्यूनतम निर्यात कीमत व्यवस्था होगी। कुल निर्यात 220 मिलियन किग्रा० तक सीमित रखे जायेंगे तथापि, इस अधिकतम सीमा के अन्दर मूल्य-वर्धित चाय के निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। चाय बागानों के विकास के लिए ऋणों और उपदानों के रूप में सहायता देने के लिए चाय बोर्ड नई योजनाएं चलाता है जिसके लिए कमजोर बागान भी पात्र हैं।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल में गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति

794. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशक मंडल में, विशेषकर "सामाजिक कार्यकर्त्ता, व्यापार, वाणिज्यिक और उद्योग प्रतिनिधि" श्रेणी के अन्तर्गत गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन नामों का चयन किस प्रकार किया जाता है और किसी बोर्ड विशेष में रखने के लिए उनकी उपयुक्तता किस प्रकार निर्धारित की जाती है ; और

(घ) क्या बोर्डों का इस बीच पुनर्गठन किया गया है ; यदि हां, तो क्या उनका विचार विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और भारतीय

औद्योगिक वित्त निगम के पुनर्गठित बोर्डों के नामों की सूची की एक प्रति सभा पटल पर रखने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). राष्ट्रीयकृत बैंकों, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम आदि के निदेशक बोर्डों के निदेशकों की नियुक्त इन संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले सम्बन्धित कानूनी उपबन्धों के अनुसार की जाती है। ये नियुक्तियां करते समय सरकार सम्बद्ध व्यक्तियों के ज्ञान और अनुभव तथा उनके द्वारा संस्थाओं के हितों और उसके माध्यम से आम जनता के हितों की रक्षा करने की उनकी क्षमता को ध्यान में रखती है।

(घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मंडल भंग नहीं किए गए हैं। अलबत्ता, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/80 के उपबंधों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार ने सह अधिसूचित किया है कि 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डलों के गैर-सरकारी निदेशक तीन वर्ष की अवधि पूरी कर लेने के बाद अपने पद पर नहीं रहेंगे। इस प्रकार खाली हुए पद अभी तक नहीं भरे गए हैं।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के निदेशकों की सूची अनुबंध 1,2 और 3 में दी गई है। **[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 630/85]**

गैर-सरकारी कम्पनियों द्वारा "यूरो डालर" मार्किट में "मल्टी करेंसी" ऋण लेने के सम्बन्ध में दिशानिर्देश

795. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा "यूरो डॉलर" मार्किट में "मल्टी करेंसी" ऋण लेने के सम्बन्ध में कोई मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन गैर-सरकारी कम्पनियों के नाम क्या हैं, जिन्होंने वर्ष 1984-85 और 1985-86 (28 फरवरी, 1985 तक) के दौरान ऐसे ऋण लिए हैं तथा कितना तथा किस देश से ऋण लिया गया है, ऋण लेने का प्रयोजन क्या है, इस ऋण पर भारतीय अथवा विदेशी मुद्रा में कितना ब्याज दिया जाएगा और ऋण को किस प्रकार वापिस किया जाएगा ; और

(ग) ये ऋण लेने, इनके उपयोग और मूलधन तथा इन पर ब्याज को लौटाए जाने तथा इस पर सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या नियंत्रण रखा जा रहा है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को, चयनात्मक आधार पर, अनुमोदित परियोजनाओं और स्कीमों के लिए, मुख्य रूप से पूंजीगत माल और सेवाओं के आयात के लिए, विदेशों से वाणिज्यिक ऋण जुटाने की अनुमति प्रदान की जाती है। इस प्रकार के उधारों के लिए अनुमति, अन्य बातों के साथ, परियोजना की विदेशी मुद्रा सम्बन्धी आवश्यकताओं, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय स्रोतों से रियायती धन की उपलब्धता और ऋण परिशोधन सम्बन्धी देनदारियों को विवेकपूर्ण सीमाओं में रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही दी जाती है। ऋणों का अनुमोदन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि ब्याज की दर और ऋण की दूसरी शर्तें उचित हों तथा हमारे देश की अन्तर्राष्ट्रीय ऋण साख के साथ मेल खाती हों।

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों को 1984-85 (अप्रैल 1984 से फरवरी 1985 तक) में यूरो-डालर बाजार से विदेशी ऋणों को जुटाने के लिए दी गई स्वीकृतियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विदेशी वाणिज्यिक उधारों से सम्बद्ध प्रस्तावों और इन उधारों की शर्तों का अनुमोदन सरकार द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा) के सम्बद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत इन प्रस्तावों की छान-बीन करता है और इस बात को सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा अनुमोदन के लिए लगाई गई शर्तों का पालन हो और ऋण-व्यवस्था के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कोई अभिव्यक्त अथवा अन्तर्निहित अतिरिक्त देनदारी शामिल न हो। ऋण की वापसी अदायगी और उस पर ब्याज की अदायगी तथा अन्य प्रभारों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का पूर्व-अनुमोदन लेना आवश्यक है।

विवरण

प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में विनिर्दिष्ट विवरण गैर-सरकारी क्षेत्र की उन कम्पनियों के नाम, जिन्हें 1-4-1984 से 28-2-85 तक की अवधि में यूरो-करेंसी के उधार लेने की अनुमति दी गई।

क्रम संख्या	उधार लेने वाली कम्पनी का नाम	विदेशी मुद्रा में राशि	उधार का प्रयोजन	ब्याज की दर
1	2	3	4	5
1.	(क) मैसर्स रिलायन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज	118.8 लाख अमेरिकी डालर 05.30 लाख डयूश मार्क, 4.50 लाख स्विज फ्रांक और 7711.8 लाख जापानी येन के बराबर अमेरीकी डालर	पूंजीगत सामान के आयात के लिए	सिबोर से 5/8% प्रति वर्ष अधिक
	(ख) —तदेव—	460 लाख रुपए के बराबर अमेरिकी डालर	—तदेव—	—तदेव—
	(ग) —तदेव—	260.76 लाख अमेरिकी डालर	—तदेव—	प्रथम चार वर्षों के लिए छमाही लिबोर से .5% प्रति वर्ष अधिक और इसके बाद लिबोर से 5/8% प्र० व० अधिक
2.	मैसर्स ट्रिब्यून ट्रस्ट पब्लिकेशन्स	1.9 लाख पाउण्ड	फोटो टाइप सेटिंग उपस्कर के आयात	पंजाब नेशनल बैंक की आधारभूत स्ट-

1	2	3	4	5
			के लिए	लिंग आधारित दर (इस समय 9% प्रति वर्ष) से 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक
3.	मैसर्स औरंगाबाद स्टोव इंडस्ट्रीज (प्रा०) लिमिटेड	17.14 लाख अमेरिकी डालर	पूंजीगत सामान के आयात तथा तकनीकी जानकारी शुल्क के लिए	छमाही सिबोर से .75 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक
4.	मैसर्स लोकमत न्यूज पेपर्स (प्रा०) लिमिटेड	10.2 फ्रांसीसी फ्रांक	आफ सेट रोटरी प्रिंटिंग मशीन के आयात के लिए	लिबोर से 5/8% प्रतिवर्ष अधिक
5.	मैसर्स बाटा इंडिया लिमिटेड	80 लाख रुपए के बराबर डयूश मार्क	पूंजीगत सामान के आयात के लिए	3 वर्षों के लिए सिबोर से 5/8% प्रतिवर्ष अधिक और उसके बाद सिबोर से 0.75 प्रतिशत अधिक
6.	मैसर्स थामसन प्रेस (इंडिया)	1.4 लाख स्विस फ्रांक 38.4 लाख डयूश मार्क	वेव आफ सेट हाई स्पीड प्रिंटिंग प्रेस के आयात के लिए	लिबोर से 0.5% प्रतिवर्ष अधिक
7.	मैसर्स बजाज आटो लिमिटेड	(क) 55 लाख अमेरिकी डालर (ख) 165 लाख अमेरिकी डालर के बराबर डयूश मार्क में	पूंजीगत सामान के आयात के लिए	(क) 14.25 प्रतिशत प्रति वर्ष 6 महीने के लिबोर से 5/8 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक
8.	मैसर्स ग्वालियर रेयन सिल्क मेन्युफेक्चरिंग	(क) 158 लाख डयूश मार्क (ख) 110 लाख डयूश मार्क	पूंजीगत सामान आयात के लिए	(क) 10.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष (ख) लिबोर से 5/8 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक
9.	मैसर्स एसोशिएटेड जर्नल्स	14 लाख अमेरिकी डालर	वेब आफ सेट रोटरी प्रिंटिंग मशीन और फोटो कम्पोजिंग	लिबोर से 5/8 % प्रतिवर्ष अधिक

1	2	3	4	5
			मशीन के आयात के लिए	
10.	मेसर्स हिन्दुस्तान डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	6 लाख डयूश मार्क	तकनीकी जानकारी शुल्क तथा इंजीनियरी शुल्क आदि की अदायगी के लिए	प्रथम 4 वर्षों के लिए लिबोर से 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक, शेष 4 वर्षों के लिए लिबोर से 5/8 प्रतिशत प्रति वर्ष अधिक .
11.	मैसर्स मार्डन इन्शुलेटर लिमिटेड	90 लाख डयूश मार्क	पूंजीगत सामान के आयात के लिए	3/6 महीने के लिबोर से 0.5 % प्रतिवर्ष अधिक
12.	मैसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी लि०	50.1 लाख अमेरिकी डालर	दो प्रोडक्ट कैरियर प्राप्त करने के लिए	लिबोर से 5/8 % प्रतिवर्ष अधिक
13.	मैसर्स मंगलौर केमिकल फर्टिलाईजर्स	24.8 लाख स्विस फ्रांक	डी० जी० सेटों के आयात के लिए	प्रथम 4 वर्षों के लिए लिबार से 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक तथा अंतिम 4 वर्षों के लिए लिबोर से 5/8 % प्रतिवर्ष अधिक
14.	मैसर्स इंडियन चार्ज क्रोम लिमिटेड	17.5 लाख अमेरिकी डालर	पूंजीगत सामान के आयात के लिए	4 वर्षों की अवधि के लिए लिबोर से 0.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक और इसके बाद लिबोर से 0.625 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक
15.	मैसर्स निरलोन सिंथेटिक्स फाइबर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड	134.5 लाख डयूश मार्क	—तदेव—	9 प्रतिशत प्रतिवर्ष
16.	मैसर्स होयर्स लाइन (प्रा०) लिमिटेड	35.1 लाख नार्वेजियन क्रोनर	पुराने ड्राई कार्गो जहाज प्राप्त करने के लिए	लिबोर से 5/8% प्रतिवर्ष अधिक

1	2	3	4	5
17.	मैसर्स एस्सर बल्क कैरियर	112.5 लाख पौंड	1 एन० डी० टी० जहाज प्राप्त करने के लिए	लिगोर से 5/8 % प्रतिवर्ष अधिक
18.	मैसर्स बल्लारपुर इंडस्ट्रीज	36.9 लाख अमेरिकी डालर	पुराने रसायन/खाद्य तेल कैरियरों को प्राप्त करने के लिए	छमाही लिबोर से 5/8 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक
19.	मैसर्स सकाल पेपर्स (प्रा०) लिमिटेड	15.9 लाख फ्रांसीसी फ्रांक	वेब आफ सेट रोटरी प्रिंटिंग मशीन के आयात के लिए	छमाही लिबोर से 5/8 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक
20.	मैसर्स बम्बे आफ शोर सप्लायर्स सर्विसज लि०	31.5 लाख अमेरिकी डालर	द्वितीय मोटर टोविंग टग, ओशन फाल्कइन-1 प्राप्त करने के लिए	लिबोर से 5/8 % प्रतिवर्ष अधिक
21.	मैसर्स एस०एम०एल० डाइग्नोस्टिक सेंटर	1.00 लाख अमेरिकी डालर 20.7 लाख ड्यूश मार्क	चिकित्सा उपस्करों आदि के आयात के लिए	लिबोर से 5/8 % प्रतिशत अधिक

टिप्पणी :—1. लिबोर : लंदन इंटर-बैंक औफर्ड रेट

2. लिबोर : सिंगापुर इंटर-बैंक औफर्ड रेट

सरकारी सेवा में भर्ती पर रोक

796. **श्री नारायण चौबे :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा रेल सेवा सहित सरकारी सेवा में भर्ती पर रोक के आदेश जारी किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वह आदेश किस तारीख तक लागू रहेंगे ; और

(ग) क्या सरकार को शीघ्र ही प्राधिकृत रिक्त पदों को भरेगी और भर्ती प्रारम्भ करेगी, यदि हां, तो कब ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). मुद्रा स्फीति निरोधक उपायों के एक भाग के रूप में, भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों को 31 मार्च, 1985 तक वर्तमान रिक्तियों को न भरने की सलाह दी गई थी तथापि, अनुकंपा के आधार पर मृत कर्मचारियों के आश्रितों और अपंग व्यक्तियों की नियुक्ति, एक संगठन के फालतू कार्मिकों को दूसरे संगठन में पुनः रोजगार देने,

समूह "घ" रिक्तियों पर नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, एक मात्र पदोन्नति द्वारा रिक्तियों को भरने आदि जैसे कुछ चुने हुए मामलों में छूट दी गई है।

जापान और अमरीका में झींगा मछली की किस्म की जांच की प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञ दल

797. **श्री के० प्रधानी : क्या वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने भारत द्वारा सप्लाई की गई झींगा मछली की किस्म की जांच को प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए जापान और अमरीका का दो विशेषज्ञ दल भेजने का निर्णय किया था ;

(ख) यदि हां, तो इन दलों के सदस्य कौन-कौन थे तथा उनके द्वारा विशेष रूप से जापान में जांच की प्रक्रिया सम्बन्धी किए गए अध्ययन के क्या निष्कर्ष रहे और उन्होंने किस्म की जांच को विद्यमान प्रक्रिया में किन परिवर्तनों का सुझाव दिया है ; और

(ग) इन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं।

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). निर्यातों के लिए झींगा मछली में कॉलरा संदूषण के विषय में परीक्षण के तरीकों तथा सावधानी बरतने के उपायों के सम्बन्ध में विचारों के आदान प्रदान करने के लिए जापान को एक प्रतिनिधि मण्डल भेजने का प्रस्ताव है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बैंक से ऋण लेने वालों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम नियमों का पालन

798. **श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेने वालों ने उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं का बैंकों द्वारा शीघ्र पूरा किए जाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले वर्ष अप्रैल में दी गई "फास्ट ट्रैक" सुविधा को असफल कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) बैंक से ऋण लेने वाले द्वारा अपेक्षित न्यूनतम नियमों के पालन के लिए मन्त्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). जी, नहीं। "फास्ट ट्रैक" एक नई धारणा है। अलबत्ता, इस सुविधा से लाभ उठाने की गति भी धीमी रही।

(ग) ऋणकर्त्ताओं द्वारा नियमों के पालन में सम्बन्ध में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को समय-समय पर माल सूची/प्राप्य पर मानदण्डों, ऋण सम्बन्धी माप्दण्डों और सूचना पद्धति के पालन के सम्बन्द्ध में अनुदेश परिपत्र जारी किए गए हैं। ऋण प्रस्ताव मन्जूर करते समय, भारतीय रिजर्व बैंक इन मापदण्डों के, जहां ये लागू होते हों, पालन पर जोर देता है। जनवरी 1985 में ये अनुदेश समेकित रूप में जारी किए गए।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में "डायरेक्ट रिडयूस्ड आयरन" प्रौद्योगिकी लागू करना

799. **श्री के० प्रधानी :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में "डायरेक्ट रिडयूस्ड आयरन" प्रौद्योगिकी लागू करने का विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ;

(ग) क्या उड़ीसा स्पंज आयरन को जिसने सितम्बर, 1983 में "डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन" प्रौद्योगिकी के माध्यम से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था, रेल द्वारा कोयले की ढुलाई के कारण उत्पादन बंद करना पड़ा था ; और

(घ) यदि हां, तो उड़ीसा स्थित इस परियोजना को जिसने पिछले वर्ष पुनः उत्पादन शुरू किया है, विशेषकर कोयले की सप्लाई में क्या सहायता देने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) विजयनगर में लगाए जाने वाले प्रस्तावित नये इस्पात कारखाने में इस्पात का उत्पादन करने की आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्यता का पता लगाने के सन्दर्भ में मेटलर्जिकल एण्ड इंजीनियरिंग कन्सल्टैन्ट्स (इंडिया) लिमिटेड ने नवम्बर, 1981 में इस्पात बनाने की पारम्परिक तथा सीधी अपचयन प्रक्रिया के साथ विकल्पों की तकनीती — आर्थिक दृष्टि से अध्यन किया था ।

स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड ने वर्ष 1980 में पालोंचा के स्थान पर सीधी अपचयन प्रक्रिया पर आधारित 30,000 टन की वार्षिक क्षमता का एक प्रदर्शन संयंत्र चालू किया था। संयंत्र का उत्पादन-निष्पादन अच्छा रहा है और स्पंज आयरन इंडिया लिमिटेड अब 30,000 टन की वार्षिक क्षमता का इसी प्रकार का अन्य मॉडयूल स्थापित कर रहा है जिसके जून, 1985 तक चालू किए जाने की संभावना है ।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने भी वर्ष 1982 में रांची में 10 टन स्पंज लोहे की दैनिक क्षमता का एक प्रायद्योगिक संयंत्र स्थापित किया है ।

(ग) और (घ). उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड ने कोयले को लाने-ले जाने के लिए रेलवे द्वारा पर्याप्त संख्या में माल-डिब्बे न आवंटित करने के बारे में वर्ष 1983 में अभ्यावेदन दिया था। यह मामला रेलवे बोर्ड के साथ उठाया गया था और इसके बाद मन्त्रिमण्डल सचिवालय के साथ भी उठाया गया था। देश में इस्पात बनाने में स्पंज लोहा की प्रक्रिया के महत्व को देखते हुए स्पंज लोहा संयंत्रों (उड़ीसा स्पंज आयरन लिमिटेड भी शामिल है) के लिए रेल द्वारा कोयले को लाने-ले जाने के कार्य की प्राथमिकता का स्तर बढ़ाकर "इस्पात प्राथमिकता" के समकक्ष कर दिया गया था।

पश्चिम बंगाल में कृष्णा ग्लास वर्कस लिमिटेड का प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण

800. **श्री सैयद हुसैन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कृष्णा ग्लास वर्कस लिमिटेड के राष्ट्रीयकरण विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) राज्य सरकार से इस एकक की अधिग्रहण पूर्व की देयताओं को स्वीकार करने के लिए

कहे जाने के क्या कारण हैं, जबकि गैर-सरकारी उद्यमियों ने इसका कुप्रबन्ध किया, जिसके कारण सरकार का विचार इस एकक का अधिग्रहण करने का है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, इसमें देरी नहीं है ।

(ख) राष्ट्रीयकरण के मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की बकाया रकमों की सुरक्षा के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की वर्तमान नीति यह है कि अधिग्रहण पूर्व और अधिग्रहणोत्तर समस्त बकाया रकमों को सम्पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए । उपर्युक्त नीति के अनुसरण में, इस मामले में, पश्चिम बंगाल सरकार से अधिग्रहण से पहले और अधिग्रहणोत्तर की सभी बकाया रकमों की सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है ।

वर्ष 1985 में चाय का उत्पादन लक्ष्य

801. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1985 में चाय का उत्पादन लक्ष्य क्या है ; और

(ख) इसकी बिक्री के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1985 के दौरान चाय के उत्पादन का लक्ष्य 655 मिलियन कि० ग्राम है ।

(ख) सरकार ने 1985 के लिए चाय विपणन योजना पहले ही घोषित कर दी है जिसका उद्देश्य उचित और स्थिर कीमतों पर पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए अभीष्टतम निर्यात आय करना है । निलामियों में बाध्यकारी माल उपलब्धता को 70 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किया जा चुका है । उत्तर व दक्षिण भारत में निर्यात के विभिन्न तरीकों के बीच पृथक आबंटनों के साथ त्रैमासिक समय निर्धारण के आधार पर निर्यात 220 मिलियम किग्रा० तक प्रतिबन्धित किए जाते हैं । इसी प्रकार नीलामियों में निर्यात के लिए खरीदारी भी विनियमित होगी तथा निर्यात एम० ई० पी० शर्तों के अधीन होंगे । उच्चतम सीमा के भीतर मूल्य वर्धित चाय के निर्यातों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होंगे और संवर्धनात्मक गतिविधियों की निरन्तर समीक्षा की जायेगी ताकि ऐसे निर्यातों को आवश्यक प्रोत्साहन दिए जा सकें ।

रूग्ण पटसन मिलों के पुनर्वास के प्रस्तावित कदम

802. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री अमर रायप्रधान :

क्या **वाणिज्य और पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ पटसन मिलें रूग्ण हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में ऐसी कितनी पटसन मिलें हैं ; और

(ग) इन रूग्ण मिलों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). हाल में, कच्चे माल की कीमतों में तीव वृद्धि से और अन्य सम्बन्ध कारणों की वजह से देश में कुछ पटसन मिलें रूग्ण हो गई हैं और 15 पटसन मिलें बन्द हो गयी हैं जिनमें 3 स्थायी तौर पर बन्द मिलें शामिल नहीं हैं ।

सरकार की भूमिका मुख्यत: उद्योग के कायाकल्प के उद्देश्य से एककों की वित्तीय तथा प्रबंधकीय पुनर्संरचना सहित उपचारात्मक उपाय करने के लिए मुख्यत: उत्तरदायित्व बैंकिंग तथा वित्तीय संस्थानों से सहायता के साथ साथ रूग्ण एककों के पुनरुद्धार के लक्ष्य वालों उपायों को मानिटर करने तथा उनमें समन्वय लाने की है।

सरकार पटसन उद्योग की अर्धक्षमता में सुधार लाने के लिए समय समय पर कदम उठाती रही हैं जिनमें ये शामिल हैं :—

(i) पटसन माल के निर्यात पर अधिक नकद मुआवजा सहायता का दिया जाना ;

(ii) 50:50 हानि वहन आधार पर एस० टी० सी०—पटसन उद्योग सार्थसंघ बनाकर उत्तर अमरीकी बाजारों को सी० बी० सी० के निर्यातों में सहायता के लिए राज्य व्यापार निगम का सहयोग प्राप्त करना ;

(iii) अनुसंधान तथा विकास प्रयासों तथा निर्यात संवर्धन में तेजी लाने के लिए एक नये पटसन उत्पाद विकास परिषद और पटसन उपकर की प्राप्तियों में से एक पटसन निधि का गठन करना ;

(iv) लागत जमा आधार पर पटसन उद्योग से सरकार (डी० जी० एस० एंड डी०) द्वारा पटसन माल की खरीद ;

(v) सीमेन्ट उद्योग द्वारा 100 प्रतिशत नये पटसन बौरों का अनिवार्य प्रयोग लागू करना ;

(vi) उर्वरकों की पैकिंग के लिए संश्लिष्ट प्रतिस्थापनों की बजाय अधिक पटसन बौरों का प्रयोग करने के लिए अन्य प्रयोक्ता विभागों से आग्रह करना ;

(vii) भारतीय पटसन निगम के माध्यम से नेपाल से कच्चे पटसन का मुक्त आयात ;

(viii) पटसन मिलों की अर्थक्षमता का अध्ययन करने और संभाव्य तौर पर अर्थतम एककों के पुनरूद्धार के लिए अनेक वित्तीय उपायों का सुझाव देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में एक स्थायी समिति की स्थापना करना ;

(ix) कच्चे पटसन की सप्लाई स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(क) कच्चे पटसन के अधिक न्याय संगत वितरण के लिए पटसन (नियंत्रण तथा लाइसेंसिंग) आदेश, 1961 के अन्तर्गत पटसन मिलों को स्टाक धारिताओं का विनियमन ;

(ख) विदेशों से कच्चे पटसन की 5 लाख गांठों के आयात के लिए प्रबन्ध करने हेतु भारतीय पटसन निगम को प्राधिकृत करना। तथापि, उपरोक्त प्राधिकार के आधार पर भारतीय पटसन निगम लगभग 3 लाख गांठों के आयात के लिए संविदा कर सका है।

मिश्र इस्पात की तार की छड़ों और "नॉन-बल्केवल" तार की छड़ों के आयात का सरणीकरण समाप्त करने का प्रस्ताव

803. **श्री आर० अन्नानाम्बी : क्या इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सभी किस्मों के मिश्र इस्पात की तार की छड़ों और "नान-बल्केवल" तार की छड़ों के आयात के सरणीकरण को समाप्त करेगी और कार्बन इस्पात के तारों और मिश्र इस्पात के

तारों की कुछ किस्मों के आयात पर प्रतिबन्ध लगाएगी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात विभाग में राज्य मन्त्री (श्री नटवर सिंह) : (क) से (ग). वर्ष 1985-86 के लिए आयात-निर्यात की वार्षिक नीति तैयार की जा रही है । इसकी घोषणा वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा की जाएगी ।

शुष्क बन्दरगाह बनाने के लिए स्थानों का चयन

804. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में शुष्क बन्दरगाहों की स्थापना के लिए कदम उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं, जहां ऐसी शुष्क बन्दरगाहों की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं ; और

(ग) शुष्क बन्दरगाहों की स्थापना के लिए देश में अन्य कौन से स्थानों का चयन किया गया है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) सरकार ने समुचित अन्तर्देशीय स्थानों पर अन्तर्देशीय निर्यातकों के लिए सीमाशुल्क जांच, विनिमेय पोतलदान दस्तावेज जारी करना, शुल्क वापसी का भुगतान, निर्यात निरीक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान करने के सम्बन्ध में विचार कर लिया है ।

(ख) इस उद्देश्य के दिल्ली, बंगलौर, कोयम्बतूर, गुन्टूर और अनापर्ती में अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो (आई० सी० डी०) स्थापित किए गए हैं ।

(ग) आसाम में अमीनगांव और पंजाब में लुधियाना अन्तर्देशीय कन्टेनर डिपो स्थापित करने के लिए अभिज्ञात किए गए हैं ।

बिजली घरों को अच्छे किस्म के कोयले की सप्लाई

805. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने बिजली घरों और कोयला खानों को बिजली घरों को अच्छे किस्म का कोयला सप्लाई करने के लिए करार हटाने का निर्देश जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) कितने बिजलीघरों ने इस प्रकार के करार किए हैं ;

(घ) सरकार का बहुत अधिक मात्रा में चूरा और पत्थर वाले घटिया कोयले की काफी समय से चली आ रही पुरानी समस्या को किस प्रकार हल करने का विचार है, जो बिजली के उत्पादन में गिरावट आने तथा बिजली उत्पादन एककों को नुकसान पहुंचाने का मूल कारण हैं ; और

(ङ) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) और (ख). बिजलीघरों को कोयला

सप्लाई के लिए कोयला कम्पनियों राज्य बिजली बोर्डों के बीच होने वाले समझौते का एक मानक मसौदा विद्युत विभाग ने सभी बिजली बोर्डों के पास भेजा था ? समझौते के इस मसौदे में संयुक्त नमूना लेने और विश्लेषण लेने, भुगतान की शर्तों और कोयला सप्लाई सम्बन्धित अन्य मदों के बारे में व्यवस्थाएं हैं।

(ग) अब तक निम्नलिखित बिजली घरों/बिजली बोर्डों ने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं :

(1) बदरपुर ताप बिजली घर

(2) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड

(3) हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड

(4) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड

(5) बिहार राज्य बिजली बोर्ड

(6) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान

(7) तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड

(8) राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड और

(9) दामोदर घाटी निगम

(घ) और (ङ). बिजली घरों को कुछ निश्चित कोयला स्रोतों से संयुजित कर दिया जाता है जिनसे उन्हें अपने ब्वायलर परिमापों के अनुसार कोयला सप्लाई किया जाता है। परिमापों के अनुसार ही कोयला सप्लाई करने का हमेशा प्रयास किया जाता है। किन्तु कोयला रख-रखाव संयंत्र लगाए बिना ही अनेक ओपेन्कास्ट खानें खुल जाने के कारण कुछ बिजली घरों से कोयले के आकार, कम कैलोरी मूल्य और कोयले में फालतू सामग्री होने की शिकायतें मिली हैं।

कोयले को सही आकार देना और फालतू सामग्री निकालना सुनिश्चित करने के लिए कोलियरियों में कोयला रख-रखाव संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस समय देश में उत्पादित कोयले का 55.90 प्रतिशत कोयला रख-रखाव संयंत्रों से गुजारा जाता है। अधिक संख्या में कोयला रख-रखाव संयंत्र लगाने की योजना चल रही है। वर्ष 1987-88 तक उत्पादित कोयले का 94 प्रतिशत भाग कोयला रख-रखाव संयंत्रों से गुजरने लगेगा। इस बीच कोयला कम्पनियों को निदेश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि आदमी लगाकर जरूरत से बड़े कोयले के टुकड़ों को तोड़ दिया जाए और फालतू सामग्री कोयले से निकाल दी जाए।

कोयला नियंत्रक को यह शक्तियां दे दी गई हैं कि वे खानों की कोयला सीमों का ग्रेड निर्धारित करें और उपभोक्ताओं को सप्लाई किए गए कोयले का ग्रेड भी निर्धारित करें और इस काम के लिए नमूने लें और कोयले के परीक्षण का प्रबन्ध करें। यह काम वह स्वयं कर सकते हैं अथवा इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर भी कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कोयला नियन्त्रक का निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षण संस्थानों को दिया गया दान

806. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंक ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को दान स्वरूप कितनी राशि दी गई और उन संस्थाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) दान देने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया था ; और

(ग) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा निजी शिक्षण संस्थाओं को दान दिया जाना उचित समझती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने दान की राशि की जो अधिकतम सीमाएं निर्धारित कर रखी हैं, सरकार उन सीमाओं के अन्दर-अन्दर सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा शिक्षा संस्थाओं को शिक्षा के संवर्धन के लिए छोटे-मोटे दानों के रूप में सहायता देना अनुचित नहीं समझती ।

[अनुवाद]

डालर के मूल्य में वृद्धि और रुपए के मूल्य में ह्रास

807. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व की अन्य प्रत्येक मुद्रा की तुलना में डालर के मूल्य में अभूतपूर्व रूप से लगातार वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो 1980 से रुपए के मूल्य में कितना ह्रास हुआ है ; और

(ग) 1980 की तुलना में रुपए के मूल्य में हुए इस ह्रास से हमारी ऋण अदायगी सम्बन्धी देयताओं में किस सीमा तक वृद्धि होगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जर्नादन पुजारी) : (क) यह ठीक है कि हाल के वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर के मूल्य में अधिकांश प्रमुख मुद्राओं की तुलना में वृद्धि हुई है, यद्यपि यह वृद्धि अबाध रूप से नहीं हुई है।

(ख) 31 दिसम्बर, 1980 से 14 मार्च, 1985 तक की अवधि में संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की तुलना में रुपए के मूल्य में 39.87 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ग) रुपए और डालर एवं अन्य प्रमुख मुद्राओं के बीच विनियम दर में होने वाले परिवर्तनों से भारत की ऋण की देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि डालर अथवा ऐसी अन्य मुद्राओं के रूप में दिखाई गई ऋण की वापसी अदायगी की राशि अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन, ऐसे परिवर्तनों से रुपयों के रूप में दिखाई गई राशि में घट-बढ़ हो सकती है। ऐसे परिवर्तनों की सीमा विनियम दर में भविष्य में होने वाले उतार-चढ़ाव पर निर्भर करती है, जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं है।

भारतीय स्टेट बैंक की बंगलौर स्थित शाखा द्वारा 12 करोड़ रुपए का संदिग्ध कारोबार

808. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :**

श्री चिंतामणि जेना :

श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर स्थित भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा के प्रबन्धक को 12 करोड़ रुपए के एक संदिग्ध कारोबार में सम्मिलित होने के कारण गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है, यदि हां, तो उसका परिणाम क्या निकला है ;

(घ) क्या इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उद्योगों तथा व्यापारियों को ऋण मंजूर करने के नियमों की पुनरीक्षा करने की आवश्यकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ऐसा किए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि इसकी शिवाजी नगर बंगलौर शाखा में 5 फरवरी 1985 और 12 फरवरी 1985 के बीच 3.5 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की घटना हुई है। बैंक ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज करा दी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने शाखा प्रबन्धक को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक की प्रारम्भिक जांच से पता चला है कि यह घोटाला शाखा प्रबन्धक की मिली भगत से हुआ है। बैंक ने दो अधिकारियों को निलम्बित कर दिया है।

(घ) और (ङ). भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों में धोखाधड़ी से सम्बन्धित रिपोर्टों की बराबर जांच करता है और बैंकों में प्रचलित पद्धतियों और निरीक्षणों की समीक्षा करता है और जहां आवश्यक हो, बैंकों को उपयुक्त हिदायतें जारी करता है।

रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई

809. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सरकारी कार्य दल का यह निष्कर्ष है कि रेलवे द्वारा कोयले की ढुलाई, जो 1984-85 में 1160 लाख मीट्रिक टन थी, 1989-90 में बढ़कर 1730 लाख मीट्रिक टन हो जाएगी ;

(ख) क्या इसके लिए रेल माल डिब्बों की संख्या में काफी वृद्धि करनी पड़ेगी, जो साधनों की कमी के कारण सम्भवतः नहीं हो पाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति से निपटने के लिए विचार किए जा रहे दीर्घावधि विकल्पों का ब्यौरा क्या है ताकि देश में औद्योगिकीकरण की गति क्षीण न होने पाए ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले और लिग्नाइट पर कार्यकारी ग्रुप ने सातवीं योजना अवधि के लिए कोयले की मांग और इस मांग को पूरी करने के लिए अपेक्षित रेल द्वारा प्रेषण का अनुमान लगाया है। कार्यकारी ग्रुप ने अनुमान लगाया है कि रेल द्वारा प्रेषण के लिए अपेक्षित कुल कोयले की मात्रा वर्ष 1985-86 के 126.98 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 1989-90 में 166.33 मिलियन टन हो जाएगी। कार्यकारी ग्रुप ने वर्ष 1984-85 के लिए अपेक्षित प्रेषण की कोई रूपरेखा नहीं बनाई है।

(ख) और (ग). सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले और लिग्नाइट पर कार्यकारी ग्रुप की रिपोर्ट की जांच योजना आयोग कर रहा है। रेलवे द्वारा कोयले के प्रेषण के सम्बन्ध में ठीक निर्णय तभी लिए जाएंगे जब सातवीं योजना में शामिल किए जाने के लिए कोयले और सम्बन्धित क्षेत्रों के लक्ष्य निर्धारित हो जाएंगे।

छुट्टी यात्रा रियायत के स्थान पर एकमुश्त राशि

810. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसा कोई सुझाव मिला है कि इस समय दी जाने वाली छुट्टी यात्रा रियायत के स्थान पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को एकमुश्त राशि दी जानी चाहिए और उस रकम पर कर लगाया जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). छुट्टी यात्रा रियायत की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर यात्रा करने की किसी प्रकार की शर्त लगाए बिना वेतन में अल्प राशि जोड़ने का एक सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है। यह सुझाव चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग को भेज दिया गया है जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को परिलब्धियों के ढांचे और सेवा शर्तों पर पहले ही विचार कर रहा है।

बड़े व्यापार-गृहों का कर निर्धारण

811. **श्री चित्त महाटा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1981-82, 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान देश में बड़े व्यापार गृहों का कर-निर्धारण कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनसे अब तक कुल कितनी राशि वसूल की गई है ; और

(घ) उनसे शेष राशि कब तक वसूल कर ली जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). कम्पनी कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई सूची के अनुसार, 31-12-1983 की स्थिति के अनुसार 113 बड़े औद्योगिक घराने थे जिनके नियन्त्रण में 1230 कम्पनियां/उपक्रम थे। इन कम्पनियों/उपक्रमों के अतिरिक्त, इन घरानों से सम्बन्धित अन्य कर निर्धारण योग्य एकक हैं। इन मामलों में आयकर निर्धारण का काम देश भर में विभिन्न स्थानों पर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इन मामलों में चार साल की मांगी गई सूचना के एकत्र और संकलन करने में पर्याप्त समय और श्रम लगेगा जो सूचना एकत्र करने से मिलने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होंगे। यदि माननीय सांसद महोदय इन मामलों में से किसी एक के सम्बन्ध में विशिष्ट सूचना चाहते हों, तो वह एकत्र करके पेश की जा सकती है।

बकाया मांगों के देय बनने पर, उनकी वसूली/घटौती करने के लिए सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं।

चमड़ा निर्यात

812. **प्रो० रामकृष्ण मोरे :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान चमड़ा निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो किए गए निर्यात का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चमड़ा उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए और क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जी, हां।

(ख) चमड़ा निर्यात परिषद्, मद्रास द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अप्रैल-नवम्बर, 1984 के दौरान चमड़ा तथा चमड़े की वस्तुओं के निर्यात 380.97 करोड़ रु० अनन्तिम होने का अनुमान है जबकि ये गत वर्ष की इसी अवधि के दौरान 258.63 करोड़ रु० के हुए थे।

(ग) प्रचार, विदेशों में होने वाले चमड़ा मेलों में भाग लेने, बिक्री सह-अध्ययन दलों को प्रायोजित करने तथा बाजार सर्वेक्षण करने आदि के अतिरिक्त चमड़ा उत्पादों के मूल्यवर्धित निर्यात उत्पादन के लिए अनिवार्य अन्तर्निविष्ट साधनी की व्यवस्था करना ऐसे कदम हैं जो चमड़ा उत्पादों के निर्यात बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं।

जयपुर में शुष्क बन्दरगाह

813. **श्री मूलचन्द डागा : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जयपुर में बनाई जा रही शुष्क बन्दरगाह से निर्यात को बढ़ावा मिलेगा ;

(ख) यदि हां, तो उक्त बन्दरगाह से कौन-कौन सी वस्तुओं का व्यापार किया जाएगा ; और

(ग) इस शुष्क बन्दरगाह के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जयपुर में शुष्क पत्तन स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

उपभोक्ताओं को कोयले की सप्लाई के बारे में शिकायत

814. **श्री चिन्ता मणि जेना :**

श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उपभोक्ताओं, विशेषकर विद्युत संयंत्रों से इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उन्हें बहुत बड़े आकार के और मिलावट वाले कोयले की सप्लाई की जाती है जिससे उनके उत्पादन पर प्रभाव पड़ता है ;

(ख) यदि हां, यो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष है ; और

(घ) उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार कोयला सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ). कोयले के आकार, कम कैलोरी मूल्य और कोयले में फालतू सामग्री की मौजूदगी की शिकायतें बिजली घरों से मिलती रही हैं। यह पाया गया है कि कोयला सप्लाई की किस्म कैलोरी मूल्य की दृष्टि से अधिकांशतः सम्बन्धित ताप बिजली घरों के ब्वायलरों की परिमापों के अनुरूप होती है। जहां तक अपेक्षित आकार से बड़ा कोयला मिलने और कोयले में कंकड़-पत्थर तथा अन्य फालतू सामग्री होने का सम्बन्ध है, यह समस्या उठने का कारण हैं "कोयला रख-रखाव संयंत्रों" के बिना अनेक ओपेनकास्ट खानें खोलना।

कोयले को ठीक आकार देने और फालतू सामग्री निकालने का काम सुनिश्चित करने के लिए कोलियरियों में "कोयला रख-रखाव" संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस समय देश में उत्पादित कोयले का

55.90 प्रतिशत कोयला इन "कोयला रख-रखाव" संयंत्रों से गुजारा जाता है। अधिक कोयला रख-रखाव संयंत्रों के निर्माण की योजना बनाई गई है। वर्ष 1987-88 तक उत्पादित कोयले का 94 प्रतिशत भाग कोयला रख-रखाव संयंत्रों से गुंजारा जाने लगेगा। इस बीच, कोयला कम्पनियों को निदेश दिए गए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि आदमी लगाकर जरूरत से बड़े टुकड़ों को तोड़ दिया जाए और फालतू सामग्री को कोयले से निकाल दिया जाए ताकि ठीक आकार और किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित हो सके।

ताप बिजली घरों के समक्ष कोयले की कमी

815. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में ताप बिजली घरों को कोयले की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है हालांकि खानों के मुहानों पर भारी मात्रा में कोयला पड़ा हुआ है ;

(ख) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि केवल उत्तर भारत के बिजलीघरों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई की जाएगी ताकि वे अपनी वर्तमान आवश्यकता पूरी कर सकें और एक महीने के लिए कोयले का भंडार भी जमा कर सकें ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का दक्षिण भारत के बिजलीघरों को कोयले की पर्याप्त सप्लाई किस प्रकार बनाये रखने का विचार है ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) कुछ बिजली घरों में कोयले के स्टाक कम हैं। स्टाक कम होने के कारण हैं—परिवहन समस्याएं, कोयले के वैगनों के रख-रखाव के लिए बिजली घरों में पर्याप्त सुविधाओं का न होना और साथ ही सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० द्वारा पर्याप्त उत्पादन न होना।

(ख) देश के सभी भागों के बिजली घरों को कोयला सप्लाई किया जा रहा है ताकि वे अपनी कोयले की जरूरतें पूरी कर सकें और स्टाक बना सकें।

(ग) सिंगरेनी कोलियरीज कं० लि० में उत्पादन में कमी के कारण दक्षिण भारत के कुछ बिजली घरों में कोयले के कम स्टाक हैं। सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. आंध्र प्रदेश सरकार और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० के प्रबन्ध-मण्डल पर जोर डालकर यह कहा गया है कि वे सिं० को० कं० लि० में हड़तालों और अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर रोक लगाने और उत्पादन में सुधार लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएं।
2. दक्षिणी भारत को कोल इण्डिया लि० से यथासाध्य कोयला सप्लाई किया जा रहा है। यह सप्लाई प्रेषण की सम्भावना पर निर्भर करती है।

आस्ट्रेलिया से कोयले का आयात

816. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खनिज तथा धातु व्यापार निगम को आस्ट्रेलिया से एक लाख टन कोयले

का निर्यात करने की अनुमति इस आधार पर दी है कि आयात किये जाने वाला कोयला सस्ता है और बढ़िया किस्म का भी है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में कोयला खानों से निकाले गए कोयले की कीमत कम करने तथा उसकी किस्म में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) हल्दिया बन्दरगाह के रास्ते से तूती-कोरिन ताप बिजलीघर को कोयला भेजने होने में वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, तमिलनाडु राज्य बिजली बोर्ड को खनिज व धातु व्यापार निगम की मार्फत आस्ट्रेलिया से एक लाख टन कोयला आयात करने की अनुमति दे दी गई थी। यह अनुमति इसलिए दी गई थी ताकि बोर्ड अपना बफर स्टाक बना सके।

(ख) सरकार कोयले की खान मुहाना कीमतें निश्चित करती है। कोयले की उत्पादन सामग्री की लागत में वृद्धि, मजूरी में वृद्धि, मूल्यहास का भार बढ़ने और ब्याज का भार बढ़ने आदि कारणों से जब कोयले की कीमतों में संशोधन आवश्यक हो जाता है तो कीमतों में संशोधन करते समय उप-भोक्ताओं पर संशोधन के प्रभाव और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भी इसके प्रभाव को हमेशा ध्यान में रखा जाता है और कीमतें जितना सम्भव हो उतना कम रखी जाती हैं।

कोयले की किस्म की दृष्टि से, कोयला सप्लाई की किस्म में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इन उपायों में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

1. प्रत्येक कोयला कम्पनी में एक स्वतंत्र किस्म नियंत्रण संगठन स्थापित करना।
2. अधिक कोयला रख-रखाव संयंत्रों की स्थापना जिनमें जहां आवश्यक हो वहां कोयले को सही आकार देने और उसकी छनाई की भी व्यवस्था हो।
3. जहां कोयला रख-रखाव संयंत्र नहीं है वहां आदमी लगाकर जरूरत से बड़े आकार के कोयले को तोड़ना और कोयले से फालतू सामग्री निकालना।
4. प्रमुख उपभोक्ताओं के साथ समझौते में इस आशय का खंड जोड़ना कि कोयले से संयुक्त विश्लेषण किया जाएगा और उसी आधार पर भुगतान होगा।
5. कोयला नियंत्रक को एक स्वतन्त्र प्राधिकारी की हैसियत से यह शक्तियां दी गई हैं कि वे खानों की कोयला सीमों के ग्रेड तथा उपभोक्ताओं को कोयला सप्लाई के ग्रेड पर निर्णय दें और इस काम के लिए चाहें तो स्वयं भी अथवा उपभोक्ताओं से कोई शिकायत प्राप्त होने पर कोयले के नमूने लें और परीक्षण का प्रबन्ध करें। इस मामले में कोयला नियंत्रक का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव के नवीकरण कार्यक्रम की योजना

817. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव के नवीकरण की कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां, मिल के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए 471.29 लाख रु० की राशि स्वीकृत की गई है।

(ख) स्वीकृत राशि से 367.16 लाख रु० की राशि दिसम्बर 1984 तक खर्च की गई है।

बंगाल नागपुर काटन मिल्स में राजनन्दगांव की स्थित श्रमिक समस्या

818. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनन्दगाँव स्थित बंगाल नागपुर काटन मिल्स के प्रबन्धकों को इस समय किसी श्रमिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख). वर्ष 1984 के दौरान मिल में श्रमिक समस्याएं थीं। 6 दिसम्बर, 1984 को श्रम उपायुक्त मध्य प्रदेश की उपस्थिति में राजनन्दगांव कपड़ा मजदूर संघ के प्रतिनिधियों और प्रबन्धकों के मध्य एक समझौता हुआ था। 8 दिसम्बर, 1984 को तीनों पारियों में उत्पादन पुनः शुरू हो गया था। कुछ व्यवसायों में मजदूरी को इन्दौर वस्त्र मिलों में विद्यमान मजदूरी के बराबर करने की मांग थी। इस मामले की देखभाल के लिए एक समिति का गठन किया गया है जिनमें श्रमिक संघ और प्रबन्ध के प्रतिनिधि शामिल हैं।

अहमदाबाद में एक इनलैंड कन्टेनर डिपो की स्थापना

819. **श्री० आर० पी० गायकवाड़ :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने अहमदाबाद में एक 'इनलैण्ड कन्टेनर डिपो' स्थापित करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या इस डिपो के लिए अहमदाबाद में थालतेज में एक स्थल का चयन किया गया था, लेकिन भू-स्वामी द्वारा न्यायालय में याचिका दायर किए जाने के कारण परियोजना में विलम्ब हो गया है ;

(ग) क्या डिपो के लिए साबरमती स्टेशन के पास एक वैकल्पिक स्थल का सुझाव दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ). एक नियमित इनलैंड कन्टेनर डिपो (आई० सी० डी०) के लिए साबरमती में स्थल को उपयुक्त नहीं पाया गया है।

अहमदाबाद में स्वर्ण शोधक कारखाना

820. **श्री आर० पी० गायकवाड :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद में एक स्वर्ण शोधक कारखाना लगाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शोधक कारखाना लगाने के लिए कोई उपयुक्त स्थान ढूंढ लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो अहमदाबाद के इस कारखाने द्वारा कब कार्य आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). देश में केवल एक ही स्वर्ण शोधक कारखाना है और वह बम्बई टकसाल में स्थित है। अहमदाबाद में नया स्वर्ण शोधक कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ओधव, अहमदाबाद में सोने का एक संग्रह एवं सुपुर्दगी केन्द्र स्थापित किया गया है। यह केन्द्र व्यापारियों और जनता से सोने के आभूषण तथा अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है और उनके बदले में उनके बराबर का सोना, स्वर्ण मानक छड़ों के रूप में देता है।

गुजरात में सिक्कों तथा छोटे करेंसी नोटों की कमी

821. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पिछले दो वर्षों से अधिक समय से गुजरात में सिक्कों तथा छोटे करेंसी नोटों की अत्यधिक कमी है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इससे लोगों को उनके दिन प्रतिदिन के काम-काज में अत्यधिक कठिनाई हो रही है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने जुलाई, 1982 तथा दिसम्बर, 1983 में इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक तथा वित्त मन्त्रालय को अभ्यावेदन किया था ; और

(घ) यदि हां, तो गुजरात में छोटे सिक्कों तथा करेंसी नोटों की कमी को दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाये गए हैं, अथवा उठाये जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) गुजरात सहित देश के विभिन्न भागों से छोटे सिक्कों तथा कम मूल्यवर्ग के नोटों की कमी के बारे में रिपोर्टें मिली है।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक को उपचारात्मक उपाय करने का परामर्श दिया गया था और बैंक ने गुजरात को, भण्डार की स्थिति के अनुरूप करेंसी नोटों और छोटे सिक्कों की पूर्ति बढ़ा दी थी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने सिक्कों और कम मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की पूर्ति की स्थिति सुगम बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद की तीनों टकसालों और नासिक रोड और देवास की दोनों करेंसी नोट प्रेसों में काम के घण्टे बढ़ाने के साथ ही प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। सिक्कों का उत्पादन बढ़ाने के लिए तीनों प्रेसों के लिए 22 नई सिक्का ढलाई प्रेस खरीदी जा रही हैं। मौजूदा करेंसी नोट प्रेसों के आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य भी हाथ में लिया गया है। एल नई टकसाल और नए करेंसी नोट प्रेस की स्थापना का निश्चय भी किया गया है और इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन उपायों के परिणामस्वरूप सिक्कों और कम मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों की पूर्ति में सुधार भी हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय इलायची समुदाय की स्थापना की मांग

822. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या युनाइटेड प्लान्टर्स एसोसिएशन आफ सदर्न इंडिया से खाद्य और कृषि संगठन के सहयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय इलायची समुदाय स्थापित करने का कोई सुझाव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इलायची उत्पादक देशों का एक अन्तर्राष्ट्रीय इलायची समुदाय स्थापित करने के लिए भारत और साथ ही ग्वाटेमालस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं इलायची बोर्ड के अध्यक्ष ने जुलाई 1983 में ग्वाटेमाला का दौरा किया था और ग्वाटेमाला की अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु संगठनों के राजदूत के नेतृत्व में ग्वाटेमाला के एक प्रतिनिधि मंडल ने जुलाई 1984 में भारत का दौरा किया। विचार-विमर्शों में, यह सिफारिश की गई कि दोनों देशों को अनुसंधान, सुधरी हुई इलायची खेती की पद्धत्तियों, बाजार विकास कार्यक्रमों तथा अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के क्षेत्र में सहयोग करना चाहिए।

इलायची के विकास के लिये कार्यक्रम

823. **प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलायची के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ख). जी, हां। योजना आयोग के विचाराधीन सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में इलायची बागान उद्योग के विकास के लिए 25.63 करोड़ रु० के कुल निवेश की व्यवस्था की गई है। इसमें से 21.43 करोड़ रु० छोटी इलायची के विकास के लिए, 2.50 करोड़ रु० छोटी इलायची हेतु गवेषणा कार्यक्रम के लिए, 1.00 करोड़ रु० बड़ी इलायची के विकास के लिए, 0.50 करोड़ रु० बड़ी इलायची पर गवेषणा कार्यक्रम के लिए और 0.20 करोड़ रु० इलायची जोतों की गणना के लिए निर्धारित किए गए हैं। सातवीं योजना-वधि के दौरान औसत वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य 5,000 एम० टन रखा गया है।

स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा घाटे में चलने वाले अपने एककों को अपने से अलग करने का निर्णय

824. **श्री अजीत कुमार साहा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने ऐसे सभी एककों को जो निरन्तर घाटे में चल रहे हैं अपने से अलग करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उन सभी एककों को अपने से अलग कर दिया जाएगा ; और

(घ) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के उन एककों का ब्यौरा क्या है ; जो लाभ अर्जित कर रहे हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) पिछले चार वर्षों में से तीन वर्ष 'सेल' के भिलाई तथा बोकारो के इस्पात कारखानों को लाभ हुआ है। इन दोनों कारखानों को चालू वर्ष (1984-85) में भी लाभ होने की सम्भावना है।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा तस्करी का माल पकड़ना

825. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि की ओर ध्यान दिया है ;

(ख) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान फरवरी, 1985 तक पकड़ी गई इलेक्ट्रानिक वस्तुओं, कलाई घड़ियों आदि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा निगरानी की कमी के कारण ऐसा हो रहा है ;

(घ) उक्त अवधि के दौरान तस्करी के आरोप में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए ; और

(ङ) तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) (क) और (ख). तस्करी, चोरी-छिपे किया जाने वाला एक धन्धा है, इसलिए उसके सम्बन्ध में किन्हीं अवधियों-विशेष के सन्दर्भ में उसके वास्तविक परिमाण का कोई ठीक-ठीक आकलन नहीं लगाया जा सकता है। फिर भी तस्करी-निवारण प्रयासों में किसी किस्म की सुस्ती नहीं बरती जा रही है।

यह बात इससे साबित होती है कि वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान उत्तरोत्तर अधिक मूल्य का निषिद्ध माल पकड़ा गया है, जो इस प्रकार है :—

वर्ष	पकड़े गये माल का मूल्य
1982	66.39
1983	89.92
1984	100.66

(वर्ष 1984 के आंकड़े अनन्तिम हैं)

(ग) और (घ). वर्ष 1983, 1984 और 1985 (फरवरी तक) के दौरान, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन पकड़े गये निषिद्ध माल का कुल मूल्य और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ अभिगृहीत की गई मुख्य-मुख्य जिन्सें इस प्रकार हैं :—

(मूल्य : करोड़ रुपयों में)

वर्ष	सोना	घड़ियां	संश्लिष्ट फैब्रिक	इलैक्ट्रानिकीय माल	अन्य	जोड़	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1983	4.18	5.68	15.00	8.40**	56.66	89.92	2281
1984*	10.09	11.14	18.41	19.90	40.93	100.56	2165

1	2	3	4	5	6	7	8
1985* (फरवरी तक)	12.60	0.43	1.31	0.34†	6.19	20.87	152*

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

**सितम्बर, 1983 से अलग-अलग आंकड़े रखे गये हैं।

†ये आंकड़े केवल जनवरी, 1985 के ही हैं।

(ङ) तस्करों के खिलाफ विभागीय और न्यायालयों में मुकदमा चलाकर कड़ी कार्यवाही की जाती है। उचित मामलों में, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के अधीन नजरबंदी भी की जाती है। इसके अतिरिक्त तस्करों के खिलाफ चलाया गया अभियान तेज कर दिया गया है। सीमाशुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को तस्करी की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने का आदेश दे दिया गया है। तस्करी की आशंका वाले क्षेत्रों में स्थित सीमाशुल्क विभाग के निवारक और गुप्तसूचना तन्त्र को, कर्मचारियों तथा उपकरणों की उपलब्धता के सन्दर्भ में सुदृढ़ बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय उत्तथा राज्य सरकारों के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ट ताल-मेल बैठाकर तस्करी निवारण हेतु उचित उपाय किए जाते हैं। उचित कार्यवाही हेतु मामले की लगातार समीक्षा भी की जाती रहती है। तथापि, यह बताना उचित नहीं होगा कि तस्करी की गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार द्वारा और क्या-क्या विशिष्ट उपाय दिए जा रहे हैं।

देश में छोटे सिक्कों की कमी

826. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में छोटे सिक्कों की अत्यधिक कमी है जिसके कारण लोगों को सिक्कों की कमी को पूरा करने के लिए मजबूरन डाक टिकटों/रसीदी टिकटों आदि का उपयोग करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कमी के क्या कारण है ; और

(ग) स्थिति को सामान्य बनाने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) देश के विभिन्न भागों से छोटे सिक्कों की कमी के बारे में रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) और (ग). सिक्कों की कमी का कारण यह है कि इनकी मांग के अनुपात में टकसालों की समग्र क्षमता सीमित है। सरकार ने सिक्कों की मांग पूरी करने के लिए कई कदम उठाए हैं। बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद में स्थित तीनों टकसालों में काम के घण्टे बढ़ाने के साथ-साथ, प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं। आधुनिकीकरण और विस्तार योजना के एक भाग के रूप में तीनों टकसालों में 22 नई सिक्का ढलाई की प्रेसों की स्थापना की जा रही है। 22 फरवरी, 1985 से कलकत्ता टकसाल में दूसरी पारी शुरू की गई है। इन सभी उपायों के परिणामस्वरूप 1983-84 में उत्पादन 10630 लाख अदद तक पहुंच गया जबकि 1982-83 में 6600 लाख अदद और 1981-82 में 5250 लाख अदद था। वर्ष 1984-85 में सिक्कों का अनुमानित उत्पादन 13500 लाख अदद रखा गया है जिसमें से 12404.4 लाख अदद सिक्कों का उत्पादन वर्ष के प्रथम 11 महीनों के दौरान हो चुका है। 1985-86 के दौरान 20000 लाख सिक्कों का उत्पादन करने का अनुमान है।

एक नई टकसाल की स्थापना का भी निश्चय किया गया है और इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

व्यक्तियों/फर्मों/कम्पनियों के विरुद्ध बकाया आयकर

827. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन व्यक्तियों/फर्मों/गैर सरकारी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन पर पांच वर्षों से अधिक समय से आयकर की 1 लाख रुपये से अधिक धनराशि बकाया है ;

(ख) क्या सरकार द्वारा इसकी वसूली के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जिन व्यष्टियों/फर्मों/कंपनियों की तरफ पिछले पांच से अधिक वर्षों से एक लाख रुपए से अधिक राशि का आयकर बकाया रहा है, उनके ब्यौरे क्षेत्रीय कार्यालयों से एकत्र करने होंगे जिसमें अत्यधिक श्रम और समय लगेगा। तथापि, यदि ऐसी कोई सूचना किसी व्यष्टि/फर्म/कंपनी विशेष के बारे में अपेक्षित है तो वह एकत्र करके माननीय सदस्य को उपलब्ध करायी जा सकती है।

(ख) और (ग). प्रत्येक मामले की वस्तु-स्थिति को देखते हुए, बकाया मांग की वसूली/घटौती के लिए सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर समुचित उपाय किए जाते हैं। इन उपायों में, अन्य उपायों के साथ-साथ, अपीलीय प्राधिकारियों से विचाराधीन अपीलें शीघ्र निपटाने का निवेदन करना शामिल है। इनमें, आयकर अधिनियम की धारा 226(3) तथा 179 के अंतर्गत की जाने वाली कार्यवाहियों का सहारा लेना तथा आयकर अधिनियम की धारा 222 के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी को वसूली प्रमाण-पत्र जारी करने के बाद चल और अचल सम्पत्तियों की कुर्की करना भी शामिल है।

भारत के लिए 1790 लाख डालर की आर्थिक सहायता

828. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी ने अमरीकी कांग्रेस की विदेशी मामलों सम्बन्धी उप-समिति से वित्तीय वर्ष 1986 के लिए आर्थिक सहायता के रूप में भारत को 1790 लाख डालर देने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूतावास से प्राप्त संकेतों के अनुसार, संयुक्त राज्य प्रशासन ने अपने विदेश सहायता प्रस्ताव संयुक्त राज्य कांग्रेस के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं। इनमें संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष 1986 (अक्टूबर, 1985 से सितम्बर, 1986) के दौरान भारत को दी जाने वाली सहायता भी शामिल है जो कि निम्न प्रकार से है :—

		(लाख डालरों में)
1.	विकास सहायता	850
2.	पी० एल०-480 शीर्षक-II कार्यक्रम	935.4

3.	अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण	3.5
	जोड़ :	1788.9

संयुक्त राज्य कांग्रेस द्वारा उन प्रस्तावों पर विचार किए जाने के पश्चात् ही संयुक्त राज्य राजकोषीय वर्ष 1986 के दौरान भारत को दी जाने वाली सहायता की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकेगा।

आयकर की बकाया राशि

829. **श्री अजय विश्वास :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय आयकर की कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ख) वर्ष 1984 में आयकर की कुल कितनी राशि माफ की गई है ;

(ग) वर्ष 1984 के दौरान पहले बीस मामलों में माफ की गई अधिकतम राशि क्या थी और माफ किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) आयकर बकाया राशि की वसूली हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आयकर की बकाया के ब्यौरेवार आँकड़े प्रत्येक तिमाही के अन्त में संकलित किये जाते हैं। "कर की बकाया" के नवीनतम आंकड़े 30 सितम्बर, 1984 की स्थिति के अनुसार उपलब्ध हैं। उक्त तारीख की स्थिति के अनुसार "कर की बकाया" तथा "जारी की गई किन्तु वसूली योग्य नहीं बनी मांग" के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना निम्नानुसार है :—

		(करोड़ रुपयों में)
कर की बकाया राशि	—	1169.11
जारी की गई किन्तु वसूली योग्य नहीं बनी मांग	—	767.79

(ख) कैलेण्डर वर्ष 1984 में बट्टे खाते डाली गई आयकर की रकम के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि ये आंकड़े वित्तीय वर्ष के अन्त में एकत्र किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान बट्टे खाते डाली गई कुल रकम 7.40 करोड़ रुपये थी।

(ग) कैलेण्डर वर्ष 1984 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि सांख्यिकीय सामग्री, वित्तीय वर्षवार एकत्र की जाती है। तथापि, एक मामले में वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान बट्टे खाते डाली गई आयकर की अधिकतम रकम 53.05 लाख रुपए थी ; इसका कारण कोई परिसम्पत्तियां छोड़े बिना कर-निर्धारिती की मृत्यु हो जाना था।

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 में कर की बकाया की वसूली और उगाही करने के लिए कई उपायों की व्यवस्था है, जैसे अर्थदण्ड लगाना, चूककर्ताओं को प्राप्य धन की कुर्की करना, चल संपत्ति को अभिगृहित करके बेचना, चूककर्ता को असैनिक जेल भिजवाना, आदि। प्रत्येक मामले को वस्तुस्थिति पर निर्भर करते हुए, सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा कर की बकाया राशि की उगाही

के लिए समय-समय पर उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

एकाधिकार गृहों के विरुद्ध आयकर और उत्पादन शुल्क का बकाया

830. **श्री अजय विश्वास :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस शीर्ष एकाधिकार गृहों के विरुद्ध आयकर और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कुल कितनी राशि बकाया है ;

(ख) प्रत्येक एकाधिकार गृह के विरुद्ध अलग-अलग कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) बकाया राशियों की वसूली के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). 30-9-84 की स्थिति के अनुसार शीर्षस्थ 20 एकाधिकार घरानों की ओर आयकर की अशोधित बकाया को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर अशोधित मांगों की वसूली करने के लिए सम्बन्धित आयकर प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर उपयुक्त उपाय किए जाते हैं। इनमें अपीलीय प्राधिकरणों से अनिर्णीत पड़ी अपीलों का शीघ्र निपटान करने का अनुरोध करना, आयकर अधिनियम की धारा 226 (3) तथा 179 के अन्तर्गत कार्यवाहियों का सहारा लेने, आयकर अधिनियम की धारा 222 के अन्तर्गत कर वसूली अधिकारी को वसूली प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् चल तथा अचल सम्पत्तियों की कुर्की करना आदि शामिल हैं।

जहां तक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का सम्बन्ध है, उसे प्रत्येक कारखाने में निर्मित तथा निकासी किए गए माल पर लगाया जाता है तथा शुल्क के बकाया के आंकड़े तदनुसार रखे जाते हैं। इसलिए शीर्षस्थ 20 एकाधिकार घरानों के सम्बन्ध में ये आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय संसद सदस्य किसी विशिष्ट कारखाने के सम्बन्ध में सूचना चाहते हों, तो उसे एकत्र करके प्रस्तुत किया जा सकता है।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के बकाया की वसूली एक सतत कार्य है तथा बकाया की वसूली के उद्देश्य से प्रशासनिक कानूनी तथा दूसरे उपाय, जिन्हें आवश्यक समझा जाता है, समय-समय पर किए जाते हैं।

विवरण

क्रम सं०	औद्योगिक घराने का नाम	कुल बकाया मांग	लागू न की जाने योग्य मांग	लागू की जाने योग्य मांग
1	2	3	4	5
			(राशि लाख रुपए में)	
1.	टाटा	36.35	36.35	—
2.	बिड़ला	1350.13	1299.67	50.46
3.	जे० के० सिंघानिया	1237.48	1125.03	112.45
4.	मफतलाल	—	—	—

1	2	3	4	5
5.	रिलायंस टैक्सटाइल	—	—	—
6.	ए० सी० सी०	445.55	0.28	445.27
7.	थापर	51.79	—	51.79
8.	आई० सी० आई०	—	—	—
9	साराभाई	230.29	230.29	—
10.	मोदी	1109.30	1109.30	—
11.	किर्लोस्कर	45.05	45.95	—
12.	बांगड़	245.19	245.19	—
13.	बजाज	34.23	31.39	2.84
14.	श्रीराम	82.64	3.45	79.19
15.	लारसन एण्ड ट्यूबरो	560.81	485.67	75.14
16.	अशोक लेलैंड	—	—	—
17.	हिन्दुस्तान लीवर	—	—	—
18.	टी० वी० एस० आयंगर	—	—	—
19.	बालचन्द	—	—	—
20.	मोहिन्द्रा एण्ड मोहिन्द्रा	—	—	—
	कुल :	5429.71	4612.57	817.14

जापान को असंदूषित झींगा मछलियों का निर्यात

831. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में जापान को असंदूषित झींगा मछलियों के निर्यात के सम्बन्ध में छपे समाचारों को गंभीरता से लेकर केन्द्रीय सरकार ने वाणिज्य मन्त्रालय को सारे मामले की व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जांच रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ;

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जिम्मेदार ठहराए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में निर्यात के आदेशों को रद्द कर दिया गया है ; और

(ङ) इसका जापान को निर्यात पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (घ). श्रिम्पों में कालरा संदूषण के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा कालरा का अनि-

वार्य रूप से परीक्षण आरम्भ किया गया। साथ ही साथ कालरा संदूषण के कारणों की जांच करने तथा निवारक उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई। समिति की सिफारिशों के अनुसरण में संसाधन के लिए क्लोरीनोटेड जल उपयोग करने के लिए निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा हिदायते जारी की जा चुकी हैं। जापानी क्वरेन्टाइन अधिकारियों के साथ परीक्षण पदत्तियां तथा एतियाती उपायों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए कार्यवाही भी शुरू की जा चुकी है। निर्यात निरीक्षण अभिकरण के अनिवार्य परीक्षण शुरू करने के बाद पता लगाए गए दो मामलों के सम्बन्ध में कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं।

(ङ) ये छुटपुट घटना हैं और इससे अभी तक जापान को होने वाले हमारे निर्यातों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

पश्चिम यूरोपीय देशों को निर्यात में वृद्धि

832. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984-85 के पहले छह महीनों के दौरान पश्चिमी यूरोपीय देशों को भारत के निर्यात में 21.3 प्रतिशत वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिमी यूरोपीय देशों को भारत के निर्यात 1983-84 के पहले छह महीनो में 883 करोंड़ रुपए की तुलना में बढ़कर लगभग 1,057 करोड़ रुपए के हो गए ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इस निर्यात में किस सीमा तक वृद्धि की जाएगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1984-85 के प्रथम छः महीनों में पश्चिम यूरोपीय क्षेत्र के देशों (यूगोस्लाविया को छोड़कर) को 1057 करोड़ रुपए के निर्यात होने का अनुमान है जबकि 1983-84 की उसी अवधि के दौरान ये 871 करोड़ रुपए के थे (युगोस्लाविया को छोड़कर)

(ग) वर्ष के दौरान निर्यातों के रुख को देखते हुए सम्पूर्ण वर्ष (1984-85) के लिए निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत अधिक होने की आशा है।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ मेलों/प्रदर्शनियों, प्रतिनिधि मण्डलों/मिशनों के आदान-प्रदान विपणन और अध्ययन दलों/सम्मेलनों और गोष्ठियों, में भागीदारी, आदि की मदद से उत्पाद एवं बाजार का विकास करके संवर्धनात्मक उपाय जारी हैं।

औद्योगिक वित्त निगम द्वारा आसान ऋण योजना को उदार बनाया जाना

833. **श्री मोहनलाल पटेल :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक वित्त निगम ने यूनिटों को आधुनिक बनाने के लिए आसान ऋण योजना को उदार बना दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, अन्य अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों के साथ-साथ वर्ष 1976 से पांच चुनींदा उद्योगों अर्थात् चीनी, पटसन, सूती वस्त्र, सीमेंट और कतिपय इंजीनियरी उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए "सुलभ ऋण योजना" की व्यवस्था कर रहा है। सभी उद्योगों के पात्र एककों को इस योजना में

शामिल करने के लिए, पहली जनवरी, 1984 से इसमें संशोधित कर दिया गया। इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें हैं : ऋणों के उदार घटकों की रियायती ब्याज दर, ऋण के सम्बन्ध में परिवर्तनीयता विकल्प से छूट, वसूली-अवधि की शर्त, ऋण ईक्विटी अनुपात के मापदण्डों और प्रवर्तकों के अंशदान के निर्धारण में लचीलापन आदि। इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने की शर्तों में से एक शर्त यह है कि बदली जाने वाली प्रस्तावित मशीनरी दस वर्ष से अधिक समय से इस्तेमाल में लायी गयी है। हाल ही में इस योजना को और उदार बना दिया गया है। ताकि तेजी से परिवर्तित होने वाली परियोजनाओं की प्रोद्योगिकी अथवा ऐसे मामलों में जहां विशेष लाभ प्राप्त होने की सम्भावना हो, मशीनरी के दस वर्ष के उपयोग की शर्त में रियायत दी सकती हो।

गुजरात में व्यापारियों द्वारा छापे गए कागजी सिक्कों का समानान्तर प्रचलन

834. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गुजरात में व्यापारियों द्वारा छपवाई गई समानान्तर कागजी मुद्रा वहां व्यापक प्रचलन में हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या कागजी मुद्रा का मुद्रण और प्रचलन वैध है ; और

(ग) सिक्कों और नोटों की कमी को दूर करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इस प्रकार के समाचार मिले हैं कि कतिपय प्रतिष्ठानों जैसे कि दुकानों, होटलों आदि द्वारा वस्तुओं के लेन-देनों में अपने ग्राहकों को कागज के कूपन जारी किए जा रहे हैं। तथापि, कागजी मुद्रा का बड़े पैमाने पर प्रचलन होने के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) से (घ). जैसाकि ऊपर कहा गया है, होटलों, कैन्टीनों और दुकानों जैसे प्रतिष्ठानों में कागज के कूपनों का प्रचलन उनके लेन-देनों की सुविधाजनक बनाने के लिए हो रहा है, न कि सिक्कों को प्रतिस्थापित करने के लिए। ऐसे कूपन वैध मुद्रा नहीं है और इसके लिए कोई कानूनी कार्यवाही करने के लिए कोई कारण नहीं है।

[हिन्दी]

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा ओवरड्राफ्ट लेना

835. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक से ओवरड्राफ्ट लिया है और प्रत्येक ने वर्ष-वार कितनी राशि ली है ;

(ख) किन-किन राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को उनके द्वारा लिए गए ओवरड्राफ्ट को दीर्घावधि ऋणों में बदलने की अनुमति दी गई है ; और

(ग) इन ओवरड्राफ्टों को ऋणों में बदलने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) छठी योजना के पहले चार वर्षों के अन्त में राज्यों के लिए ओवरड्राफ्टों तथा 14 मार्च, 1985 की स्थिति के अनुसार राज्यों के ओवर-ड्राफ्टों को दर्शाने वाला विवरण एक संलग्न है। चूंकि केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों का रोकड़ शेष केन्द्र सरकार के रोकड़ शेष का भाग होता है इसलिए उनका कोई ओवरड्राफ्ट नहीं होता।

(ख) 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान राज्यों को दिए गए मध्यकालिक ऋणों को

दर्शाने वाला विवरण-दो संलग्न है।

(ग) राज्यों को मध्यकालिक ऋण इसलिए दिए गए थे ताकि वे अपने योजनागत परिव्ययों को उचित रूप दे सकें।

विवरण-एक

(करोड़ रुपये)

राज्य	निम्नलिखित तारीखों को समायोजित ओवरड्राफ्ट			निम्नलिखित तारीख को ओवरड्राफ्ट	
	31-3-81	31-3-82	31-3-83	31-3-84	14-3-1985
1. आंध्र प्रदेश	—	—	—	13.00	190.63
2. असम	33.05	115.43	9.83	60.48	2.71
3. बिहार	—	180.14	204·24	112.40	—
4. गुजरात	17.59	53.60	—	—	25.69
5. हरियाणा	36.01	66.79	48.87	12.63	78.82
6. हिमाचल प्रदेश	—	32.85	3.30	14.70	—
7. जम्मू तथा कश्मीर*					
8. कर्नाटक	14.37	—	4.84	37.26	171.90
9. केरल	—	75.93	—	45.05	222.58
10. मध्य प्रदेश	97.93	130.88	20.27	35.43	21.99
11. महाराष्ट्र	—	36.40	—	—	—
12. मणिपुर	17.49	64.29	13.58	12.71	1.35
13. मेघालय	—	14.11	0.18	2.59	—
14. नागालैण्ड	0.64	19.96	14.94	33.59	8.36
15. उड़ीसा	—	6.43	20.98	—	45.78
16. पंजाब	64.01	79.35	—	47.34	62.10
17. राजस्थान	143.27	271.46	2.07	—	32.72
18. सिकिक्म*					
19. तमिलनाडु	—	—	—	—	—
20. त्रिपुरा	9.46	28.72	1.13	4.57	—
21. उत्तर प्रदेश	—	—	2.00	36.61	195.61
22. पश्चिम बंगाल	93.91	316.96	38.69	62.90	220.16
जोड़	527.73	1493.30	384.92	531.26	1280.40

*भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खाता नहीं चलता है।

विवरण-दो

(करोड़ रुपए)

	राज्य	1982-83	1983-84
1.	आंध्र प्रदेश	18.95	—
2.	असम	127.43	—
3.	बिहार	197.39	169.29
4.	गुजरात	74.60	—
5.	हरियाणा	75.79	19.93
6.	हिमाचल प्रदेश	36.91	—
7.	जम्मू तथा कश्मीर	—	—
8.	कर्णाटक	—	4.84
9.	केरल	93.93	42.26
10	मध्य प्रदेश	154.88	20.27
11.	महाराष्ट्र	81.40	—
12.	मणिपुर	66.29	—
13.	मेघालय	16.41	—
14.	नागालैण्ड	21.96	—
15.	उड़ीसा	24.43	41.00
16.	पंजाब	97.35	21.32
17.	राजस्थान	283.46	48.71
18.	तमिलनाडु	—	55.78
19.	त्रिपुरा	30.72	—
20.	उत्तर प्रदेश	0.85	2.00
21.	पश्चिम बंगाल	340.71	73.72
	जोड़ :	1743.46	499.12

[अनुवाद]

बन्द हो चुके तथा रुग्ण चाय बागानों का अधिग्रहण

836. **श्री आनन्द पाठक :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में बन्द हो चुके तथा रुग्ण बागानों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस प्रकार के चाय बागानों तथा राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर यह स्थित हैं तथा इस प्रकार बन्द होने से कितने कामगार प्रभावित हुए हैं ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन बन्द पड़े तथा रुग्ण चाय बागानों का चाय अधिनियम के अन्तर्गत अधिग्रहण करने का है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). गत लम्बी अवधि से बन्द पड़े अथवा परिव्यक्त बागानों के अलावा जिनमें चाय एककों के रूप में उनके प्रचलन का प्रश्न संगत नहीं है, चाय बोर्ड के पास गत पांच वर्षों में केवल एक ही सम्पदा अर्थात असम में नोनुद्दी के सम्बन्ध में यही जानकारी है। इस बागान में 1980 में चाय के अधीन बंजर भूमि सहित लगभग 50 हेक्टयर क्षेत्र था। चाय की झाड़ियां कामगारों द्वारा उखाड़ी गई बताई गई हैं और अब वे दूसरी फसल लगा रहे हैं। कामगारों की ठीक संख्या सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

लौह-अयस्क पर निर्यात शुल्क को समाप्त/कम करना

837. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने कुछ पत्तनों से लौह-अयस्क पर निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे पत्तनों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने कुछ अन्य पत्तनों से लौह-अयस्क पर निर्यात शुल्क को भी कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उन पत्तनों का ब्यौरा क्या है और उन पत्तनों से निर्यात शुल्क में कितने प्रतिशत कमी की गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). निर्यात शुल्क को जिंसों पर ही लगाया जाता है और इस शुल्क का सम्बन्ध उस बंदरगाह से नहीं होता है जिसके जरिए उन जिंसों का निर्यात किया जाता है। दिनांक 17-3-85 से लौह-अयस्क को शुल्क अदायगी से पूर्ण छूट उस स्थिति में दी गई है जबकि उसका भारत से निर्यात किया जाए।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की अनुमानित लागत

838. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण के 1987-88 तथा द्वितीय चरण के 1991-92 तक पूरा होने की निर्धारित तारीखों को ध्यान में रखते हुए इसकी अनुमानित लागत में संशोधन करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए प्रस्तावों पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ; और

(ग) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के प्रथम चरण को कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए 1985-86 और बाद के वर्षों के दौरान कुल कितना व्यय किए जाने का प्रस्ताव है ?

इस्पात विभाग में राज्य मंत्री (श्री नटवर सिंह) : (क) से (ग). चूंकि विशाखापत्तनम इस्पात

कारखाने के पूर्व लागत अनुमान वर्ष 1981 की चौथी तिमाही के अन्त में प्रवर्तमान मूल्यों के आधार पर तैयार किए गए थे अतः परियोजना प्राधिकारी इस समय अपने परामर्शदाताओं के परामर्श से निर्माण कार्यक्रम की संशोधित समय-सूची तथा मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परियोजना के संशोधित लागत अनुमान तैयार कर रहे हैं।

वर्ष 1985-86 तथा बाद के वर्षों में खर्च की जाने वाली राशि धन की उपलब्धि तथा निर्माण-कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगी।

विशाखापट्टनम के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र की मांग

839. **श्री एस० एम० भट्टम :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से विशाखापट्टनम पत्तन को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो वहां पर क्या सुविधाएं उपलब्ध है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उप अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) क्या सरकार ने मद्रास, बम्बई और कुछ अन्य पत्तनों के संबंध में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की अनुमति दे दी है ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भूमि, जल, विद्युत तथा पत्तन की परिवहन अवस्थापना एवं रेल उपलब्ध है।

(ग) तथा (घ). सरकार ने हाल में चार नये निर्यात प्रोसैसिंग जोनों, मद्रास, फाल्टा (प० बंगाल), कोचीन तथा नोएडा (उ० प्र०) की स्थापना के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इससे पहले कि सरकार किसी अन्य नये जोन की स्थापना पर विचार करे, इन चार जोनों के कार्य-निष्पादन की जांच की जाएगी।

पटसन नीति

840. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार की पटसन संबंधी नीति क्या है ; और

(ख) उक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). पटसन क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति की मुख्य बातें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(i) कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास एवं विस्तार कार्यकलापों के जरिए कच्चे पटसन की प्रति हैक्टार उपज बढ़ाना।

(ii) कीमत समर्थन कार्यकलापों के माध्यम से पटसन उपजकर्त्ताओं के लिए लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करना।

(iii) आधुनिकरण करके तथा लागत घटाकर पटसन उद्योग की उत्पादन क्षमता तथा कार्य-कुशलता बढ़ाना।

(iv) श्रमिकों के हित की रक्षा करने के लिए रुग्ण पटसन मिलों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम

तैयार करना।

(v) उत्पाद की किस्म बनाए रखना तथा पटसन माल विनिर्माताओं को लाभकारी कीमत दिलाने एवं पटसन माल के लिए मांग बढ़ाने के लिए लागत और नियत लाभ के आधार पर खाद्यान्न की पैकेजिंग के लिए पटसन की बोरियों की केन्द्रीकृत अर्थप्राप्ति की प्रणाली जारी रखना।

(vi) पटसन माल के निर्यात बढ़ाने के लिए नकद मुआवजा तथा संवर्धनात्मक समर्थन देना।

(vii) पटसन क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास संबंधी कार्यकलाप तीव्र करना।

(viii) पटसन क्षेत्र के विश्व व्यापी विकास तथा पटसन के सामान्य संवर्धन के लिए कार्य करना।

स्थानान्तरित मजदूरों को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना

841. **श्री अजीत कुमार साहा : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कोयला खान मजदूर सभा आसनसोल, पश्चिम बंगाल से ऐसी शिकायतें मिली हैं कि विभिन्न कोयला खानों के स्थानान्तरित मजदूरों को चिकित्सा, पेयजल, ईंधन आदि जैसी आधारभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार कोयला खानों के स्थानान्तरित मजदूरों को यह आधारभूति सुविधाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा रही हैं ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भवन-निर्माताओं आदि के परिसरों पर आयकर छापे

842. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काले धन का पता लगाने और देश में समानान्तर अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के अपने व्यापक अभियान को जारी रखते हुऐ गत छः महीनों के दौरान आयकर अधिकारियों ने भारत के विभिन्न नगरों में भवन-निर्माताओं, वस्तुविदों, वणिकों और व्यापारियों के कुछ व्यापारिक तथा रिहायशी परिसरों पर छापे मारे हैं ;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख). 1-9-1984 से 28-2-1985 तक की अवधि के दौरान, आयकर विभाग ने 2091 तलाशियां लीं जिनमें प्रथमदृष्टया लगभग 12.42 करोड़ रुपए मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ी गयीं।

मामलों की भारी तादाद को देखते हुए, सभी मामलों के ब्यौरे देना व्यवहार्य नहीं है। तथापि, यदि माननीय सदस्य किसी मामले/तलाशी विशेष के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो वह प्रस्तुत की जा सकती हैं।

कोयला उद्योग की समस्यायें

843. **श्री के० प्रधानी : क्या इस्पात, खान और कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कोयला निकालने, कोयला की घटिया किस्म, कोयले की ढुलाई, खनन

तकनीकों का आधुनिकीकरण तथा अन्य संबंधित समस्याओं की ओर नये सिरे से विचार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ;

(ग) क्या उन्होंने एक दूसरे को अपनी समस्याओं से अवगत कराने के लिए उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच निःसंकोच तथा स्पष्ट बातचीत प्रारम्भ करने की वांछनीयता पर भी विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए इन बातचीतों में क्या विभिन्न सुझाव दिए गए ?

इस्पात, खान और कोयला मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख). कोयला उद्योग के विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा सरकार लगातार करती रहती है। इन पहलुओं में यह बातें शामिल हैं— कोयला उत्पादन, परिवहन, कोयले की किस्म, खनन तकनीकों का आधुनिकीकरण आदि। कोयला कम्पनियों को निदेश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि बिजली घरों और अन्य उपभोक्ताओं को ठीक किस्म का कोयला सप्लाई किया जाए।

रेलवे, विद्युत विभाग और कोयला कंपनियों के बीच हुई हाल ही की चर्चा के परिणाम-स्वरूप बिजली घरों और अन्य उपभोक्ताओं को सप्लाई किए जा रहे कोयले की किस्म संबंधी शिकायतों में कमी आई है। इसी प्रकार, अन्य विभिन्न उपभोक्ता क्षेत्रों को भी कोयले के परिवहन और सप्लाई में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ). हाल ही में दिनांक 15-2-1985 को कोयला सलाहकार परिषद् की बैठक हुई थी जिसमें अन्य व्यक्तियों के साथ-साथ कोयला उत्पादकों और उपभोक्ता के प्रतिनिधि शामिल थे। इस बैठक का उद्देश्य कोयला उद्योग की समस्याओं के संबंध में मुक्त हृदय से स्पष्ट चर्चा करना था। इसी प्रकार, ताप बिजलीघर, ईंट निर्माताओं और अन्य उपभोक्ता क्षेत्रों के साथ भी समय-समय पर चर्चाएं की जाती हैं जिनका उद्देश्य यह है कि एक दूसरे की समस्याओं को समझा जा सके और उपभोक्ताओं को सप्लाई होने वाले कोयले की किस्म और मात्रा में सुधार किया जा सके।

इन चर्चाओं के दौरान कोयला सप्लाई की किस्म सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुझाव प्राप्त हुए हैं। यह इस प्रकार हैं :—

(1) कोयले को सही आकार देकर सही ग्रेड भी दिया जाए ताकि सही उपभोक्ता को सही प्रकार का कोयला सप्लाई हो।

(2) जिन कोलियरियों में अभी कोयला रख-रखाव संयंत्र नहीं है वहां आदमी लगाकर कंकड़ पत्थर और अन्य फालतू सामग्री कोयले से निकालने के लिए सघन प्रयास किए जाएं।

(3) समझौते के आधार पर उपभोक्ता क्षेत्रों को कोयला सप्लाई से संयुक्त नमूने लिए जाएं ताकि कोयला सप्लाई सहमत परिमापों के अनुरूप हो सके।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शीर्ष अधिकारियों के रूप में तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति

844. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तकनीकी विशेषज्ञों को सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के शीर्ष पदों पर नियुक्त करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों उद्यमों में शीर्ष पदों पर गैर-तकनीकी विशेषज्ञों को न रखने के निर्णय में कोई परिवर्तन किया जायेगा ; और

(ग) इस समय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष पदों पर विद्यमान गैर-तकनीकी विशेषज्ञों की संख्या कितनी है तथा उनके पदों पर बने रहने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग). सरकार ने केवल "तकनीकी विशेषज्ञों" को ही सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में शीर्ष पदों पर नियुक्त करने की कोई प्रबुद्ध नीति सम्बन्धी निर्णय नहीं किया है । सरकारी उद्यमों के मुख्य कार्यपालकों के पदों पर नियुक्तियां प्रत्येक विशिष्ट पद की कार्य सम्बन्धी आवश्यकताओं के आधार पर की जाती हैं तथा इसके लिए चयन की मुख्य कसौटी है कार्य विशेष के लिए उम्मीदवारों की सुयोग्यता, उनकी अर्हतायें और अनुभव; विशिष्ट सेवा-वृत्त, बहु-विषयक दल को दिशा निर्देश देने के लिए नेतृत्व के गुण, पहल, अभियान आदि की क्षमता ।

सरकारी उद्यम अन्य बातों के साथ-साथ व्यापारिक तथा विपणन कारोबार, परिवहन, पर्यटन और वित्तीय सेवा प्रदान करने में लगे हुए हैं । ऐसे किसी उद्यम के मुख्य कार्यपालक के पद पर तथा-कथित "तकनीकी विशेषज्ञ" की नियुक्ति स्वतः उपयुक्त नहीं होगी । इन परिस्थितियों में सरकारी उद्यमों में शीर्ष पदों पर वर्तमान "गैर-तकनीकी विशेषज्ञों" की संख्या बताना भ्रामक सिद्ध हो सकता है ।

बम्बई की मैसर्स मेहर कार्पोरेशन द्वारा बैंकों के साथ धोखाधड़ी

845. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक आफ बड़ौदा, स्टेट बैंक आफ पटियाला तथा पंजाब और सिंध बैंक को बम्बई की मैसर्स मेहर कार्पोरेशन के मालिकों द्वारा लगभग 10 करोड़ रुपये को धोखा दिया गया है ;

(ख) क्या दोषी फर्म के विरुद्ध बम्बई न्यायालयों में आपराधिक और सिविल मुकदमे दायर कर दिए गए हैं ;

(ग) यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) इस लेन-देन से सम्बन्धित बैंक-कर्मचारियों का ब्यौरा और ओहदे क्या है ;

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(च) इस मामले में क्या कोई अन्य कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि खरे ग्रुप की कम्पनियों में से मैसर्स मेहर कारपोरेशन नामक एक कम्पनी ने सरकारी क्षेत्र के छः बैंकों और चार विदेशी बैंकों अर्थात् दस बैंकों के साथ बहुत बड़ी रकम की धोखाधड़ी की है ।

(ख) से (ङ). केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने मैसर्स मेहर कारपोरेशन और उसके तीन भागीदारों के खिलाफ बम्बई की एक अदालत में फौजदारी मुकदमे दायर किए हैं । जहां बैंक आफ बड़ौदा और पंजाब एण्ड सिंध बैंक ने अपनी बकाया रकमों की वसूली के लिए ऋणकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है, वहां स्टेट बैंक आफ पटियाला शीघ्र ही मुकदमा दायर करने जा रहा है ।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के निष्कर्षों के प्रकाश में बैंक अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे ।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने इन लेनदेनों की जांच की है और इस सम्बन्ध में सभी बैंकों के नाम उचित मार्ग-निर्देश जारी कर दिए हैं । जांच के परिणामस्वरूप पाई गई अनियमितताओं की ओर बैंकों का ध्यान आकर्षित किया गया है ताकि इस सम्बन्ध में आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके ।

[हिन्दी]

व्यापारियों द्वारा बैंकों के साथ धोखा

846. **श्री पीयूष तिरकी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि कई राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ बड़े पैमाने पर धोखा किया गया है जिसमें कई व्यापारियों ने फर्जी नामों और जाली आंकड़ों के आधार पर करोड़ों रुपए मूल्य के ऋण प्राप्त कर लिए और इन ऋणों के वसूल होने की कोई सम्भावना नहीं है ;

(ख) ऐसे मामलों में लिप्त बैंक अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं कि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो ; और

(घ) देश में और विदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा वितरित किये गए ऐसे ऋणों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ). बैंक धोखाधड़ियों के सभी मामलों की सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को देते हैं जो उनकी रिपोर्टों की जांच करता है और अनुवर्त्ती कार्रवाई करता है । भारतीय बैंक के विश्लेषणों से पता चलता है कि 1984 में धोखाधड़ी की जो बड़ी बड़ी वारदातें हुई वे अग्रिमों के अन्तर्गत हुई कई मामलों में यह धोखापूर्ण लेन-देन परिचालन नियंत्रण के विषय में बैंकों के कर्मचारियों की कोताही के कारण हुए । 1982-84 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में हुई धोखाधड़ियों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	धोखाधड़ी के मामलों की सं०	रकम (करोड़ रु०)	दण्डित कर्मचारियों की सं०
1982	2065	19.44	528
1983	2360	29.62	609
1984	2410	38.39	338

(30-6-84 तक आंकड़े अंनतिम हैं)

भारतीय रिजर्व बैंक के विश्लेषण से यह निष्कर्ष निकलता है कि ये घोटाले मुख्य रूप से बाहरी तत्वों के कारण होते हैं । ये तत्व प्रतिभूति की झूठी घोषणा, रकमों का अन्य कार्यों के लिए उपयोग, जाली लारी/रेल रसीदें, बैंक की जानकारी के बिना प्रतिभूति के निपटान, जाली ड्राफ्टों, झूठे चैकों आदि का सहारा लेते हैं । इन धोखाधड़ियों में, बैंक के कर्मचारियों द्वारा निर्धारित प्रणालियों तथा विधियों का कड़ाई से पालन किए जाने के मामले में ढील/सांठ-गांठ के कारण मदद मिलती है । गत वर्षों में बैंकों की शाखाओं के कारोबार में बड़े पैमाने पर हुए विस्तार से निपटने के लिए प्रबन्ध व्यवस्था और नियंत्रण तथा निगरानी तन्त्रों को मजबूत बनाने पर आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया । अब भारतीय रिजर्व बैंक धोखाधड़ी पर अधिकाधिक ध्यान दे रहा है बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ी की वारदातों की क्रियाविधि की जांच की जाती है और इसके परिणामस्वरूप पाई गई त्रुटियों को दूर करने के लिए निवारक उपाय करने के वास्ते समय-समय पर बैंकों का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । बैंकों को अपने सतर्कता तंत्र की समीक्षा करने और उसे मजबूत बनाने, नियंत्रण और पर्यवेक्षण को स्वस्थ बनाने के लिए तत्काल उपाय करने, प्रबन्ध सूचना प्रणाली को मजबूत बनाने, निरीक्षण लेखा परीक्षा प्रबन्धों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई करने तथा लेखा पुस्तकों को संतुलित करने के बकाया काम और अंतरशाखा तथा अन्य खातों के मिलाने के काम को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने का परामर्श

दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी और कदाचारों की संम्भावनाओं को समाप्त करने के लिए समय-समय पर व्यापक मार्ग-निर्देश जारी किए हैं। बैंकों को यह भी परामर्श दिया गया है कि वे कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितताओं को गम्भीरता से लें और दोषी स्टाफ सदस्यों को निवारक दण्ड दें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करें कि विभागीय जांच भी पूरी हो। बैंक धोखाधड़ियों के मामलों को हर साल समीक्षा करते हैं और अपनी समीक्षा टिप्पणियों को निदेशक बोर्डों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इसके अलावा, धोखाधड़ी के बड़े-बड़े मामलों की जांच करने और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक में एक विशेष जांच कक्ष स्थापित किया गया है।

[अनुवाद]

विश्व बैंक से भारतीय रेल को मिलने वाले ऋण की शर्तें

847. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने भारतीय रेल के लिए बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु क्या शर्तें निर्धारित की हैं ;

(ख) भारतीय रेल ने विश्व बैंक से कुल कितनी धनराशि का ऋण लिया है ; और

(ग) क्या बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों में भारत के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने जैसी शर्त नहीं है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रेलवे को विश्व बैंक से मिलने वाले ऋण मानक शर्तों पर प्राप्त होते हैं, अर्थात (i) ऋण की समय-समय पर निकाली गई और बकाया मूलधन राशि पर ब्याज प्रत्येक अवधि के लिए ऐसी वार्षिक दर से ब्याज लगता है जो ब्याज की उस अवधि के प्रारम्भ होने से पूर्व समाप्त होने वाले पिछले सेमेस्टर के लिए रशर्त ऋणों की लागत से 1/2 प्रतिशत प्रतिवर्ष अधिक होती है (इस समय ब्याज की दर 9.29 प्रतिशत प्रतिवर्ष है) ; (ii) ऋण की समय-समय पर न निकाली गई मूलधन की राशि पर 0.75 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से वचनबद्धता प्रभार लगता है और (iii) ऋण की वापसी अदायगी 5 वर्षों की रियायती अवधि के साथ 20 वर्षों में करनी होती है।

रेलवे विद्युतीकरण और कार्यशाला आधुनिकीकरण परियोजना के सम्बन्ध में 25 मई, 1984 को विश्व बैंक के साथ 28.07 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रचालन सम्बन्धी सूचना प्रणाली को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में रेलवे की सहायता करने के लिए सहयोगी पक्ष का चयन और उसकी नियुक्ति बैंक द्वारा ऋण करार की प्रभावकारिता की शर्त के रूप में विनिर्दिष्ट की गई है।

बातचीत के दौरान सम्मत और ऋण करार में समाविष्ट अन्य प्रसंविदाओं में ये शामिल हैं :

(i) ऋणकर्ता (भारत सरकार) यात्री किराए और माल भाड़े की दरों को एक निश्चित स्तर पर बनाए रखेगा और ऐसी अन्य सभी प्रकार की आवश्यक अथवा उपयुक्त कार्रवाई करेगा जिससे रेलवे को इस दृष्टि से पर्याप्त निवल राजस्व प्राप्त हो सके कि वह प्रतिवर्ष सभी प्रचालन व्ययों और निवेश की गई पूंजी पर लाभांश की अदायगी करने की राशि को आन्तरिक रूप से जुटाए गए साधनों से पूरा कर सके।

(ii) ऋणकर्ता (भारत सरकार) इस बात को सुनिश्चित करने का जिम्मा लेगा कि : (क)

1985 से 1989 तक के राजकोषीय वर्षों के सम्बन्ध में रेलवे की मूल्यह्रास आरक्षित निधि की व्यवस्थाएं कम से कम राजकोषीय वर्ष 1984 के सम्बन्ध में की गई व्यवस्थाओं के बराबर अवश्य होंगी ; और (ख) प्रशिक्षण कार्यक्रमों को चलाने के लिए पर्याप्त बजटीय राशि की व्यवस्था की जाएगी।

(ख) विश्व बैंक ने अभी तक 176.72 करोड़ संयुक्त राज्य अमेरिकी डालर की कुल सहायता प्रदान की है जो 16 रेलवे परियोजनाओं के लिए ऋण उधार के रूप में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

सूती कपड़ा उद्योग की दशा में सुधार करने के उपाय

848. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **वाणिज्य और पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल में कपड़ा उद्योग सम्बन्धी परामर्शदात्री परिषद की बैठक को सम्बोधित किया था ;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन मुद्दों पर विचार किया गया तथा क्या निर्णय लिये गए; और

(ग) सूती कपड़ा उद्योग जो इस समय खराब स्थिति में है और जिसके परिणामस्वरूप अनेक मिलें बन्द हो गई हैं तथा हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, की दशा में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कपड़ा उद्योग सम्बन्धी केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति की 9 मार्च, 1985 को हुई बैठक में कपड़ा उद्योग की पुनर्स्थापना सहित, कपड़ा उद्योग, हथकरघा तथा खादी क्षेत्रों के विकास, कपड़ा उद्योग में चालू रुग्णता का मुकाबला करने के लिए उपायों, कपड़ा निर्यातों के विकास, कच्चे माल की जरूरतों का सामना करने के लिए उपायों और जूट उद्योग के विकास सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया और परामर्शदात्री परिषद् के विचार प्राप्त किए गए। सरकार कपड़ा नीति तैयार करते समय इन विचारों को ध्यान में रखेगी।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सूती कपड़ा उद्योग में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। कुछ प्रमुख उपाय निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सुलभ-ऋण सहायता जो कि कपड़ा उद्योग को भी उपलब्ध है, 4 करोड़ रु० तक के ऋण कमजोर एककों के लिए उदार बना दी गई है।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बिल में छूट सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत सीमा एक करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ रु० कर दी गई है।

(ग) कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कपड़ा मशीनरी चुनिन्दा मदें, जिनका कि हमारे देश में विनिर्माण नहीं हो रहा है, खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत आयात करने की अनुमति है।

(घ) सूती यार्न तथा फैब्रिकों पर उत्पाद शुल्कों की समीक्षा का यौक्तिकरण कर दिया गया है।

(ङ) पोलिएस्टर ब्लेन्डड यार्न और फैब्रिकों की कतिपय किस्मों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिए गए हैं।

(च) भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण जरूरतों के निर्धारण सम्बन्धी मानदण्ड उदार बना दिए हैं।

तस्करों की गतिविधियां

849. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तस्करों की संगठित और शक्तिशाली गतिविधियों की रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं ;

(ख) दिल्ली में गत पांच वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की हेरोइन पकड़ी गई ; और

(ग) क्या इस घातक पदार्थ (ड्रग) की इस शहर में आने वाली मात्रा बढ़ती जा रही हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) तस्करों के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया गया है। सीमा शुल्क के क्षेत्रीय कार्यालयों को तस्करी की गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने के अनुदेश दे दिए गए हैं और तस्करों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही किए जाने के साथ-साथ न्यायालय में मुकदमे चला कर भी सख्त कार्यवाही की जाती है। उपयुक्त मामलों में, कोफेपोसा अधिनियम के अधीन नजरबन्द भी की जाती है। तस्करी की आशंका वाले क्षेत्रों में सीमा शुल्क विभाग के निवारक तथा आसूचना तंत्र को, कर्मचारियों और उपकरणों की दृष्टि से सुदृढ़ बना दिया गया है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ ताल-मेल स्थापित करके समुचित तस्करी-निवारण उपाय किए जाते हैं। मामले में समुचित कार्यवाही करने के लिए उसकी सतत् समीक्षा भी की जाती है।

(ख) दिल्ली में वर्ष 1980 से 1984 के दौरान अभिगृहीत की गई हेरोइन की मात्रा इस प्रकार है :

वर्ष	मात्रा (किलो ग्राम में)
1980	0.900
1981	3.400
1982	9.699
1983	55.701
1984*	53.765

*आंकड़े अनन्तिम हैं।

जहां तक अभिगृहीत की गई हेरोइन के मूल्य का सम्बन्ध है, नारकोटिक द्रव्यों के गैर-कानूनी बाजार मूल्यों में मुख्यतया उनकी विशुद्धता, विक्रय के स्थान, स्थानीय मांग और सप्लाई की स्थिति आदि

जैसे विभिन्न पहलुओं के कारण अन्तर होता है। ऐसे गुप्त लेन-देन के लिए किसी प्रामाणिक मूल्य के न होने के कारण इसका ठीक-ठीक मूल्य नहीं बताया जा सकता।

(ग) सरकार को प्राप्त हुई रिपोर्टों और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि पश्चिमी देशों को हेरोइन की होने वाली तस्करी हेतु दिल्ली एक मार्गस्थ प्वांइट और आशंका वाला क्षेत्र बना हुआ है।

1.30 रु० प्रति बिन्दु के महंगाई भत्ता फार्मूले की पुनरीक्षा

850. **श्री अजय विश्वास :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रति बिन्दु 1.30 रु० के वर्तमान महंगाई भत्ता फार्मूले की पुनरीक्षा के लिए कोई समिति गठित की है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसकी कितनी बैठक हुई हैं और इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) केन्द्रीय सरकार की ओर से समिति के समक्ष क्या प्रस्ताव रखा गया है ; और

(घ) समिति द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक दी जाएंगी ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में कर्मचारियों के महंगाई भत्ता सूत्र की समीक्षा करने के लिए त्रिपक्षीय समिति की 28 फरवरी, 1985 तक ग्यारह बैठकें हो चुकी हैं। चूंकि इस समिति द्वारा अभी विचार-विमर्श जारी है, इसलिए इस स्थिति में उसका ब्यौरा बताना जनहित में नहीं होगा।

(घ) आशा है कि समिति अपनी सिफारिशें यथा शीघ्र प्रस्तुत करेगी।

कोल-गैसिफिकेशन परियोजनाएं स्थापित करना

851. **श्री पूर्णचन्द्र मलिक :**

श्री अजित कुमार साहा :

क्या **इस्पात, खान और कोयला मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई कोलगैसिफिकेशन परियोजना स्थापित की गई है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पूर्वी क्षेत्र में इस प्रकार की कोई परियोजना स्थापित करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात, खान और कोयला मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ). सरकार ने जुलाई, 1980 में 1500 टन प्रतिदिन कच्चे कोयले के कार्बनीकरण के लिए दानकुनी में कम ताप कार्बनीकरण संयंत्र लगाने की स्वीकृति दी थी। इससे जिन सामग्रियों का उत्पादन करने का विचार था वह हैं : 18-20 मिलियन घन फीट गैस प्रतिदिन, 990 टन

धुआं रहित कोक प्रतिदिन, 30,000 टन तार प्रतिवर्ष और अन्य उत्पाद यथा—अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, आदि। संयंत्र का निर्माण चल रहा है संयंत्र उत्पादित धुआँ रहित कोक और गैस की सप्लाई कलकत्ता क्षेत्र में की जाएगी।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष महोदय : मैं यह देख रहा हूं कि अनेक माननीय सदस्य उठ खड़े हुए हैं। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं वे अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो कोई कुछ कहना चाहता है वह मेरी अनुमति के बाद कह सकता है। माननीय सदस्यगण एक-एक कर बोलें, इस तरह नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : कृपया हम लोगों का एक-एक कर नाम बुलाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों का एक-एक कर नाम बुलाऊंगा। श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा दिया गया ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मुझे प्राप्त हो गया है। इसके सम्बन्ध में मुझे श्री वासुदेव आचार्य और श्री० बी० बड्डे, सोभनाद्री सवरा राव के नाम भी मिल गये हैं। इस बारे में माननीय मन्त्री महोदय मध्याह्न पश्चात् एक वक्तव्य देंगे। इसलिए हमें उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि आप सभी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) : उसके बाद क्या होता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा। मैं सभी सूचनाओं पर विचार करूंगा। कृपया बैठ जाएं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले के बारे में मैंने एक सूचना भेजी थी···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अगले सप्ताह के लिए स्वीकार करने के बारे में विचार करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि यह मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित है। मैं इस समाचार का हवाला देना चाहता हूं कि अहमदाबाद में दो उद्योगपति गिरफ्तार किए गए हैं·····

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। समाचार-पत्र अनेक बातें कहते हैं। हमें नहीं पता कि ये सच्ची हैं या नहीं। मुझे तथ्यों का पता लगाना पड़ेगा।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, यह एक नया आयाम·····(**व्यवधान**)

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा **(व्यवधान)****

संसदीय कार्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : माननीय मन्त्री महोदय यहां मौजूद हैं। वह अभी वक्तव्य देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय मन्त्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं।

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : उपाध्यक्ष महोदय, वक्तव्य मेरे पास तैयार है। किन्तु मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्यों को उस वक्तव्य की प्रति परिचालित नहीं कर सका। वक्तव्य की प्रतियां शीघ्र ही तैयार हो जाएंगी और मैं चार बजे वक्तव्य दूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मैं आपका विनिर्णय चाहता हूं। **(व्यवधान)**

महोदय, वह सोवियत राजनायिकों के बारे में कह रहे हैं और मैं उद्योगपतियों की गिरफ्तारी के बारे में कह रहा हूं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर ध्यानार्कषण प्रस्ताव को अगले सप्ताह के लिए स्वीकार करने के बारे में विचार करूंगा।

(व्यवधान)**

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह क्या वक्तव्य देना चाहते हैं? माननीय गृह मन्त्री वक्तव्य देना चाहते हैं। हम उसे सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त : गृह मन्त्री कलकत्ता के बारे में वक्तव्य दे रहे हैं समाचार-पत्रों में कलकत्ता के बारे में कोई समाचार छपा है·····

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब कोई भी बात कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं की जा रही है। मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : अब, मैं माननीय गृह मन्त्री को अपना वक्तव्य देने के लिए आमन्त्रित करता हूं।

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के दूतावास के एक कर्मचारी की हत्या के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : 21 मार्च को दिल्ली पुलिस नियन्त्रण कक्ष में 12.21 बजे एक सन्देश प्राप्त हुआ कि अकबर होटल, चाणक्यपुरी के पास एक राजनयिक कार पर गोली

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चलाई गई है। उसके तुरन्त बाद दिल्ली पुलिस कक्ष का एक वाहन घटना स्थल पर पहुंचा। पुलिस आयुक्त अतिरिक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस उप-आयुक्त सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर गये।

जांच-पड़ताल से मालूम हुआ कि लगभग 12.00 बजे सोवियत रूस दूतावास के आर्थिक विभाग में स्टाफ के सदस्य श्री वी० खित्रिनचेंको को अपनी पत्नी के साथ दूतावास की कार सं० 75-सी० डी० 224 में खरीददारी करने के बाद यशवन्त प्लेस से अपने कार्यालय की ओर जा रहे थे। जब कार रोज गार्डन के सामने सत्य मार्ग पर पहुंची, तो शान्ति पथ से लगभग 200 गज़ सत्य मार्ग के "आस-पास काले रंग की यजदी मोटर साइकिल पर सवार दो युवकों ने रूसी दूतावास की कार पर गोलियां चलाई। लगभग 5 राऊंड गोलियाँ चलाने के बाद मोटर साइकिल पर सवार व्यक्ति चन्द्रगुप्त मार्ग की ओर भाग गए। गोलियां चलने में श्री० वी० खित्रितचेंको गोलियों से गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरन्त डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उन्हें चार गोलियां लगी थीं। उनकी पत्नी और ड्राइवर गोलियां लगने से बच गए परन्तु उन्हें वाहन के विन्ड स्क्रीन तथा शीशों के टूटने से मामूली चोट लगी। ड्राइवर के अनुसार, मोटर साइकिल पर कोई रजिस्ट्रेशन नम्बर नहीं था। मोटर साइकिल पर पीछे बैठे आक्रमणकारी ने गोलियां चलाई थीं।

पुलिस ने मामले की तुरन्त जांच-पड़ताल शुरू की। हमलावरों को पकड़ने के लिए चारों ओर सतर्क रहने का सन्देश भेजा गया है। पुलिस द्वारा जांच पड़ताल और आगे की कार्यवाही की जा रही है।

यह अत्याधिक दुःख का मामला है कि अन्ततः एक ऐसी घटना घटी जिसमें एक विदेशी दूतावास का कर्मचारी शामिल है। दूतावास क्षेत्रों में पुलिस की कुमक बढ़ाने और सुरक्षा की व्यवस्था कड़ी करने के लिए आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। हमलावरों को पकड़ने के लिए सभी प्रयास करने हेतु पुलिस को निदेश दिए गए हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : कलकत्ता के बारे में क्या निर्णय है? प्रधान मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है कि··· ···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सूचना दीजिए और मैं इस पर विचार करूंगा। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में सूचना दीजिए और मैं उस पर विचार करूंगा।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अध्यादेश, 1985 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक विवरण

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं भोपाल गैस विभीषिका (दावा कार्यवाही) अध्यादेश, 1985 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारणों को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० डी० 545/85]

दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा, उपरोक्त पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित-लेखे

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) (एक) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 38 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा 37 की उप-धारा (7) के अन्तर्गत, दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी लेखाओं के बारे में भारत के नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक के लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) दिल्ली वित्तीय निगम के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 546/85]

(3) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 48 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के वर्ष 1983-84 के सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित-लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए सं० एल० टी० 547/85]

जूट विनिर्मित विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम 1984 जूट विनिर्मित उपकर नियम, 1984 कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं श्री पी० ए० संगमा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) जूट विनिर्मित विकास परिषद अधिनियम, 1983 की धारा 25 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, जूट विनिर्मित विकास परिषद (प्रक्रिया) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 15 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 658 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 548/85]

(2) जूट विनिर्मित उपकर अधिनियम, 1983 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, जूट विनिर्मित उपकर नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो

15 सितम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 659 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 549/85]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 550/85]

(5) (एक) भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय निर्यात संगठनों का महासंघ, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 551/84]

(6) (एक) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में विलंब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 552/85]

(8) (एक) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 की वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन।

(तीन) चपड़ा निर्यात संवर्धन परिषद्, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में विलंब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 553/85]

(10) (एक) प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखपरीक्षत लेखे।

(दो) प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब होने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 554/85]

(12) (एक) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षत लेखे।

(दो) भारतीय रेशम निर्यात संवर्धन परिषद, बम्बई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(13) उपर्युक्त (12) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 555/85]

(14) निर्यात निरीक्षण परिषद तथा निर्यात निरीक्षण एजेंसी, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी* वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखों के अंग्रेजी संस्करण के शुद्धि पत्र की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 556/85]

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 मार्च, 1985 को हुई सपनी बैठक में पारित स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1985 को एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

---

*(वार्षिक प्रतिवेदन तथा परीक्षित लेखे 30 जनवरी, 1985 को सभा पटल पर रखे गए।)

स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1985

राज्य सभा द्वारा यथापारित

[अनुवाद]

महासचिव : श्रीमन्, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1985 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

12.08 म० प०

सरकारी विधेयक

[अनुवाद]

(एक) सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1985*

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि सम्पदा-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय। प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

(दो) संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1985**

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ—उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) संशोधन अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*दिनांक 22-3-85 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग 2 खण्ड 2 में प्रकाशित।

**दिनांक 22-3-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

(तीन) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1985*

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

12.10 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

(एक) तालचर कोयला क्षेत्रों तथा इन घाटी कोयला क्षेत्रों को कोल इंडिया लिमिटेड की एक पृथक सहायक कम्पनी, जिसका मुख्यालय उड़ीसा में हो, के अधीन लाने की आवश्यकता

श्री हरिहर सोरन (क्योंझर)** : देश में कोयले के कुल उत्पादन का करीब 3% उड़ीसा में होता है।

एक माननीय सदस्य : श्रीमन्, सुनाई नहीं दे रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया माइक के नजदीक आ जाइये।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : आप माइक व्यवस्था ठीक क्यों नहीं करवाते हैं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसको देखेंगे।

श्री हरिहर सोरन : देश में कोयले के कुल उत्पादन का करीब 3% उड़ीसा में निकाला जाता है। राज्य में तालचर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों का क्षेत्रफल करीब 3,000 वर्ग कि०मि० है। अब तक कुल कोयला क्षेत्र के केवल 10% क्षेत्र में खनन हो रहा है और ऐसा अनुमान है कि राज्य में 5,800 मिलियन टन कोयले का भण्डार मौजूद है। हाल ही में की गई खनन गतिविधियों से पता चलता है कि वर्तमान तालचर कोयला खनन क्षेत्र के पश्चिम की ओर कोयले की मोटी तह मौजूद है। सुन्दरगढ़ जिले के गोपालपुर क्षेत्र के आस-पास काफी मात्रा में कोयले के भण्डार मौजूद होने के आसार नजर आये हैं। इसमें ज्यादातर कोयला कम प्रयत्नों/खर्च से ही निकाला जा सकता है। चूंकि उड़ीसा में उपलब्ध कोयला

---

*दिनांक 22-3-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

**उड़िसा में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

क्यूंकि उष्मीय ग्रेड (श्रेणी) का है, इसलिए कोयले के भण्डार के विकास तथा उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। परन्तु यह देखा गया है कि उड़ीसा में उपलब्ध कोयले से लाभ उठाने की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया गया है। उड़ीसा में कोयले के क्षेत्रों के विकास की ओर पर्याप्त ध्यान न दिए जाने का मुख्य कारण है कि तालचेर कोल फील्ड्स तथा इब वैल्ली कोल फील्ड्स, दो विभिन्न कोयला कम्पनियों के अधीन कार्य कर रही हैं। मेरा अनुरोध है कि उड़ीसा में कोयले के क्षेत्रों का क्रमबद्ध तथा शीघ्र सन्दोहन करने के लिए तथा उसमें समन्वय और कार्यकुशलता लाने के लिए राज्य के यह दोनों कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का प्रशासनिक नियन्त्रण, कोल इण्डिया लिमिटेड की एक अलग आनुषंगिक कम्पनी जिसका मुख्यालय उड़ीसा में हो, के हाथों में दे दिया जाए।

(दो) स्वतन्त्रता सेनानी वीर सुरेन्द्र साई को स्मृति में एक स्मारक डाक-टिकट जारी करने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : वीर सुरेन्द्र साई हमारे देश के अग्रणी स्वतन्त्रता सेनानियों में से एक थे। सन् 1827 में उन्होंने छत्तीसगढ़ तथा साम्बलपुर क्षेत्रों में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया। जो काफी लम्बे समय तक चलता रहा जिसने विदेशी शासन को मुकाबले की स्थिति में रखा। अंग्रेजों के विरुद्ध अथक लड़ाई के कारण सुरेन्द्र साई को 27 वर्ष का कारावास दिया गया तथा 1884 में अपने जन्मस्थान, सम्बलपुर से काफी दूर असुरगढ़ के किले की जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेजी सामम्राज्य के विरुद्ध निरन्तर लड़ाई के कारण सुरेन्द्र राय ने अपने 75 वर्षों के जीवन के आधे वर्ष अंग्रेजों की जेलों में बिता दिए। वह सन् 1809 से 1884 तक जिन्दा रहे। उनकी देशभक्ति तथा वीरता बेमिसाल है।

लेकिन यह बड़े खेद का विषय है कि इस राष्ट्रीय नेता को इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था अभी तक नहीं मिला। राज्य सरकार द्वारा बनाई गई वीर सुरेन्द्र साई मृत्यु शताब्दी समिति ने उनके योगदान तथा महानता को उजागर करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। लेकिन इस समिति प्रस्तावों के तथा इस महान नेता की याद में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की प्रार्थना पर अभी तक संचार मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।

चूंकि अब बहुत देर हो चुकी है अर्थात् यह तो अभी तक हो जाना चाहिए था। संचार मंत्रालय को वीर सुरेन्द्र साई की यादगार में स्मारक डाक-टिकट जारी करने में अब विलम्ब नहीं करना चाहिए।

(तीन) पश्चिम जर्मनी में हजारों गायों की कथित हत्या को रोकने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता

श्री एन० बी० रत्नम (तेनाली) : समाचार पत्रों में यह छपा है कि पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने दूध के अत्यधिक उत्पादन को कम करने की दृष्टि से अपनी 2,60,000 गायों को मारने का फैसला किया है। जबकि अफ्रीका तथा एशिया में बच्चे दूध के बिना मर रहे हैं। भारतवासियों की दृष्टि में यह अमानवीय कृत्य है। सारे देश में इसके विरुद्ध समान रूप से आवाज उठाई जा रही है। तमिलनाडु सरकार ने अपने यहां दूध की मांग बढ़ाने के लिए वहां की जनता के धार्मिक भावनाओं को शान्त करने के लिए तथा गरीब किसानों की मद्द के लिए, एक लाख पश्चिमी जर्मनी की गायों की खरीद के लिए केन्द्र को लिखा है। सुना गया है कि केन्द्र ने सिद्धांत रूप से यह बात मान ली है तथा वह ईस्ट यूरोपियन कम्यूनिटी के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था के हित में केन्द्र सरकार द्वारा अन्य गायें भी उसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए तमिलनाडु ले रहा है, खरीद लेनी चाहिए। केन्द्र दूसरे राज्यों को भी इस दिशा में आश्वस्त करे।

इस मामले में देरी न की जाए क्योंकि इस महीने के अन्त तक गायों को मारा जाना है। इसी-

लिए यह अतिआवश्यक है कि केन्द्र जर्मन गणराज्य को इस महीने के अन्त तक गाय न मारने के लिए तथा सारी गायें केन्द्र द्वारा या दूसरे राज्यों द्वारा खरीदने के लिए ईस्ट यूरोपियन कम्यूनिटी से बातचीत शुरू करे।

(चार) तंजाबूर जिले में सिंचाई के लिए पानी की अपर्याप्त सप्लाई और कावेरी नदी जल विवाद को निपटाने की आवश्यकता

श्री एस० सिंगरावडीवेल (तंजावूर) : पिछले दस वर्षों से चले आ रहे कावेरी नदी जल के विवाद के कारण तंजावूर जिले में सिंचाई के लिए अपर्याप्त पानी के कारण कृषि कार्यों को तथा तमिलनाडु के अन्न भण्डार को बहुत नुकसान हुआ है और उस जिले की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ गई है। इस वर्ष भी पानी की स्थिति खराब है तथा सिंचाई के लिए बिल्कुल पानी न मिलने की सम्भावना है। स्थानीय वर्षों से भी स्थिति को बिगड़ने से बचाया नहीं जा सकता। इन हालातों में, किसान तथा कृषि मजदूर तंजावूर जिले में अपने भविष्य के बारे में अति चिन्तित हैं इस समस्या के उचित तथा शीघ्र समाधान से ही उनके हितों की सुरक्षा की जा सकती है। इसलिए सिंचाई मंत्री को तंजाबूर जिले के किसानों को कावेरी जल का उचित हिस्सा दिलवाने तथा उनके हितों की सुरक्षा हेतु सभी उचित कदम उठाने चाहिए।

[हिन्दी]

(पांच) बाड़मेर और कच्छ जिलों में तस्करी और जासूसों की घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत सरकार का ध्यान राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा के नगर बाड़मेर तथा कच्छ जिले में चल रही जासूसी, अवैध घुसपैठ तथा तस्करी की गतिविधियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगी। बाड़मेर में ऐसे पाकिस्तानी नागरिक कई बार पकड़े गए हैं। यह अवैध रूप से यहां तस्करी करने वालों से सांठ-गांठ रखते हैं। बाड़मेर का यह क्षेत्र जहां लगता हुआ कच्छ का रेगिस्तान है, आबादी भी बहुत कम है। अतः ऐसे पाकिस्तानी जासूस यहां आश्रय बना लेते हैं। कई बार भिखारियों या पागलों का वेश बनाकर इस क्षेत्र में विचरण करते हैं तथा महत्वपूर्ण सूचनाएं ले जाते हैं। अतः गृह मन्त्री जी सीमा सुरक्षा दलों को विशेष हिदायतें देकर इस तरह की घुसपैठ को रोकें।

[अनुवाद]

(छह) अल्पसंख्यकों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अल्प संख्यकों सम्बन्धी उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में इस समिति की नियुक्ति, 10 मई, 1980 को की गई। इस समिति की प्रारम्भिक रिपोर्ट सरकार को 16 जनवरी 1981 को तथा अन्तिम रिपोर्ट 14 जून 1983 को प्राप्त हुई।

समिति ने लगभग 80 जिलों का नमूने के तौर पर सर्वेक्षण किया तथा यह देखा कि अल्पसंख्यकों की विशेष रूप से मुसलमानों की बहुत दुर्दशा है। समिति ने उनकी दशा को सुधारने के सम्बन्ध में बहुत से महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अन्तिम रिपोर्ट लगभग डेढ़ वर्ष से सरकार के पास पड़ी है। यहां तक की

अभी तक इसें सदन के सभा पटल पर नहीं रखा गया है। पिछली सरकार ने यह कहा था कि वह समिति को सन्दर्भित मामलों को उच्चतम प्राथमिकता देती हैं। 22 जनवरी, 1985 के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी ने भी कहा था कि :

> "भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या की ओर विशेष ध्यान देना होगा तथा हमारी सरकार इस समस्या को सदा के लिए हल करने हेतु तथा संगठित भारत के निर्माण के लिए भरसक कोशिश करेगी तथा इस दिशा में पहल करेगी।"

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह समिति की सिफारिशों पर जल्दी निर्णय ले ताकि उनको लागू करने के लिए शीघ्र कार्यवाही शुरू की जा सके। रिपोर्ट तथा सरकार के तत्सम्बन्धी निर्णय को जितना जल्दी हो सके इस सदन के सभा पटल पर रखा जाए।

(सात) गोवा दमन और दीव के लिए न्यायधीशों के अधिक पद मंजूर करने की आवश्यकता

श्री शांताराम नायक (पणजी) : संघ शासित प्रदेश गोवा, दमन तथा दीव विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों में निर्णयाधीन पड़े मुकदमों की समस्या का हल करने के लिए वकील तथा आम लोग यह मांग कर रहे हैं कि जजों के दो अतिरिक्त पद-एक उत्तरी गोवा के लिए तथा दूसरा दक्षिणी गोवा के लिए तथा 4 पद सिवल जजों के जूनियर डिवीजन के लिए, बनाया जाए। काफी समय से मामला केन्द्रीय सरकार के पास विचारणीय है।

वास्तव में "न्याय देने में विलम्ब का मतलब है न्याय न देना" वाले सिद्धांत को उसी क्षण से मान्य समझना चाहिए जिस क्षण से न्यायिक पदों का सृजन हो न कि उनके न्याय देने के क्षण से। राष्ट्रपति ने दोनों को दिए गए अपने 17 जनवरी, 85 के अभिभाषण में यह वायदा किया था कि सरकार लोगों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए कदम उठाएगी।

इसीलिए मैं केन्द्रीय सरकार से विशेष रूप से माननीय विधि तथा न्याय मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करना चाहिए।

(आठ) दक्षिण कमान के वायुसेना-परिसर के लिए त्रिवेन्द्रम असैनिक हवाई-अड्डे के पूर्वी भाग के साथ लगी भूमि को अर्जित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : भारतीय वायुसेना की दक्षिण कमान को त्रिवेन्द्रम में स्थापित करने के लिए मैं भारत सरकार को धन्यवाद देते हुए यह व्यक्त करना चाहूंगा कि बल्लाकाडाबू और चकेयो के बीच त्रिवेन्द्रम सिविल हवाई अड्डा के पूर्वी भाग के पास पड़ी भूमि को अर्जित करने के प्रस्ताव से लगभग एक हजार परिवारों को अत्यधिक कठिनाई आयेगी चूंकि इस क्षेत्र में काफी घनी आबादी है और यहां नारियल के भी काफी पेड़ हैं जिनसे काफी अच्छी उपज प्राप्त होती है। हवाई अड्डे के समीप कुछ और सुविधाजनक सरकारी जमीन है। हवाई अड्डे के एक तरफ गंदे पानी का नाला है और दूसरी तरफ एक बड़ा विद्यालय परिसर है जिस पर मछलीघर और शारीरिक शिक्षा स्कूल है। पिछले कुछ वर्षों से मछलीघर बन्द है और ट्रवनकोर टिटेनियम प्रोडेक्ट लिमिटेड की समीपता को देखते हुए शारीरिक शिक्षा स्कूल को उस विद्यालय के परिसर से स्थानांतरित करने का विचार है। इस परियोजना के लिए इनमें से किसी का भी आसानी से उपयोग किया जा सकता है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें ध्यान देना है वह अन्य सुविधाजनक और उपयुक्त स्थानों के होते हुए भी शहर की सीमा के अन्तर्गत वायुसेना काम्पलेक्स के विकास में निहित जोखिम, क्योंकि वहाँ पहले से ही लाखों लोग बसे हुए हैं। अस्पताल, स्कूल, कालेज और अन्य सरकारी कार्यालयों के

जमघेट को तो छोड़िए अलग अतिपुरा गांव को बेलीमल्लाई के उत्तरी भाग में जमीन का बड़ा टुकड़ा जैसे वायुसेना काम्पलेक्स के लिए पहले से अर्जित किया गया है और जो उक्त जमीन के पास है अर्थात् अक्कूलम क्षेत्र वायुसेना कोम्पलेक्स के लिए अधिक उपयुक्त होगा। इसलिए मैं मानवीय आधारों पर आग्रह करता हूं कि बल्लाकडांबू और चक्कई के बीच भूमि अर्जन करने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाए और वायुसेना परियोजना को स्थापित करने के लिए उपर्युक्त चार जगहों में से किसी एक को चुना जाए।

(नौ) आंध्र प्रदेश स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उगाड़ी के दिन छुट्टी घोषित करने की आवश्यकता

श्री अजय विश्वास (त्रिपुरा पश्चिम) : केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों से उगांड़ी त्यौहार के जो आन्ध्र प्रदेश के तेलुगू बोलने वाले लोगों के लिए नव वर्ष का दिन है, नियमित सरकारी छुट्टी की घोषणा नहीं की है। आन्द्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संघ ने तथा आंध्र प्रदेश में कार्य कर रहे अन्य अखिल भारतीय संगठनों से उगाडी के दिन छुट्टी की घोषणा करने हेतु कई अभ्यावेदन दिए लेकिन उनका कोई लाभ नहीं हुआ।

हालांकि यह प्रतिबंधित अवकाश है फिर भी राज्य में केन्द्रीय सरकार के विभागों के कई अधिशासी कर्मचारी प्रशासनिक कारणों से इस छुट्टी को नहीं ले सकते। इस वर्ष स्थानीय केन्द्रीय सरकार कर्मचारी कल्याण समन्वय समिति ने 15 छुट्टियों की घोषणा की है और उगाड़ी त्यौहार के लिए एक और छुट्टी की व्यवस्था की है बशर्ते कि इसकी स्वीकृति कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त हो जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश इस विभाग के अनुरोध स्वीकार नहीं किया।

उगाड़ी आन्ध्र प्रदेश का एक मुख्य त्यौहार है और यह इस वर्ष 22 मार्च 1985 को पड़ता है। अत: मैं गृह मन्त्री जी से आग्रह करता हूं कि लोकहित में आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में उगाडी के दिन छुट्टी की घोषणा के सम्बन्ध में तत्काल निर्णय लें।

12.25 म० प०

सामान्य बजट (1985-86)—सामान्य चर्चा
और
अनुदानों को अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1984-85—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बजट (सामान्य) और अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर सामान्य चर्चा जारी रखेंगें।

श्री एच० एम० पटेल (साबर कंठा) : 1985-86 के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट पर मैं अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करता हूं। यह एक सुनियोजित बजट है। ऐसा लगता है वित्त मंत्री जी ने स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के इस कथन को अपना मार्ग दर्शक बनाया है कि इस विशाल देश के बहुविध समुदाय का कोई भाग अपने को उपेक्षित महसूस न करे। उन्होंने इसलिए यह सुनिश्चित किया कि इस बजट की प्रावधानों योजनाओं से सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिलें। निस्संदेह इससे कि सम्पन्न और धनवानों को पर्याप्त लाभ पहुंचा है। श्री पालकीवाला जो कि एक गहन विचारशील व्यक्ति है और

जिन्होंने बजट का अध्ययन किया है, ने कहा है कि पिछले तीन दशकों में ऐसा बेजोड़ बजट देखने को नहीं मिला। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल के संगठन ने भी इसकी प्रशंसा की है। लगता है कि जब संगठन के अध्यक्ष ने बजट पर अपनी खुशी जाहिर की होगी तब उन्होंने यह भी अनुभव किया होगा कि यह बजट उद्योगपतियों को अपने क्षेत्र में यथाशक्ति अच्छे से अच्छा काम कर दिखाने की प्रेरणा देता है। वह कहते थे कि अगर वित्तीय नीति और उपायों द्वारा उन्हें कुछ रियायतें अथवा मदद दी जाए तो वह यह करेंगे और वह करेंगे इत्यादि। वास्तव में उन्होंने इस बजट के द्वारा वे सारी छूटें प्राप्त की हैं जिनके बारे में वे मांग करते थे उन्हें कहीं अधिक रियायतें प्राप्त हुई हैं इसलिए वे वर्ग बहुत खुश हैं। मैं सोचता हूं कि मध्य वर्ग को भी खुश होना चाहिए क्योंकि उन्हें भी लाभ मिला है और प्रत्यक्ष कर में छूटों से पर्याप्त लाभ होगा जिसे कि इस बजट में दिया है। लेकिन जब हम लोगों के कुछ अन्य वर्गों को देखते हैं जैसे किसान, कम सम्पन्न लोग तथा गरीब लोगों की ओर ध्यान देते हैं तो हमें इस बजट से मिलने वाले लाभों के बारे में संदेह होने लगता है। किसानों को जैसे लाभप्रद मूल्य दिए जाने के बारे में वायदा किया गया है। वित्त मन्त्री जो ने उनको लाभप्रद मूल्य देने की आवश्यकता को स्वीकार किया है। लेकिन इस बारे में जो रचनात्मक प्रस्ताव उन्होंने दिया है वह यह है कि कृषि मूल्य आयोग, जो इन मूल्यों को निर्धारित करता है, का नाम बदल दिया जाएगा और अब लागत इसमें शामिल की जाएगी। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि अब तक मूल्य आयोग ने उत्पादन की लागत के बारे में कभी विचार नहीं किया। लगता तो ऐसा ही है अन्यथा "लागत" शब्द पर अब विशेषकर जोर देने की कोई आवश्यकता न होती। जब कीमतें निर्धारित की जाती है तो उत्पादन की लागत को सभी उद्योगों में ध्यान में रखा जाता है लेकिन जहां तक किसानों का सम्बन्ध है उप्पादन की लागत के आधार पर कीमतों को नियत न करने के लिए सभी प्रकार के बहाने बनाए जाते हैं। केवल इस आशा पर कि चूंकि वित्त मंत्री जी किसानों के हितों की सुरक्षा करना चाहते हैं कीमतें उत्पादन की लागत के आधार पर निर्धारित करने के लिए इस दिशा में ईमानदारी पूर्ण प्रयास किया जाएगा। उन्होंने छोटे और सीमांत किसानों के लिए फसल बीमा योजना को शुरू करने की बात कहकर उनमें आशा का संचार किया है। फसल बीमा योजना वास्तव में स्वागत योग्य है। इसमें केवल एक ही कठिनाई है कि इसे लागू करना आसान नहीं है। इस बारे में जब मुझे अवसर मिला तो मैंने खुद सामान्य बीमा निगम से सीमित क्षेत्रों में फसल बीमा को परीक्षण के तौर पर शुरू करने के लिए कहा ताकि यह पता चल सके कि यदि फसल बीमा योजना को सामान्य तौर पर लागू किया जाए तो इसके रास्ते में कौन-कौन सी कठिनाईयां आयेंगीं। आशा है कि इस परीक्षण सम्बन्धी कोई रिपोर्ट वित्त मन्त्री जी के पास उपलब्ध होगी तभी उन्होंने सदन में फसल बीमा योजना लागू करने के बारे में सभा में घोषणा की है। फसल बीमा योजना एक जटिल विषय है और मैं वित्त मंत्री जी को केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि उन्हें इस दिशा में प्रयोगात्मक और धीरे-धीरे चलना चाहिए। अगर प्रारंभ की मुख्य योजना के परिणाम संतोषजनक पाए जाते है तो वह पूरे देश में इसको तेजी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बार योजना को शुरू करके अगर वापिस लेना पड़ा तो बड़े दुर्भाग्य की बात होगी। इसी प्रकार जहां तक गरीब वर्गों का सम्बन्ध है, सामाजिक सुरक्षा योजना तथा रोजगार गारंटी योजना पेशकश की गई चाहे यह योजनाएं कितनी स्वागत योग्य हैं, लेकिन विद्यमान प्रशासनिक मशीनरी के अन्तर्गत कार्यान्वयन आसानी से नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम संतोषप्रद प्रशासनिक मशीनरी बना सकते हैं लेकिन इसमें समय लगेगा। मुझे आशा है कि वह इस बारे में निर्णय लेने के साथ-साथ सावधानी बरतेंगे ताकि वास्तव में इसे सफल बनाया जा सके।

एक मुख्य बात है कीमतों का प्रश्न, जिसको और अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया है। वित्त

मंत्रालय और वित्त मन्त्री ने दावा किया है कि इस बजट से मुद्रास्फीति या कीमतें नहीं बढ़ेंगी और अगर कीमत बढ़ेगी तो बहुत कम। मैं आशा करता हूं कि उनके आशावादी मूल्यांकन सही उतरें लेकिन इस आशावाद का कोई आधार नहीं दिखता। वे घाटे की वित्त की व्यवस्था के बारे में बहुत आत्मतोष से बात करते हैं जिसने इस वर्ष एक नया रिकार्ड कायम किया है। 1984-85 वर्ष के लिए उन्होंने 1.773 करोड़ रुपए घाटे की व्यवस्था की थी लेकिन जो वर्ष के अंत में बढ़कर लगभग 4000 करोड़ रुपए तक हो गया इसलिए वे कहते हैं कि इस वर्ष के घाटे के वित्त का अनुमान इसलिए पहले ही इतना लगाया गया है ताकि उसमें पिछले वर्ष की भांति अत्यधिक वृद्धि न हो। मेरे विचार में इसे इस तरह से देखना चाहिए कि पिछले वित्त मन्त्री जी ने जिस मूल घाटे की आशा की थी वह 1,773 करोड़ रुपए था जो वास्तव में 4000 करोड़ रुपए तक बढ़ गया।

1985-86 के लिए घाटे का अनुमान 3400 करोड़ रुपए के बारे में यह सोचना कि यह 3400 करोड़ रुपए ही रहेगा या उससे शायद कम होगा तथा उससे अधिक नहीं होगा इसका कोई कारण नहीं दिखता। अगर यह अधिक है, अगर यह पिछले वर्ष के घाटे के अनुमान की तरह बढ़ता है तो मैं समझता हूं कि बड़ी गंभीर स्थिति हो जाएगी और वास्तव में मुद्रास्फीति की सम्भावना एक कठोर सत्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि वित्त मन्त्री जी ने कहा कि हमारे पास अनाज का अच्छा स्टाक है। समुचित विदेशी मुद्रा है और इसलिए स्थिति पर कड़ी निगरानी रखकर हम मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रख सकते हैं। मुझे आशा है कि वित्त मन्त्री जी के प्रयास सफल होंगे क्योंकि मुद्रास्फीति को कोई भी पसन्द नहीं करता। लेकिन इस तरह के मामलों में सावधानी बरतने में ही विद्वता है। जो मानसून पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर मानसून संतोषजनक है तो घाटे की अर्थ-व्यवस्था को उपयुक्त स्तर पर रखने की संभावनाएं बढ़ जायेंगी। लेकिन अगर अच्छी मानसून नहीं होती तो विनाश की सम्भावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती।

यह नहीं भूलना चाहिए कि वित्त मंत्री जी ने अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिनसे आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होना अपरिहार्य है। यहां के लोगों का रवैया क्या है। इस देश के व्यापारी समुदाय का असली व्यवहार क्या है कि बजट पेश किए जाने के 24 घंटे के भीतर अधिकांश आवश्यक वस्तुओं सहित कई वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो गई थी और उनमें वृद्धि और होगी। नए अप्रत्यक्ष करों के फलस्वरूप तथा वर्तमान लैवी की दरों में वृद्धि से मूल्य और अधिक बढ़ेंगे। मिट्टी के तेल का मूल्य बहुत अधिक बढ़ा है। खाना पकाने की गैस के दाम बढ़ गए हैं इसका उपयोग केवल धनी लोग ही नहीं करते। कच्चे तेल में कर बढ़ाने से पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ गए हैं। इससे परिवहन लागत बढ़ेगी और जिसके परिणामस्वरूप अन्य वस्तुओं की कीमतों में समय के साथ-साथ काफी वृद्धि होगी।

यह नहीं भूलना चाहिए कि रेल बजट जिसे अनेक कारणों से अलग बजट के रूप में पेश किया गया है, ने रेल किराए और भाड़े की दरों में वृद्धि की है। रेल बजट के प्रभाव से भी मूल्य अधिक बढ़ेंगे।

इसी तरह सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को, जो एकाधिकारिक किस्म के हैं, उन्होंने मूल्यों को बढ़ाने के लिए छूट दे दी है ताकि वह अपने कार्यों को पूरा करने तथा विस्तार हेतु संसाधनों की व्यवस्था कर सकें। कुछ यूनिटों ने इसका पूरा लाभ उठाया है। तेल कम्पनियों ने इससे लाभ उठाया है। कोल इंडिया भी पीछे नहीं रही। डाक-तार तथा टेलीफोन विभागों ने भी शुल्क में वृद्धि कर दी है। अगर प्रत्येक सरकारी क्षेत्र अपने आप ही मूल्यों में वृद्धि करता है तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इससे मंहगाई पर असर पड़ेगा और आम आदमी पर बोझ बढ़ेगा। अंततः मैं यहीं कहूंगा कि विभिन्न अप्रत्यक्ष करा-

धान प्रस्ताव के फलस्वरूप कीमतों पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ेगा और तब कीमतों में वृद्धि समुचित होगी।

यह भी बड़ी रोचक बात है कि केन्द्रीय योजना के लिए इस वर्ष भी उतना ही प्रावधान किया गया है जितना कि गत वर्ष किया गया था सौभाग्यवश वित्त मन्त्री जी ने राज्य सरकारों की राशि में समुचित बढ़ोतरी दी है और इसलिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपने उत्पादन में वृद्धि लायें। उन्हें समाज के हित के लिए संतोषजनक योगदान करना चाहिए। लेकिन जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है योजना विकास राशि वही रखी गई है, यह और भी खराब बात है क्योंकि योजना परि-व्यय में वृद्धि की गई है इसके घाटे की अर्थव्यवस्था और अधिक होगी।

मैं नहीं जानता कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उद्देश्यों और बजट प्रावधानों के बीच कहां तक समन्वयन है। संरक्षण के सम्बन्ध में जिसको प्रधानमन्त्री बहुत महत्व देते हैं बहुत राशि की व्यवस्था की गई है। यह प्रस्ताव है कि 50 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि को उपजाऊ तथा हरित भूमि बनाया जायेगा। 50 लाख बंजर भूमि को उपजाऊ करने और वनरोपण करने के लिए केवल 54 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था की गई है। हालांकि उद्देश्य बहुत अच्छा है लेकिन इस प्रयोजन के लिए राशि समुचित नहीं है। हो सकता है कि इसके लिए कुछ विशेष कारण हों लेकिन मुझे इस बात की हैरानी है कि इतने महत्वपूर्ण मामले हेतु पर्याप्त राशि की व्यवस्था क्यों नहीं की गई।

मेरे विचार से इस तथ्य पर कुछ न कुछ टिप्पणी करना अपेक्षित है कि गैर-योजना व्यय को कम करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने इस सच्चाई को स्पष्ट किया है कि रक्षा व्यय, ब्याज की अदायगी, उर्वरकों, भोज्य पदार्थों पर दी जाने वाली राज सहायता पर गैर-योजना व्यय की 70 प्रतिशत राशि व्यय हो जाती है। उनका यह भी कथन है कि गैर-योजना व्यय उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। किन्तु उन्होंने मितव्ययता के लिए किए जा रहे विशेष प्रयत्नों का उल्लेख नहीं किया है। इससे पता चलता है कि वह इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यह असम्भव है। इसके बावजूद अनेक नई योजनाओं का प्रस्ताव रखा गया है जिससे व्यय घटने के बजाय निश्चित रूप से बढ़ेगा।

काले धन के बारे में, प्रधान मन्त्री ने कहा है कि वे लोग इस पर नियन्त्रण रखने तथा इसे कम करने का भरसक प्रयत्न करेंगे और वित्त मंत्री ने भी काले धन के प्रचलन का उल्लेल किया है, तो भी इसे रोकने के बारे में कोई विशिष्ट कदम नहीं उठाए गए हैं। कर दरों आदि को घटाने, सम्पदा शुल्क समाप्त करने इत्यादि के लिए कुछ वित्तीय प्रस्ताव रखे गए हैं। इन सब उपायों से लोग और अधिक ईमानदार बनेंगे। केवल व्यवहार से काले-धन का पैदा होना बंद हो जाएगा यह सम्भव नहीं लगता। सामान्य और आर्थिक नीति की उदार कर देने से कालाधन कम करने की दिशा में सहायता मिलेगी। किन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि कितने नियन्त्रण किस सीमा तक हटाए जा रहे हैं। मेरे विचार से नियन्त्रण लगाने से काला धन बढ़ता है क्यों कि इससे काले-धन को पैदा करने का लालच बढ़ता हैं। और अधिक प्रभावी ढंग से काले धन को रोकने के लिए, मेरे विचार कुछ और उपाय करने की आवश्यकता है। वास्तव में वित्त मन्त्री के बजट भाषण में एक ही चीज प्रभावित करने वाली हैं वह है उनकी अद्भुत भाषण कला। उसमें अनेक भावनायें भरी पड़ी हैं और इन भावनाओं में अप्रत्याशित सिद्धांत उद्घोषित किए गए हैं, किन्तु वे सिद्धांतों की उद्घोषणा और भावनाओं की अभिव्यक्ति मात्र बनकर रह गये हैं। उनमें उन ठोस उपायों का अभाव है जो उन भावनाओं को वास्तविक रूप दे सकें।

और अधिक बोलने से पूर्व मैं एक बात के लिए वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं। उनका कहना है कि कराधान आदि के उनके ये उपाय एक निश्चित समय तक चलते रहेंगे, जिससे संभवतः

उनका तात्पर्य यह है कि इस संसद के जीवन काल तक अर्थात् पांच वर्ष तक इस दिशा में कार्य करते रहेंगे। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे यदि करदाता को यह विश्वास हो जाए कि वित्त मंत्री या सरकार ने जो कदम उठाये हैं वे किसी निश्चित समय तक चलते रहेंगे, तो इससे वे लोग लम्बी अवधि तक की योजना में निवेश करने को प्रोत्साहित हो जायेंगे। मेरे विचार से यह वित्त मन्त्री का बहुत ही बुद्धिमत्तता पूर्ण कदम है कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनका यह इरादा है और वास्तविकता यह भी है कि भाग्यवश वह इस स्थिति में है कि इस प्रयत्न को एक विशेष दिशा दे सकते हैं।

महोदय, अपने विचार से मैंने उन सभी मुद्दों पर प्रकाश डाला हैं जिन पर प्रकाश डालने की आवश्यकता थी। मैं केवल यह और कहना चाहूंगा...

उपाध्यक्ष महोदय : आपके दल के कई सदस्यों को अभी बोलना है। जनता पार्टी के लिए अट्ठाइस मिनट आवंटित किए जाते हैं। अभी और छः सदस्यों को बोलना है।

(व्यवधान)

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : आप और भी अधिक महत्त्वपूर्ण मामलों के बारे में कुछ भी नहीं कहा है—संसाधन किस तरह जुटाये जायेंगे।

श्री एच० एम० पटेल : संसाधन जुटाने के बारे में वास्तव में वित्त मन्त्री को कहना चाहिए था। मैं इस बात से सहमत हूं।

श्री जी० जी० स्वैल : आप सुजाव दे सकते थे।

श्री एच० एम० पटेल : मुझे सुझाव देना चाहिए था और ऐसा कोई कारण नहीं है कि मैं सुझाव न दे सकूं और यदि समय मिला तो मैं अवश्य ही सुझाव दूंगा।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्स गंज) : आपकी तरफ का कोई सदस्य संसाधन बढ़ाने के बारे में कोई सुझाव नहीं दे रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री पटेल को बोलने दें। दूसरे लोग इस तरह व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे प्रसन्नता है कि वे लोग मुझे यह सलाह दे रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।

श्री जी० जी० स्वैल : वाद-विवाद को सार्थक बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार चर्चा नहीं की जा सकती है। उन्हें बोलने दीजिए और जब आपकी पारी आये तब आप इन सब बातों को कह सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, वह इस प्रकार सुझाव दे रहे हैं मानों वही वित्त मन्त्री हों।

श्री एच० एम० पटेल : श्री जी० जी० स्वैल को नागावार लग रहा है।

श्री जी० जी० स्वैल : आपकी आलोचना नाकारात्मक है। कोई क्रियात्मक सुझाव दीजिए।

श्री एच० एम० पटेल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे श्री स्वैल की ना समझी पर आश्चर्य है। उनका विचार है कि मैंने जो कुछ कहा था वह बेकार था।...मेरे विचार से...

श्री जी० जी० स्वैल : अधिकांशतः

श्री एच० एम० पटेल : मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने कम से कम यह तो निष्कर्ष निकाला कि यह सब बिल्कुल बीमार है। ठीक है, मेरे विचार से यदि वित्त मन्त्री को ऐसी बेकार की टीका टिप्पणी प्राप्त होती रहीं तो वह बहुत प्रसन्न होंगे। मैंने जो टीका टिप्पणी की थी वह यदि उन्हें बेकार का समझा जाता है तो ईश्वर ही वित्त मंत्री की सहायता करे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की टीका टिप्पणी को, चाहे वह उनके ही दल के किसी व्यक्ति की ही क्यों न हों, बहुत ही विरोधात्मक बहुत ही उत्तेजना पूर्ण लगेगी जबकि मेरी टीका टिप्पणी जरा भी उत्तेजना पूर्ण नहीं थी। इसके विपरीत मैंने यह देखने की चेष्टा की कि उनके प्रस्तावों में क्या अच्छाइयां हैं। कमियों के बजाय गुणों पर प्रकाश डाला है। कमियां तो हैं और मेरे विचार से यह वांछनीय है कि उनके बारे में आपको बताया जाय जिससे वे दूर की जा सकें। यदि अब भी संभव है, तो आप स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए उन्हें दूर करने का प्रयत्न कर सकते हैं। मेरे विचार से ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस प्रकार के दृष्टिकोण का स्वागत न किया जाय। यदि वे स्वागत नहीं करते हैं और यदि वे इसे अच्छा समझते हैं कि और अधिक उग्रवादी और और अधिक घृणास्पद टीका-टिप्पणी की जाय, तो भविष्य में वाद-विवाद में भाग लेते समय मैं उस बात को ध्यान में रखूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मुझे और अधिक समय दीजिए जिससे कि में उन सदस्यों को संतुष्ट कर सकूं।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं वित्त मंत्री नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो बजट इस वर्ष वित्त मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसको लेकर बहुत से लोगों में बहुत सी शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं। ये शंकाएं विरोधी दल के लोगों में भी उत्पन्न हुई हैं और ये शंकाएं सत्ता पक्ष के लोगों में भी उत्पन्न हुई हैं।

12.52 म०प० **(श्री वक्कम पुरुषोत्तम पीठासीन हुए)**

इन शंकाओं का सबसे बड़ा कारण यह है कि जिस प्रकार से बड़े उद्योगपतियों ने, बड़े व्यापारियों ने और उन लोगों ने जो वर्षों से फ्री ट्रेड की वकालत करते थे, बजट की प्रशंसा की है, उनसे शंकाओं को और बल मिला है। अभी हमारे भूतपूर्व वित्त मन्त्री पटेल साहब बोल रहे थे। पटेल साहब ने भी बहुत से मामलों में जो बजट की एप्रोच है, उसकी तारीफ की है। जब वे खुद वित्त मन्त्री थे, तो जिस बात की वे खुद हिम्मत न कर सके थे, वह बात इस बजट में कर दी गई है। उन्होंने जो बजट की तारीफ की, इस बात को लेकर भी इस बजट के बारे में शंकाएं उत्पन्न हो गई हैं।

सभापति जी, पं० जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा गांधी के लम्बे अर्से के शासन काल में, इस देश में कुछ मान्यताएं बन गई थीं। ये मान्यताएं थीं, समाजवादी समाज की रचना, नियोजन द्वारा विकास, मिश्रित अर्थ-व्यवस्था परन्तु सार्वजनिक क्षेत्र की निजी क्षेत्र पर वरीयता, इन्फ्रा-स्ट्रक्चर पर केवल सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार, अमीर और सम्पन्न लोगों पर टैक्सों का अधिक बोझा डालना और गरीब और कमजोर लोगों को राहत देना, कन्ट्रोल्ड एकानामी, जिसमें अधिक मुनाफा तथा आमदनी की प्रवृत्ति को रोकना और गरीब तथा कमजोर वर्गों को गरीबी रेखा से अधिक संख्या में ऊपर उठाना। ये एक लम्बे अर्से से हमारी मान्यताएं बन गई थीं, हमारी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की नीतियों की आधार-शिला बन गई थीं और इसी के ऊपर, इसी नीति पर आधारित बराबर बजट प्रस्तुत किए गए। अब की

बार का जो बजट आया है, वह इन मान्यताओं से कुछ हट कर है। कितना हट कर है और इन मान्यताओं पर इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे किस तरह से इन मान्यताओं के अनुसार देश की अर्थ-व्यवस्था को ले जाना चाहते हैं, इसका जबाव वित्त मन्त्री जी अपने जबाव में देंगे लेकिन यह शुबाह बलवान होता जा रहा है कि हम **लेफ्ट आफ़ दि सैन्टर से राईट आफ़ दि सैन्टर** की तरफ खिसके हैं। अभी तक हमारी अर्थ नीति **लेफ्ट आफ़ दि सैन्टर** की तरफ रही है, उसका झुकाव **लेफ्ट आफ़ दि सैन्टर** की तरफ रहा है। लेकिन बजट से यह शंका बनी है कि हम राईट आफ द सैन्टर की तरफ खिसके हैं, राईट आफ द सैन्टर की तरफ गए हैं।

पिछले वर्षों में हमने बड़े लोगों पर टैक्स लगाये, सम्पन्न लोगों पर टैक्स लगाये और गरीबों को ज्यादा राहत दी। हमने सार्वजनिक क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया। सार्वजनिक क्षेत्र की वरीयता उद्योग में कायम रहे, इसकी हमने व्यवस्था की और अगर सार्वजनिक क्षेत्र अपने काम में सफलता प्राप्त नहीं कर सके तो इसकी गल्ती कहां है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? जिन लोगों को इसका दायित्व सौंपा गया था, क्यों उन्होंने उसको पूरा नहीं किया, क्यों उसमें सुधार नहीं किया गया? क्या सिस्टम खराब था या नीति खराब थी? इसमें घाटे का क्या कारण है? क्या प्रबन्ध खराब था? इसका जवाब वित्त मन्त्री जी को देना है। अगर नीति खराब नहीं थी, सिस्टम खराब नहीं था, प्रबन्ध खराब था, इन्तजाम ठीक प्रकार से नहीं हो पाया तो इसमें नीति का कोई दोष नहीं आता है।

सभापति जी, इस बजट में पहली बार निजी क्षेत्र को बहुत से बन्धनों से मुक्त किया गया है। मोनोपली हाउसिज को रियायत दी गई है। एस्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, कोरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स में बड़े पैमाने पर रियायतें दी गई हैं। गरीबों को, साधारण लोगों को जो कम इनकम टैक्स देने वाले हैं, उन पर अधिक कर का भार लगा कर दण्डित किया गया है।

मिट्टी का तेल महंगा हुआ है, खाना पकाने की गैस महंगी हुई है, साबुन महंगा हुआ है, वनस्पति महंगा हुआ है। रेलवे बजट से जो महंगाई होगी, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, इस बजट से जो महंगाई हुई है उसकी बात कर रहा हूं। मिट्टी का तेल महंगा हुआ है, सीमेंट महंगा हुआ है। सभापति जी, सीमेंट महंगा हुआ है गरीब आदमियों के पीने की बीड़ी भी महंगी हुई है। पान मसाला भी महंगा हुआ है। पैट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स लगाये गए हैं उससे यह महंगा हुआ है। शर्मा जी पान खाते हैं, मैं नहीं खाता हूं। मैं जो पीता हूं वह नहीं महंगी हुई है। पेट्रोलियम पदार्थों पर टैक्स लगाये गये हैं उनसे भी चीजें महंगी हुई हैं।

श्री रामप्यारे पनिका : हमें इनके पीने पर कुछ शंका हुई है।

श्री जैनुल बशर : मैं सिगरेट पीता हूं जिसको कि मैं मानता हूं पीनी नहीं चाहिए।

सभापति जी, डीजल और पेट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स बढ़ाया गया है उससे निश्चित रूप से महंगाई आयेगी। पैसेंजर किराये और माल-भाड़े से भी हर चीज महंगी होगी। जब सभी चीजें महंगी होंगी तो इसका बोझ किस पर पड़ेगा? इसका बोझ बड़े आदमी पर तो पड़ेगा नहीं। उन पर नहीं पड़ेगा जो इनकम टैक्स देते हैं, जो कारपोरेट टैक्स देते हैं, जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बड़े-बड़े व्यापारी हैं। क्योंकि उनका ट्रांस्पोर्ट का खर्चा इनकम टैक्स में चला जाता है। सरकारी कम्पनियों पर भी इसका बोझ नहीं पड़ेगा क्योंकि सरकार एक हाथ से लेगी और दूसरे हाथ से देगी। लेकिन जो गांवों के लोग हैं, साधारण लोग हैं, वे जब सफर करेंगे तो अधिक किराया देंगे। अधिक माल भाड़े से चीजें महंगी होंगी। उसका बोझ उन पर पड़ेगा। एक तरफ तो आप टैक्स लगा कर बोझ बढ़ा रहे हैं...

1.00 म० प०

सभापति जी, यह जो भाड़ा, मालभाड़ा बढ़ा है, इसका असर भी गरीब आदमियों पर ही पड़ेगा, जो टैक्स नहीं देते हैं, टैक्स देने वालों का तो ट्रांसपोर्ट खर्चे में चला जाएगा, इनकम टैक्स में डिडक्ट हो जाएगा, उन पर इसका असर नहीं होगा। इसका असर गरीब आदमियों पर ही होगा, गरीब आदमी पर इसका भार पड़ेगा, उसकी गरीबी में इजाफा होगा। रेल भाड़ा जो बढ़ाया गया है, ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बढ़ा है, बस, रेल, हवाईजहाज का भाड़ा बढ़ा है, यह सब पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कर बढ़ाने से हुआ है। मैं समझता हूं कि रेल भाड़े में जो बढ़ोतरी हुई है, वह पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के करों में वृद्धि की वजह से ही हुई है। उस वृद्धि को रेल मन्त्री महोदय ने अपने बजट में शामिल किया है, अगर नहीं किया है तो हो सकता है कि रेल भाड़ा और बढ़ाया जाए। जो भाड़ा बढ़ा है वह सारा का सारा गरीब आदमियों पर जाएगा और महंगाई बढ़ेगी। तो राहत टैक्स देने वालों को, यानी 70 मिलियन लोगों में से केवल 4-5 मिलियन लोग जो टैक्स देते हैं और वहां भी जो ज्यादा टैक्स देते हैं, उनको ज्यादा राहत मिली है और जो कम टैक्स देते हैं, उनको कम राहत मिली है। साथ ही साथ प्रधानमन्त्री जी ने गरीबों को राहत देने की कोशिश की है, उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं, उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहता, जैसे फसल बीमा। यह एक बहुत अच्छा कदम है। यह बड़ी क्रांतिकारी योजना किसानों के लिए शुरू की जा रही है। इससे पूरे देश के किसानों को लाभ होगा। यह एक बहुत अच्छी शुरुआत है, आशा है आगे और फसलों पर भी इसको लागू किया जाएगा। सोशल सिक्यूरिटी स्कीम के लिए भी मैं वित्त मन्त्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके लिए मैं माननीय वित्त मन्त्री जी की तारीफ करता हूं कि उन्होंने सोशल सिक्यूरिटी स्कीम का प्रावधान इसमें किया है, लेकिन इसको अभी 100 जिलों में ही शुरू किया जाएगा। इन 100 जिलों को किस तरह से चुना जाएगा। मेरा अनुरोध है कि इसको पूरे देश पर एक साथ लागू किया जाए।

सभापति महोदय, मुझे एक बात के लिए और चिन्ता है, जिसके बारे में खासतौर से मैं माननीय वित्त मन्त्री जी का और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो एंटी पावर्टी प्रोग्राम्स हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है. राष्ट्रीय ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना है, इन योजनाओं से पिछले दो-तीन वर्षों में गांवों में बहुत अच्छा काम हुआ है और बड़ी संख्या में लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। बड़ी संख्या में इसमें लोगों को काम मिल रहा है, बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है और बड़ी संख्या में लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। हम लोग यह आशा कर रहे थे वित्त मन्त्री जी इस बजट में इसमें और अधिक धन बढ़ाएंगे, काफी अधिक धन बढ़ाएंगे, क्योंकि चमत्कार इस योजना ने किया है, उसको हम लोगों ने चुनाव में देखा है और इस लोकसभा के पिछले चुनाव में हम लोग उससे लाभान्वित भी हुए हैं, लेकिन मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वित्त मन्त्री जी ने उसमें स्टेटस को मेंटेन किया है।

[अनुवाद]

श्री वाई० एस० महाजन (जलगांव) : वित्त मन्त्री ने, यदि आवश्यक हुआ तो और अधिक धन देने का वायदा किया है।

श्री जैनुल बशर : वित्त मन्त्री को पता होना चाहिए कि यह आवश्यक है।

[हिन्दी]

जो इन्होंने स्टेटस को मेंटेन किया है, इससे तो जो आनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी पैसा खर्च

हो जाएगा। नए प्रोजेक्ट कहां से लेंगे ? आनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर ही 400 करोड़ रुपया एन०आर०ई० पी० में खर्च हो जाएगा, नया काम कैसे शुरू करेंगे ? मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय वित्तमन्त्री जी जो अभी-अभी आ गए हैं सौभाग्य से, इस ओर ध्यान दें। यह जो क्रान्तिकारी कदम था एन० आर० ई० पी० और भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना, इसने जो चमत्कार कर दिया है पूरे देश में, गरीबों को रोजी देकर, रोटी देकर, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाकर, इसमें आपने अभी धन न देकर, जिसकी हम लोग आशा कर रहे थे, आपने गरीब लोगों के साथ बड़ी ज्यादती की है।

वित्त तथा वाणिज्य और पूर्ति मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : होगा।

[अनुवाद]

अनेक राज्यों में चुनाव थे और राज्य सरकारें कार्यक्रमों को अन्तिम रूप नहीं दे सकीं। जहां तक गरीबी हटाने सम्बन्धी कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, उसके लिए हम वचनबद्ध हैं और हम उनके लिए संसाधन जुटाएंगे।

श्री जैनुल बशर : यह बहुत खुशी की बात है !

[हिन्दी]

शिक्षक बेरोजगारों के लिए स्वतः रोजगार की योजना बहुत अच्छी है। इससे लोगों को बहुत लाभ पहुंचा रहा है।...(**व्यवधान**) जो पैसा बांटा जा रहा है, उसमें बड़ी धांधली है। जो डिजर्व करते हैं, उनको वह पैसा नहीं मिलता। उसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि सिर्फ सरकारी तन्त्र उनका बंटवारा करता हैं। उसमें भ्रष्टाचार के भी हर जगह से आरोप आ रहे हैं कि कोई सम्पन्न आदमी अपने लड़के भतीजे या भाई के नाम से रुपया ले रहा है। दो-दो, तीन-तीन नाम से रुपया एक ही परिवार में जा रहा है। जो कमजोर, हरिजन या अत्यन्त पिछड़े वर्ग के लोग हैं या किसी और वर्ग के हैं, उनको नहीं मिल पा रहा है। क्या वित्त मन्त्री जी इस बारे में सोचेंगे कि कम से कम जन-प्रतिनिधियों को भी उसके बंटवारे में शामिल किया जाए। जनप्रतिनिधि जानता है, वह गलत नहीं कर सकता। वह जानता है कि कौन गरीब हो सकता है। दो डिजर्विंग लोगों में भेदभाव कर सकता है। एक डिजर्विंग को न दे और दूसरे डिजर्विंग को दे। लेकिन अन-डिजर्विंग को जनप्रतिनिधि नहीं देगा। इतना तो मैं मानता हूं। रोजगार की सही योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जनप्रतिनिधियों को इन्वाल्व करेंगे तो इस प्रकार की शिकायतें दूर की जा सकती हैं। वित्त मन्त्री जी हमारे नजदीकी मित्र और नेता भी हैं, उनका ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ ले जाना चाहता हूं। हमारे देश के वे मुख्य मन्त्री भी रहे हैं और सौभाग्य से पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते भी हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश देश का एक बहुत ही गरीब भाग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ने देश की आजादी में बड़ी कुर्बानी दी थी। लेकिन अब वह उपेक्षा का शिकार बना हुआ है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी उत्तर प्रदेश की आबादी का 38 प्रतिशत है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जहां हर जगह आबादी बढ़ी है वहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में आबादी का प्रतिशत घटा है। सन् 1952 में पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी पूरे उत्तर प्रदेश का 39 प्रतिशत थी। सन् 1981 में वह 38 प्रतिशत हो गई। एक प्रतिशत आबादी घटी है। लेकिन आबादी का घनत्व बढ़ा है। वहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर करते हैं। छोटे किसान और भूमिहीन किसान पूर्वी उत्तर प्रदेश में 82 प्रतिशत हैं जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वह केवल 72 प्रतिशत है। बेरोजगारी भी वहां पर हैं। आपको यह भी जानकर आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं, उनमें से आधे पूर्वी उत्तर

प्रदेश में हैं जबकि उसकी आबादी 38 प्रतिशत है। आधे बेरोजगार केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश में हैं। जहां तक उद्योग धन्धों को लगाने का सवाल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश पहले भी पीछे था और अब भी पीछे हो रहा है। नए-नए कारखाने जो लग रहे हैं, वह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही लग रहे हैं। हमारे वित्त मन्त्री जी जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की क्या समस्यायें हैं और उनके साथ-साथ मैं भी समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की अपनी कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन्स हैं और वह पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं कर सकती। चूंकि हमारे वित्त मन्त्री जी वहां के मुख्य मन्त्री भी रह चुके हैं इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और सातवीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों के विकास के लिए विशेष प्रावधान, विशेष व्यवस्था करवायें। यह काम अब केन्द्रीय सरकार करे अपनी जिम्मेदारी पर लेना चाहिए और जिस तरह के कदम अपने देश के बहुत से पहाड़ी इलाकों के विकास के लिए, डेजर्ट विकास के लिए, नौर्थ ईस्टर्न इलाकों के विकास के लिए, काश्मीर के सम्बन्ध में उठाये हैं, वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास के कार्य को केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी पर ले और वहां का विकास करे। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे साथ कुछ मेहरबानी की और कुछ अधिक समय दिया।

[अनुवाद]

डा० कृपा सिंधु भोई (सम्बलपुर) : सबसे पहले मैं वित्त मन्त्री तथा अपने प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी को बधाई देता हूं क्योंकि यह बजट इक्कीसवीं शताब्दी तक जाने के लिए सेतु के सम्मान है।

अपना भाषण आरम्भ करते समय मुझे संस्कृत का श्लोक उद्धरित करने की अनुमति दी जाये.

"अयं निजः परोवेति,
गणना लघुचेतसाम्।
उदार चरितानां तु,
वसुधैव कुटुम्बकम्।"

जिसका हिन्दी रूपान्तर इस प्रकार है :—

"यह मेरा है और वह दूसरे का है ऐसा विचार तो क्षुद्र बुद्धि वाले व्यक्ति के होते हैं। उदार चरित्र के व्यक्तियों के लिए पूरा विश्व ही एक परिवार के समान होता है।

भारतीय संस्कृति यही रही है जिसकी परम्परा का पालन पंडित जवाहर लाल नेहरू, ने किया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया और अपने प्रगतिशील प्रधान द्वारा किया जा रहा है जैसे उन्होंने इस बजट में कार्यरूप में प्रदर्शित किया। श्री राजीव गांधी को प्रतिभा (ग्रे मैटर) बिरासत में मिली है। भारत को आधुनिक बनाने की अभिलाषा उनके रक्त में उन्हें जवाहर लाल नेहरू और श्रीमती इन्दिरा से बिरासत में मिली है और भ्रष्टाचार कि त्रिवेणी को रोकने की प्रेरणा उनके रक्त में फिरोज गांधी के रक्त से बिरासत में मिली है। वह विश्व को दिखा देना चाहते हैं कि वह अपने देश को श्रीमती इन्दिरा गांधी की अभिलाषा के अनुरूप एक तीसरा विश्व, एक राम राज्य बना सकते हैं, श्रीमती गांधी ने अपने रक्त की अंतिम बूंद को भी राष्ट्र के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया।

मैं बजट के विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस विषय में परागंत नहीं हूं। इसलिए श्री राजीव

गांधी के अनुसार—जैसा कि उन्होंने 1982-83 के बजट के बारे में कहा है— मैं उद्धरित करता हूं :—

"निवेश कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए संसाधनों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है। संसाधनों का संग्रह आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं प्रतीत होता है। सरकार देखती है कि अर्थ व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की यह प्रकृति रही है उन्हें अपनी बिगड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए रियायतें ही एकमात्र उपाय दिखती है। मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित रखते हुए यदि अपेक्षित विकास संसाधन बढ़ाने हैं तो जनता को अधिक कराधन सहन करने तथा अतिरिक्त भार वहन करने को तत्पर रहना चाहिए।"

इस बजट में हमें प्रसन्नता है अथवा नहीं किन्तु बजट पर विचार करते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह एक व्यक्ति के लिए बजट है और हमें चारबाक की बात ध्यान में रखते हुए—

"यावत जीवेत् सुखम् जीवेत्,

ऋणंकृत्वा घृतं पिबेत।

भस्मीभूतस्य देहस्य, पुनरागमनम् कृतः।

इसका मतलब है कि यह हमारी व्यक्तिगत सांत्वाना के लिए है। किन्तु बजट में संसाधन जुटाने का हमने पैरामीटर लगा दिया है। भूतपूर्व वित्त मंत्री ने यह कहते हुए अपने वित्त मन्त्री को जोरदार बधाई दी है कि जिस समस्या को वह नहीं सुलझा सके, नये वित्त मन्त्री उसे सुलझाने की चेष्टा कर रहे हैं।

महोदय, वित्त मन्त्री गंगा, जमुना और सरस्वती के संगम स्थान त्रिवेणी के निवासी हैं। यही कारण है कि उन्होंने कठिनाइयों को दूर करने की चेष्टा की है। श्री पटेल ने कहा है कि 3000 करोड़ से अधिक रुपये के बारे में इस बजट से मुद्रा स्फीति निश्चित रूप से होगी। संसाधनों को जुटाने की बात मैं थोड़ी देर बाद कहूंगा किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि विख्यात अर्थशास्त्री, श्री नानी पालखीवाला, जो हमेशा ही बजट के आलोचक रहे हैं, उन्होंने भी इस बार बजट की प्रशंसा की है। वाणिज्य मण्डल भी बजट की प्रशंसा कर रहा है। गांव के व्यक्ति, जो समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते हैं, भी वर्तमान बजट का स्वागत कर रहे हैं। रक्षा को अपेक्षित प्राथमिकता दी गई है। विरोधी दल के मेरे मित्र ने यह कहा है कि 20 सूत्री कार्यक्रम के 10 प्रतिशत कार्यक्रम समूचे देश में कार्यान्वित नहीं किये गये हैं। थोड़े से राज्यों को छोड़कर जहां इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने में रूचि नहीं दिखाई जा रही क्योंकि वहां गरीबी होने से उनको लाभ होगा, अन्य सभी राज्यों में जहां कांग्रेस (इ) सत्तारूढ़ है, इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे ढंग से कार्यान्वित किया गया है वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री श्री जनार्दन पुजारी ने बताया कि स्वयं रोजगार गारंटी योजना तथा समेकित ग्रामीण निवास कार्यक्रम एवं त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम के अंतर्गत ऋण देने के मामलों में बैंक वाले लोग बहुत ही अड़चनें डालते हैं। यहां मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जहां तक उड़ीसा का सम्बन्ध है। राज्य सरकार द्वारा कोटा निर्धारित कर दिया गया है और सभी खण्डों को बराबर कोटा नहीं मिल रहा है।

महोदय, जैसा कि कई बार श्री राजीव जी ने यह सुझाव दिया है और मैंने भी सुझाव दिया है कि देश के बुनियादी ढांचे विकास को सुनिश्चित करने के लिए वित्त मन्त्रालय में केन्द्रीय निगरानी प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। कोयले की उपलब्धता 1470 लाख टन हो गई है और परिमाणा-

त्मक रूप में इसके 1560 लाख टन होने की आशा है। परन्तु कोयला जो कि प्राप्त किया गया है उसका कैलोरी मूल्य क्या है? हम आधुनिकीकरण और विस्तार के पक्ष में है। राज्य क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों पर इलजाम लगा रहे हैं। कोयले की खराब किस्म नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के तहत विद्युत संयंत्र उसकी क्षमता का 60 प्रतिशत उपयोग कर रहे है परन्तु राज्य सरकार के अधीन क्षेत्रों में केवल 40 प्रतिशत क्षमता का उपयोग हो रहा है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आस्ट्रेलिया में जो कोयला परियोजना है उसे यहां पर भी बनाया जा सकता है। सार्वजनिक उपक्रमों में हमने 97,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं—यद्यपि मन्त्री जी कहते हैं कि यह रकम 1,10,000 करोड़ रुपए हैं—जबकि ये एकाधिकारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले मैंने इस्पात संयंत्रों में 'स्लीपेरिस' के बारे में बताया था। हालदिया काम्प्लेक्स में 84 महीने की अवधि तक 'स्लीवेज' रहा। 'स्लीवेज' का कारण क्या है? हम हमेशा विदेशी तकनीक निर्यात करने की कोशिश करते हैं। इस संदर्भ में मैं निवेदन करूंगा कि हम अपने राष्ट्रीय शोध प्रयोगशालाओं में सुधार नहीं कर रहे हैं। विदेशी तकनीक को अपनाने के लिए इन्हें नवीनतम बनाया जाना चाहिये। सभी प्रकार की तकनीकी का आयातों विद्यमान विशेषज्ञ निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। हमारे यहां 38 राष्ट्रीय शोध प्रयोगशालाएं हैं। इनमें वैज्ञानिकों को काम कम है। हमारे स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहर लाल नेहरू इन शोध प्रयोगशालाओं को प्रारम्भ करने के सहायक थे।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि 'कोल स्लरी प्रोसिस एंण्ड ग्रेविटी फ्लोरेशन प्रोसिस' को हमारे विद्युत संयंत्रों में भी परीक्षण के तौर पर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। 19 हजार मेगावाट की स्वीकृत क्षमता है परन्तु हमने 14 हजार मेगावाट प्राप्त की है। मेरे विचार से हम छठी योजना के अंतिम वर्ष में 2 हजार मेगावाट क्षमता और प्राप्त कर लेंगे।

महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं हो जाती तब तक लोगों को आर्थिक विकास का लाभ नहीं प्राप्त हो सकता। अत्यधिक आबादी होने का खतरा है। हमारे यहां प्रचुरता में गरीबी है। परिवार कल्याण कार्यक्रमों को चलाने के लिए हमें महिलाओं का सहयोग लेना चाहिए। अन्यथा हम 1977 में आल्मा आटा घोषणा में हस्ताक्षर किए जाने वाले उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री द्वारा घोषित सन् 2000 तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। योजना परिव्यय का सिर्फ 3 प्रतिशत स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए रखा गया है। यह हमारे लिए बहुत ही चिन्ता का विषय है। सदन में इस विषय पर एक संकल्प होना चाहिए। इन योजनाओं के लिए ज्यादा धन दिया जाना चाहिए।

महोदय, पश्चिमी उड़ीसा आजादी के बाद से हमेशा ही उपेक्षित रहा है। हमारी स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने तालचेर-सम्बलपुर रेल लाइन के लिए स्वीकृति दी थी। परन्तु स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के नाम पर इटावा रेल लाइन के पर्याप्त धन की पूर्ति की गई है परन्तु इस परियोजना के लिए बहुत ही अल्प राशि दी गई है। इस परियोजना के लिए सिर्फ 1.50 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। रेल मण्डल और रेल लाइन की नींव तत्कालीन महासचिव और संसद सदस्य श्री राजीव गांधी ने रखी थी। सम्बलपुर रेल मण्डल के लिए कोई धन-राशि नहीं दी गई है। इस कार्य के लिए पर्याप्त धन मुहैय्या कराया जाना चाहिए।

महोदय, सरकारी क्षेत्र में बहुत धन अपव्यय होता है। इस बरबादी को रोका जाना चाहिए। रेल विभाग की हमेशा यही शिकायत रहती है कि योजना परिव्यय में से उन्हें पर्याप्त धन नहीं मिल

रहा है। परन्तु धन की इस फालतू बर्बादी को रोका जाना चाहिए और हमारे सरकारी उपक्रमों में उचित निगरानी पद्धति होनी चाहिये। वित्त मन्त्री को अपने कमरे में कम्प्यूटर द्वारा इसकी निगरानी करनी चाहिए। यह कम्प्यूटर प्रणाली हमें बतायेगी कि हमारे सरकारी उपक्रम ठीक से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र में आंतरिक संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए मन्त्रालय को बेहतर निगरानी की व्यवस्था करनी चाहिए।

लागत में शत-प्रतिशत वृद्धि ही उड़ीसा में 'नेल्को काम्प्लेक्स' में भारी घाटे का कारण है परन्तु आस्ट्रेलिया की टोमेगो, मैसर्स चिनी लिमिटेड ने नवीनतम तकनीक की एक परियोजना सिर्फ 25 प्रतिशत मूल्य वृद्धि पर स्थापित की थी और यहां हम 1200 करोड़ रुपए मूल लागत के स्थान पर लगभग 2400 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। मूल्य में शत प्रतिशत वृद्धि हुई है। लोग सभी सार्वजनिक उपक्रमों में हो रहा है मैं निवेदन करता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में आवश्यक उपचारी उपाय करें।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिये।

डा० कृपासिन्धु भोई : मैं आखिरी मुद्दे पर आ रहा हूं। महोदय, विरोधी पक्ष के लोग आलोचना करेंगे। इस सन्दर्भ में मैं संस्कृत का एक श्लोक सुनाता हूं।

"उदयति यदि भानुः पश्चिमदिग्विभागे,

प्रचलति यदि मेसः शीतताम् याति वह्निः

विकसति यदि पदमः पर्वतानाम् शिखाग्रे,

न चलति खलवाक्यं सज्जनानां।"

चाहे सूर्य पश्चिम दिशा से उदय होने लगे, चाहे सुमेरू पर्वत चलायमान हो उठे, अग्नि शीतल हो जाए, पर्वत शिखरों पर चाहे कमल-पुष्प खिलने लगे परन्तु दुष्टों के वाक्य सज्जन पुरुषों को विचलित नहीं कर सकते। सन्तों की वाणी, महात्मा गांधी की वाणी पंडित जवाहर लाल नेहरू श्रीमती इन्दिरा गांधी की वाणी और अब श्री राजीव गांधी की वाणी को हमारे धार्मिक 'त्रिवेदी' नेता माननीय वित्त मन्त्री ने अपने बजट भाषण में प्रतिध्वनित किया है।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो 1985-86 का बजट प्रस्तुत किया है उसमें जो कुछ कदम उठाए गए हैं वह बड़े साहसी कदम हैं।...(**व्यवधान**)...

मैं प्रयास तो करूंगा जल्दी खत्म करने का लेकिन कुछ तो बोलूंगा। मेरा तो बड़ा रेगिस्तानी क्षेत्र है। इसलिए मेरे प्रति थोड़ी दया करिएगा।

1971 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसमें इनकम टैक्स की दर 93 प्रतिशत बढ़ा दी गई थी परन्तु अब इनकम टैक्स की दर की सीमा घटाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जो ब्लैक मनी है उसको किस प्रकार से समाप्त किया जाय और जो इनकम टैक्स के ईवेडर्स हैं वह इनकम टैक्स ईवेड नहीं करें। इस उद्देश्य की पूर्ति होती है तब तो यह बजट जो प्रस्तुत किया गया है और इनकम टैक्स में जो सुधार प्रस्तुत किया गया है वह बहुत ही स्वागत योग्य है। अब तो इसकी परीक्षा इसी दृष्टिकोण से होगी। जैसा मंत्री महोदय ने बताया है, कोई भी इनकम टैक्स ईवेड करेगा तो उसके ऊपर पीनल प्राविजन्स के द्वारा और सख्त प्राविजन्स के द्वारा सख्त कार्यवाही की जायगी।

पहले तो इनकम टैक्स एथारिटीज के डिस्क्रीशन पर निर्भर करता था, अगर रेड करने के बाद भी वह इनकम टैक्स के एरियर्स पे कर देता था तो छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब उसको सख्त सजा दी जायगी। स्पेशल कोर्ट्स की व्यवस्था करके सख्त सजा दी जाती है तभी इसका क्रियान्वयन सही ढग से हो पाएगा। वास्तव में इसका क्रियान्वयन किस प्रकार से होता है इसी पर यह बात निर्भर करेगी कि इसमें कहां तक सफलता मिलती है।

दूसरी बात यह है कि पिछले साल का बजट 1773 करोड़ के घाटे का बजट था और वह घाटा इस समय तक 4 हजार करोड़ तक हो गया है। इस साल 3379 करोड़ के घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया है।जब 1984-85 में 1773 करोड़ रुपये के घाटे का बजट प्रस्तुत किया गया था और उस पर हम कुछ नियंत्रण नहीं कर पाए, वह बढ़कर 4 हजार करोड़ का घाटा हो गया और यह स्थिति इस प्रकार की तब हुई जबकि जमाना अच्छा आया, क्राप भी अच्छी हुई, तब भी ऐसा घाटा हुआ तो किस प्रकार से यह हम आशा कर सकते हैं कि अच्छा जमाना अब आ जायगा, जो अभी स्थिति है उसमें सुधार हो जायगा, और इस घाटे पर नियंत्रण हो जायगा। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जो स्थिति चल रही है उसमें सातवीं पंचवर्षीय योजना में यह स्थिति हो गई है कि यह घाटा बढ़कर 15 हजार करोड़ तक पहुंच सकता है।

और 15 हजार करोड़ तक पहुंच सकेगा तो फिर स्थिति को नियंत्रित करना कठिन हो जायेगा। इसलिए इस संबंध में जो भी स्ट्रांग स्टेप्स लेने हों वह लेने चाहिए। इस संबंध मेंहम यह भी नहीं चाहेंगे कि आप योजना को कट करें। हम यह भी नहीं चाहेंगे कि आप ज्यादा टेक्सेज लगाकर वसूली करें। हम यह भी नहीं चाहेंगे कि आप हेवी बारोइंग्ज करें। तब प्रश्न यह उठता है कि किस प्रकार से व्यवस्था हो। यह एक चुनौती भरा प्रश्न है। मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी जो पब्लिक एन्टरप्राइजेज हैं, वह जिस प्रकार से कार्य कर रही हैं उसमें हम अभी तक उनके मैनेजमेंट पर नियंत्रण नहीं कर सके हैं। उनमें हमारा अरबों रुपए का इन्वेस्टमेन्ट है जिसका हमें सूद भी प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए उनकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनमें कुशल प्रशासन की नितान्त आवश्यकता है अभी जो टेंडेंसी है उसमें वहां पर आइ० ए० एस० आफिसर्स को चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर्स बना दिया जाता है, जिनको उस विषय का कोई भी एक्सपीरिएन्स नहीं होता है। इसीलिए वे वहां पर अटर फेल्योर होते हैं। मेरा सुझाव है कि पब्लिक एन्टरप्राइजेज के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर्स की जगहों के लिए ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए ना एक्सपर्ट हों और साथ-साथ उस विषय की उनको विशेष नालेज हो। एक विशेष कमीशन के द्वारा चयन करके योग्यतम व्यक्तियों को चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जाए। अभी जो आई० ए० एस० आफिसर्स रखने की जो प्रणाली है, वह सही नहीं है, इसमें परिवर्तन करना चाहिए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है कि विभिन्न विभागों में जो अनावश्यक व्यय हो रहा है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। अभी मैं डिपार्टमेन्ट आफ एजूकेशन की 1983-84 की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके पेज 31 पर दिया हुआ है कि एक शिक्षण संस्था में स्टूडेन्ट्स की संख्या 1541 थी तो टीचिंग स्टाफ की संख्या 316 थी जिसमें प्रोफेसर्स 68 थे व असिस्टेंट प्रोफेसर्स 97 और 151 थे। इस प्रकार से आप देखेंगे कि 5 स्टूडेन्ट्स के पीछे एक प्रोफेसर लगा हुआ है। इस प्रकार के जो इंस्टीडयूशस हैं जिनमें इतना ज्यादा स्टाफ भरा हुआ है, जिसका वहां पर कोई काम नहीं है, उनको वहां पर रखने की क्या आवश्यकता है। इसी प्रकार से अधिकारियों को जीपें व गाड़ियां आपने दे रखी हैं जिनका वे व्यक्तिगत रूप में दुरुपयोग करते हैं। तो इन बातों पर नियन्त्रण होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि हर

डिपार्टमेन्ट में एक ऐसी समिति का गठन किया जाए जो इस बात का पता लगाए कि वहां पर किस प्रकार से बचत की जा सकती है। वह पता लगाकर बता सकती है कि किस प्रकार से यूसलेस एक्सपेंडीचर को रोका जाए। इस सम्बन्ध में आपको कदम उठाने चाहिए।

प्रस्तुत बजट के द्वारा विशेषकर पूंजीपतियों एवं मध्यम श्रेणी के लोगों को लाभ पहुंचा है परन्तु गरीब आदमियों तथा किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वह नहीं पहुंचा है। आपकी जो रूरल डेवलपमेन्ट की योजनायें हैं—आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी० के जो प्रोग्राम हैं या इसी प्रकार से स्माल फार्मर्स के लिए जो प्रोग्राम्स हैं—इन प्रोग्राम्स के अन्दर जिस प्रकार से राशि बढ़ानी चाहिए थी, उस प्रकार से राशि नहीं बढ़ाई गई है। यह कहा गया कि बजट के अन्दर समय पर देख लेंगे कि कितनी राशि बढ़ाने की आवश्यकता होगी। आज डैजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में राशि को दस करोड़ रुपए से घटाकर आठ करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में मैंने एक प्राइवेट रिजोल्यूशन भी सदन में विचारार्थ के लिए प्रस्तुत किया है। पिछड़े हुए क्षेत्रों की उन्नति के लिए, उनके विकास के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है तथा बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर गरीब आदमी की जितनी उन्नति और तरक्की हो सकती थी, उस दिशा में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पहले यह निर्णय लिया गया था कि एक परिवार में एक व्यक्ति को एम्पलायमेंट देंगे, लेकिन हमारा वह कथन भी बिल्कुल झूठा साबित हुआ। हमने इस बारे में कभी भी नहीं सोचा कि यदि हम एक व्यक्ति को एक परिवार में रोजगार दे देते हैं, तो उस गरीब आदमी को आर्थिक दृष्टि से सहारा मिल जाएगा। इस दिशा में भी कोई दुरुस्त कदम नहीं उठाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जब महाराष्ट्र में एम्पलायमेंट गारन्टी स्कीम सफल हो सकती है, तो देश के दूसरे भागों में वह सफल क्यों नहीं होती है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी हम पीने के पानी की समस्या को हल नहीं कर सके हैं। हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लोगों की, हमारे पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की पीने के पानी की समस्या हल नहीं हो सकी है। इस दिशा में भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। आज हर क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ाने की आवश्यकता है। राजस्थान कैनाल का कार्य जिस धीमी गति से चल रहा है, उससे देश का भला नहीं हो सकता है। इस कैनाल का कार्य सन् 66 में शुरू किया गया था, यदि इसको पांच वर्षों के अन्दर पूरा कर लिया गया होता, तो देश का कितना प्रोडक्शन बढ़ गया होता, लेकिन उस तरफ गंभीर रूप से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो कि दिया जाना चाहिए। राजस्थान कैनाल का कार्य पूरा करके हमको वहां के लोगों की पीने के पानी की समस्या को हल करना है, सिंचाई की व्यवस्था करनी है, गरीबी को मिटाना है और वहां के लोगों को एम्पलायमेंट देना है।

इन शब्दों के साथ वित्त मंत्री जी द्वारा बजट सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जार्ज जोसफ मुंडाकल (मुवत्तुपूझा) : माननीय सभापति महोदय, केरल में सरकारी उपक्रमों में लिए बजट में बहुत ही कम राशि का आवंटन किया गया है। उन्होंने हमारे राज्य के लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान नहीं किया है। हमारा राज्य देश के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है। हमारा राज्य चाय, काफी, काली मिर्च, इलायची तथा नीम्बूघास; तेल का निर्यात करता है और हम देश के लिए काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमा रहे हैं। परन्तु हमारे राज्य के लिए आवंटन बहुत ही कम किया गया है। राजमार्गों, नौवहन तथा जल यातायात के लिए बहुत ही कम राशि आवंटित की गई है। कोचीन-मदुरई राज़मार्ग के लिए पिछले वर्ष एक करोड़ रुपया दिया गया था,

परन्तु उस राशि का उपयोग नहीं किया गया है। मुख्य विदेशी मुद्रा हदुक्की जिले के कृषि उत्पादनों से होती है। मदुरैई-कोचीन राजमार्ग हदुक्की जिले से होकर जाता है। इस वर्ष के लिए आवंटन बहुत ही कम है। इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मार्ग के लिए अधिक धन का आवंटन करें।

इसी तरह से, एरुमली-चलाकायम सड़क प्रसिद्ध मंदिर साबटी मलाई जाने वाले लाखों तीर्थ-यात्रियों के काम आती है इसलिए मैं वित्त मंत्री जी से इस सड़क के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने का अनुरोध करता हूं।

हमारे राज्य में बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है। युवा लोग रोजगार के लिए मध्य पूर्व एशिया में जा रहे हैं। मध्य पूर्व और अरब देशों में तेल की कीमतें कम होने के कारण युवा लोगों को वहां पर नौकरी मिलने में कठिनाई हो रही है। सरकारी क्षेत्रों में ज्यादा उद्योग लगाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि केरल में सरकारी उद्यम शुरू करने और सार्वजनिक निवेष के लिए अधिक धन मुहैय्या करायें। इसी प्रकार से सरकार रबर, कोको तथा नारियल के तेल का आयात करने के लिए खुले हाथों से पैसा खर्च कर रही है इसलिए रबर, नारियल, कोको और नारियल के तेल के कृषकों को दिक्कत हो रही है। केरल राज्य में विशेष रूप में गरीब किसानों को बेहद मुश्किल हो रही है। इस समय रबर बाजारों में अत्यधिक मात्रा में पड़ा हुआ है। मैं वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे रबर बोर्ड अथवा राज्य व्यापार निगम या विपणन संघ द्वारा बाजारों से अतिरेक रबड़ को खरीदने के लिए अधिक धन मुहैय्या करायें। हमें रबर कृषकों के लिए 18 रुपये प्रति किलो की न्यूनतम कीमत निश्चित करनी होगी क्योंकि उनकी पारिश्रमिक में वृद्धि हो रही है, मजदूरी भी बढ़ रही है। रबर बृक्षों में लगभग 90 प्रतिशत सीमान्त किसान हैं। उनके पास सिर्फ एक या दो एकड़ भूमि है। इसलिए उनका संरक्षण करने के लिए, अतिरेक रबर को खरीदने के लिए सरकार को अधिक धन राशि का प्रावधान करना चाहिए।

भूमि सुधार के पश्चात, नारियल कृषक सीमान्त किसान हैं जिनके पास एक एकड़ से भी कम भूमि है। अतः सरकार को उन्हें संरक्षण प्रदान करने के लिए आयात को रोकना होगा और विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। हम इस विदेशी मुद्रा को उपयोग किसी और कार्य के लिए कर सकते हैं।

विलास वस्तुएं जैसे कि दालचीनी, जायफल, लौंग इत्यादि ये लोग श्रीलंका से आयात कर रहे हैं। वास्तव में यह पैसे की बर्बादी है। लोग इन्हें बिरयानी व अन्य महंगे खाद्य पदार्थों में उपयोग करते हैं अमरीका या मध्यपूर्व के लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। दक्षिण के निर्धन लोग इनका उत्पादन कर विदेशी मुद्रा की बचत कर रहे हैं। अब हम इसका उत्पादन नहीं करेंगे क्योंकि इसकी खेती में बहुत लम्बा समय लगता है। जायफल और लौंग से आय प्राप्त करने के लिए हमें आठ वर्ष तक इन्तजार करना पड़ता है। कोई भी कृषक इसकी खेती नहीं करना चाहेगा।

अतः मैं वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इन कृषि-उत्पादों का आयात करके विदेशी मुद्रा बेकार न करें। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मंत्री महोदय केरल के निर्धन उत्पादकों के हितों की रक्षा करेंगे और सरकारी उद्यमों के लिए अधिक धन आवंटित करेंगे एवं केरल के निर्धन लोगों को बचाएंगे। धन्यवाद।

श्री आई० रामा राय (कासरगोड) : यह बजट औद्योगिक और कृषि विकासोन्मुख बजट है। इसमें सभी वर्गों विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के कल्याण पर ध्यान दिया गया है। आम आदमी के लिए, साबुन और वनस्पति उत्पादों को छोड़कर करों का बोझ न्यूनतम है।

किसान होने के नाते मैं अपनी बात को कृषि और ग्रामीण विकास तक ही सीमित रखता हूं। भारतीय किसान ने अभावग्रस्त देश को न केवल आत्मनिर्भर बनाकर अपितु जरूरत से ज्यादा अन्न उपजाकर अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। सोवियत संघ में, जिसका क्षेत्रफल हमारे देश से 6 गुना अधिक है और जिसकी जनसंख्या हमारे देश के 1/6वां हिस्सा है, किए गए तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है आज भी उन्हें खाद्यान्न आयात करने पड़ रहे हैं। यदि कृषि के विकास पर थोड़ा सा ध्यान और दिया जाए तो, हम कई चमत्कार कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में विश्व की सब प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है। स्वभावत: विभिन्न कृषकों की विभिन्न समस्याएं होती हैं। साथ ही अधिकांश कृषकों का भाग्य मानसून और मौसम की अन्य परिस्थितियों पर निर्भर है। हम केरलवासियों को 1983 की गर्मियों में भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा। हमारे इस बजट में फसलों का बीमा करने का प्रस्ताव रखा गया है, जो इसका मुख्य आकर्षण है, यदि यह योजना सुचारु ढंग से काम करे, तो कृषि समुदाय के लिए वरदान सिद्ध होगी।

मूल्यों में उतार-चढ़ाव भी एक अन्य कारण है, जिसका प्रभाव किसानों पर पड़ता है। कई बार बहुत अच्छी पैदावार होने के बावजूद वह और निर्धन हो जाता है क्योंकि उसे अच्छी मण्डी नहीं मिलती।

यदि सरकार खुले बाजार में उनके उत्पाद खरीद कर भंडारण करे तो यह कृषि समुदाय के लिए दूसरा वरदान सिद्ध होगा।

देश के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले राज्यों में से केरल भी एक है। 1982-83 के आंकड़ों के अनुसार, हमने नारियल के निर्यात द्वारा 26 करोड़ रुपए, काजू के निर्यात से 34 करोड़ रुपए, काली मिर्च के निर्यात से 29 करोड़ रुपए, इलायची के निर्यात से 16 करोड़ रुपए, अदरक के निर्यात से 5.9 करोड़ रुपए, हल्दी के निर्यात से 4.2 करोड़ रुपए और सुपारी के निर्यात से 1.6 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा अर्जित की। यदि अर्जित विदेशी मुद्रा और इन फसलों के बारे में अनुसन्धान और विकास के प्रयासों पर सरकारी व्यय के बीच समुचित अनुपात रखा जाए तो यह बेहतर होगा। सी० पी० सी० आर० आई०, कासरगौड में नारियल का 'टिशू कलचर सफलतापूर्वक किया गया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और विश्व में पहली बार ऐसा किया गया। किसानों तथा देश के लाभ के लिए पौधे लगाने तथा उससे सम्बन्धित अनुसन्धान कार्य का वाणिज्यीकरण करना होगा इन वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित तथा सम्मानित करना होगा ताकि इस क्षेत्र में 'प्रतिभा पलायन' न हो। टिशू कल्चर के माध्यम से उगाए जाने वाले पौधों में मूल पौधे की, विशेषकर उस उपज की, पूरी गुणवत्ता बनी रहती है और यदि ये पौधे रोग युक्त कर दिए जाएं तो कई किसानों की परेशानी दूर हो जाएगी।

प्रगतिशील किसानों को, जो नियमित रूप से ऋणों की अदायगी करते हैं, छोटे उद्योगपतियों की भांति उदारता से ऋण देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री जी के शब्दों में कहूं तो बुरे किसानों को बुरी मुद्रा की तरह परिचालन से बाहर रखा जा सकता है।

अब मैं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर आता हूं, गरीबी हटाने के लिए तीन मुख्य कार्यक्रम—समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम तथा शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर देने सम्बन्धी कार्यक्रम है यह कुछ ऐसी योजनाएं हैं, जिनसे हमारी कई समस्याओं का समाधान हो सकता है। किन्तु उन्हें उचित रूप से कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। दुर्भाग्य से हमारें कुछ विपक्षी सदस्य-उनमें से अभी कुछ सदस्य अनुपस्थित हैं—और कुछ विपक्षी दल उस सास की तरह व्यवहार कर रहे हैं जो अपनी बहू को विधवा

देखना चाहती है यद्यपि इसके लिए उसे अपना पुत्र खोना होगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि यदि जनसंख्या वृद्धि को रोकने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता तो हमारे सभी प्रयास ऊंट के मुंह में जीरा डालने के समान होंगे। हमारे देश में जन्म दर विकास दर से अधिक है। चीन में, ग्रामीण क्षेत्रों के दम्पत्ति दो बच्चों में तथा शहरी क्षेत्रों के दम्पत्ति एक बच्चे में विश्वास रखते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति समय की सबसे बड़ी पुकार है। इसी से देश समृद्ध हो सकता है।

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद (चतरा) : सभापति जी, भारत के यशस्वी वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट का मैं समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं और इस सिलसिले में वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस वर्ष कच्चे तेल के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है और लक्ष्य से आगे बढ़कर तेल का उत्पादन हुआ है। 114 मिलियन मैट्रिक टन का जो लक्ष्य था, वह बढ़कर दुगने से भी अधिक हो गया है और तेल का उत्पादन 294 मिलियन मैट्रिक टन हुआ है। इस बढ़ोत्तरी से देश में निश्चित रूप से सम्पन्नता बढ़ेगी लेकिनय्यही एक माध्यम नहीं है किसी भी देश की सम्पन्नता के लिए। देश के अन्दर प्रति व्यक्ति इस्पात का किस तरह से उत्पादन हो रहा है और कितनी अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है, उस पर भी बहुत सारी बातें निर्भर करती हैं। हमारे देश में इतने साधन रहते हुए भी हम उनका पूरा फायदा अभी तक नहीं उठा पा रहे हैं। कोरिया जैसे छोटे देश में 35 मिलियन मैट्रिक टन इस्पात का उत्पादन होता है जबकि हमारे देश में उसका आधा भी नहीं होता है। एक जमाने से इस बात की मांग हो रही है कि बोकारो में कम से कम 10 मिलियन मैट्रिक टन इस्पात का उत्पादन होना चाहिए क्योंकि इतना उत्पादन करने की क्षमता है। इससे देश की गरीबी दूर करने में काफी सहायता मिलेगी लेकिन उसमें कोई सफलता विशेष रूप से नहीं मिल रही है।

स्टील के उत्पादन के लिए ऊर्जा का माध्यम कोयला है। इस कोयले की वजह से जिस पर कि स्टील का उत्पादन निर्भर करता है, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस देश में जो कोल वाशरीज हैं उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी हालत सुधारने के कार्य को महत्व दिया जाना चाहिए और धुला हुआ कोयला अच्छी मात्रा में अपने इस्पात कारखानों को सप्लाई करना चाहिए। इसी की वजह से हमारे इस्पात कारखाने ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। कोकिंग कोल के उत्पादन की दिशा में जो कदम उठाये जाने चाहिए थे वे अभी तक हम नहीं उठा पाये हैं।

इसका प्रमुख कारण यह है कि कोयला खदानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके रहन-सहन की स्थिति अच्छी नहीं है। हमें कोयला मजदूरों में उनकी स्थिति में परिवर्तन लाकर उत्साह पैदा करना होगा। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट दो के मुताबिक मजदूरों के रहने-सहने की स्थिति में सुधार लाने के लिए 12 हजार मकान बनने थे लेकिन उसमें से केवल 45 सौ मकान बन पाये हैं। नेशनल कोल वेज एग्रीमेंट तीन जो कि 1-1-1983 को हुआ था के मुताबिक 17 हजार मकान बनने चाहिए थे लेकिन इस पर अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है। यह एग्रीमेंट 1986 में समाप्त हो जाएगा। मजदूरों को गन्दगी में रहना पड़ता है। उनके रहने सहने के स्थान पर सफाई-वगैरह का इन्तजाम नहीं है। इससे भी हमें कोयले के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता प्राप्त नहीं होती है।

सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी को देश के अन्दर फसल बीमा योजना लागू करने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इससे देश में हरित क्रान्ति का विस्तार होगा। यह फसल बीमा योजना सरकार

का एक इक्लावी कदम है। इससे गेहूं, धान, तिलहन, दलहन सभी फसलों को बीमा ऋण प्राप्त होगा। यह एक ऐसी नीति है जिससे हरित क्रान्ति का विस्तार तो होगा ही, यह देहातों में रहने वाले किसानों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने में भी काफी सहायक होगी। इससे उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिल सकेगी।

लेकिन सभापति महोदय, किसानों के अंदर मजदूरों का जो वर्ग है उसकी जिन्दगी में नई रोशनी लाने के लिए कुछ और कारगर कदम उठाने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जो हमारी एन० आर० ई० पी० जैसी योजनाएं हैं इनसे किसानों की माली हालत में सुधार आया है। इसके द्वारा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए काफी कदम उठाये गए हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं जिनके लिए इसमें कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है। अभी जो मजदूरों को साधन दिए दिए जा रहे हैं वे यथेष्ट और पूरी तरह कारगर नहीं हैं।

सभापति जी, चूंकि समय कम है इसलिए मैं अपनी महत्वपूर्ण बातों को जल्दी-जल्दी आपके सामने रखूंगा। हमारे देश के नए प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी देश में चातुर्दिक विकास के लिए नई रोशनी की खोज कर रहे हैं और उस दिशा में वे देश की अगुवाई बड़ी निर्भीकता और आत्म-विश्वास के साथ कर रहे हैं। इसलिए मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं।

दुधारू गायों, सुअर पालन तथा बन्धुआ मजदूरों को पुनर्वासित करने के लिए, टमटम तथा रिक्षा के लिए जो राशि दी जाती है वह यथेष्ठ नहीं है इस राशि में बढ़ोत्तरी होनी चाहिए। इस राशि और साधन प्रदान करने वालों को इसके लिए जिम्मेदार बनाना होगा कि गरीब लोग इनसे आगे बढ़ें। गरीब लोग अपनी गरीबी और खान-पान के कारण इसके बावजूद आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि दुधारू गायों की मात्रा बढ़ाई जाए।

मेरा यह भी सुझाव है कि जो वृक्ष लगाने का हमारा अभियान है उसमें सब्सीडी देकर एक किसान को कम से कम सौ पेड़ लगाने का प्रावधान रखा जाये। अगर आपने एक किसान को पांच रुपये पेड़ दिए और उसने साल में सौ पेड़ लगाये तो साल भर में आपके पांच सौ रुपये खर्च होंगे। वे सौ पेड़ पांच वर्षों में तीस हजार रुपये का फलदान करेंगे। पांच सालों के बाद आप उनसे तीस हजार रुपये की आमदनी कर सकेंगे। यह हमारा सुझाव है।

सभापति महोदय, अब मैं अपने क्षेत्र चतरा की ओर आपको ले चलना चाहता हूं। यह गया, पलामू तथा हजारीबाग के टेल एण्डस पर स्थित है। वहां आपको आने-जाने के साधन नहीं मिलेंगे। वहां केवल पेड़, पौधे ही नजर आयेंगे। वहां वृक्षों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है। वहां पर सिंचाई के साधन बिल्कुल नगण्य हैं।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां पर छोटी-छोटी सिंचाई योजनाएं 20-20 वर्षों से पेंडिंग पड़ी हुई हैं। जैसे नागदाननाला, अमझर नदी, रचकेल डैम, ये स्कीम्स हैं जो 20 वर्षों से स्टेट प्लानिंग डिपार्टमेंट के अन्दर लम्बित पड़ी हुई हैं। अगर इन पर काम नहीं किया जाएगा तो गरीब किसान को कैसे लाभ पहुंच सकेगा। इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है।

एक अनुरोध और करना चाहता हूं। मैं चतरा क्षेत्र से आता हूं, वहां पर बड़े-बड़े जंगल और और पहाड़ हैं। वहां के किसानों के विकास के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इससे लाखों किसानों को गरीबी की रेखा से ऊंचा उठाया जा सकता है और उनको सम्पन्न बनाया जा सकता है। जैसे आपके यहां सी० आई० एल० कोल इण्डिया लिमिटेड का सैंटर वहां पर है और उसमें केन बास्केट, बम्बू

मैटिंग्स की करोड़ों रुपए मूल्य की सामग्री की आवश्यकता होती है जो कि वहां के लोग बनाकर सप्लाई कर सकते हैं। वहां के बढ़ई कुदाल और बेलचे के हैंडिल बनाकर सप्लाई कर सकते हैं, लोहारों को भी टूल्स बनाने का काम दिया जा सकता है। इन चीजों को खरीदने में करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। अगर इन गरीबी से ये चीजें ली जाएं तो ये लोग घर बैठे ये चीजें तैयार करके दे सकते हैं और उनकी गरीबी दूर हो सकती है। आपको इस ओर अवश्य ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, बातें तो मैं बहुत-सी कहना चाहता था, लेकिन आपकी घंटी बराबर बज रही है, लेकिन एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ऐसे जो इलाके हैं, जहां पर जंगल हैं, वहां पर आपको कोई विशेष खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेलफेयर पर आप वैसे भी खर्च करते हैं, सरकार खर्च करती है, इस तरह से वहां पर बैठे-बैठे उन लोगों को रोजगार का साधन मिल जाएगा। लाखों की संख्या में मजदूरो को नियोजन मिल सकता है, बैठे-बैठे उनकी बेरोजगारी मिट सकती है। इस बात की ओर अवश्य सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इतना कहकर ही मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री बी० बी० रमैया (एलुरु) : सभापति महोदय, सदन के दोनों पक्षों ने मिट्टी के तेल, खाना पकाने की गैस तथा डीजल के करों में की गई वृद्धि से पड़ने वाले प्रभाव का स्पष्ट रूप से जिक्र किया है। इन सबका आम आदमी के जीवन पर असर होगा। यद्यपि कुछ क्षेत्रों में लोगों को राहत दी गई है, वित्त मन्त्री को अन्य क्षेत्रों पर ध्यान देना चाहिए था। कर वृद्धि से साबुन, तेल मूल्यों तथा परिवहन पर प्रभाव पड़ा है। डीजल के मूल्यों में वृद्धि होने से इसका प्रभाव किसान पर पड़ेगा। जुताई के काम आने वाले ट्रेक्टर तथा पम्प की परिचालन लागत बढ़ जाएगी और इससे उसे बहुत परेशानी होगी। इस्पात के मूल्यों में वृद्धि होने से वाहनों की कीमतें बढ़ जाएगी। तिपहिया स्कूटर चालकों ने पिछले कुछ दिनों में अपने किराए में वृद्धि कर दी है। संभवतः सड़क परिवहन के भीड़ में भी वृद्धि हो सकती है। इन सबका प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा और मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इस पहलू पर ध्यान देंगे तथा देखेंगे कि अन्य जिन वर्गों को राहत दी गई है, उनके साथ-साथ आदमी को भी कुछ राहत दी जाए।

अन्य जिस महत्वपूर्ण मामले के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वह है घाटे का बजट। पिछले वर्ष अनुमानित घाटा करीब 1700 करोड़ रुपये था जो बढ़कर लगभग 4,000 करोड़ रुपये हो गया। यदि इस वर्ष के आरम्भ में घाटा 3400 करोड़ रुपये है, तो इस वर्ष के अन्त में न जाने कितना होगा। यह घाटा 5000 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक भी हो सकता है। मुझे विश्वास है मंत्री महोदय स्वयं इसे देख रहे होंगे क्योंकि यह धारा अच्छे मानसून पर निर्भर करता है। यदि मानसून बहुत अच्छी न हो तो मुद्रा स्फीति होती है और इसका प्रभाय निश्चित रूप से आम आदमी पर पड़ता है। मूल्य वृद्धि का प्रभाव सभी वस्तुओं के मूल्यों में परिलक्षित होगा। घाटे की वित्त व्यवस्था के कारण प्रत्येक मद—खाने की वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुएं आदि के मूल्यों में वृद्धि होगी। वित्त मंत्री महोदय 1000 करोड़ रुपये और अधिक ऋण लेने का विचार कर रहे हैं। लेकिन यदि यह ऋण बैंकों से न लिया गया और इसकी व्यवस्था रिजर्व बैंक को ही करनी पड़ी तो घाटा और बढ़ जाएगा इस तरह आपको अपनी अर्थ-व्यवस्था के निर्माण में सावधानी बरतनी चाहिए।

2.00 म० प०

उदाहरण के लिए, कच्चे तेल में हुई मूल्य में वृद्धि को लीजिए। कई वर्ष पूर्व इसका मूल्य

11 रुपये से बढ़कर 100 रुपये कर दिया गया था। अब इसे और बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया है, जिसका अर्थ है थोड़े ही वर्षों में 30 गुना से अधिक वृद्धि होना। ऐसे समय में जबकि अशोधित तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो रहे हैं हम अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ा रहे हैं, जो कि वास्तव में आश्चर्यजनक है। मुझे विश्वास है मंत्री महोदय इन पहलुओं पर विचार करेंगे तथा यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि इस असंगति को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जाएं।

अब मैं सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में किए गए पूंजी-निवेश के बारे में कहूंगा। पूंजी निवेश 30,000 करोड़ रुपये से भी अधिक है, इस पर लाभ केवल 0.6 प्रतिशत है। यदि हम इस लाभ को 10 प्रतिशत के आसपास ला सकें, तो हमें घाटा नहीं उठाना पड़ेगा। और आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ेगा। अत: सरकार को सरकारी क्षेत्र की क्षमता तथा इसकी उत्पादकता पर ध्यान देना चाहिए ताकि इससे कुछ लाभ हो सके। यदि उत्पादन अधिक होगा, तो वस्तुओं की निकासी अधिक होगी जिससे उत्पाद-शुल्क और बिक्री-कर पर अधिक लाभ मिलेगा, जिसका क्षमता तथा उत्पादकता पर कई तरह से प्रभाव पड़ता है। हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। जब कोरिया, ताइवान जैसे छोटे देश भी कई मिलियन डालर की वस्तुओं का निर्यात कर रहे हैं। तो हमें अपनी क्षमता तथा उत्पादकता बढ़ाकर हमारे पास संसाधनों का भंडार है। तटीय संसाधनों, वन-सम्पदा, खनिज, कोयला तथा तेल एवं जल संसाधनों के मामले में हमारा देश समृद्ध देशों में से है। प्रश्न केवल यही है कि हम कितनी तत्परता से, कितने प्रभावशाली ढंग से और कितनी कार्यकुशलता से इन संसाधनों का उपयोग करते हैं। हमारे पास जनशक्ति है तथा प्रौद्योगिकी है। दुर्भाग्य से हम इनका उचित उपयोग नहीं कर रहे, इसी कारण हमारे लोग अपने देश का भला करने की बजाय विदेशों में काम करके उन्हें लाभ पहुंचाते हैं।

जो परियोजनाएं हम शुरू कर चुके हैं, हमें उन्हें यथाशीघ्र पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। पिछले तीन दिनों से हम रेलवे की उन परियोजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे जिनमें असाधारण विलम्ब हुआ है। जिन्हें 10 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और 30 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश का प्रस्ताव किया गया था, अभी तक उन्हें केवल 2 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। उन्हें लेते समय तक लम्बित रखा। हमें कोई जानकारी नहीं कि वे ऐसी परियोजनाएं कब तक पूरी कर पाएंगे। भाप के इंजनों के सम्बन्ध में रेलवे पहले ही कार्यकुशलता से काम नहीं कर रहा। जब तक आप अर्थ व्यवस्था के आधार सुधार नहीं करते, और अपनी कार्यक्षमता नहीं बढ़ाते, आपके अतिरिक्त कराधान के कारण, आम आदमी पर बोझ बढ़ता जाएगा। दुर्भाग्य से, हम अपनी अर्थ व्यवस्था या कार्यक्षमता, उद्योग अथवा कृषि या विज्ञान और कृषि के क्षेत्र में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं।

आज सुबह हम चीनी के आयात के बारे में चर्चा कर रहे थे। तीन साल पहले जब हम निर्यात करते थे तो उस समय चीनी का उत्पादन 85 लाख टन होता था। चीनी का उत्पादन किसान करते हैं न कि उद्योग क्योंकि उद्योग तो गन्ने से चीनी निकालने का ही काम करते हैं। यदि आज चीनी का उत्पादन केवल 65 लाख टन होता है तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार की गलत नीतियां खासकर कृषि मंत्रालय वित्त मंत्री चीनी, दाल तथा तिलहनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा देने के लिए तैयार है लेकिन हमारे किसानों को लाभप्रद मूल्य देने के लिए तैयार नहीं इसीलिए हमारे किसानों में पैदावार बढ़ाने का उत्साह नहीं है। कृषि-क्षेत्र में अगर मौजूदा नीति का ही पालन किया जाता रहा तो पैदावार में कमी आएगी और हमें संकट का सामना करना पड़ेगा। अत: किसानों को पैदावार बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आप समय पर कार्रवाई करें।

हमारी टेलीफोन व्यवस्था को लें। सारे विश्व में इससे बढ़कर अकुशल व्यवस्था देखने को नहीं

मिलेगी। यदि टेलीफोनों की कार्य निष्पादन क्षमता तथा कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए तो टेलीफोनों से प्राप्त होने वाले राजस्वों में तेजी से वृद्धि होगी। अतः इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

2.04 म० प० **(श्री एन० बी० रत्नम पीठासीन हुए)**

विभिन्न क्षेत्रों को दिए जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहनों को लें। 'उद्योग रहित जिला' को देखिए। दक्षिण भारत में कोई भी जिला 'उद्योग रहित जिला' के अन्तर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का पात्र नहीं हैं। इसके स्थान पर अगर 'उद्योग रहित तालुका' कर दिया जाए तो सम्भवतः लोगों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए अधिक प्रोत्साहन मिलेगा जिससे उत्पादन बढ़ेगा और फलस्वरूप देश के औद्योगीकरण में सहायता मिलेगी।

सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न करों के विभिन्न पहलुओं की चर्चा करने के बाद अब मैं कुछ ऐसी रियायतों की चर्चा करना चाहूंगा जिन्हें समाप्त कर दिया गया है लेकिन जिन पर पुनर्विचार करने की जरूरत है।

धारा 80 जे० जे० पशुपालन, मुर्गीपालन, डेरी उद्योग से सम्बन्धित है। ये उद्योग अभी विकास की अवस्था में हैं। यदि इन्हें दिए जाने वाले लाभ बन्द कर दिए गए तो ये उद्योग पनप नहीं सकेंगे। इसी तरह जब तक आप ग्रामीण क्षेत्र में कृषि को रियायतें नहीं देते तब तक उसका विकास नहीं हो सकता।

इसके बाद, मैं खंड 2 (4) की चर्चा करूंगा जिसके अनुसार यदि आय कर अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील की जाती है तो वे वकील या विशेषज्ञों को किसी प्रकार का भुगतान किए जाने की अनुमति नहीं देंगे। बड़ी अजीब बात है। अदालतों में पेश करने के लिए अपील विशेषज्ञ ही तैयार कर सकते हैं क्योंकि बहुत कम कर दाता विभिन्न उपबंधों के निहितार्थ समझते हैं। यदि करदाताओं को विशेषज्ञों तथा वकीलों की सेवाओं का उपयोग करने का अवसर नहीं दिया जाएगा तो वे उसका औचित्य कैसे सिद्ध करेंगे। आप यदि वास्तव में ये चाहते हैं कि आयकर अधिकारी गलत निर्णय न दें, जैसाकि वे अक्सर देते हैं—और उसके बाद यदि न्यायाधिकरण करदाता के पक्ष में अपना निर्णय देता है तो मेरा सुझाव है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि आयकर अधिकारी या सरकार भुगतान करें। और यदि करदाता हार जाए तो करदाता भुगतान करें। यदि आप इस व्यवस्था को शुरू कर सकें तो इससे वास्तव में सुधार होगा क्योंकि दोनों पक्षों का हिसाब बराबर हो जाएगा। अन्यथा गलत लोग निर्णय देंगे और करदाता को परेशानी होगी क्योंकि आप उसे वकील की सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। माननीय मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि वे इस मामले की जांच करें तथा इस संबंध में कुछ कार्यवाही करें।

दूसरे आपने नकद भुगतान की सीमा 2,500 रु० ही रखी हुई है। बहुत अधिक संख्या में वाहन चालक लम्बी दूरियां तय करके कभी-कभी बेसमय भी, पहुंचते हैं। लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं होता पाता क्योंकि चेक के माध्यम से भुगतान स्वीकार नहीं किया जाता। नकद भुगतान की सीमा 2,500 रु० बहुत समय पहले निर्धारित की गई थी अब इसे बढ़ाकर 7,500 रु० या 10,000 रु०, जो भी उपयुक्त रहे, किया जाना चाहिए। मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस संबंध में कुछ कार्रवाई करेगी।

इसी तरह उपहारों पर कर लगाने के मामले में बहुत समय पहले उपहार की अधिकतम सीमा 5,000 रु० निर्धारित की गई थी। इसे बढ़ाकर 30,000 रु० किया जाना चाहिए।

आपने निवेश भत्ता समाप्त कर दिया है इससे उद्योगों के आधुनिकीकरण पर प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि मूल्यह्रास के लिए प्रतिस्थापन लागत देने की व्यवस्था की जाए। यदि ऐसी व्यवस्था की गई तो उक्त लागत उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए प्रेरक का कार्य करेगी।

धारा 80 (जे) के सम्बन्ध में, उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए निर्णय से उद्योगों को बहुत आघात पहुंचा है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। उद्योगों पर अचानक पड़नें वाले इस बोझ से कठिनाइयां उत्पन्न होगीं। आशा है माननीय वित्त मंत्री इस मुद्दे पर विचार करेंगे।

जैसाकि मैं आपको बता चुका हूं उद्योगों की क्षमता का उपयोग एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। वित्त मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं की सहायता करना चाहते हैं विशाखापत्तनम स्टील प्लांट को पहले 650 करोड़ रुपये आबंटित किए गये थे किन्तु उक्त राशि को घटाकर 215 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे उक्त संयंत्र को धक्का पहुंचा है। इस रफ्तार में तो मालूम नहीं यह संयंत्र 10 साल में पूरा होगा भी या नहीं। परिणामस्वरूप परियोजना की लागत बढ़ेगी। अतः एक साथ इतनी सारी परियोजनाएं शुरू करने के बजाय यदि सरकार कम परियोजनाएं शुरू करें तो हमें खुशी होगी। इससे ऊपरी खर्चों में कमी आएगी, परियोजना बहुत शीघ्र तैयार हो जाएगी तथा उसमें उत्पादन अधिक होगा।

सरकार को उन उद्योगों की सहायता करनी चाहिए जिनकी 50 प्रतिशत पूंजी क्षय हो जाती है ताकि वे व्यवहार्य यूनिटें बन सकें।

जिन मामलों में उद्योग की रुग्णता के लिए सरकार उत्तरदायी है तो उसके लिए प्रबन्धकों को जिम्मेवार नहीं ठहराया जाना चाहिए। उद्योगों की रुग्णता के कारणों को दूर करने के प्रयास करने चाहिए। उदाहरण के लिए अल्काहोल उद्योग को, मोलेसेस का आयात न किए जाने के कारण पिछले महीनों में हानि हो रही है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके अलावा सभी उद्योगों के साथ एक सा व्यवहार किया जाना चाहिए चाहे वे सरकारी क्षेत्र के उद्योग हो अथवा निजी क्षेत्र के। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि यदि इन उद्योगों की कार्यक्षमता ठीक नहीं है तो उसे ठीक किया जाए। इन उद्योगों में अगर कोई कमी हो तो उसे बिना किसी भेदभाव के दूर किया जाए और सभी यूनिटों को, गलती के लिए समान रूप से दंडित किया जाए। इस पर विचार न किया जाए कि वे सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटें हैं अथवा निजी क्षेत्र की। बहुत सी यूनिटों को कच्चे माल की सप्लाई समय पर नहीं की जाती या लाइसेंस प्रणाली के त्रुटि पूर्ण होने के कारण देरी होती है अथवा सरकार द्वारा आयात समय पर नहीं किया जाता। ऐसे मामलों में न केवल प्रबन्धक बल्कि सरकार भी जिम्मेवार है। जैसा कि मैं चीनी नीति के मामले में पहले उल्लेखकर चुका हूं कि इसके लिए चीनी-प्रबन्धक ही उत्तरदायी नहीं है बल्कि सरकारी कीमतों के बारे में समय पर सही निर्णय न कर जाने के कारण सरकार भी उत्तरदायी है। वित्त मंत्री को यह नहीं कहना चाहिए कि इसके लिए अन्य मंत्रालय जिम्मेवार हैं। यह तो सबकी मिली-जुली जिम्मेवारी है। आपको अन्य मंत्रालयों के साथ समन्वय बनाए रखना चाहिए ताकि विभिन्न यूनिटों की कार्यक्षमता पर विपरीत प्रभाव न पड़े।

श्री दिग्विजय सिंह (राजगढ़) : हमारे माननीय वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण का आरम्भ स्वर्गीय प्रधानमंत्री के इन शब्दों के साथ किया था :

> "अपनी विशाल तथा बहुविध जनसंख्या के किसी भी हिस्से को उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। उनकी उपेक्षा हम सबकी सामूहिक हानि है।"

उन्होंने अपने बजट भाषाण में यह आश्वासन दिया है कि देश की जनता के प्रत्येक वर्ग का

व्यक्ति चाहे वह कृषि मजदूर हो, औद्योगिक मजदूर हो, किसान, महिला, मध्यमवर्गीय कर्मचारी पेंशनर लघु उद्यमी हो। सभी का ध्यान रखा जाएगा। इसी से पता चलता है कि सरकार को देश के मतदाताओं की कितनी चिंता है। याद करिए कि 1980 में जनता सरकार के सत्ता से हटने के बाद देश की अर्थव्यवस्था की हालत क्या थी। जनता सरकार के शासन के दौरान अर्थव्यवस्था पूरी तरह लड़खड़ा रही थी। उत्पादन का स्तर जहां का जहां था, विदेशी मुद्रा का स्टाक न्यूनतम सीमा तक पहुंच गया था, खाद्यान्न का अतिरिक्त स्टाक खाली हो गया था तथा देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब थी। पिछले पांच सालों के दौरान कारगर उपाय तथा नियंत्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक स्थिति में ले आया गया है। इसका प्रमाण देश के मतदाता हैं जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास प्रकट किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान हमने देश को एक ऐसी सरकार दी है जिसने अपने वायदों को पूरा करने के लिए काम किए हैं। कृषि उत्पादन, औद्योगिक उत्पादन, विद्युत-उत्पादन, कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है। रेलें अब अधिक सामान ढोती हैं। व्यवहार्यतः हमने हर क्षेत्र में प्रगति की है। मुद्रा स्फीति को सहनीय सीमा तक बढ़ने दिया गया, विदेशी मुद्रा के रिजर्व में प्रर्याप्त वृद्धि हुई तथा खाद्यान्न के बफर स्टाक में वृद्धि हुई। मोटे तौर पर आज हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति ठीक है। इसके लिए हम पिछली सरकार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हैं तथा आशा करते हैं कि अगले 5 सालों के दौरान भी अर्थव्यवस्था की ऐसी ही स्थिति रहेगी।

महोदय, विरोधी दल के नेताओं को, 3400 करोड़ रु० के घाटे की बहुत चिंता है जो कि मेरे विचार में बजट को सन्तुलित करने के लिए दिखाया गया है। लेकिन मेरे विचार से विरोधी दलों द्वारा की जा रही उक्त आलोचना बेकार है। 1979-80 में जब उन लोगों ने बजट पेश किया था तो उसमें 2400 करोड़ रु० का घाटा दिखाया गया था जोकि मौजूदा कीमतों के अनुसार अब लगभग 3600 करोड़ रु० हो गया है। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे अपने में दोष होने पर भी दूसरे में वह दोष बताया जाए। मेरे विचार से उनका ऐसा कहना उचित नहीं है। घाटे की अर्थव्यवस्था के बावजूद, विदेशी मुद्रा के प्रर्याप्त रिजर्व तथा प्रर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न के बफर स्टाक के कारण हम मुद्रा स्फीति के प्रभाव से उपभोक्ताओं को बचा सकेंगे। फिर भी हम चाहते हैं कि माननीय वित्त मंत्री अर्थव्यवस्था पर निगरानी रखें ताकि उपभोक्ताओं को कठिनाई न हो। कर-संरचना तथा लाइसेंस नीति को तर्क संगत बनाने की ईमानदारी से कोशिश की गई है। आशा है इससे देश के आर्थिक विकास तथा रोजगार में वृद्धि होगी जिसकी हमें सख्त जरूरत है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री दिग्विजय सिंह : महोदय, मैंने अभी तो शुरू किया है।

सभापति महोदय : जारी रखिए। आप पहले ही पांच मिनट ले चुके हैं।

श्री दिग्विजय सिंह : करों के बोझ को कम करने की ईमानदारी से कोशिश की गई है। अब ईमानदार करदाता तत्काल कर का भुगतान कर सकता है। इस दिशा में सरकार ने यथा समार्थ्य किया है। अब करदाताओं पर है कि कालेधन को कम करने के लिए ईमानदारी से करों का भुगतान करें।

आय का स्वेच्छा से प्रकटन के विषय में दण्डिक उपबंध के अन्तर्गत जो छूट की गई थी उसे वापस लिए जाने का स्वागत किया गया है। इस उपबंध को शामिल किए जाने का मुझे कोई कारण नहीं दिखता। चोर हमेशा चोर ही रहता है, चाहे वह इसे माने या न माने। इसलिए मैं समझता हूं कि इस समय इस तरह के कर चोरी करने वालों के विरूद्ध विशेष अदालतों में तुरन्त मुकदमें चलाए जाने की

आवश्यकता है। हमारी केन्द्रीय सरकार करों की चोरी करने वाले लोगों के साथ सख्ती से निपटेगी।

बैंकों पर लगने वाले ब्याज-कर को समाप्त किए जाने का भी स्वागत है। मुझे विश्वास है कि इन वाणिज्यक बैंकों को जो राहत दी गई है वे उधार लेने वालों के पक्ष में जाएगी और ऋण पर ब्याज दर काफी कम हो जाएगी। इसका लाभ बैंक कर्मचारियों को अधिक वेतन और सुविधाएं देने के लिए नहीं उठाया जाना चाहिए। इसका लाभ उधार लेने वालों को जाना चाहिए ताकि बचत की जा सकें और देश की आर्थिक विकास में सहायता मिल सकें।

राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में 39% की वृद्धि भी एक बहुत प्रोत्साहक कदम है। जो राज्य अधिक स्वराज्य की मांग कर रहे हैं उन्हें अब कोई शिकायत करने का मौका नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह की बढ़ोतरी से राज्य सरकारें अपने राज्यों में कल्याण कार्यों को अधिक प्राथमिकता दे सकेंगे।

रुग्ण उद्योग के प्रबन्धक को दण्ड देने के प्रस्तावित कदम का भी स्वागत हैं। क्योंकि यहां यह एक तरह का धन्धा बन गया था कि रुग्ण उद्योग के प्रबन्धक वित्तीय संस्थाओं से भारी ऋण ले लेते हैं और उसे आमोद-प्रमोद में खर्च कर देते हैं, तथा बाद में वे केन्द्र सरकार के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि वह कम्पनी को अपने नियंत्रण में ले लें। अतः उसे रोकने के लिए उठाया गया कदम निश्चित ही प्रगतिशील कदम है। यद्यपि बैंक प्रबन्धकों के रवैये में काफी परिवर्तन आया है फिर भी बैंकों की भूमिका पर नजर रखनी होगी। मैं समझता हूं कि इस विषय में कुछ कार्रवाही करनी होगी। मेरा सुझाव है कि जिला स्तर की परामर्शदात्री समिति में जिला स्तर के चुने गए प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि बैंक अधिकारियों को चुने हुए प्रतिनिधियों के प्रति और अधिक जिम्मेदार बनाया जा सके।

महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्रों के पीने का पानी के लिए अधिक आबंटन का स्वागत करता हूं। लेकिन साथ ही भूमिगत जल स्तर विशेष रूप से पहाड़ी प्रदेश, और पठारीय प्रदेश में गिरता जा रहा है जो कि एक गम्भीर मामला है। अतः सम्बन्धित मंत्रालय को भूमि गत पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

इस अन्यथा उत्तम बजट में कुछ नासूर रह गए हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मिट्टी का तेल और बीड़ी के मूल्यों में की गई वृद्धि से ग्रामीण निर्धनों को आघात पहुंचा है। हमने इस देश के निर्वाचक गण से उनके हितों को ध्यान में रखने का वायदा किया था लेकिन मैं महसूस करता हूं कि मिट्टी का तेल और बीड़ी की कीमतों को बढ़ाने से हम अपने वायदे से मुकर गए हैं। इसलिए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी इस बात को नोट करेंगे और मिट्टी तेल और बीड़ी के मूल्यों में वृद्धि नहीं करेंगे। मिट्टी तेल के दाम बढ़ाए जाने के कारण हो सकते हैं ताकि डीजल में मिट्टी तेल की मिलावट रोकी जा सके। किन्तु यह काम मिट्टी तेल और डीजल की अलग-अलग डिलरशिप देकर आसानी से किया जा सकता है। इससे डीजल में मिट्टी का तेल की मिलावट से बचा जा सकता है। डीजल या मिट्टी तेल को रंगने का भी विकल्प है ताकि मिश्रण को रोका जा सके। इसी तरह खाना पकाने वाली गैस और साबुन की कीमतों में वृद्धि से मध्यम वर्ग प्रभावित होगा। आमतौर पर इसी वर्ग के लोग मुद्रास्फीति से प्रभावित होते हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि इन वस्तुओं के बढ़ाए गए दामों को वापिस लिया जाए।

ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रम पर कम्पनियों और सहकारी समितिओं द्वारा किए गए व्यय की कर योग्य आय से छूट देने के लिए की गई व्यवस्था को वापिस लेने से निश्चय ही यह एक प्रतिगामी कदम है। इसे वापिस लिया जाना चाहिए क्योंकि चाहे कुछ भी हो अगर बड़ी कम्पनियां और

बड़े व्यापार गृह अपनी फालतू आय को ग्रामीण विकास में लगाते हैं तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में जो उपबन्ध विद्यमान हैं उसे बना रहने दिया जाए।

निजी आयकर छूट की सीमा को 15,000 रु० से 18,000 रु० तक बढ़ा दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसे कम से कम 24,000 रु० तक बढ़ाना चाहिए क्योंकि बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के क्लर्क भी 2000 रु० प्रति महीने का वेतन पा रहे हैं, मध्यम वर्ग के जनसाधारण पर कर लगाने का कोई औचित्य नहीं है ; सरकार को बड़े-बड़े व्यापारियों पर नजर रखनी चाहिए ताकि कर चोरी करने वालों को सबक सिखाया जा सके।

हमारे प्रधानमंत्री जी ने बार-बार कहा है कि हमें 21वीं सदी के लिए तैयारियां शुरू करनी है। इलेक्ट्रानिक्स और कम्प्यूटर उद्योग को छूट, अनुसंधान उपकरणों पर छूट, अनुसंधान के लिए अधिक आवंटन, बन और परिस्थितिकी क्षेत्र के लिए उच्च आवंटन बिजली कृषि और सिंचाई, विज्ञान तथा प्रौद्योगिक, परमाणु अनुसंधान तथा समुद्र विकास के लिए अधिक धन—ये सभी इस दिशा में एक कदम हैं। हमने जो वायदे किए थे वे पूरे किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने अपने वायदे पूरे करने हेतु काम आरम्भ किया है।

1984 में लोक सभा के चुनाव परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश का विकास जनसमूह राजीव जी के साथ है और वे प्रगति रूपी पहियों को खींचने में कोई संकोच नहीं करेंगे। केवल कुछ असंतुष्ट, निराश और अस्वीकृत राजनितिज्ञ इस प्रकार के बजट से सहमत नहीं होंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस बजट से हमारे देश का पूरी अर्थ-व्यवस्था की और अधिक विकास होगा और साथ ही हमारे समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए अधिक रोजगार उपलब्ध होगा तथा समृद्धि आएगी।

इन शब्दों के साथ, मैं पूरे दिल से बजट का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आप ने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैंने बजट प्रस्तुत होने के बाद विभिन्न पदों में जो विरोध पक्ष की प्रतिक्रिया थी उसको बहुत ध्यान से पढ़ा, यहां पर भी जितने विचार उधर से आये उनको ध्यान से सुना और अपने साथियों को भी सुना। उनकी प्रतिक्रिया की मैंने एनालिसिस की तो सारे लोगों की चाहे वह तेलूग देशम के हों, चाहे सी० पी० आई० के हों या जनता पार्टी के हों, सभी लोगों की एक ही प्रतिक्रिया थी और वह यह थी कि इस बजट से इन्फलेशन बढ़ेगा। और तो कुछ इनको मिला नहीं। जब बजट प्रस्तुत हो रहा था तो उस समय भी विरोध पक्ष मायूस बैठा हुआ था। कुछ साथी जो उधर से बोले हैं, उनकी मैं बाद में चर्चा करूंगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि जो यह बजट है यह जिन परिस्थितियों में लाया गया है उसको ध्यान से देखें तो यह बजट वह बजट है जो विकास को गति देने वाला है रोजगार के साधन और मुहैय्या करने वाला है और यही नहीं, जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की बात है, क्योंकि हमने मिक्स्ड एकोनामी अपनाया है, उसमें जो कहीं एक लड़ाई दिखती थी उसको भी एक तरह से समाप्त करके यह कोशिश की गई है कि अपने देश की एकोनामी तेजी से बढ़े। केवल 3349 करोड़ का यह डेफिसिट बजट है। पिछले वर्ष का डेफिसिट इससे ज्यादा है। तो जो इन्फ्लेशन की आशंका है वह निर्मूल है। उसके बारे में जो वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिए हैं वह काफी महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा है कि हम

एडमिनिस्ट्रैटिव खर्च को कम करेंगे, टाइमली इम्पोर्ट की आवश्यकता है तो टाइमली इम्पोर्ट करेंगे, विकास के काम में तेजी लाएंगे और भगवान ने चाहा, मौसम ठीक रहा तो हम इस खाई को पार कर सकते हैं। इसलिए जो महत्वपूर्ण आलोचना उन लोगों की थी उसके बारे में तो मैं यही कहना चाहता था।

अगर बजट साहित्य को हम पढ़ें तो यह देखेंगे कि नान-प्लान का जो एक्सपेंडीचर है उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। जो हमने डिफेंस को दिया है, 1100 करोड़ फूड सब्सडी को दिया है, 1200 करोड़ फर्टिलाइजर को दिया है, वह न दें तो अन्ततोगत्वा उसका प्रभाव हमारी एकोनामी पर ही होता है और किसान की उत्पादन की गति में कमी आती है। अब देखना यह है कि कौन से सेक्टर थे जहां से सरकार टैक्सेज को टेप कर सकती थी। तो हमने विचार किया कि और टेक्सेशन हम नहीं ला सकते हैं। और टेक्सेशन लाते भी तो दो-ढाई सो करोड़ ही वसूल कर सकते थे। इन चीजों को देखते हुए माननीय वित्त मंत्री ने कुछ तो पेट्रोलियम प्राडक्ट्स के दाम बढ़ाए हैं और कुछ दूसरी चीजों पर भी बढ़ाया है। जन-साधारण के इस्तेमाल की चीजों के जो दाम बढ़े हैं उनसे तो मैं सहमत नहीं हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो कांग्रेस सरकार की बुनियादी नीतियां हैं उनसे बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं है, उन दिशा-निर्देशों के अनुसार ही यह बजट बनाया गया है और कुल मिलाकर यह एक सन्तुलित बजट है।

बरसों से इस बात की मांग की जा रही थी कि इनकम टैक्स छूट मिले। मुझे इस बात का हर्ष हो रहा है कि जहां एक तरफ आपने दस लाख लोगों को इनकम टैक्स में छूट दी है, वहीं दूसरी ओर अनिवार्य जमा योजना को भी समाप्त कर दिया है। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा-पत्र के आधार पर जो जनादेश प्राप्त किया उसी को सामने रखकर यह बजट बनाया गया है। उसकी सारी बातें इस बजट में समावेश की गई है। इसलिए यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि हम अपनी नीतियों या कार्यक्रमों से अलग हो रहे हैं।

जहां तक विकास कार्यों का सम्बन्ध है, ऊपर से तो नहीं लगता लेकिन हमने प्लान में एक हजार करोड़ की बढ़ोतरी की है। बीस सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ही 18.3 परसेन्ट धनराशि बढ़ी है। (**व्यवधान**) अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है। दस मिनट तो मिलने ही चाहिए।

मैं यह कह रहा था कि आर० एल० इ० जी० पी० में 400 करोड़ दिए गए हैं और 800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स आलरेडी स्वीकृत हैं। इस प्रकार से आप देखें कि रूरल एरियाज में अनएम्पलायमेंट की प्राब्लाम को भी दूर करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा आप जानते हैं रेडियो, टी० वी० और वी० सी० आर० की लाइसेंस फीस माफ कर दी गई है। साथ ही फसल का बीमा कराने की योजना भी घोषित हुई है। आप जानते है 1982 में इस देश में अप्रत्याशित बाढ़ व साइलोन आने से 31 करोड़ की आबादी सारे देश में प्रभावित हुई थी। ऐसी स्थिति में हमारी सरकार ने फसल का बीमा कराने का बहुत ठीक कदम उठाया है।

इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत दूरदर्शिता से, गरीब लोग जो एक्सीडेंट्स में मर जाते थे जिनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, उनके लिए एक नयी व्यवस्था की है। अभी 100 जिले फिलहाल ले रहे हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में 20 जिले लिए जायेंगे, तो वहां पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो पिछड़े हुए जिले हैं जैसे मिर्जापुर या जो बुन्देलखण्ड और पहाड़ी इलाके हैं जहांपर गरीब मजदूरों की सर्वाधिक संख्या है, उन जिलों को इसके अन्तर्गत लिया जाए। इसके साथ-साथ हमने देखा कि पेंशन

की सुविधा भी बढ़ाई गई है। इस यूथ वर्ष में नौजवानों को विशेष रूप से सुविधायें देने की घोषणा की गई है।

इसी के साथ-साथ जो कारपोरेट सेक्टर है उसको भी काफी रियायतें दी गई हैं। इसके पीछे मंशा यही है कि कम्पनियां उस धनराशि से नयी-नयी इण्डस्ट्रीज की स्थापना करें जिससे कि देश में रोजगार के नए साधन पैदा हो सकें। इस तरह से यह बजट हर रूप में सन्तुलित है और आगे आने वाले समय में निश्चित तौर से इसका असर दिखाई देगा।

जहां तक पब्लिक सेक्टर का प्रश्न है, पब्लिक सेक्टर में हमारी सरकार ने उसकी स्थिति से देश को और सदन को अवगत कराया है। अभी तेलगू देशम पार्टी के माननीय सदस्य, रेड्डी साहब, कह रहे थे कि सरकार ने साइकोलाजिकली पब्लिक सेक्टर को डिस्टर्ब कर दिया है। मेरी दृष्टि में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर सरकार उनके कार्यों को छुपाती तो राष्ट्र के साथ धोखा होता। पब्लिक सेक्टर में जो खामियाँ थी, उनकी ओर सरकार ने ध्यान आकर्षित किया है और आश्वासन दिया है कि आने वाले वर्षों में हम रिजल्ट-ओरिएन्टेड पब्लिक-सेक्टर चाहते हैं क्योंकि देश की सम्पत्ति का 30 करोड़ रुपया पब्लिक सेक्टर में लगा हुआ है।

एक बात की ओर मैं सदन का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं। प्लानिंग कमीशन ने छठी पंचवर्षीय योजना में छः प्रकार की विशेष समस्याओं से निपटने और उनके डवेलपमेंट के लिए स्पेशल फण्ड की व्यवस्था की थी, जैसे डैजर्ट एरिया डवेलपमेंट प्रोग्राम, हिली एरिया डवेलपमेंट प्रोग्राम, ट्राइबल एरिया डवेलपमेंट प्रोग्राम, साइक्लोनिक कोस्टल एरिया के विकास के लिए, ड्राउट-प्रोन एरिया के विकास के लिए। उसमें भी भेदभाव था, हिली एरिया के लिए 100 प्रतिशत दिया गया था, जबकि डैजर्ट के लिए सिर्फ 50 प्रतिशत ही दिया गया था। मेरा माननीय राज्य वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि रीजनल इम्बैलेंसेस को दूर करने के लिए उनको विशेष रूप से कदम उठाने चाहिए, तब जाकर बजट और भी अच्छा हो जाएगा।

मुझे खुशी है कि लड़कियों को शिक्षा के लिए, बारहवीं कक्षा तक छूट दी गई है। मैं समझता हूं कि इससे महिलाओं की शिक्षा में निश्चित तौर से सुधार होगा। बजट से हताश होकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यहां पर आन्दोलन छेड़ने की बात कही है। हमने एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है, जिससे लोगों को रोजगार मिलने वाला है, जिससे लोगों की तरक्की होने वाली है, लेकिन बीड़ी और केरोसिन ऑयल जैसी छोटी-छोटी चीजों पर जो टैक्स बढ़ा है, उसमें जरूर राहत प्रदान की जानी चाहिए। डेफिसिट को कम करने की दिशा में सरकार द्वारा टैक्स लगाना मजबूरी थी, इसी लिए सरकार द्वारा टैक्स लगाना आवश्यक हो गया था।

हमें गर्व है कि हमने पेट्रोलियम का उत्पादन 11.4 मिलियन टन से बढ़ाकर 29.4 मिल्यिन टन कर दिया। इसी प्रकार इलैक्ट्रिसिटी में छठी पंचवर्षीय योजना में पचास प्रतिशत की बढ़ोतरी की। की-सेक्टर जो देश में इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण कर रहे हैं, उनके संसाधनों की आश्यकताओं को देखते हुए ही सरकार द्वारा क्रान्तिकारी कदम उठाए गए हैं। जैसा मैं पहले ही कह चूका हूं कि यह बहुत ही साहसपूर्ण बजट है, सस्ती लोकप्रियता का बजट नहीं है। यदि हमारी सरकार सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने की बात करती, तो टैक्स नहीं लगा सकती थी। इसलिए मैं सरकार को खास कर नए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को उनके साहसपूर्ण कदम के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया और एक साहसपूर्ण बज़ट सदन में प्रस्तुत किया।

[अनुवाद]

श्रीमती प्रेमलाबाई चव्हाण (कराड़) : वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री ने नई सरकार का पहला बजट प्रस्तुत करने में जो महान दूरदर्शिता दिखाई है उसके लिए मैं उन्हें बधाई देती हूं।

हमारे देश के लोगों को जिन्होंने हमारी पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाया है नये परिणामों की आशा है। इस बजट से हमने उस दिशा में शुरुआत की है हमने देखा कि पूरे देश में इसका कितना अधिक स्वागत हुआ है।

इसमें कई साहसिक प्रस्ताव हैं जो पिछली उन कुछ नीतियों से बिल्कुल अलग हैं जिनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी थी।

राजनैतिक चन्दा, फसल बीमा, लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और आधुनिकीकरण के विभिन्न कदम कुछ ऐसे निर्णय हैं जो नई सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत के द्योतक हैं।

सरकार ने आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। बजट घाटा और मुद्रास्फीति को उचित सीमा तक नियंत्रित रखा गया है। विदेशी मुद्रा भण्डार और विदेश व्यापार की स्थिति संतोषजनक है। फिर भी हमें काफी कुछ करना है और समस्याएं बहुत हैं।

लेकिन प्रधानमंत्री ने समर्पण और उद्देश्य की जो भावना प्रदर्शित की है। उससे हम तेजी से प्रगति करने की आशा रखती हैं। अब मैं माननीय वित्त मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

फसल बीमा योजना में उन्होंने कपास की उपज को शामिल नहीं किया है। यद्यपि यह नकदी फसल है फिर भी यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर है। इसलिए मैं बीमा किए जाने वाले फसलों की सूची में कपास को भी शामिल करने का तथा कपास पैदा करने वाले किसानों की सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध करती हूं।

भूमिहीन श्रमिकों और गांव के कारीगरों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को गरीब रेखा के नीचे रहने वाले सभी कर्मकारों के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री महोदय से महाराष्ट्र के सतारा और सांगली जिलों को इस वर्ष चुने जाने वाले 100 जिलों की सूची में शामिल किए जाने का भी अनुरोध करती हूं।

परिवार नियोजन के लिए 500 करोड़ रुपए का आबंटन समस्याओं की अधिकता को देखते हुए कम जान पड़ता है। हालांकि पिछले वर्ष की अपेक्षा यह अधिक है। परिवार नियोजन के लिए वित्तीय पुरस्कार रखने की आवश्यकता है। जो राज्य सबसे अच्छा कार्य दिखाएगा उसे सरकारी क्षेत्र की बड़ी परियोजना देकर पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

औद्योगिक रुग्णता के विषय में विधान बनाने का प्रस्ताव एक नवीनता है। लेकिन मैं समझती हूं कि किसी भी उद्योग को केवल प्रबन्धकों की रिपोर्ट पर ही रुग्ण नहीं मानना चाहिए अपितु मजदूरों की रिपोर्ट पर भी उसे रुग्ण माना जाना चाहिए। जब कोई यूनिट मजदूरों के प्रति अपना दायित्व नहीं निभाती तो उसे स्वतः ही रुग्ण माना जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र की में 'दी अग्ले ग्लास लिमिटेड, कराड़, नामक प्रसिद्ध और पायनियर औद्योगिक यूनिट रुग्ण है तथा कई वर्षों से बन्द पड़ी है। 2000 से अधिक श्रमिकों के परिवारों का गुजर-बसर का जरिया छिन गया है राज्य सरकार द्वारा उस यूनिट को दुबारा चलाने के लिए किए गए

विभिन्न प्रयास असफल रहे हैं। अत: मैं केन्द्रीय सरकार और सम्मानित वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वह इस इकाई का महाराष्ट्र राज्य तथा पूरे देश के लिए जो उस पर विचार करें। कंपनी को अपने हाथ में ले लेना चाहिए तथा इसे जल्दी से दोबारा चालू करना चाहिए। तभी इसकी परिसम्पतियों तथा अवरुद्ध पूंजी का फिर से राष्ट्रीय हित में उपयोग हो सकेगा। निर्धन श्रमिकों के लिए कोई अन्य आशा नहीं है।

वित्त मंत्री जी ने शहरी क्षेत्रों में उद्योगों के जमाव को कम करने, विशेषकर कलकत्ता, बम्बई और अहमदाबाद जैसे शहरों से पुराने उद्योगों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है। ग्रामीण क्षेत्रों और उन जिलों में जहां उद्योग नहीं है उद्योग लगाने के लिए बहुत ठोस प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, नियमित कराधान की पद्धति का शुद्धता और कड़ाई की नीति के रूप में उपयोग किया जा सकता है। बड़े शहरों में कंपनियों पर लगने वाले नियमित कर पर उपकर लगना चाहिए और जो वहां से जाने के लिए तैयार हो उन्हें आधारभूत संरचनात्मक ढांचा स्थापित करने में छूट दी जानी चाहिए और उत्पाद-कर में कई प्रकार की दीर्घावधि छूट दी जानी चाहिए। मैं यह भी सुझाव दूंगी कि उन उद्योगों में जहां 50% से अधिक महिला कर्मचारी कार्यरत है विशेषकर की छूट होनी चाहिए। भारतीय महिलाओं को ऊपर लाने के लिए हमारी माननीय स्वर्गीय इन्दिरा जी द्वारा यह प्रस्ताव किया गया था।

कतिपय उद्योगों के लिए लाइसेंस की अपेक्षा न रखने की नीति अच्छी है। मैं समझती हूं कि सरकार को एम० आर० टी० पी० की सीमा के मामले में बहुत उदार रही है। इस समय प्रस्तावित 60 करोड़ की सीमा की बजाय यह सीमा 100 करोड़ की होनी चाहिए। इसमें कई बड़ी और एकाधिकार वाली कम्पनियां इसमें नहीं आएंगी। मैं समझती हूं कि सरकार को औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति के कार्य करण का अध्ययन करने के लिए दूसरी औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच समिति नियुक्त करनी चाहिए जो पिछले 20 वर्षों में एम० आर० टी० पी० अधिनियम के प्रभाव का भी अध्ययन करेगी इस तरह की समिति पहले भी थी, लघु उद्योग क्षेत्र के बारे में निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है। अब बहुत छोटे उद्योगों और स्व-रोजगार उद्यमियों तथा कारीगरों के लिए एक नए माइक्रो क्षेत्र के निर्माण की आवश्यकता है। इनके दिए निवेश सीमा 5 लाख रुपये रखी जा सकती है। लघु उद्योगों को मिलने वाली छूटों से सम्बद्ध प्रक्रियां को और सरल बनाने की आवश्यकता है क्योंकि जटिल प्रक्रिया से लोगों को परेशानी होती है।

अन्त में मैं एक बार फिर इस बात पर बल दूंगी कि हमने एक अच्छी शुरुआत की है और वित्त मंत्री जी हर तरह से बधाई के पात्र हैं।

***श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** (राजमपेट) : सभापति महोदय, मैं बजट का विरोध करता हूं क्योंकि यह बजट गरीबों के लिए नहीं है। यह बजट गरीब को और अधिक गरीब और अमीर को और अधिक अमीर बनाकर गरीब और अमीर के बीच की खाई को और चौड़ा करेगा। गरीब और अमीर की दूरी को इस बजट ने इतना बढ़ा दिया है कि इसको पाटा नहीं जा सकेगा। इसलिए मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सूखे जैसी प्राकृतिक विपदाओं से ग्रस्त आंध्र प्रदेश जैसे राज्य को नुकसान होगा। मेरे राज्य आंध्र प्रदेश के रायल सीमा क्षेत्र के चार जनपद अर्थात् कुड़प्पा, करनूल, चित्तूर और अन्नतपुर हैं, सूखा ग्रस्त जिले हैं। वर्षा न होने से यह क्षेत्र को हर साल

* तेलुगु में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

कई वर्षों से लगातार गम्भीर सूखे का सामना करना पड़ रहा है। यहां वर्षा बहुत कम होती है। महोदय मेरा चुनाव क्षेत्र राजमपेट इसी क्षेत्र में है और सबसे अधिक प्रभावित है। इस क्षेत्र में काफी वर्षों से वर्षा नहीं हुई है। लोग बहुत कष्ट से गुजर रहे हैं खाने की बात तो अलग रही उनके पास पीने के लिए पानी भी नहीं है। सूखे की भयानक स्थिति शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यह स्थिति कुछ वर्ष ऐसे ही रही तो यह सारा क्षेत्र रेगिस्तान में बदल जायेगा। गरीबों की दशा बहुत ही खराब है। कृषि श्रमिकों के पास कोई काम नहीं है। किसानों के पास अपनी फसल उगाने के लिए पानी नहीं है। शिक्षित युवाओं के पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। इसके फलस्वरूप हर व्यक्ति इससे प्रभावित हैं। उनके पास जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं है। सभी कार्यकलाप ठप से पड़ गए हैं। स्थिति इतनी गम्भीर है कि ये लोग रोजी कमाने के लिए अन्य स्थानों पर जा रहे हैं। उनके लिए जीना दूभर हो गया है। वहां पर कृषि उत्पादन करने के लिए पानी नहीं है। कुछ लोगों से वर्षा की उम्मीद में अपनी जमीनों में फसल उगाने के लिए अपने कुओं के थोड़े से पानी से, जो उनमें था, सिंचाई करने की कोशिश की लेकिन अन्त में उन्हें यह प्रयास त्यागना पड़ा और अपनी सारी मेहनत तथा धन जो उन्होंने जमीन पर खर्च किया से हाथ धोना पड़ा क्योंकि वर्षा उन्हें एक बार फिर से धोखा दे दिया। ऐसी है उनकी दयनीय स्थिति। इस दौरान उनके पास जो था उन्होंने बेच दिया है और अन्य स्थानों पर चले गये हैं। पालतू पशुओं की दशा इससे कम कष्टकारी नहीं है। उनके पास न खाने को चारा है न पीने को पानी। किसान अपने पशु बहुत कम कीमत पर कसाईयों को बेच रहे हैं। और जिन लोगों को अपने घरों तथा गांवों से बहुत लगाव है उनको किसी तरह से जीवन यापन करने के लिए मजबूरी में अपनी ओरतों के मंगलसूत्र बेचने पड़ रहे हैं। महोदय अब रायल सीमा क्षेत्र की यह दशा है। कोई भी सरकार उनके दुख की घड़ी में साथ देने के लिए सामने नहीं आ रही है। मेरी आशा थी कि केन्द्रीय वित्त मंत्री रायलसीमा जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों की गम्भीर स्थिति को महसूस करेंगे और उन लोगों को बचाने के लिए खुले दिल से धन देने की घोषणा करेंगे। लेकिन इस बजट से मेरी सारी आशाओं पर पानी फिर गया है। अभी भी अधिक देर नहीं हुई है, सरकार हमारे इन अभागे भाइयों की समय पर मुनासिब मदद करने के लिए सामने आ सकती है। मैं आशा करता हूं कि सरकार पीने का पानी, सिंचाई के लिए पानी तथा बेरोजगारों को काम उपलब्ध कराने के लिए काफी धन देने की घोषणा करेगी। मैं गम्भीरता के साथ केन्द्रीय वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि आप उन लोगों को मुसीबत से बचायें।

महोदय, हमारे कुडप्पा जनपद के बहुत से लोग इन दिनों खानों में काम कर रहे हैं ताकि इन बुरे दिनों में जिन्दा रह सकें। लेकिन निर्दयी खान मालिक उनका बहुत शोषण कर रहे हैं। इन खानों के मजदूरों को बहुत कम वेतन मिलता है। अतः मैं माननीय मंत्री से इन खानों का राष्ट्रीयकरण करने का अनुरोध करता हूं ताकि इन मजदूरों का शोषण समाप्त हो सके।

महोदय, राजमपेट में राय चोरी मार्ग पर एक रेलवे फाटक है। वहां बहुत से शैक्षणिक संस्थान हैं जैसे प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल और एक जूनियर कालिज। इस फाटक के समीप हर वर्ष कई दुर्घटनाएं होती हैं और कई लोगों को अपने मूल्यवान जीवन से हाथ धोना पड़ता है। अतः मेरा अनुरोध है कि भारत सरकार को इस रेलवे फाटक पर एक उपरि पुल का निर्माण करने के लिए तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मैं केन्द्रीय सरकार से इसी तुंगभद्रा नदी का पानी अन्नतपुर, पेनुगोंडा तथा कादिरी ले जाने की दिशा में कार्य शुरू करने का अनुरोध करता हूं ताकि यह सारा क्षेत्र हरियाली में बदल सके।

महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु स्तर के उद्योगों को प्रोत्साहन देना केन्द्रीय सरकार की नीति होनी चाहिए। केवल तभी देश के ग्रामीण क्षेत्र खुशहाल हो सकेंगे। रायचोटी में एक ग्रामीण विद्युत सहकारी समिति है। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा चलायी जाती है। दुर्भाग्यवश इस संस्थान को पिछले 6 या 7 वर्षों से अनुदान नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की इस लापरवाही से किसान भी प्रभावित हो रहे हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि पिछले सभी बकाया अनुदानों का भुगतान करे तथा भविष्य में भी ध्यान रखे कि अनावश्यक ही अनुदान का भुगतान न रोका जाये।

सभापति महोदय, यह मेरा प्रथम भाषण है। मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय, मैं इस सदन में पेश किए गए बजट प्रस्ताव पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेने के लिए खड़ा हुआ हूं।

बजट प्रणाली किसी देश की सरकार के कार्यकलापों की एक सतत प्रक्रिया है। 1985-86 का बजट सरकार की पिछली उपलब्धियों तथा नई सरकार की प्रगतिशील विचारधारा का दर्पण है। महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय वित्त मंत्री तथा हमारे युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को देश की बजट प्रणाली को उसमें एक नया मोड़ लाने के लिए बधाई देता हूं।

वर्तमान बजट में बहुत रियायतें प्रस्तावित की गई हैं जिससे आम व्यक्ति को, समाज के गरीब से गरीब वर्ग को, सहकारिता क्षेत्र को तथा उद्योगों के क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा। सबसे गरीब व्यक्ति जिसे सरकार से अब तक अधिक नहीं मिल पाया है को पहली बार सरकार ने सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने की बात सोची है। किसी दुर्घटना मे परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर इस योजना के अंतर्गत उसे 3000 रुपये मिलेंगे। यह एक नया कदम है जो इस प्रणाली में उठाया गया है। सरकार ने फसल बीमा की एक बड़ी योजना बनाई है और बीमे पर फसल ऋण दिये जायेंगे। हम सब जानते हैं कि बैंकों की स्थिति ठीक नहीं हैं और कृषि के लिए दिये गए ऋण प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, आदि के कारण लोग वापिस नहीं कर पाते और ब्याज बढ़ता जाता है। किसान अन्त में ऋण के बोझे से दब जाता है। अतः फसल बीमे की वर्तमान प्रणाली बैंक ऋण पर आधारित है और इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था को नई दिशा मिलेगी।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो इस बजट में शुरू की गई है वह है सरकार की औद्योगिक नीति तथा वित्त नीति की बीच समन्वय इससे औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इसलिए हम इस बजट को विकासोन्मुख बजट कहते हैं।

महोदय, इस बजट में एक और रियायत है जो प्रस्तावित की गई है अर्थात्, उर्वरक संयंत्रों के उपकरणों पर से आयात शुल्क को खत्म करना। 1800 करोड़ रुपये की सहायता उर्वरक पर देने का प्रस्ताव है। उर्वरक संयंत्रों के उपकरणों पर से आयात शुल्क समाप्त करने की रियायत से उर्वरक उत्पादन लागत कम हो जायेगी और अन्त में इसका लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचेगा और देश का आर्थिक विकास एक लम्बी दूरी तय करेगा और सरकारी वित्त सहायता में कमी होगी। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण छूट टेलीविजन तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक वस्तुओं के निर्माताओं को दी गई है। आजकल टेलीविजन तथा अन्य इलैक्ट्रोनिक सामान जैसे कैलकुलेटर इत्यादि आम व्यक्ति द्वारा प्रयोग किये जाते हैं और इनके उद्योगों को रियायतें देने से सामाजिक तथा आर्थिक विकास की गतिविधियों को अवश्य ही सहायता मिलेगी। लेकिन सरकार यह निश्चित करे कि इन उद्योगों को दी गई इन रियायतों का लाभ वास्तव में आम व्यक्ति तक पहुंचे। नहीं तो ये सब लाभ तथा रियायतें किसी भी काम की न होंगी।

अब घाटे की अर्थव्यवस्था पर मैं यह बताना चाहूंगा कि गत वर्ष का हमारा अनुभव यह है कि घाटे की अर्थव्यवस्था की जो भी सीमा निर्धारित की जाती हैं बाद में हम देखते हैं कि लगभग दुगनी हो जाती है। पिछली जनता सरकार के चौधरी चरन सिंह ने भी बहुत घाटा छोड़ दिया था, एक पूरा न होने वाला घाटा, और जब हमारी सरकार 1980 में सत्ता में आई, तो हमें उस छोड़े हुए घाटे का बोझ भी उठाना पड़ा। मैं जो सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि सरकार का बजट कोई थोड़े समय की बात नहीं है। यह थोड़े समय के लिए नहीं होता है। हमें उस बोझ को उठाना पड़ता है जो अन्य पिछली सरकार से हमें विरासत में मिलता है। और उससे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए जब हमारी सरकार 1980 में सत्ता में आई और सत्ता संभाली तो हमें एक बहुत बड़ा पूरा न होने वाले घाटे का सामना करना पड़ा। धीरे-धीरे तथा विभिन्न उपायों से हमारी सरकार ने भारत की अर्थ-व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया जिसके कारण आज देश की अच्छी स्थिति है। फिर भी, 3300 करोड़ रुपये का घाटा छोड़ना कोई शुभ संकेत नहीं है और कुछ प्रावधानों, जैसे सरकारी कर्मचारियों का बकाया मंहगाई भत्ता देना, चौथे वेतन आयोग की आने वाली सिफारिशें, इत्यादि, से यह घाटा अवश्य ही बढ़कर 5000 करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। कच्चे तेल पर कर लगाने से सभी वस्तुओं में निश्चित ही वृद्धि हो गई है विशेषतौर पर मिट्टी का तेल तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में, लोग इससे खुश नहीं है।

इन परिस्थितियों में, जबकि हम चाहते हैं योजना में अधिक आबंटन होना चाहिए, जब हम चाहते हैं कि ये सभी समस्याएं सुलझा दी जाएं, तब उस स्थिति में ये साधन कहां से एकत्र किये जाएंगे। इसलिए कहीं से तो कुछ न कुछ करने का सरकार को प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं जो सुझाव चाहता हूं वह यह है कि हमने अपना खाद्य उत्पादन 15 करोड़ टन तक बढ़ा लिया है; और अब जब कि भारतीय खाद्य निगम भी प्रर्याप्त गोदामों आदि की अनुपलब्धता की वजह से काश्तकारों द्वारा पैदा किए गए सम्पूर्ण खाद्यान्नों को खरीदने की स्थिति में नहीं है क्यों नहीं सरकार कुछ मात्रा में खाद्यान्नों का निर्यात करने पर विचार करती, ताकि बजट घाटे को कुछ हद तक पाटने के लिए हमें 2000 या 3000 करोड़ रुपए प्राप्त हो जाएं? जब हम कृषि के लिए इतनी अधिक सहायता और अन्य रियायत देते हैं तो सरकार कृषि उपज से लाभ क्यों नहीं उठाती? हमारे देश के कुछ भागों में आलू की फसल इतनी अच्छी और इतनी अधिक मात्रा में हुई है कि किसानों को उनकी उपल का उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। और बहुत से स्थानों पर किसान इस बात पर हल्ला मचा रहे हैं कि सरकार उनको सम-र्थित मूल्य दे तथा इस आलू को खरीदे इसलिए मेरा सुझाव है कि जब हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है तो हमारी सरकार इससे कुछ धन कमाने की बात क्यों नहीं सोचती।

महोदय, मैं जो अन्य महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि मैं जिस द्वीप, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, से आया हूं वहां ग्रेट निकोबार में एक मुक्त बन्दरगाह क्षेत्र बनाए जाने का प्रस्ताव था। बहुत पहले इस प्रस्ताव की व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की गई थी। परन्तु भारत सरकार के वाणिज्य मन्त्रालय ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया है। हांगकांग और दूसरे देशों में बसे बहुत से भारतीय व्यापारी चाहते हैं कि भारत में कहीं एक मुक्त बन्दरगाह हो। वहां पर आवश्यक मूल ढांचे का विकास किया जा सकता है तथा 'मुक्त बन्दरगाह बनाकर काफी धनराशि अर्जित की जा सकती है। इस पहलू पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरकारी क्षेत्र के सम्बन्ध में भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। विद्युत उत्पादन के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि रखी गई है तथा इससे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम अनिवार्य रूप से आगे

बढ़ेंगे। अतः हम यह नहीं कह सकते कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ नहीं कर रही है अथवा इसके सम्बन्ध में नीति में कुछ परिवर्तन हुआ है। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र को उन लोगों का आश्रय स्थल नहीं बनना चाहिए, जो सेवा निवृत्त हो गए हैं अथवा बेकार हैं। सार्वजनिक

3.00 म० प०

क्षेत्र के उपक्रमों का उचित रीति से प्रबन्ध किया जाना चाहिए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकारी अधिकारियों के लिए एक अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए, तथा वे संगठन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होने चाहिए। मैं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से आया हूं। यह समुद्र के बीच में, बहुत दूर, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आज वहां स्थिति क्या है? नौवहन सेवा हमारी जीवन धारा है। नौवहन टापुओं की मुख्य जीवन-धारा है। आज वहां कोई यात्री-जहाज नहीं चलता। जो भी यात्री-जहाज हमें मिले हैं सभी को नौसेना के काम में लगा दिया गया है। यदि यात्री जहाजों को नौसैनिक के कार्यों में लगा दिया जाए तो यात्री मुख्य भूमि को कैसे आयेंगे-जायेंगे? मद्रास से सिंगापुर जाने वाला एक जहाज था, उसमें भी आग लग गई और कुछ यात्री मारे गए। वहां अंडमान मुख्य द्वीप जहाज सेवा है, जिसमें 1956 में बना एक एम० वी० अण्डमान जहाज है एक और जहाज भी है, जो बहुत पुराना है इसकी मरम्मत करने की ओर उचित ध्यान नहीं दिया गया है और यही जहाज वहां पर चल रहे हैं। किसी भी समय इन जहाजों में कोई दुर्घटना घट सकती है। इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए।

इस केन्द्र शासित प्रदेश के विकास के लिए विशेष प्रबन्ध किया जाना चाहिए तथा विकास दो चरणों में हो। जहाजरानी सेवा द्वारा की जारी संचार व्यवस्था को सुधारा जाए। ऐसे ही वहां समृद्ध वन हैं। हमारा एक वन विकास वृक्षारोपण निगम है। यह निगम वृक्षारोपण में वृद्धि करने का प्रयत्न कर रहा है। देश में प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए मूल्य के खाद्य तेलों का आयात किया जाता है। यदि देश के इस भाग में 50,000 हेक्टेयर भूमि वृक्षारोपण के लिए मुहैया करा दी जाए तो इससे अच्छी मात्रा में धन इकट्ठा हो सकता है और हमारी विदेशी मुद्रा बच सकती है। हम नहीं चाहते कि वहां वृक्षारोपण का कार्य किसी निजी कम्पनी को दिया जाए। हम चाहते हैं कि वन विकास वृक्षारोपण निगम ही इस कार्य को हाथ में ले ताकि वहां रोजगार पैदा हो सके, और देश के इस भाग की आर्थिक उन्नति हो सके।

मुझे यह कहते हुए खेद है कि इस बजट में मूल्यों और किरायों में कुछ वृद्धि की गई है। इस बजट से पूर्व भी नौवहन मन्त्रालय ने मुख्य तट से अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह तक माल भाड़े में 100 प्रतिशत से 300 प्रतिशत तक की वृद्धि की है। परिणामस्वरूप वहां आज भी प्याज 5 रुपए प्रति किलोग्राम और आलू 7 रुपए अथवा 8 रु० अथवा 9 रु० प्रति किलोग्राम बेचा जाता है, माचिस की एक डब्बी 5 रु० में बेची जाती है। इन हालातों पर गौर किया जाए तथा सरकार को देखना चाहिए कि एक ऐसे दूरस्थ और अकेले पड़े क्षेत्र में जहां हम केन्द्रीय सरकार पर ही निर्भर हैं। माल भाड़े में इतनी अधिक वृद्धि नहीं की जानी चाहिए यह केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य है कि वह हमें एक अच्छी सरकार दे तथा हमें सभी प्रकार की सुविधाएं दे, क्योंकि हमारे पास रेल की सुविधा नहीं है, हमारे पास केवल जहाजरानी सेवा ही है। माल भाड़े में इतनी असामान्य वृद्धि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस द्वीप के लोग भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

3.04 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

वायुयान सेवा के संबंध में, जब आप पूर्वोत्तर क्षेत्र को, अगरतल्ला और अन्य क्षेत्रों में वायुयान

सेवा की सुविधाएं देते हैं तो मैं नहीं समझता कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में माल भाड़ा अधिक क्यों है। वहां कोई रियायत नहीं दी जाती। नागर विमानन मन्त्रालय को देखना चाहिए कि इन द्वीपों के लोगों को भी कुछ न कुछ राहत दी जाए। मैं फिर से यह कहना चाहता हूं कि इन द्वीपों में, जैसा कि मैंने पहले बताया, इस क्षेत्र की 85 प्रतिशत भाग वन-सम्पदा से युक्त है। ये अधिकतर हरे-भरे सघन जंगल हैं और हम इस वन सम्पदा की हानि को सहन नहीं कर सकते। वहां जो आवश्यक है वह यह कि मकान बनाने के लिए स्थान का आबंटन और कृषि भूमि के आबंटन के विषय में वहां 20 सूत्री कार्यक्रम लागू किया जाए। जब कभी भी सरकार वहां ऐसे काम हाथ में ले तथा कुछ सार्वजनिक कार्यों को करने के लिए सरकार को कुछ जमीन मकानों के निर्माण स्थल के लिए तथा कुछ जमीन सड़कों के निर्माण के लिए और कुछ सिंचाई परियोजनाओं के पुनः आरक्षित करनी पड़ेगी। अन्यथा वर्तमान आबादी को प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : जब सम्बन्धित मन्त्रालयों की अनुदान मांगें सामने आएंगी तब आप अपनी बात कह सकते हैं। अब आप भाषण समाप्त कीजिए।

श्री मनोरंजन भक्त : मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्ष द्वीप समूह जैसे केन्द्र शासित प्रदेशों की विशेष अवस्था पर विचार करें। इन प्रदेशों को किसी न किसी प्रकार की सहायता दी जा सकती है और मन्त्री महोदय अपने उत्तर में उनकी घोषणा कर सकते हैं।

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, द्रमुक पार्टी की ओर से मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं नए वित्त मंत्री को अपना पहला बजट प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं। वित्त मन्त्री काल की छोटी सी अवधि के दौरान जिन मुसीबतों और कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा है, उन सबको मैं अच्छी तरह समझता हूं। मैं कामना करता हूं कि जितना उन्होंने इस वर्ष किया है अगले साल वे इससे बेहतर कर सकेंगे।

यह देश इस बजट की उत्सुकुता से बाट देख रहा था ; क्योंकि समाचार पत्रों द्वारा ऐसी आकांक्षाएं जागृत कर दी गई थी कि यह एक ऐसा प्रगतिशील बजट होगा जो देश 21वीं सदी में पहुंचा देगा। हमारे प्रधानमन्त्री युवा और प्रगतिशील हैं तथा वित्त मन्त्री भी काफी हद तक युवा ही हैं जो विगत के झूठे भय को मिटाकर समाज को गतिशील बदलाव का विश्वास दिला सकते हैं। परन्तु बजट ने इन आकांक्षाओं को काफी हद तक चोट पहुंचाई है। इस बजट की तुलना उस कहानी से की जा सकती है जिसमें नया गिरजाघर बनाने के लिए पुराने गिरजाघर को मिटा दिया था। इस कहानी में पुराने गिरजाधर के सभी बेकार पत्थरों का नया गिरजाघर बनाने में भरपूर उपयोग किया गया था।

जब हम वर्ष 1985-86 के बजट पर दृष्टिपात करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां भी उत्पादन शुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया है तथा घाटे की अर्थव्यवस्था के उसी पुराने असहाय तरीके को अपनाया गया, है यह सोचते हुए कि वर्ष के अन्त तक उत्पादन इस घाटे को पूरा कर देगा। पिछले तीस वर्षों से,, वर्ष-दर-वर्ष, हम इस देश में ऐसी ही करतूतें होते देख रहे हैं जिन्होंने देश को मुद्रास्फीति के गर्त में डाल दिया है तथा मध्यम वर्ग का शोषण किया है तथा गरीबी रेखा को ऊपर किया है। मुद्रास्फीति से केवल पूंजीपतियों का ही भला होगा जिनके लिए मुद्रास्फीति भविष्य में धन की वर्षा करेगी। वित्त मंत्री बजट के शस्त्र को इसी वर्ग के हित में प्रयोग करते रहे हैं क्योंकि आय आज उनके प्रति बचनबद्ध हैं।

हम जानते हैं कि इस देश में चुनाव एक खर्चीली प्रक्रिया है छिसके लिए आप अपने पार्टी खर्चों हेतु पूंजीपतियों के सहयोग पर निर्भर करते हैं।

वित्त मन्त्री और वह पार्टी, जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, सहानुभूति लहर, जनता की सहानुभूति के आधार पर सत्ता में आए हैं। सहानुभूति एक तर्कहीन विचार है और जब हमने इसे तर्क-संगत बनाना चाहा तो हमें नुकसान उठाना पड़ा, हमारी शक्ति 1'5 से घटकर 2 रह गई। परन्तु सत्ता धारी पार्टी ने सहानुभूति लहर को अपने लाभ के लिए प्रयोग किया। और बजट बनाते समय उन्होंने जनता के बारे में सब कुछ आसानी से भुला दिया। जनता को निपट अकेला छोड़ दिया। वे जानते हैं कि चुनाव आने पर ऐतिहासिक नारों और देश की घटनाओं का शोषण करके सहानुभूति कैसे बटोरी जाती है।

मैं पूछता हूं कि बजट जनता और आम आदमी के हितों की कहां तक रक्षा करता है। बजट में प्रयुक्त प्रत्येक बात, चाहे वह करों में छूट हो या निर्बाध आयात की छुट हो अथवा उत्पादन शुल्क में बढ़ोतरी, सभी आम आदमी के हित के विरुद्ध जाती है। दूसरे शब्दों में यह बजट पूंजीपतियों के लाभ की बात ही सोचता है।

व्यक्तिगत आय पर आयकर से छूट सीमा को 15000 रु० बढ़ाकर 18000 रु० करने के मामले को ही लें। पिछले साल मैंने एक ठोस तर्क दिया था कि बढ़ती हुई कीमतों और वेतनभोगी वर्ग की दशा को ध्यान में रखते हुए आयकर से छूट की सीमा बढ़ाकर 20,000/-रु० कर देनी चाहिए। इस वर्ष आप इसको केवल 18000/-रु० तक ही बढ़ाने का साहस कर सके वह भी आधे मन से। जब तक आप इसे 25000/-रु० तक नहीं बढ़ाते तब तक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हमारे नेता डा० कालिंगर करुणानिधि ने मद्रास विधान परिषद में इसकी अच्छी विवेचना की कि जिस व्यक्ति की आय 25,000/-रु० है उसे आप 625/-रु० की कर-राहत प्रदान कर रहे हैं और जिस व्यक्ति की आय एक लाख रुपए हैं उसे 10,468/-रु० की। इसी प्रकार जिनकी आय 5 लाख रुपए है उनको 50,906/-रु० की कर राहत दी गई है। यदि प्रतिशत निकाले तो कम आय वर्ग के लिए यह राहत 3 प्रतिशत और अधिक आय वर्ग के लिए यह राहत 11.5 प्रतिशत है। और इस पर भी आप समाजवाद की बात करते हैं। इस वक्त आपने जो कदम उठाया है उससे आयकर देने वालों की संख्या में लगभग 10 लाख की घटौती होगी। इसी हद तक विभाग का कार्यभार भी घटेगा; शायद कर उगाहने में होने वाले खर्च में कुछ बचत होगी। आयकर विभाग के कर्मचारी, उत्पादन शुल्क कर्मचारी और सीमा शुल्क विभाग के कर्मचारारी इस देश के असली, राजस्व अर्जित करने वाले कर्मचारी हैं। परन्तु उनकी जीवन-यापन की दशा कैसी है ? आपने उन्हें मुक्त आवास नहीं दिया है। आपने उनकी उचित देखभाल नहीं की है। उनके पास क्वार्टर नहीं है, विशेष रूप से मद्रास में इन कर्मचारियों के पास क्वार्टर नहीं हैं, बहुत से अधिकारी इस कारण दुःखी हैं।

अधिभार और अनिवार्य जमा समाप्त करके, तथा सम्पदा शुल्क की सीमा 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख करके आप वाह-वाही नहीं लूट सकते। वित्तीय प्रशासन में ये सारी बातें अनिवार्य घटनाएं है। देश में मुद्रास्फीति की स्थिति, जो देश के वित्त के दोषपूर्ण प्रबन्ध से विकसित होती है, ऐसी घटनाओं को अनिवार्य बना देती है।

आपने 68 मदों पर उत्पाद शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। ये वस्तुएं अन्य शुल्क लगने योग्य वस्तुओं के निमर्माण में प्रयुक्त होंगी। इन वस्तुओं के मूल्यों में अनिवार्य रूप से भारी वृद्धि होगी तथा निर्माताओं पर लगे अन्य उत्पादन शुल्कों की वजह से यह वृद्धि 2 प्रतिशत ही

नहीं रहेगी बल्कि इससे कई गुणा बढ़ जाएगी। ये वस्तुएं आम आदमी भी मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं भी हो सकती हैं और इनके मूल्यों में चहुमुखी वृद्धि होने जा रही है। वनस्पति तेलों पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि भी कुछ असर दिखाएगी। आपते सीमेंट पर उत्पादन शुल्क 205 रु० प्रति मीटरी टन से बढ़ाकर 225 रु० प्रति मी० टन कर दिया है; अर्थात् प्रति बैग कम से कम एक रुपया। चाहे देखने में यह कम लगे परन्तु यह फैलेगी और आम आदमी के लिए मकान निर्माण की लागत को बढ़ा देगी। आपने अभी-अभी बजट से पहले सीमेंट के दामों में 2000/- रु० प्रति मी० टन की वृद्धि की है। अब एक मध्यवर्गीय व्यक्ति मकान बनाने की बात नहीं सोच सकता वह केवल मकान का स्वप्न देख सकता है। आपने शीतल पेयों पर उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया है। इसका प्रभाव आम आदमी पर पड़ेगा। केवल अमीर आदमी ही, वालित जल को 'शेम्पेन' के साथ मिला कर नहीं पीते बल्कि रेलगाड़ियों में यात्रा करते समय अथवा जहां पीने का कोई अन्य पेय उपलब्ध नहीं हो जैसे भीड़ भाड़ वाले सिनेमा गृहों में गरीब आदमी भी अपनी प्यास बुझाने के लिए शीतल पेयों का प्रयोग करता है। आपने उनकी बीड़ी और पान मशाले को भी नहीं बख्शा है। पैट्रोलियम पर कर वृद्धि के कारण शहरी क्षेत्रों में आम आदमी की रसोई पर असर पड़ेगा। रेल भाड़े में हुई वृद्धि और लारी-भाड़े में अपेक्षित वृद्धि तथा उपरि खर्चों के फलस्वरूप परिवहन मंहगा हो जाएगा तथा माल के यातायात की दरें और बढ़ जाएंगी। इसका परिणाम होगा—देश के आम आदमी द्वारा प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं के मूल्य में चहुमुखी वृद्धि।

आप कहते हैं कि आप साक्षरता बढ़ाना चाहते हैं। परन्तु आपने छपाई के कागज और लिखाई के कागज पर 200 रु० प्रति टन उत्पादन शुल्क लगा दिया है। इससे पता चलता है कि आप इस देश में निरक्षरता ही चाहते हैं ताकि अ पको पढ़े लिखे लोगों की बजाय अनपढ़ लोगों से ही अधिक वोट प्राप्त हो सकें।

आपने कम्पनियों पर आय-कर की आधार भूल दर घटा दी है। जो कम्पनियां अप्रैल 1985 से पूर्व उत्पादन शुरू कर देंगी उनके लिए आपने पांच वर्ष तक कर भी छुट्टी करने का वचन दिया है आपने विज्ञापन व्यय पर रिआयत दी है। कच्चे कपास और दूसरी अन्य 12 मदों पर निर्यात शुल्क घटा दिया गया है। इन रिआयतों का क्या अर्थ है? आप राष्ट्रीय आय में वृद्धि करने के हेतु व्यापारिक और पूँजीवादी वर्ग की कृपा प्राप्त कर और उनका मन जीतना चाहते हैं। आप आर्थिक विकास के भ्रामक और पुराने सिद्धान्तों पर चल रहे हैं। आप आर्थिक विकास में सहायक गैर-आर्थिक कारकों के अस्तित्व को नहीं समझ गें समर्थ नहीं हैं शायद आप उन पर अनुग्रह करना अपना फर्ज समझते हैं। चुनाव के दौरान आपके लिए उपयोगी रहे हैं।

उदाहरण के लिए आपने सूत पर 25 प्रतिशत शुल्क बढ़ा दिया है। साथ ही आप हथ-करघा उद्योग को रिआयत देने की बात कर रहे हैं। वस्त्र उद्योग पहले से ही बीमार है फिर भी आपने सूत पर 25 प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगा दिया है। मैं माननीय मन्त्री जी से उस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा।

आपने टेलीविजन और बी० सी० आर० पर बहुत छूट दी है। क्योंकि ये आम आदमी के पास तो होते नहीं। ये केवल उच्च आय वर्ग के लोगों तक ही सीमित हैं। वी० सी० आर० व्यापारी वर्ग का अनिवार्य सहगामी पदार्थ है जो उनके महमानों के मनोरंजन के लिए आवश्यक है, शायद आयातित ब्लू फिल्मों के साथ। फिर भी टेलीविजन सरकार का एक सशक्त प्रचार माध्यम है। वे घरों के एकान्त में घुसपैठ करते हैं जिसके माध्यम से वे सहानुभूति लहर और सरकारी तन्त्र के अर्ध-सत्यों को फैला सकें।

दूर तमिलनाडू में यह हिन्दी लागू करने का एक साधन है। आखिरकार यह अन्तरराष्ट्रीय पूंजीवादी वर्गों के सहयोग से काम कर रहे देश के पूंजीपतियों द्वारा चलाए जा रहे इलैक्ट्रानिक उद्योग को दी गई एक रिआयत है। आपका विश्वास है कि इलैक्ट्रानिक उद्योग हमें खुशहाली के युग में प्रवेश करा देगा। यह एक श्रम से बचाने वाला यन्त्र हैं। लाखों श्रमिकों वाले इस देश को मात्र श्रमिकोन्मुखों परियोजनाएं ही सम्पन्नता के द्वार पर ले जा सकती हैं। बजट गलत फहमियों की भूलों और गलत दबावों ले पीड़ित है।

फिर से टेलीविजन पर वापस आए। आपने इसे हिन्दी को लागू करने का एक साधन बनाया हुआ है। आपने राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए क्षेत्रीय कार्यक्रम में कटौती की है। तमिलनाडू से तीव्र विरोध के बावजूद भी राष्ट्रीय कार्यक्रम 8-30 बजे प्रारम्भ होता है। आपने हमारी आपत्तियों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए अलग चैनल बनाए ताकि वर्तमान चैनल का प्रयोग क्षेत्रीय भाषाओं के लिए किया जा सके।

माननीय वित्र मन्त्री ने अपने बजट भाषण के भाग-क में फसल-बीमा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए दुर्घटना बीमा योजना, तथा पर्यावरण प्रदूषण को रोकने की योजनाओं के विचार की पैरवी की है। ये वित्त मन्त्री की उत्तम विचार तरंगें हैं। जो बजट भाषणों के प्रारम्भ में भली लगती है क्योंकि इससे अनिवार्य रूप से सामने आने वाली बुरी बातों को ढका जा सकेगा। उन्हें गंगा की चिन्ता है और मैं मद्रास की कोवम के लिए चिन्तित हूं। कोई भी व्यक्ति बगैर अपनी नाक सिकोड़े मद्रास सैंट्रल स्टेशन में प्रबेश नहीं कर सकता। मैं माननीय वित्त मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि वे मद्रास का दौरा करें और मद्रास में व्याप्त पर्यावरण की स्थिति पर गौर करें मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे महानगरों के सुधार कार्यक्रम के अधीन मद्रास के पर्यावरण सुधार हेतु अधिक अनुदान दें।

इस वर्ष का कुल घाटा 3,349 करोड़ रु० है। यह बजट का लगभग छठा भाग बनता है। जिस प्रकार का अभूतपूर्व बहुमत आपको मिला है अनिवार्य रूप से वैसी ही अभूतपूर्व मुद्रास्फीति इससे जन्म लेगी। आपको पिछले वर्ष का उदाहरण नहीं देना चाहिए। पिछले वर्ष अच्छी वर्षा हुई थी तथा कृषि क्षेत्र का योगदान अच्छा रहा था। वही बात इस वर्ष शायद सम्भव न हो। हम बेहतर वित्तीय प्रबन्ध के आश्वासन पर निर्भर नहीं रह सकते। ऐसे आश्वासन भी दिए जा चुके है और वे अपूर्ण रहे हैं ऐसा एक बार फिट भी हो सकता है।

इस बजट में अनावश्यक घाटा दर्शाने से देश में मुद्रास्फीति को जन्म दिया है। अन्त में, यह इस वर्ष की उत्पादन दर को दुरी तरह प्रभावित करेगा।

पिछले चालीस वर्षों से देश के प्रमुख राजनीति दल ने हमें समाजवाद की खुराक देती रही हैं। शायद समाजवादी धारा और समाजवादी प्रजातन्त्र हवा में उड़ गए। परन्तु उसी पार्टी ने जनता का भारी बहुमत प्राप्त करने के बाद अपने पूर्व विचारधारा को भुला दिया है तथा उसने पूंजीवादी हितों के साथ सन्धि कर ली है। उसने समाजवाद और सभी बातों को अलबिदा कह दी है तथा उसने पूंजीवाद को सुरक्षा प्रदान करके उंची कीमतों के माध्यम से बहु संख्यक लोगों के पूंजीगत शोषण के सभी रास्ते खोल दिए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

डा० ए० कलानिधि : मैं केवल एक मिनट और लूंगा। मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

इस अवसर पर मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि यह बजट बहु-संख्यक लोगों के लिए किसी प्रकार भी सान्त्वना देने का आश्वासन नहीं देता है। यह वजट सत्ता पिपास पूंजीवाद की बलिवेदी पर लोगों के हितों की बलि देने का एक प्रयास है। फिर भी समय अभी निकला नहीं है और मंत्री महोदय बड़े पैमाने पर रोजगार तथा मूल्यों की स्थिरता सुनिश्चत करने वाली योजनाओं की घोषणा कर गलती सुधार सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

डा० ए० कलानिधि : मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। इस देंश में प्रधान मन्त्री आते हैं, चले जाते हैं। वित्त मन्त्री जल्दी-जल्दी बदले जाते हैं। पिछले पांच वर्षों में तीन मंत्रियों ने तीन बजट प्रस्तुत किए हैं। इसमें उनके बचाव की काफी गुंजायस होती है क्योंकि हमें उन्हें वर्ष के अन्त में बदलने में समर्थ नहीं होते हैं। मैं यह कामना करता हूं कि वर्तमान वित्त मन्त्री ही अगले वर्ष का बजट प्रस्तुत करें। तब हम उन्हें स्पष्ट बतायेंगे कि इस रूढ़ और गलत बजट ने अर्थव्यवस्था को कितनी क्षति पहुंचाई है।

आप रक्षा पर 8000 करोड़ रु० खर्च कर रहे हैं परन्तु इसके बावजूद आप श्री लंका में मर-मिट रहे तमिलों को बचाने में समर्थ नहीं हैं। आप सेना की मदद से स्थानीय दंगों को तो दबा सकते हैं परन्तु आप हमारे उन भाइयों को बचाने का प्रयत्न नहीं करते जो श्री लंका में मर रहे हैं।

आपने उन शरणार्थियों के वास्ते 9 करोड़ रु० आवंटित किया है जो तमिलनाडु सरकार पर भारी बोझ हैं। आपको इन शरणार्थियों के लिए कम से कम 20 करोड़ रु० आवंटित करना चाहिए तथा उन लोगों के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने के लिए राज्य सरकार की मदद भी करनी चाहिए।

डाक्टर होने के नाते मैं यह कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य रक्षा हेतु कुल बजट का 10 प्रतिशत आवंटित किया जाना चाहिए। काफी समय पूर्व डा० मुदलियार समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी कृपया देश में स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए इस सुझाव पर विचार करें।

मैं माननीय वित्त मन्त्री से सेथु नहर परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन करने के लिए अनुरोध करूंगा ताकि यह राज्य के लिए वरदान बन सके। इससे न केवल जनहित होगा अपितु यह देश के लिए एक नौसैनिक अड्डे के रूप में भी काम करेगी।

मुझे राज्य सरकार से पता चला है कि बहुत से उद्योगों के प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इन प्रस्तावों पर विचार करे और अब अधिक देरी किए बगैर उन्हें शीघ्र स्वीकृति दे।

[**हिन्दी**]

श्री मनोज कुमार पांडे (बेतिया) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने बजट पर अपने विचार रखने का समय दिया। माननीय वित्त मन्त्री जी द्वारा केन्द्रीय बजट 1985-86 का जो सदन में पेश किया गया है, उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

चूंकि, मैं किसान परिवार से आता हूं, इसलिए मैं इस केन्द्रीय बजट को एक किसान के दृष्टि-कोण से देखना चाहता हूं, और उसी से सम्बन्धित अपने दृष्टिकोण को मैं आपके माध्यम से इस सदन में रखना चाहता हूं। मान्यवर, कृषि से सम्बन्धित किसान की जरूरतें तीन-चार हुआ करती हैं—खाद,

उन्नत किस्म के बीज, पानी और सर्वोपरि साधन। साधन से मेरा मतलब है, आज के जमाने में जो खेती हुआ करती है, वह पचास साल पहले के समय की खेती से बहुत ही बदली हुई है। आज जो हमारे किसान भाई खेती कराते हैं, वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नजर में रखते हुए कराते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि खेती के साधनों का जहां तक सवाल है, जैसे हम इन्टेन्सिव-फार्मिग की बात करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्सन बढ़े और हमारे बजट में जो लगभग सवा तीन हजार करोड़ रु० का घाटा है, उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाकर पूरा कर सकते हैं। इस बात को दृष्टि में रखते हुए हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हम खेती के काम में आने वाली सभी वस्तुओं के दामों के बारे में विशेष ध्यान दें तथा इस क्षेत्र में हम जितनी भी मदद किसान की कर सकते हैं, उसे करने का प्रयास करना चाहिए।

उदाहरण के तौर पर आप ट्रैक्टर्स और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्टस को लीजिए ट्रैक्टर के दाम आज 65 से 70 हजार रुपए के लगभग हैं।

एक माननीय सदस्य : एक लाख के करीब हैं।

श्री मनोज पांडे : ज्यादा की तो कोई लिमिट ही नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से यह गुजारिश करूंगा कि ट्रैक्टर के दामों में कमी की जाय। इसी तरह से किसानों के द्वारा जो साधन खेती के लिए खरीदे जाते हैं, जैसे डिस्क-हैरोज हैं, कई तरह के प्लाउज हैं, जिनका इस्तेमाल किसान खेती में करता है उनके दामों में भी कमी होनी चाहिए ताकि किसान उनको सस्ते दामों पर खरीद सके तथा सघन खेती करा सके।

इसके बाद किसान की सबसे बड़ी आवश्यकता पेस्टीसाइडस, इन्सेक्टिसाइड्स और प्लांट हार्मोन्ज की होती है जिनका इस्तेमाल हमारा किसान बड़ी मात्रा में करता है। इनके दामों में भी कमी की आवश्यकता है तथा सरकार की ओर से इनके लिए सब्सिडी मिलानी चाहिए। प्लांट-हार्मोन्ज की कदर हमारे किसान भाइयों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, हमें अच्छे से अच्छे किस्म के हार्मोन्ज चाहिए ताकि जो पौदा हम लगाते हैं वह ज्यादा अच्छा हो और उससे हम ज्यादा से ज्यादा पैदावार ले सकें।

अब कुछ शब्द मैं खाद के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा। हमारे किसान भाई इस समय दो किस्म की खाद इस्तेमाल करते हैं। पहले वे लोग गोबर इत्यादि की खाद इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब ज्यादातर रासायनिक खादों का युग है, कैमिकल फार्टिलाइजर्स का युग है। नाइट्रोजन और फास्फेट दो तरह की खाद इस्तेमाल होने लगी है। यूरिया की कीमत आज 114 रु० से 120 रु० के बीच में मार्केट में है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि खाद की कीमत आज की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए 100 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से अन्य खादों की कीमतों में भी कमी होनी चाहिए ताकि जो एवरेज किसान हैं वह खाद का इस्तेमाल कर सके और अपनी खेती से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके तथा नेशनल-मेन-स्ट्रीम में अच्छा प्रोडक्शन दे सके।

मैं चम्पारन से आता हूं। चम्पारन हमारे पूज्य बापू जी की कर्मभूमि रही है निलहों के खिलाफ पूज्य बापू जी ने वहां आन्दोलन चलाया था। आज चम्पारन में सबसे बड़ी खेती गन्ने की होती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और हमारा चम्पारन दोनों ही गन्ने के मामले में काफी समृद्ध पाये जाते हैं। हमारे बहुत से माननीय सदस्य जो पूर्वी उत्तरप्रदेश से आये हैं वे जानते हैं कि आज गन्ने की खेती के मामले में भी हम पिछड़ रहे हैं, क्योंकि गन्ने की प्रोडक्शन कास्ट ज्यादा बढ़ रही है। गन्ने की कीमत साढ़े-इक्कीस-रुपये देने के बावजूद भी हमारे किसान भाई गन्ने का पूरा-पूरा फायदा नहीं उठा पाते हैं। हमारे यहां 9 चीनी

मिलें हैं और उन 9 चीनी मिलों में दो चीनी मिलें पिछले दो साल से बन्द हो गई हैं। इसके अलावा हमारे यहां गोपाल गंज, सीवान, छपरा आदि जगहों में बहुत सारी चीनी मिलें सिक हो गई हैं और किसानों का और चीनी मिलों का आपस में एक मधुर सम्बन्ध रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

3.31 म० प०

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम सम्बन्धी संकल्प

—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर सरकारी सदस्यों की कार्य सूची को लेंगे।

संकल्प

अब हम श्री वृद्धिचन्द्र जैन द्वारा 25 जनवरी, 1985 को रखे गए निम्नलिखित 'संकल्प' पर आगे बहस करेंगे :—

> "इस सभा की राय है कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बीच सातवीं पंचवर्षीय योजना में निधियां, सुविधाएं तथा रियायतें देने के मामले में समानता रखी जानी चाहिए।"

तब श्री वृद्धि चन्द्र जैन बोल रहे थे वे अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (वाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली दफा मरु विकास कार्यक्रम के बारे में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मैं उस प्रस्ताव को फिर दोहराना चाहता हूं :

> "इस सभा की राय है कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बीच, सातवीं पंचवर्षीय योजना में निधियां, सुविधाएं तथा रियायतें देने के मामले में समानता रखी जानी चाहिए।"

मैंने जो पिछली बार विचार प्रस्तुत किए थे, उनमें इस बात पर विशेष तौर पर बल दिया था कि इन रेगिस्तानी क्षेत्रों की स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों से भी बदतर है और मैंने यह भी जिक्र किया था कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी का भयंकर संकट है और साथ-साथ में यह भी स्थिति है कि पांच वर्षों में से तीन वर्ष और कभी कभी यह भी स्थिति हो जाती है कि लगातार चार वर्ष अकाल पड़ जाता है।

पीने के पानी के संकट के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी थी। और भी जानकारी सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पीने के पानी की इस रेगिस्तानी क्षेत्र में अभी भी यह स्थिति है कि 10 से लेकर 15 किलोमीटर की दूरी से पीने का पानी लाना पड़ता है। इस प्रकार की भी स्थिति है कि महिलाओं को जहां रीजनल पाइप लाइन स्कीम मंजूर हो चुकी है और पानी का सोर्स स्थापित हो चुका है दूर से पानी लाना पड़ता है क्योंकि गांव इतने बड़े हैं कि 25 वर्ग किलोमीटर से लेकर 200 वर्ग किलोमीटर तक वे फैले हुए हैं और वे लोग खेतों में रहते हैं। वहां पर जो पापूलेशन है, उसका 80 परसेन्ट ढ़ाणियों में रहता है। पीने के पानी का स्रोत होने के उपरान्त भी उनको एक गांव में ही 10 मिलोमीटर की दूरी से

पीने का पानी लाना पड़ता है। अभी जो योजना है, उसमें इस प्रकार की स्थिति है कि पीने के पानी के लिएएक गांव में एक ही स्थान पर पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। यह छटी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान है। इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां गांव 25 वर्ग किलोमीटर से 200 वर्ग किलोमीटर की दूरी में फैले हैं, वहां पर एक स्थान पर पीने का पानी उपलब्ध होने से सारा गांव उसका लाभ नहीं उठा सकता। इसलिए यह मांग प्रबल हो रही है कि 250 की जनसंख्या के बीच में अगर गांव बड़ा है और उसका क्षेत्र फल बड़ा है, तो दो प्वाइन्ट्स, तीन प्वाइन्ट्स, चार प्वाइन्ट्स और पांच प्वाइन्ट्स की इकाई मान कर उस गांव में पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अब पीने के पानी के लिए कोशिश की गई है और ग्रामीण क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना बनाई गई हैं, उसमें नलकूप तैयार किये गये हैं और कुछ क्षेत्रों में नलकूप कामयाब हुए हैं, जिसको लाठी सीरिज कहते हैं। उनसे बाड़मेर जिले में पानी बहुत अच्छा मिला है और इसके कारण जेसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र की पीने के पानी की समस्या कुछ हद तक हल हुई है। और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पानी पहुंचा है। रेगिस्तानी क्षेत्र में जो नलकूप हैं उनमें पांच सौ गेलंस से लेकर तीन हजार गेलंस प्रति घंटा तक पानी मिलता है। पानी पांच सौ फुट से लेकर सात-आठ सौ फुट की गहराई में मिलता है। इसलिए नलकूपों द्वारा रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी पहुंचाने की जो योजना है उससे वहां की जनसंख्या के लिए पानी बहुत कम पड़ता है। इससे रेगिस्तानी क्षेत्र के गांवों की जनसंख्या की और पशुओं की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। वहां की जनसंख्या और पशुओं की संख्या को देखते हुए यह पानी किसी भी सूरत में उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है।

इस बारे में मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था और हमारी केन्द्रीय सरकार ने कुछ मदद भी दी थी। परन्तु हमारी जो योजना बनाई गई थी वह देश के अन्दर प्रति व्यक्ति 40 लीटर और हमारे रेगिस्तानी क्षेत्र के लिए 70 लीटर प्रति व्यक्ति के आधार पर योजना बनी ताकि पशुओं को भी पानी मिल सके। किन्तु उन नलकूपों में पानी कम और खारा होने के कारण उस योजना का क्रियान्वयन पूरा नहीं हो पा रहा है। इसलिए राजस्थान सरकार और केन्द्रीय सरकार दोनों को वहां पानी पहुंचाने की व्यवस्था करनी है।

इसलिए यह आवश्यक और जरूरी है कि राजस्थान नहर के काम को आगे बढ़ाया जाए। हमारी राजस्थान सरकार ने इस राजस्थान नहर का नाम इंन्दिरा नहर करने का निर्णय लिया है जो कि बहुत प्रशंसनीय बात है। इसी नहर से हमारे यहां पीने के पानी की समस्या हल हो सकती है और पूरी तरह से हल हो सकती है।

हमारी लिफ्ट केनाल की योजनाएं हैं। हमारी राजस्थान सरकार ने गजनेर, कोलायत, सायवा, फालोदी, पोकरण, नाचना, मोहनगढ़ लिफ्ट केनाल योजना मंजूर की है। यह सिंचाई की योजनाएं हैं। इससे भी पीने के पानी की परमानेंट, स्थायी व्यवस्था की जा सकती है। परन्तु यह योजना तीन हजार करोड़ रुपये की है और तीन हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था करना राजस्थान सरकार की शक्ति के बाहर है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस तीन हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था करे।

कहने का तात्पर्य है कि ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र हैं इनकी स्थिति पहाड़ी क्षेत्रों से भी बदतर है। जो सुविधाएं पहाड़ी क्षेत्रों को मिल रही हैं और जो राशि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दी जाती हैं वे सुविधाएं और राशि रेगिस्तानी क्षेत्रों को नहीं मिल रही हैं। हमारे लिए एक डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि छठी पंचवर्षीय योजना में बना था। इसके अन्दर राजस्थान के 11 जिले, हरियाणा के 4 जिले, गुजरात के 2 जिले आते हैं और हिमाचलप्रदेश के भी दो जिले आते हैं। इसी प्रकार काश्मीर के भी दो जिले आते हैं। इन क्षेत्रों में पानी का संकट है लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पीने के पानी का विशेष रूप से संकट है। इस संकट से निवारण के लिए लिफ्ट केनाल योजना है। उससे हमारे यहां पीने के पानी

का संकट दूर किया जा सकता है। इसके लिए जब तक केन्द्रीय सरकार विशेष मदद न दे, स्पेशल असिस्टेंश न दे तब तक यह योजना पूरी नहीं हो सकती है। अगर इस योजना के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से मदद की जाए तो हमारे यहां पीने के पानी की व्यवस्था हो सकती है। इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि सातवीं योजना में रेगिस्तानी क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों के बराबर लाया जाए। जितनी राशि और सुविधाएं पहाड़ी क्षेत्रों के लिए दी जाती हैं उतनी ही राशि और सुविधाएं रेगिस्तानी क्षेत्रों को भी दी जाए तभी वहां की प्रगति हो सकती है।

अब यह कहा जाता है कि हमारे यहां जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहा टीवें हैं, सैण्ड ड्यूंस है, वहां पर कुछ भी पैदा नहीं होता है। जो भोगोलिक स्थिति को नहीं जानते हैं वे ही इस प्रकार का नक्शा बनाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां जो फारेस्ट डिपार्टमेंट है, उसने सेण्ड ड्यूंस स्टेविलाइजेशन का काम हाथ में लिया है। डेजर्ट डवलपमेंट का जो प्रोग्राम हैं उसके अन्तर्गत फारेस्ट डिपार्टमेंट ने सैंड ड्यूंस में बहुत अच्छी घास पैदा करने का काम हाथ में लिया है। वहां सेवण घास, घामण घास पैदा होती है। बहुत अच्चे-अच्छे दरख्त पैदा होते हैं, इस प्रकार की स्थिति है। यह मैन मेड डेजर्ट है, प्रकृति की कृपा नहीं है, परंतु प्रकृति भी इतनी क्रूर नहीं है, इतना जुल्म नहीं करती है। अगर मनुष्य प्रयास करे तो इस रेगिस्तानी क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है और परिवर्तन किया गया है। आज जो हमारा गंगानगर का क्षेत्र है, वह रेगिस्तानी क्षेत्र था, बीकानेर का क्षेत्र भी रेगिस्तानी क्षेत्र था लेकिन राजस्थान नहर वहां पहुंची, जैसलमेर में भी राजस्थान नहर पहुंची है, इन क्षेत्रों के अंदर बहुत ही बढ़िया फसल होती है और अच्छे दरख्तहोते हैं और जो कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं, एफार स्टेशन के, अभी राजस्थान नहर के लैफ्ट की तरफ के जो इलाके हैं वहां टेरीटोरियल आर्मी अभी काम कर रही है, वहां पर बहुत अच्छे दरख्त सफल हुए हैं बहुत अच्छी घास वहां पर सफल हो रही है और एक हरियाली स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सेंड्यून्स हैं, इनके स्टेबिलाइजेशन का कार्य बड़ा विशाल कार्य है। इस कार्य को डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोगाम के तहत लिया गया है और इसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसमें 50 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट देगी और 50 करोड़ सेंटर गवर्नमेंट देगी। इतने बड़े क्षेत्र के लिए यह सफिसिएंट नहीं है। 2 लाख 36 हजार वर्ग किलीमीटर का क्षेत्र है, इसके लिए यह राशि सफिसिएंट नहीं है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसके लिए यह कोशिश करने की आवश्यकता है कि इन टीबों को विकसित किया जाये जहां राजस्थान नहर पहुंच सकती है, वहां तो नहर के जरिए पीने का पानी उपलब्ध कराया जाए, सिचाई की व्यवस्था की जाए, दरख्त उगाने की व्यवस्था की जाए, घास की जहां आवश्यकता हो वहां घास उगाने की व्यवस्था की जाए। जहां हमारे वर्तमान रेगिस्तान के क्षेत्र में टीबे हैं और पीने के पानी का सवाल आता है, इसके साथ-साथ हमारे यहां प्रकृति ने बड़ी कृपा की है। इस क्षेत्र में यहां के पशु बहुत अच्छे हैं। ऊंट बहुत ही अच्छा जानवर है जो तीन दिन तक बिना पानी के रह सकता है। एक दिन अगर पानी मिल जाए तो तीन दिन तक इसको पानी की जरूरत नहीं रहती। गाय भी यहां की बहुत अच्छी है, थारपरकर ब्रीड, राठी ब्रीड की गाय बहुत अच्छी है, पूरे हिन्दुस्तान में इस प्रकार की गायें नहीं हैं। दूध बहुत अच्छा देती हैं, 10-10 लीटर दूध देती हैं, जबकि यू पी और बंगाल के क्षेत्र में एक-दो लीटर दूध ही गायें देती हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि इस प्रकार की स्थिति है। पर प्रश्न यह है कि जब अकाल की स्थिति पैदा होती है तब यह बड़ा सवाल पैदा हो जाता है कि इस प्रकार के पशुओं को कैसे बचाया जाए। अकाल का समय बड़ा संकटमय समय होता है, अभी भी बाड़मेर जिले में इस प्रकार की स्थिति आई है कि किस प्रकार अकाल की स्थिति में पशुओं को बचाया जाए। ऐसी स्थिति में ही पशु अधिक संख्या में मरते हैं। इसकी व्यवस्था के लिए मैं आपको सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं। राजस्थान नहर के लैफ्ट बैंक में एक विशाल चारागाह का निर्माण हो सकता है। बहुत जमीन इस प्रकार की पड़ी हुई है, जिसमें आबादी नहीं है, जनसंख्या नहीं है। वहां

पर चारागाहों को स्थापित करने से अकाल की स्थिति में उन पशुओं की रक्षा कों जा सकती है। इसलिए अगर इस क्षेत्र में राशि खर्च करने की व्यवस्था करें तो हमारे पशुओं की रक्षा हो सकती है। गाय-बैल, ऊंट वगैरह जो अच्छे-अच्छे हमारे पशु हैं और उन्हें दूसरे क्षेत्रों में भी भेजा जा सकता है। हमारा ऊंट तो प्रसिद्ध है, घोड़ों की भी बहुत उन्नति की जा सकती है और इस प्रकार यह क्षेत्र आगे बढ़ सकता है। जहां पर सीमान्त क्षेत्र हैं उन सीमान्त क्षेत्रों में हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की 1965 और 1971 की लड़ाई के समय सड़कें बनी हैं और जहां सड़कें बनी हैं वहां विकास के द्वार खुल गए हैं। सड़कों के बनने से लोगों की तरक्की और जनसंख्या में वृद्धि हुई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में ही सड़कें बनी हैं। दूसरे क्षेत्रों में सड़कों का अभाव है। सड़कों, ट्रान्स पोर्ट ट्रेन और मेडिकल सुविधाओं के अभाव के कारण कोई भी डॉक्टर, नर्स ए० एन० एम० या कम्पाउन्डर वहां पर जाना नहीं चाहता। ऐसी स्थिति वहां पर बनी हुई है। हमारे प्रधानमन्त्री जी कोशिश कर रहे हैं कि हम बीसवीं शताब्दी से इक्कीसवीं शताब्दी में पहुंचे। लेकिन अभी भी हम लोग 17वीं और 18वीं शताब्दी में रह रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि इस क्षेत्र का विकास बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने इसके बारे में विचार किया था और विचार करके डेजर्ट डवलपमेंट की योजना 1977-78 में बनाई थी। उसके अनुसार पूरी की पूरी सहायता केन्द्र सरकार से मिलती थी। लेकिन दुर्भाग्य से पहली अप्रैल 1979 को जनता पार्टी के राज में उस योजना का स्वरूप पटल गया और वह यह था कि पचास परसेंट सेन्टर और पचास परसेंट स्टेट कन्ट्रीब्युट करेगा। उससे विकास का कार्य जो हो रहा था, वह अवरूद्ध हो गया। छठी पंचवर्षीय योजना के बारे में चैप्टर-25 का अध्ययन किया तो यह पाया कि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए दो योजनाएं बनाई गई हैं। एक तो नार्थ इस्टर्न कौऊन्सिल की 360 करोड़ रुपए की योजना बनी हुई है। उसके लिए सेन्ट-पर-सेन्ट केन्द्र सरकार मदद दे रही है। दूसरी हिल एरियाज के डवलपमेंट के लिए 560 करोड़ रुपए की योजना बनी। उस योजना के अन्तर्गत यू०पी० के देहरादून का क्षेत्र, गढ़वाल, उत्तरकाशी नैनीताल, अल्मोड़ा, आसाम में नार्थ कच्छार, तमिलनाडु में नीलगिरि पश्चिम बंगाल और दार्जलिंग का क्षेत्र आता है। पश्चिम घाट में महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और गोवा के पहाड़ी क्षेत्र आते हैं। मैंने इसके बारे में एक प्रश्न पूछा और जानकारी प्राप्त की। वह अनस्टार्ड क्वैश्चन है तो 27-7-83 को पूछा गया था। उसमें पहाड़ी क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी दी गई है।

[अनुवाद]

"छठी योजना के दौरान पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित किए गए पहाड़ी क्षेत्रों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए 560 करोड़ रुपये अलग निर्धारित कर दिए गए हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता का 90 प्रतिशत अनुदान के रूप में और शेष 10 प्रतिशत वित्तीय वर्ष 1981-82 से ऋण के रूप में माना गया है। वर्ष 1981-82 से पहले, असम के पहाड़ी क्षेत्रों के अतिरिक्त जहां सहायता का स्वरूप 90 प्रतिशत अनुदान और 10 प्रतिशत ऋण था, सहायता का स्वरूप 50% अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण था।"

[हिन्दी]

वर्ष 1981-82 में इस पैटर्न को चेंज कर दिया गया और यह निश्चित किया गया कि पहाड़ी क्षेत्रों के लिए स्पेशल सैन्ट्रल एसिस्टैंस के तहत 560 करोड़ रुपया दिया जाएगा, जिसमें से 90 प्रतिशत हिस्सा इन दी फार्म आफ ग्रान्ट होगा और शेष 10 प्रतिशत लोन के रूप में दिया जाएगा। इसकी एक प्रति मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दूसरी और हमारे यहां डैजर्ट डैवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जिसका कुल अनुमान 100 करोड़ रुपये का था, छठी पंचवर्षीय योजना में 50 करोड़ रुपया सैन्ट्रल

एसिस्टेंस के रूप में दिया गया और 50 करोड़ रुपया स्टेट को कन्ट्रीब्यूट करना पड़ा। इस स्थिति में, मेरे कहने का मतलब यह है कि यदि आप वर्षा के हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति को देखें, तो हमारे यहां कम वर्षा होती है और हमेशा अकाल की स्थिति बनी रहती है। हतारे मुकाबले पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति बेहतर है। पश्चिमी घाट की स्थिति तो और भी अच्छी है। पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग और उत्तर प्रदेश में काशी की स्थिति जानने के साथ-साथ मैंने यह भी मालूम किया कि रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या क्या है, उनका क्षेत्रफल कितना है। जहां रेगिस्तानी क्षेत्रों का क्षेत्रफल हमारे यहां 2 लाख 36 हजार वर्ग किलोमीटर है, वहां पहाड़ी इलाकों का क्षेत्रफल 2 लाख 31 हजार 47 वर्ग किलोमीटर है। जहां तक जनसंख्या का सम्बन्ध है, मेरे पास 1971 के आंकड़े ही उपलब्ध हैं, क्योंकि 1981 की जनसंख्या की फीगर्स अभी तक कम्पाइल नहीं हो पाई हैं और उसके अनुसार रेगिस्तानी क्षेत्रों की जनसंख्या एक करोड़ 82 लाख है जब कि पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या 4 करोड़ 2 लाख है। क्षेत्रफल हमारा बड़ा है, लेकिन जनसंख्या उनके मुकाबले आधी से भी कम है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि हमारा क्षेत्र कितना अविकसित है। जनसंख्या और क्षेत्रफल के आंकड़ों से ही यह सारी स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि हमा ा क्षेत्र कितना अविकसित है।

जब मैंने इस संबंध में प्रश्न उठाया और मिड-टर्म अप्रैजल के अन्तर्गत डिस्कशन हुआ, मैंने यह प्रश्न 13 दिसम्बर, 1983 को लोक सभा में उठाया और उस वक्त हमारे एस० वी० चव्हाण साहब प्लानिंग मिनिस्टर होते थे, उन्होंने उस समय उस प्रश्न को महत्वपूर्ण मानते हुए जैसा जबाव दिया, वह मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उनके उत्तर की प्रति भी मैं प्रस्तुत करूंगा।

[अनुवाद]

"श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने पहाड़ी क्षेत्रों और मरू क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता में अन्तर संबंधी मुद्दे को उठाया है। मेरे विचार से छठी योजना के मध्य में समग्र स्थिति की पुनरीक्षा करना संभव नहीं है। किन्तु मुझे वास्तविकता का पता है। वह बार-बार इसी बात को दोहराते रहे हैं कि मरू क्षेत्रों के लिए केवउ 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने आवादी, क्षेत्र आदि का भी उल्लेख किया है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य मेरी कठिनाई की ओर ध्यान देंगे कि छठी योजना के अंतिम समय में मैं यदि मानदण्डों में कोई परिवर्तन करता हूं तो इससे सारी स्थिति बिगड़ जाएगी। सातवीं योजना तैयार करते समय माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये मामले के इस पहलू को ध्यान में रखा जायेगा और में इस बात का ध्यान रखने की चेष्टा करूंगा कि हम कहां तक उनकी सहायता कर सकते हैं।"

[हिन्दी]

उन्होंने इस प्रकार का आश्वासन भी दिया। इस सम्बन्ध में मैंने आगे और कवैरीज की पत्र-व्यवहार किया। यदि आप "दी एप्रोच टू दी सैवन्थ फाइव ईयर प्लान 1985-90" के पृष्ठ 5 पर पैरा 8 देखें उसके कालम 38 में कहा गया है कि—

[अनुवाद]

"मरू विकास कार्यक्रम के मामले में, अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यक के बारे में, यदि आवश्यक हुआ तो, पहाड़ी क्षेत्र और जनजाति कार्यक्रम जैसे अन्य विशेष कार्यक्रमों के अनुरूप प्रतिरूपण किया जाएगा।"

[हिन्दी]

इस सम्बन्ध में मैंने पत्र व्यवहार किया। पत्र व्यवहार करने से यह भी स्पष्ट हो गया कि इस सम्बन्ध में हमारी सैंट्रल गवर्नमेंट ने कदम उठाया। पत्र व्यवहार करने के बाद प्लैनिंग मिनिस्टर ने यह स्पष्ट किया—

[अनुवाद]

"पहाड़ी और मरू क्षेत्रों को दी जाने वाली सहायता के पेटर्न में असमानताओं के विषय पर आप अपने 17 जनवरी, 1985 के पत्र को देखें।

इस सम्बन्ध में, मुझे आपको सूचित करना है कि ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम पर प्रस्तुत किए गए कार्यकारी ग्रुप के प्रतिवेदन की जांच योजना आयोग द्वारा की जा रही है। इस कार्यवाही के अन्तर्गत आपके द्वारा दिए गए सुझावों की और एप्रोच टू दी सेविन्थ फाइव ईयर प्लान (पृष्ठ 5 पैरा 38) में मरू विकास कार्यक्रम में बारे में दिये गए सुझावों को ध्यान में रखा जाएगा।"

[हिन्दी]

मैं मंत्री महोदय से जाकर स्वयं मिला और मैंने यह प्रस्ताव किया कि मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह जो रेगिस्तानी क्षेत्रों के बीच विषम समस्यायें हैं, इनको दूर किया जाये। स्थिति उस समय उत्पन्न हुई जब 1965 और 1971 का युद्ध हुआ तो बम हमारे क्षेत्र में पड़े, बम पड़ने पर उसका हमारी जनता ने मुकाबला किया। कहने का अर्थ यह होता है कि जब देश की रक्षा का प्रश्न आता है तो हम सीमान्त प्रहरी बन करके इस देश की रक्षा के लिए आगे आते हैं और उन खतरों का मुकाबला करते हैं। इस प्रकार जब पैसे का वितरण होता है तो हमारे क्षेत्रों को पिछड़ा रखा जाता है और हमारे क्षेत्र की उपेक्षा की जाती है। यह स्थिति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती।

[अनुवाद]

1. मरू विकास कार्यक्रम अथवा मरूभूमि के लिए किसी अन्य कार्यक्रम के अंतर्गत मरूभूमि क्षेत्रों के लिए उतना ही प्रावधान किया जाना चाहिए जितना की पहाड़ी क्षेत्रों के लिए किया जाता है क्योंकि मरू क्षेत्रों की स्थिति यदि पहाड़ी क्षेत्र की स्थिति से अधिक खराब नहीं है तो उससे कम भी नहीं हैं।

2. सीमा स्थित मरू क्षेत्रों को शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए जैसे कि विशेष पहाड़ी क्षेत्रों की दी जा रही है। अन्य मरु क्षेत्रों को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाये जैसे कि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को दी जा रही है।

3. पानी के लिए, मरु क्षेत्र के लिए एक विशेष कार्यक्रम बनाया जाए जिससे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कम से कम लगभग 40 वर्ष बाद तो इस क्षेत्र के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो जाए।

4. मरु क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाओं के बनाने के बारे में समुचित बल दिए जाने तथा उनकी पर्याप्त निगरानी रखने के लिए, मरु विकास कार्यक्रम का एक विशिष्ठ परिच्छेद, सातवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में उसी पैटर्न पर जोड़ा जाए जैसे पहाड़ी क्षेत्र के लिए जोड़ा गया है। मरु क्षेत्रों के लिए एक विशेष निगरानी समिति गठित की जाए।

5. बैंक, वित्तीय संस्थान, डाक और तार विभाग, रेल, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मंत्रालय आदि

जैसी अन्य एजेन्सियां उसी आधार पर मरु क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जाये जैसे कि ये एजेन्सियां पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं।

[हिन्दी]

इसलिए मेरा इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए निवेदन है कि इस विकास कार्यक्रम को पहाड़ी क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के बराबर मानकर और जो सुविधायें पहाड़ी क्षेत्रों को मिलती हैं, वह सुविधायें रेगिस्तानी क्षेत्रों को भी मिलें। निधियों की जो राशि है, उस राशि की व्यवस्था इस प्रकार की जाए ताकि यह रेगिस्तानी क्षेत्र जो कि सीमावर्ती क्षेत्र हैं, इनका विकास हो सके और उनका साहस भी बढ़ सके जिससे इस देश की प्रगति में, विकास में यह भी आगे बढ़कर अपना योगदान दे सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी उत्तर देकर इस कार्यक्रम को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करके, हम लोगों की जो स्थिति खराब है, बदत्तर है, उसको सुधारने में पूर्ण सहयोग देंगे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"इस सभा की राय है कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास के बीच सातवीं पंचवर्षीय योजना में निधियां, सुविधायें तथा रियायतें देने के मामले में, समानता रखी जानी चाहिए।"

अब, श्री मूलचन्द डागा के नाम में एक संशोधन है।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस संकल्प में,—

(एक) "कि" के बाद निम्नलिखित जोड़ा जाए—

"विभिन्न राज्यों की भिन्न-भिन्न भौगोलिक अब स्थितियों उनकी अत्यधिक आवश्यक प्राथमिकताओं तथा वित्त भार वहन करने की राज्यों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए,"

(दो) "समान" के बाद "यथा संभव" (1) अन्त: स्थापित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प तथा संशोधन दोनों ही सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं।

अब, श्री आनन्द पाठक।

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, अपने माननीय मित्र श्री वी० सी० जैन द्वारा प्रस्तावित संकल्प की भावना का मैं समर्थन करता हूं।

महोदय, मरु क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं के प्रति भी मुझे सहानुभूति है।

मुझे पता है कि देश में ऐसे भी कुछ मरुक्षेत्र जो पर्याप्त विकसित नहीं है। हमारे कुछ विकसित शहरों और नगरों की तुलना में उन मरु क्षेत्रों का विकास और अधिक तेजी से किया जाना चाहिएं।

4.00 म० प०

महोदय, हमारे देश की स्थलाकृति और भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि कहीं पहाड़ियां हैं, कहीं

मरुस्थल है और अन्य प्रकार के क्षेत्र है, किन्तु वे समान रूप से विकसित नहीं हैं। इन क्षेत्रों का समान रूप से विकास नहीं किया गया है। कतिपय विकसित नगरों और शहरों की तुलना में ये क्षेत्र वास्तव में पिछड़े हुए हैं। जब तक इन सभी क्षेत्रों को विकसित शहरों और नगरों के समान विकसित नहीं किया जाता है, तब तक इस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति अपने को उपेक्षित महसूस करेंगे और परित्यक्त होने की भावना से ग्रस्त वे स्वयं को अलग-थलग समझेंगे और यह भावना उन्हें कहीं और ले जाएगी। इसलिए राष्ट्रीय एकता के हित में, जो हमारे देश के नेताओं का सर्वप्रथम और परमावश्यक लक्ष्य है, विषम विकास की यह स्थिति तत्काल समाप्त कर देनी चाहिए।

महोदय, सभी जानते हैं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांति बनी हुई है और इस अशांति का मुख्य कारण आर्थिक विकास के मामलों में इस क्षेत्र की उपेक्षा किया जाना है। महोदय, मरुस्थलों के समान हमारे देश के विभिन्न भागों में एकाकी पहाड़ी क्षेत्र भी है। आर्थिक रूप से वे पिछड़े हुए हैं। ऐसे पहाड़ी क्षेत्र, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश में है और कुछ दक्षिण राज्यों में भी हैं। ये पहाड़ी क्षेत्र विकसित शहरों और नगरों के समान विकसित नहीं है। समाजवादी देशों में शहरों और गांव में ऐसा अन्तर नहीं पाया जाता है। इन समाजवादी देशों में एक दूसरे क्षेत्र के बीच ऐसा अन्तर नहीं होता है। उनकी स्थलाकृति एवं भौगोलिक स्थिति कैसी भी क्यों न हो इन देशों में शहरों और गांवों के बीच कोई अन्तर नहीं है। इसलिए हमारे देश की स्थिति जब तक ऐसी नहीं हो जाती, तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते।

मैं दूरस्थ दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र से निर्वाचित हैं। दार्जिलिंग नेपाल, भूटान, तिब्बत और अन्य देशों की सीमा पर स्थित एक पिछड़ा हुआ पहाड़ी क्षेत्र है। चाय उद्योग के अतिरिक्त वहां कोई भी महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है। किन्तु चाय उद्योग से उस क्षेत्र के मुश्किल से 5 या 6 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल पाता है। इसलिए वहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और यह समस्या वहां विकराल रूप धारण कर रही है। किन्तु वहां पर्यटन विकास पशु-पालन, रेशम-उत्पादन, लघु-उद्योग आदि के विकास की वहां विपुल संभावनाएं है। दार्जिलिंग को पहाड़ों की रानी कहा जाता है और यह हमारे देश का गौरव है। इसलिए इस इलाके के पहाड़ी क्षेत्र अथवा दार्जिलिंग का विकास तीन 'टी अर्थात् 'टी' (चाय), टिम्बर (इमारती लकड़ी) और टूरीज्म (पर्यटन) के विकास पर निर्भर करता है। किन्तु धनाभाव के कारण इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया है। एक पहाड़ी क्षेत्र विकास परिषद् है। पंचवर्षीय तथा वार्षिक आधार पर एक समेकित विकास कार्यक्रम तैयार किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार विशेष सहायता कार्यक्रम से कुछ निधि का प्रावधान करती है और राज्य सरकार भी कुछ निधि प्रदान करती है। किन्तु उस क्षेत्र की समस्याओं और पिछड़ेपन का आयाम इतना अधिक हैं कि इस प्रकार आवंटित की गई राशि विकास कार्य की आवश्यकता को पूरा करने के लिए नितांत अपर्याप्त है। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले अंग्रेजों ने अपनी ही नीति चलाई थी और वे मैदान और पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के बीच वैमनस्य पैदा करने का पर्यत्न करते रहते थे। इस प्रकार इन व्यक्तियों को अपने राष्ट्रीय आंदोलन के मुख्य प्रवाह से जान बूझकर प्रथम रखा गया। इसीलिए महोदय, आज भी वे लोग अपने को मुख्य प्रवाह से पृथक समझते हैं। इसीलिए, मैंने केन्द्र सरकार से कहा है कि वह दार्जिलिंग के इन क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों ले लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक निधियों का प्रावधान करे यह भी सुनिश्चित करे प्रगति के पथ पर अग्रसर हों। मैं यह भी महसूस करता हूं कि अन्य पहाड़ी क्षेत्रों तथा मरुस्थलों के विकास के लिए भी अधिक निधियां आवंटित की जायें ताकि अन्य विकसित क्षेत्रों के समान वे क्षेत्र भी विकसित हो सकें। मेरा मुख्य मंतव्य यही है। किसी मरु अथवा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यदि अधिक राशि आवंटित की जाती है, तो हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। अपने

देश के समान विकास के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए और कार्य करना चाहिए। सभी भारतीय एक साथ मिलकर कार्य करें और देश का निर्माण करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वृद्धि चंद्र जी ने जो रेजोल्यूशन यहां पर प्रस्तुत किया है :

[अनुवाद]

> "इस सभा की यह राय है कि रेगिस्तान विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बीच, सातवी पंचवर्षीय योजना में निधियां, सुविधायें तथा रियायतें देने के मामले में, समानता रखी जानी चाहिये।"

[हिन्दी]

उसका मैं दिल से समर्थन करता हूं। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि डेजर्ट एरियाज से जिस प्रकार की कठिनाइयां होती हैं, उनको मैं समझता हूं सभी लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। खास तौर से जो राजस्थान का डेजर्ट है, जिसको थार डेजर्ट कहते हैं, उसमें तो सभी प्रकार की कमियां हैं। दस-दस साल के बाद कभी बारिश हो जाती है और वहां के लोगों को लगातार सालों तक सूखे का सामना करना पड़ता है और कई एरियाज में तो खारा पानी होता है जिसको पीने से लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। इसी प्रकार से वहां पर जानवरों के लिए भी पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की स्थिति उस डेजर्ट एरिया में होती है। उस एरिया की सबसे पहली आवश्यक चीज पीने का पानी है। पिछले 37 सालों में जो भी कार्यक्रम वहां पर चलाए गए हैं उनके द्वारा वहां पर पूरी तरह से पीने के पानी की व्यवस्था हो गई हो—ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। कुछ ट्यूबैल जरूर खुदवाए गए हैं जिनसे लोगों को पानी मिलता है। दूर-दूर से लोग गाड़ियां लेकर पानी लेने के लिए लोग वहां पर आते हैं। हर परिवार का एक व्यक्ति, एक ऊंट और एक गाड़ी की व्यवस्था रोजमर्रा के लिए पीने का पानी लाने के लिए करनी पड़ती है। इसलिए जब तक वहां पर पीने के पानी की व्यवस्था सम्पूर्ण रूप से नहीं कर दी जाती तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता है खेती-बाड़ी तथा अन्य प्रकार के साधनों की बात तो दूर रही, सबसे प्रथम आवश्यक चीज वहां के लिए तो पीने का मीठा पानी ही है। यदि पीने का पानी वहां पर उपलब्ध करा दिया जाए तो निश्चित रूप से वहां की जनता को बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है। मैं प्लानिंग मिनिस्टर से निवेदन करूंगा कि इस सम्बन्ध में वे विशेष रूप से तवज्जह दें। इस सम्बन्ध में पिछले वर्षों में कुछ काम तो हुआ है लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत बड़े पैमाने पर काम करेंगे तभी डेजर्ट एरिया की इस समस्या को हल किया जा सकता है।

मेरा दूसरा निवेदन यह है कि जब अकाल पड़ता है तब सभी प्रकार की चीजों की कमी हो जाती है। जैसा कि वृद्धि चन्द्र जी ने कहा है, वहां के जानवर बहुत अच्छे है, गायें बहुत बढ़िया हैं, अच्छा दूध देती हैं, लेकिन जब उनके लिए पानी भी न हो और फोडर भी न हो तो उनको दूसरे इलाकों में माग्रेट करना पड़ता है, सैकड़ों मील दूर जाना पड़ता है और इस प्रकार आने जाने में 50 परसेन्ट जानवर भी जिन्दा नहीं रहते हैं।

हर साल अकाल पड़ने की वजह से जानवरों का बहुत नुकसान होता है। फॉडर और पानी की दोनों की मूल समस्या जानवरों से सम्बन्धित है। यदि हम इस समस्या का निराकरण नहीं करेंगे, तो वाइट-रिवोल्यूशन जो हम इस देश में लाना चाहते हैं, वह नहीं आ सकेगा। इसका सबसे ज्यादा उपयोग

वहीं हो सकता है, जहां पर फाडर उपलब्ध है और फाडर खाकर ही जानवर बहुत बड़ी तादाद में दूध देता है। इस प्रकार की चीजों को बचाने के लिए जब तक वहां पर फॉडर को उपलब्ध कराने के लिए पानी उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तब तक हम पशुधन को जिन्दा नहीं रख सकेंगे और इसकी वजह से हमको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा।

इस तरीके से वहां पोपुलेशन की समस्या है। जैसा कि वृद्धि चन्द जैन बता रहे थे कि डैजर्ट एरिया में एक करोड़ 82 लाख पोपुलेशन है। इस जनसंख्या को जब वहां बारिश नहीं होती है, तो इस पोपुलेशन की फीड करने के लिए वहां फूड-प्रोडक्शन नहीं होता है। सारी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध न होने पर, वहां की पोपुलेशन को बहुत बड़ी तकलीफ उठानी पड़ती है और जो बस्तुएं वहां पर उपलब्ध होती हैं, उनको बड़े मंहगे भावों पर खरीदना पड़ता है। कई स्थानों पर बिजली उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से पांच-पांच छः छः फुट नीचे से पानी निकालने में कठिनाई होती है। इसके विस्तार के लिए जब तक उनको धन उपलब्ध नहीं कराया जायेगा, तब तक डैजर्ट एरिया का ठीक तरह से विकास नहीं हो पाएगा। डैजर्ट क्षेत्र में बाडमेर की तरफ लिग्नाइड के बहुत बड़े भंडार हैं। यदि इस पर आधारित हम इलैक्ट्रिसिटी के साधन वहां पर उपलब्ध करायें तो निश्चित तरीके से हम वहां के लोगों की बिजली की समस्या को दूर कर सकते हैं। ऐसी ही एक योजना राजस्थान सरकार द्वारा प्लानिंग कमीशन की स्वीकृति के लिए भेजी गयी है, जो साल भर से पैंडिंग में पड़ी हुई हैं। यदि इस योजना को स्वीकृति मिल जाती है, तो वहां के लोगों की बिजली की समस्या को दूर किया जा सकता है।

बोर्डर क्षेत्र में आपने देखा कि सन् 1965 और 1971 में पाकिस्तान की तरफ से लड़ाई का संघर्ष चलता रहा और रोजमर्रा छुट-पुट घटनायें वहां होती रहती हैं। सिक्योरिटी की दृष्टि से भी वहां का विकास नितान्त आवश्यक है। राजस्थान कैनाल को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसको जैसलमेर तक बढ़ाकर सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही है। यदि इसकी पूर्ति हो जाती है तो इसका बहुत बड़ा लाभ होगा डिफैंस की दृष्टि से और वहां की जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध हो सकेगा। इसी प्रकार वहां रेल के विस्तार की भी नितान्त आवश्यकता है, क्योंकि जब तक फौजी के आवागमन के लिए रेल का विस्तार नहीं होगा, तब तक सिक्योरिटी प्वाइंट आफ व्यूह से भी उसकी रक्षा नहीं की जा सकेगी। बार्डर रोड्स थोड़ी बहुत बनी है, मगर माकूल तरीके से नहीं है, जिससे हम सिक्योरिटी प्वाइंट आफ व्यूह से भी अपने बार्डर को सुरक्षित रख सकें। इसलिए रोड्स का भी विकास बहुत आवश्यक है।

खास तौर से एक बात मैं श्री गाडगिल साहब, जो यहां पर बैठे हुए हैं, से कहना चाहता हूं। हमारे यहां बार्डर क्षेत्र में पाकिस्तान की खबरें सुनी जाती हैं, मगर हिन्दुस्तान की खबरें नहीं सुनी जाती हैं। न तो वहां पर रेडियो स्टेशन हैं और न ही वहां पर टेलीविजन की सुविधा है।

पाकिस्तान रेडियो सुनकर और उनके टेलीविजन को देखकर वहां की जो पोपुलेशन है वह मिसगाइड होती है। इसलिए हमें अपने रेडियो और टेलीविजन का इस तरह से विस्तार करना चाहिए। ताकि हमारी खबरें उन तक पहुंच सकें और उन का ज्यादा से ज्यादा लाभ उन लोगों को मिल सके। इसके जरिये हम अपने बार्डर को ज्यादा सीक्योर कर सकते हैं, सीक्योरिटी को टाइटन कर सकते हैं। साथ ही वहां के लोगों को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि वे किस तरह से दुश्मन का मुकाबला करें। इस सम्बन्ध में हमने अनेक बार इस सदन में, सुझाव दिए हैं और वृद्धिचन्द जी ने भी अनेक बार सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है। अभी तक आपकी तरफ से सिर्फ एक छोटा सा काम हुआ है, जैसलमेर में आपने टेलिविजन का कुछ काम किया है, लेकिन वह बहुत छोटा स्टेशन है उससे काम नहीं चल सकता है, क्योंकि उसका विस्तार 25 मील से ज्यादा नहीं है, जबकि वह 200 किलोमीटर का क्षेत्र है, और 25 किलोमीटर पर तो वहां गांव पड़ता है—इसलिए एक गांव तक भी इस टेलिविजन व्यवस्था

का लाभ नहीं पहुंच सकता है। मेरा अनुरोध है कि इसका ज्यादा विस्तार किया जाय ताकि उस क्षेत्र को इसका लाभ मिल सके।

वहां पर स्कूलों की कमी है, अस्पतालों की कमी है, जब गर्मी का मौसम आता है तो वहां भयंकर गर्मी पड़ती है, लू चलती है, आंधियां चलती हैं, ऐसी हालत में वहां पर जिस प्रकार की महामारी फैलती है उसके बचाव के लिए मैडिकल फैसिलिटीज नहीं हैं...

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी रंगा (गुंटूर) : आपकी स्थानीय सरकार—राजस्थान सरकार—क्या कर रही है ?

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : राजस्थान सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह व्यवस्था कर सके। जब तक व्यवस्था भारत सरकार की तरफ से नहीं की जायेगी, तब तक कुछ नहीं होगा।

अब मैं आप का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि आपने हिली-एरियाज के लिए और डैजर्ट एरियाज के लिए जो प्रावधान किया है, उनमें कितना बड़ा अन्तर हैं। डेजर्ट एरियाज के छठे प्लान में आपने 100 करोड़ रुपए रखे थे और यह व्यवस्था की थी कि उसमें 50 परसेन्ट कन्ट्रीव्यूशन राजस्थान सरकार का होगा। राजस्थान सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं—जैसा आपने हिली-एरियाज के लिए किया है, नार्थ ईस्टर्न एरिया में तो आपने सेन्ट-पमसेन्ट मदद की है, उनको 200 करोड़ रुपया दिया है, यह बहुत अच्छी बात है, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं डेजर्ट एरियाज के लिए आप इसी तरह से मदद दें। आपने 900 करोड़ रुपया हिली-एरियाज के डवेलपमेन्ट के लिए स्पेशल प्लान में 100 परसेन्ट के बेसिज पर रखा है। दूसरे प्लानों में 90 परसेन्ट और 10 परसेन्ट रखा है। अगर राजस्थान में भी ऐसा कर दें तो इससे हमारे डैजर्ट एरिया के डवेलपमेन्ट में मदद मिलेगी। आपने जो 100 करोड़ का प्रावधान किया था वह भी पूरा खर्च नहीं हो पाया है, जब तक आप हमारी मदद नहीं करेंगे यह पैसा वहां खर्च नहीं हो पायेगा।

डेजर्ट की रोकथाम का प्रयास पूरी तरह से न होने के कारण वह बढ़ता जा रहा है। कई नए जिले इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसको रोकने की नितान्त आवश्यकता है। यह तभी सम्भव है जब आप एफारेस्टेशन, फारेस्ट लगाने की व्यवस्था करें तभी उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। मेरा जिला भी इसकी चपेट में आ रहा है। पाली, जो हमारे डागा जी का क्षेत्र है, वहां की सारी सैण्ड उड़-उड़ कर मेरे जिले में आती है। इसको रोकने के लिए भारत सरकार बड़े पैमाने पर कोई योजना बनाये। मेरा प्लानिंग मिनिस्टर साहब से निवेदन है, वह आने वाले सालों में जैसे पंचवर्षीय योजना में आपने हिली एरियाज के लिए पैसा दिया है, उससे ज्यादा पैसा आप डेजर्ट डवेलपमेन्ट के लिए दें।

आपने डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम को बन्द कर दिया। इस प्रोग्राम के अन्तर्गत जो रोजगार वहां के लोगों को मिलता था, वह बन्द हो गया है। न वहां पर इण्डस्ट्रीज हैं और न कल-कारखाने हैं, न बिजली है और न सड़कें हैं, सब प्रकार का अभाव है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इस प्रोग्राम को और ज्यादा मजबूत बनायें, ज्यादा से ज्यादा पैसा दें ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरे और जिस तरह से इण्डिया लेविल पर हिन्दुस्तान आगे बढ़ रहा है, उसी तरह से डेजर्ट एरिया भी आगे बढ़े। मुझे आशा है कि डेजर्ट एरिया के लिए कुछ करके उसे

आगे बढ़ने से रोकेंगे। और इस एरिया को आर्थिक तौर पर सम्पन्न बनाने के लिए पूरी तरह से उसको सहायता देंगे।

[अनुवाद]

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : सन् 1981-82 तक की पंचवर्षीय योजनाओं में पहाड़ी तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए धनराशि के आवंटन में समानता थी। लेकिन वर्ष 1981 में सबसे पहली बार छठी पंचवर्षीय योजना में यह असमानता लाई गई। असमानता यह थी कि पहाड़ी क्षेत्रों को, विशेष योजनाएं तथा सामान्य पहाड़ी क्षेत्र दो वर्गों में बांट दिया गया। विशेष योजना पहाड़ी क्षेत्रों को 100 प्रतिशत की केन्द्रीय सहायता दी गई तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई तथा धनराशि में से 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था। इसलिए छठी पंचवर्षीय योजना में धनराशि का आवंटन करते समय ही रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के साथ सौतेला व्यवहार किया गया क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत केन्द्र ने देना था तथा 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों में से दिया जाना था। यह देखना होगा कि राजस्थान सरकार जो हमेशा ही ओवरड्राफ्टों के बोझ तले दबी रहती है, 50 प्रतिशत की राज्य सहायता नहीं दे सकती। इसलिए, छठी योजना को कार्यान्वित करते समय लाई गई इस असमानता ही इस अशान्ति का कारण बनी। वास्तव में इससे वहां के क्षेत्रों के लोगों की पशु-चारी अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस देश के केवल 3 प्रतिशत लोग ऐसे हैं। जो अब भी पशु-चारी अर्थव्यवस्था पर निर्भर हैं। रेगिस्तानी क्षेत्रों में वे कृषि आय पर निर्भर नहीं रह सकते। वे पशुओं की आय जैसे ऊन, दूध, दूध से बने पदार्थ तथा दूसरे क्षेत्रों में पशुओं की बिक्री से अर्जित आय पर निर्भर करते हैं। मैं सोचता हूं कि योजना बनाने वालों को मामले के इस पहलू पर एक बार फिर विचार करना चाहिए था। केवल यह ही नहीं, डी०पी० ए० पी० को भी छोड़ दिया गया है। सच तो यह है कि डी० पी० ए० पी० रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए एक विशेष कार्यक्रम था। लेकिन उसे छठी योजना में छोड़ दिया गया। इसके लिए विशेष कारण यह बताया गया है कि चूंकि उन्होंने आई० आर० डी० पी० तथा रेगिस्तान विकास कार्यक्रम लागू कर दिए थे इसलिए परस्पर व्यापन के कारण इस कार्यक्रम को छोड़ दिया गया है। मैं सोचता हूं कि यह कोई तर्क नहीं है। छठी पंचवर्षीय योजना में यह उल्लेख किया गया है :—

> "इस कार्यक्रम के क्षेत्र तथा कार्य क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए एक परस्पर समन्वय सम्बन्धी टास्क फोर्स बनाई गई हैं। आई० आर० डी० पी० के द्वारा इन कार्यक्रमों में दिए गए व्यक्ति हित तत्व का ध्यान रखा जाएगा। डी० पी० ए० पी० कार्यक्रम में रोजगार बढ़ाने के अवसर पैदा करने की बहुत क्षमता है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के साथ मिलकर इसका अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रेगिस्तान विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आए क्षेत्रों को नहीं लिया जाएगा।"

इसलिए डी० पी० ए० पी० छोड़ने के कारण रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ अन्याय हुआ है।

प्रो० एम० जी० रंगा : क्या आपकी सरकार ने भारत सरकार को लिखा है ?

श्री राम सिंह यादव : हां, योजना के बनाते समय हमने लिखा था। हमने प्रश्न भी उठाए थे तथा यह कहा था कि इस प्रकार की असमानता नहीं होनी चाहिए। रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा पहले से बनाई गई योजनाओं को रद्द नहीं किया जाना चाहिए तथा उन्हें जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन उन्हें जारी नहीं रखा गया।

जहां तक रेगिस्तानी क्षेत्रों की भौगोलिक तथा राजनीतिक स्थिति का सम्बन्ध है, यह देश की सीमा पर स्थित है। स्वतन्त्रता के बाद का इतिहास यह दर्शाता है कि भारत तथा पाकिस्तान के बीच सभी महत्वपूर्ण युद्ध चाहे वह सन 1965 का हो या सन 1971 का, इसी क्षेत्र में लड़े गये। सरकार को इस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए था जिसका आधारभूत सिद्धांत यह होना चाहिए था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग सन्तुष्टि महसूस करें उन्हें जीवन की हर आवश्यक वस्तु प्रदान की जानी चाहिए, उन्हें संरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध की जानी चाहिए थी ताकि वे वहां बस सकें। इसे मद्दे नजर नहीं रखा गया। परिणाम यह हुआ है कि सन् 1965 तथा 1971 में काफी लोग उस क्षेत्र से आ गए। इसका कारण यह था कि उन्हें बमबारी का सामना करना पड़ा तथा इसके साथ-साथ उन्हें वहां के खराब मौसम का भी सामना करना पड़ता था। सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के पुनर्वास तथा उन्हें काम देने की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। पहले ऐसा नहीं किया गया है।

इसीलिए श्री वी० सी० जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प को न केवल राजस्थान के था रेगिस्तान, गुजरात अथवा जम्मू तथा काश्मीर में रहने वाले लोगों का वर्ग हित साधक है बल्कि यह सारे राष्ट्र के हित में है। उसी को मद्दे नजर रखते हुए हमें वहां रहने वाले लोगों को पीने के पानी, खाद्य पदार्थ, चिकित्सा सहायता, शिक्षा सुविधाएं, बाजार मार्ग तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करनी होंगी।

जम्मू तथा काश्मीर तथा अन्य एक या दो राज्यों को छोड़कर राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय देश में सबसे कम है। मानते हैं कि रेगिस्तान का अधिकांश क्षेत्र राजस्थान की सीमा के अन्दर ही स्थित है परन्तु चूंकि राज्य की वित्तीय स्थित ठीक नहीं है, रेगिस्तान को दूर करने के लिए बनी विशेष योजनाओं के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जानी चाहिए जैसा कि पहाड़ी क्षेत्रों की विशेष योजनाओं के सम्बन्ध में दी जा रही है।

राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए आवंटित राशि केवल 100 करोड़ रुपए थी जबकि पहाड़ी क्षेत्रों के लिये यह राशि 900 रुपये थी—560 करोड़ रुपए विशेष योजना के लिए तथा 340 करोड़ रुपये सामान्य योजना के लिए। अतः इस प्रकार यह अनुपात 1 : 9 का है। सहज ही यह रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के दिलों में जलन पैदा करेगी। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहनेवाले लोगों की यह एक विशेष आदत है। वे स्थायी रूप से किसी एक ग्राम विशेष में नहीं रह सकते ? उन्हें मौसम की अनियमितता के कारण एक खानाबदोश की जिन्दगी व्यतीत करनी पड़ती है। उन्हें अपने पशुओं के लिए पानी और चारे की आवश्यकता होती है। जब उन्हें ये सुविधाएं किसी गांव में नहीं प्राप्त होती तो ये किसी दूसरी जगह चले जाते हैं जहां उन्हें ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। इस प्रकार से उनमें से कुछ लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब में चले जाते हैं। इसलिए वे वर्ष के 6 या 7 महीने अपने घर से दूर, एक दिन एक जगह तथा दूसरे दिन दूसरी जगह रहकर एक खानाबदोश का जीवन व्यतीत करते हैं। इन हालातों में, वास्तव में उन लोगों के साथ, जो इतना कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। तथा इतनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, एक विशेष तरह का बर्ताव करना चाहिए तथा पहाड़ी क्षेत्रों तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास में असमानता नहीं होनी चाहिए।

केवल यह ही नहीं सूखा-प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल किए गए क्षेत्रों को 15 लाख रुपये प्रति ब्लाक प्रतिवर्ष की दर से, कुल 175 करोड़ रुपए का परिव्यय, केन्द्रीय क्षेत्र से मिलते रहना चाहिए और इतनी ही धनराशि द्वारा दी जायेगी। इसलिए सूखा-प्रवण, क्षेत्र कार्यक्रम का स्वरूप को बदल केन्द्र से दिया गया और इसके लिए केन्द्र से 100 प्रतिशत सहायता मिलने लगी। लेकिन छठी पंचवर्षीय योजना में इस व्यवस्था को बिल्कुल ही बदल दिया गया तथा यह व्यवस्था की गई कि इस

क्षेत्र के लिए भी राज्य का योगदान 50 प्रतिशत होगा। इन हालातों में मैं अनुरोध करता हूं कि पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए बनी विशेष योजना तथा रेगिस्तानी क्षेत्र विकास योजना में समानता होनी चाहिए।

राजस्थान में रहने वाले लोगों को एक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ शरणार्थी भारत में आ गए क्योंकि वे पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में रहते थे तथा इन्होंने भारतीय सेना की पाकिस्तानी क्षेत्र में जाने में मदद की थी श्री। वृद्धि चन्द्र जैन को इसके विषय में अच्छी तरह पता है। लड़ाई के दौरान दबाव की वजह से इन्हें भारत में आना पड़ा। ये अब राजस्थान में रह रहे शरणार्थी हैं। उन्हें कोई राहत नहीं दी गई। इसलिए भारत सरकार से मेरा अनुरोध है कि जो लोग भारत में आ गए हैं तथा जिन्होंने युद्ध के समय भारतीय सेना की मदद की थी, उन्हें भारतीय नागरिक का दर्जा मिलना चाहिए तथा उनका पुनर्वास वैसे ही करना चाहिए जैसा कि भारत सरकार ने बंगला देश या सन् 1947 में पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का किया था। इसलिए इन लोगों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सच तो यह है कि ये लोग अपने पुनर्वास के लिए भटकते फिर रहे हैं।

***श्री आर० अन्नानम्बी** (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने इस संकल्प—जिस पर चर्चा हो रही है—के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में समान धनराशि देने की आवश्यकता की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि इस प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला है।

महोदय, मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूं जहां कोई रेगिस्तान नहीं है। वहां पहाड़ी प्रदेश भी है तथा हरियाली भी। जबकि सलेम तथा धर्मापुरी जिलों में तथा अन्य जगहों पर पहाड़ी प्रदेश हैं लेकिन कोयम्बटूर जिले में पश्चिमी घाट हैं जिनके बारे में माननीय योजना मन्त्री, जो मेरे पड़ोसी राज्य केरल के रहने वाले हैं, सुपरिचित हैं। जबकि हम शहरी और अर्ध-शहरी केन्द्रों में रहने वाले लोगों को सभी तरह के आराम तथा सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं परन्तु पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग आदि मानव की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के इरुलर वासी इरुलर थोडर, मलासर, तथा इसी प्रकार की अन्य आदिम जातियों यहां पशुओं जैसा जीवन व्यतीत कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अन्नानम्बी, प्रो० रंगा यह पूछ रहे हैं कि आपने नीलगिरी, जहां थोडर रहते हैं के सम्बन्ध में क्यों कुछ नहीं कहा।

श्री आर० अन्नानम्बी : महोदय, नीलगिरी पश्चिमी घाट का ही एक हिस्सा है। यह तो मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा था। देश के अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में भी यह ही स्थिति है। इन आदिम जाति लोगों के पास पहनने को कपड़े नहीं है। उन्हें दो समय का खाना भी नहीं मिलता।

वे गंदी झोपड़ियों में रहते हैं। कच्चा मांस खाते हैं; पक्षियों का शिकार करके उन्हें खाते हैं। बाजरे का दलिया उनका आहार है। उनका जीवन स्तर बहुत नीचा है। उनके उत्थान के लिए तमिलनाडु सरकार ने पश्चिमी घाटों के विकास से सम्बन्धित एक योजना केन्द्र सरकार को भेजी थी लेकिन सरकार ने उस पर मंजूरी नहीं दी। इस योजना को कारगर ढंग से लागू करने के लिए वित्तीय सहायता भी नहीं मिल रही है। यदि इस योजना को मंजूरी दे दी जाए तो कोयम्बटूर, धरमपुरी सेलम आदि जैसे पहाड़ के नीचले इलाकों में स्थित ज्यादातर जिलों की अर्थव्यवस्था गतिशील हो जाएगी।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

हमारे अनुभवी मुख्यमन्त्री डा० एम० जी० आर० पश्चिमी घाटों के विकास के लिए इस योजना को शीघ्र मंजूरी दिए जाने पर जोर दे रहे है। मैं एक बार फिर इस बात को दोहराऊंगा कि केन्द्र सरकार इस योजना पर तत्काल अपनी मंजूरी दे तथा इसके लिए अपेक्षित वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराए।

महोदय, मैं पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। यही मूनार हिल्स हैं जोकि तमिलनाडु को पड़ोसी राज्य केरल से जोड़ती हैं। यूड्मल्लैपेंटई में पहाड़ी रास्ते हैं। मूनार हिल्स में चाय तथा काफी बगान हैं जहां काम करके हजारों मजदूर अपना जीवन यापन करते हैं। पानी यहां प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है किन्तु अभी तक सिंचाई कार्यों के लिए इसका उपयोग नहीं किया गया। इस इलाके के लोगों की मांग है कि यहां एक सिंचाई बांध बनाया जाए ताकि वे अपनी भूमि पर खेती कर सकें। यह बहुत पुरानी मांग है। यदि बांध का निर्माण करके, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का बहाव मोड़कर पूर्व की ओर कर दिया जाए तो यह वहां रहने वाले लोगों के लिए वरदान सिद्ध होगा। उनका जीवन ही बदल जाएगा। कोयम्बटूर जिले पेरियार जिले तथा अन्य क्षेत्रों को प्रचुर मात्रा में पानी मिलेगा। हजारों एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। सिंचाई के अलावा पानी से बिजली उत्पादन भी किया जा सकेगा जिसकी तमिलनाडु में बहुत कम सप्लाई है।

केन्द्र सरकार ने दो समितियों का भी गठन किया था जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी, जो कि अभी तक अरब सागर में जाकर मिल जाने के कारण व्यर्थ चला जाता है, के उपयोग की व्यवहार्यता का अध्ययन करेंगी। केरल राज्य को उस पानी की जरूरत नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इन समितियों का क्या हुआ, क्या उन्होंने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं और यदि हां, तो उनमें निहित सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है। यदि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों का बहाव मोड़कर पूर्व की ओर कर दिया जाए तो तमिलनाडु खाद्यान्न के मामले में अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न उगाने वाला राज्य बन जाएगा। इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। पहाड़ी इलाके सम्पन्न हो जाएंगे। आदिवासी भी राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। बिजली का प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जा सकेगा जिससे औद्योगिक पुनरुत्थान हो सकेगा। इस विशाल योजना पर कोई कार्यवाही करने से पूर्व, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मूनार बांध परियोजना तथा तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत पश्चिम घाट के विकास की योजना पर तत्काल मंजूरी दे। पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है। वे हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति के प्रकाश स्तंभ हैं। राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार को उनके लिए कार्य करना चाहिए। उनकी सहायता की जानी चाहिए ताकि वे अपने वातावरण में अच्छी तरह रह सकें। 'इरूलर', 'थोडार' तथा 'मलासारों' को पश्चिम घाट विकास योजना के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सदन के अनुमोदन के लिए इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहर सिंह राठौड़ (चुरु) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वृद्धि चन्द्र जैन ने इस सदन में जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। उनका प्रस्ताव एकदम समयानुकूल है और बिना किसी कारण, बिना किसी युक्ति और बिना किसी आधार के पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों के बीच जो भेदभाव किया गया है, उसके अनुसार रेगिस्तानी इलाकों के साथ अन्याय हुआ है। पिछड़े हुए लोग और ज्यादा पिछड़े गए हैं, वैसे तो भारत सरकार की यह नीति है कि देश का प्रत्येक भाग समान रूप से प्रगति करे लेकिन इस भेदभावपूर्ण नीति के कारण हमारा पहले से पिछड़ा हुआ राजस्थान और ज्यादा पिछड़

गया है। राजस्थान के रेगिस्तांन ने देश को सर्वोत्तम सैनिक दिए हैं, देश को सर्वोत्तम नस्ल की गायें दी हैं, उत्तम बैल दिए हैं और आज से नहीं, हजारों वर्षों से, इस देश पर जब-जब बाहरी आक्रमण हुए, उन सब का मुकाबला रेगिस्तान के वीर करते आये हैं। ऐसी स्थिति में, देश की रक्षा करने वाले वीर और उनके परिवार जहां पहले से ही तकलीफ में रहते हैं, इस कारण उनके मन पर और भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। जहां हमारी सरकार की नीति है कि प्रत्येक आदमी संतुष्ट हो, यदि वहां हमारे सैनिक असंतुष्ट रहते हैं तो वह कितनी बेजा बात होगी। इस नीति का परिणाम यह सामने आ रहा है कि जहां रेगिस्तान के इलाके में पहले से ही पीने के पानी का अभाव है, जहां 10-10 मील से लोग पानी लाते हैं और वर्षा के अभाव में वह पानी भी कभी-कभी इतना खारा हो जाता है, उसमें नमक की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है...

उसमें इतना अधिक नमक मिल जाता है कि उसकी कोई सीमा नहीं होती है। नमक की सीमा होती है 35,000 प्रति मिलियन। उस नमक के पानी के पीने से सैकड़ों पशु एक साथ मर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, बच्चे डाइसैंट्री होकर मर जाते हैं। इसी प्रकार इतना ज्यादा फ्लोराइड है, जिसकी सीमा नहीं है। यह फ्लोराइड 10 लाख है। कई गांवों में इसका असर यह होता है कि वह पानी दूध में मिल जाता है तो दूध फट जाता है, चाय में मिल जाता है तो चाय फट जाती है, आदमी पी लेता है तो आदमी बीमार हो जाता है। इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में जो लोग बसते हैं, जो देश की रक्षा करते हैं, देश का भला चाहते हैं, उनकी तरफ आप देखें।

आज उस क्षेत्र में राजस्थान केनाल गई है, इन्दिरा केनाल जिसको कहते हैं। उस क्षेत्र में वहां से 5 लिफ्ट योजनाएं स्वीकार की गई थीं वे योजनायें फ्लौयर, गजनेर, फलौदी, कोकरण में थीं। वे पांचों लिफ्ट योजनायें हमारी जनता सरकार ने नामंजूर कर दीं। परिणाम यह हुआ कि पिछड़े लोग पीछे चले गए। उनको अगर वापिस शुरू नहीं करवाया जायेगा तो बड़े पैमाने पर जो हम 10 साल पीछे चले गये हैं और 20 साल पीछे चले जायेंगे। पिछले 30 साल से संघर्ष करने के बाद ये लिफ्ट योजनायें मंजूर हुई थीं और हमारी राजस्थान सरकार की जनता पार्टी की कैबिनेट ने फैसला करके उनको नामंजूर किया, जबकि यह सर्वविदित है कि वे सबसे सस्ती योजनायें हैं। वे ऐसे इलाकों में जाती हैं जहां बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। वहां आपको कालोनाइजेशन का खर्चा नहीं करना पड़ेगा। वहाँ लैंड राइट्स सटल्ड हैं। इसलिए वहां पर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने से 6 महीने में ही कृषि की पैदावार उपलब्ध हो जाएगी।

इसी प्रकार से यह पहाड़ और रेगिस्तान का भेदभाव भी जनता पार्टी की देन है। हम लोगों ने 1980 के चुनाव इस आधार पर लड़े थे कि जनता पार्टी की सरकार ने जो अन्याय किए हैं, उनको हम समाप्त करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तान के लोगों की यह करुण पुकार है कि उन्हें पीने का पानी नहीं मिलता है। जितनी हमारी योजनाएं कमीशन्ड हैं, उसमें आधे से ज्यादा गांवों में पानी नहीं जाता, बिजली नहीं जाती। गांव खाली हो जाते हैं, कभी तो पाकिस्तान के हमले के डर से गांव खाली हो जाते हैं, कभी पानी के अभाव से खाली हो जाते हैं। हजारों वर्षों से हमारी जो स्थिति है उसमें परिवर्तन नहीं आया। भाई वृद्धि चन्द्र जी ने कहाकि हम 15वीं 16वीं सदी में रहते हैं। मैं कहूंगा आज भी हम 10वीं सदी में रहते हैं।

आज हमको बरसात का पानी कुंओं में डालना पड़ता है। बरसात का पानी इकट्ठा करके पीने के लिए साल भर उसकी रखवाली करनी पड़ती है, उस पर ताला लगाते हैं। हमारी योजना बनाने वाले मानेंगे नहीं, क्योंकि इन्हें वहां जाकर देखने की फुरसत नहीं है। वहां जाकर कोई सदस्य उस पानी

को पीकर जिन्दा रह जाये, इसके लिए मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं, मैं लोक सभा की सदस्यता छोड़ सकता हूं। वहां ऐसी कठिन परिस्थिति है। 100-100 किलोमीटर तक वृक्ष नहीं हैं, 50-60 किलोमीटर तक पोस्ट आफिस नहीं है, स्कूल का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारे राजस्थान में ऊँटों पर डाक चलती है। कहां डाक है, कहां पोस्ट आफिस है ?

हमारे बी० एस० एफ० के जवान बोर्डर में प्यास से मर गये। हमारे डाक्टर यह नहीं बता सके कि पानी में क्या खराबीहै, जिससे आदमी मर जाता है, कोई शोध नहीं हुआ। ऐसी भयंकर स्थिति में हम लोग रहते हैं। ऐसे लोग जो देश की रखवाली करते हैं, देश को लाभ पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम पानी की व्यवस्था नहीं कर सके। हम यह सोचते हैं कि पहाड़ी श्रेत्र में ऐसी कौन सी विशेषता है जो इस रेगिस्तान में नहीं मिलती है।

हमारे इस इलाके के लोग रेगिस्तान से गये लोग आज अफ्रीका में, अरब देशों में और सारे हिन्दुस्तान में व्यापार के लिए चले जाते हैं। प्रतिभा का प्लायन हो जाता है। वहां पर जो बचे-खुचे लोग बाहर नहीं जा सकते वे वहां पड़े रह जाते हैं। उनकी हालत पर इंसानियत के नाम पर गौर करके देखें। आप कभी कहते हैं कि लाख की आबादी होगी तो हम दूरदर्शन का केन्द्र खोलेंगे। कैसे होगा, कभी हो नहीं सकता। चाहे लाख वर्ष तक इंतजार कर लें। ऐसी योजनाओं को बिना सोचे समझे केवल इस आधार पर खारिज कर देना, यह ठीक नहीं। इससे ज्यादा भेदभाव मूलक और क्या बात हो सकती है। उनकी हालत पर इंसानियत के नाम पर गौर करके यह जो भेदभाव है इसको दूर करिए। कभी कहते हैं कि लाख की आबादी होगी तो वहां हम दूरदर्शन केन्द्र खोलेंगे। कैसे होगी लाख की आबादी ? हमारे यहां तो कभी हो नहीं सकती है।

पाकिस्तान के आदमी बराबर वहां आते हैं और स्मग्लिग बराबर चलती रहती है। भूख के मारे आदमी पाप नहीं करेगा तो और क्या करेगा ? कौन रोक सकता वहां इस चीज को ? पीने का पानी जहां नहीं है वहां कोई रोक सकता है ? वहां सरकार नाम की चीज तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वृद्धि चन्द्र जैन साहब ने डर के कारण यह बात नहीं कही। मैं कहता हूं कि आप हजार आदमी भेज दीजिए मेरे साथ, मैं आज भी उनको पाकिस्तान भेज सकता हूं। आराम से पाकिस्तान के लोग वहां आते हैं, वहां से सामान ले आते हैं, और यहां से ले जाते हैं।.:.(**व्यवधान**)...अफीम का या और किसी चीज का सवाल नहीं है। जो नहीं आने की चीज है वह आती है और जो नहीं जाने की चीज है वह यहां से जाती है। उस बोर्डर पर सरकार नाम की चीज एग्जिस्ट नही करती है। जहां पीने का पानी नहीं वहां सरकार कैसे एग्जिस्ट कर सकती है।

जो बातें मैंने आप से कही है वह अक्षरशः सत्य हैं। यह जो भेदभाव हुआ है और पीड़ित लोगों के साथ यह जो अन्याय हुआ है इस अन्याय को दूर करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। ज्यादा कहने से मैं समझता हूं कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सत्य बात जो है उसका प्रभाव होगा। मैंने तो अपने चुनाव क्षेत्र में यही कहा है यह भेदभाव दूर नहीं हो गा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो मैं तो यही कह सकता हूं। इससे ज्यादा ताकत मेरे पास नहीं है। धन्यवाद।

श्री मूल चंद डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि विशाल पैमाने पर फैली हुई गरीबी विशाल जन-समुदाय की नियति बन कर नहीं रह सकती। हमारे योजना मंत्री जी आज साइंस और टेक्नालाजी की दोहाई देते हैं और समझते हैं कि साइंस और टेक्नालाजी ने काफी डेवलपमेंट कर लिया है...(**व्यवधान**)...प्रश्न यह है कि जब हम इस बात की चुनौती देते हैं कि विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली है या साइंस नें इतना बड़ा डेवलपमेंट कर लिया है तो मैं कहना चाहता हूं कि आज यह सवाल राजस्थान का नहीं है, अगर राजस्थान वालों की तरफ आप इशारा करते हैं तो

मैं कहूंगा कि जो पहाड़ के इलाके के लोग हैं जहां पहाड़ बिलकुल कट गए हैं, जहां पेड़ बिलकुल कट गए हैं और जहां लोगों की हालत बिलकुल खराब हो गई है, जहां बड़े-बड़े लोग गए, सारा जंगल खा गए और वह मालदार हो गए, वहां की हालत भी वैसे ही खराब है।

ये योजनायें कैसे बनती हैं—योजना मन्त्री जी सुनें। योजना बनाते हैं सरकारी अधिकारी और हम लोग उसकी पालन करते हैं। जो लोग कभी गांवों में गए नहीं, जिन्होंने डेजर्ट देखा नहीं, वे लोग योजनायें बनाते हैं। यह सारा मामला ही उल्टा है। मैं आपको बताऊं कि एक मन्त्री जी आए बिहार से, उन्होंने कहा कि राजस्थान में पानी नहीं है तो हैंड-पम्प लगा दो। उन्हें मालूम ही नहीं कि वहां पर गंगा और यमुना नदी का किनारा नहीं है जहां पर हैंड पम्प लगाने से पीने का पानी उपलब्ध हो जायेगा।

दूसरी बात यह है कि सरकार जो योजनाएं बनाती है और सरकारी खजाने से पैसा निकाल कर उसमें लगाती है उससे जिन लोगों को राहत मिलनी चाहिए उनको कोई राहत नहीं मिल पाती है और जो बीच के लोग होते हैं वे पैसा खा जाते हैं। इसी वजह से सरकार ने जो भी टार्नेट फिक्स किए थे वह पूरे नहीं हो पाए। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह जो रेगिस्तान की समस्या है इसके लिए एक पीपुल्स प्रोग्राम बनाया जाए, एक डेजर्ट डेबलपमेन्ट बोर्ड की स्थापना की जाए और लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। मैं स्वयं उसमें काम करूंगा और दिखा दूंगा कि देश आगे कैसे बढ़ सकता है। इजराइल ने अपने यहां रेगिस्तानी इलाके को सरसब्ज बना दिया है। इस देश में भी 300 बड़ी-बड़ी लेवार्टरीज कार्य कर रही हैं, आप उनसे पूछिये उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्य किया है। आप लाखों पेड़ लगाते हैं लेकिन रेगिस्तान बढ़ता जा रहा है। कारण यह है कि तमाम जंगल काट दिए गए। यह इस देश का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। जो बड़े-बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वे पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, सारे बम्बई के लोग हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जाते हैं लेकिन आज सारे हिल स्टेशन नंगे हो गए हैं, वहां पर वह सौंदर्य और खूबसूरती नहीं रह गई है। अब नीलगिरि के बोटैनिकल गार्डन्स में वह हरियाली कहां है? लोग लकड़ी के मकान बनाते हैं और लकड़ी के दूसरे तमाम सामान बनाते हैं। वहां की सारी लकड़ी लोग ले गए। इस तरह से सारा देश बरबाद हो जायेगा। अब पर्यावरण के नए मन्त्री बनाए गए हैं, एक नया विभाग खोला गया है। मैं कहना चाहता हूं कि अगर पर्यावरण की रक्षा नहीं की गई तो यह देश नहीं बचेगा। आज रेगिस्तान बजाए रुकने के बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों की मिट्टी नीचे आ रही है। इस तरह से मुल्क बरबाद हो जायेगा। आप सबसे पहले तो जो उद्योग लगे हुए हैं, उनके द्वारा किए जाने वाले पोल्यूशन को रोकिए, उस पर प्रतिबन्ध लगाइए। आप गंगा नदी का डाइवर्जन राजस्थान की ओर कर दीजिए और नर्मदा प्रोजेक्ट को भी शुरू कीजिए। यदि वहां पर पानी पहुंचेगा तो वह जमीन में जाएगा और उससे जमीन ठीक होगी। आज जो भी काम करना चाहते हैं उसका प्रोजेक्ट बनाइए। आपने एरिड जोन्स खोल रखे हैं। लेकिन आप देखिए कि इस विषय का कन्सर्न कृषि मन्त्री से है परन्तु वे यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

5.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, आपका कर्तव्य है कि आप सम्बन्धित विभाग के मंत्री महोदय को विचार सुनने के लिए बुलायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : योजना मंत्री जवाब देंगे।

श्री मूल चंद डागा : उनका इससे प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

करोड़ रुपया सरकार देती है, यदि वह प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है, तो हमारे देश का विकास होगा। योजना मंत्री जी राजस्थान कैनाल की बात हैं, जिसे हम गर्व से इन्दिरा गांधी कैनाल कहते हैं। यह उस वक्त साठ करोड़ की योजना थी, जिसका उद्घाटन गोविन्द वल्लभ पंत जी द्वारा सन् 1958 में किया गया था। यह योजना आज एक हजार करोड़ रुपए की गई है जो अभी भी कम्पलीट नहीं हो पाई है। तीस साल इस योजना को बनते-बनते हो गए हैं। राजस्थान में यदि पानी की समस्या को दूर कर दिया जाए, तो हम देश को ज्यादा पैदावार दे सकते हैं। आप इस प्रकार की कोशिश करिए, जिससे अण्डर-ग्राउण्ड पानी को निकाला जा सके और सारा देश सर-सब्ज हो जाए। हम चाहते हैं कि इस काम को विशाल रूप में लेकर पूरा किया जाए। प्रश्न किया गया कि हिली-एरियाज में पैसा क्यों देते हैं। पैसा इसलिए दिया जाता है जिससे वहां पर बड़े-बड़े साहब लोग इन्जॉय कर सकें। राजस्थान में एक हिल स्टेशन है—माउन्ट आबू। वहां अब कोई नहीं जाता है, क्योंकि सारे जंगल काट दिए गए और एस० पी०, डी० एस० पी० व कमिश्नर साहब के बंगले बन गए हैं। ये सरकारी कर्मचारी लोग मिल जुल कर सारा पैसा खा गए हैं, जिसकी वजह से देश का विकास नहीं हो पाता है। आप अपने विभाग की योजना पत्रिका को पढ़ें, तो पता चलेगा कि धन कैसे यूटिलाइज किया जाता है। डेजर्ट डवेलपमेंट प्रोग्राम 1977 में शुरू हुआ और आज 1985 चल रहा है, आप देखें इन आठ सालों में आपने कितना खर्च किया है और कितना पाया है। जगह-जगह आपने इन्स्टीचूट खोल दिये हैं। वहां लोग बैठे रहते हैं और मुफ्त की तनख्वाह खाते हैं।

एक माननीय सदस्य : पेट भराई होती है।

श्री मूलचन्द डागा : आपने ठीक कहा, पेट भराई होती है। आप कहते हैं कि देश सबका है। सारे मुल्क का सवाल है। अगर पर्यावरण की समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाली पीढ़ियां, हमारी औलाद, हमारी सन्तानें हमें गालियां देंगी। ऐसे मुल्क में पैदा हुए थे जिन्होंने मुल्क को गन्दा और बरबाद कर के छोड़ा है। इसके लिये जिम्मेदार होंगे—इस समय के मंत्री, पार्लियामेंट के मैम्बर और दूसरे काम करने वाले। इसलिये, श्रीमन्, आप एक अच्छी बात मजाक में कह गये, "कृपा कर इन्तजार कीजिये, आप अभी क्यू में हैं।" हमारे मंत्री जी बहुत समझदार हैं, उन्होंने कह दिया—डागाजी, आप क्यू में हैं, इन्तजार कीजिये, आपकी योजना पूरी हो जायगी।

[अनुवाद]

आप नए मंत्री हैं। कृपया हर साल का योजना प्रतिवेदन पढ़िए। उसमें क्या कहा गया है। पहला ही वाक्य है—"रेगिस्तान को समाप्त करने के लिए हम युद्ध स्तर पर कार्य करेंगे।' "युद्ध स्तर" शब्द का इस्तेमाल किया है। महोदय, 37 साल बीत गए लेकिन पीने के पानी की समस्या तो अभी तक हल नहीं हुई।

[हिन्दी]

यह वार-फूटिंग कब होगा ? आप कृपा कर उसको पढ़िये तब आपको मालूम होगा। आप कृपा कर मेरे गांवों में चलिये जो इस समय प्राबलम-विलेज बन गये हैं। पीने के पानी की प्राबलम वहां खड़ी हो गई है। एनवायरेनमेंट पर जो अब ध्यान दिया गया है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाय। इसके लिये योजना बनाइये, प्रोग्राम बनाइये और वह प्रोग्राम "पीपुल्ज प्रोग्राम" होना चाहिये, तभी समस्या का समाधान हो सकेगा।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता

हूं। इस समय राजस्थान का सवाल उठाया गया है, जिसके अनुसार वहां का विकास जिस तरह से होना चाहिये उस तरह से नहीं हो रहा है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सवाल केवल राजस्थान का ही नहीं, अपितु देश में ऐसे अनेक राज्य हैं जो अभी भी पिछड़े हुए हैं। ऐसा ही एक राज्य बिहार है, जहां बहुत बड़ी मात्रा में खनिज पदार्थ हैं, जिससे आपको अधिकतम राजस्व मिलता है, फिर भी वह राज्य पिछड़ा हुआ है, सड़कों के मामले में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के मामले में पिछड़ा हुआ है, अन्य सभी मामलों में पिछड़ा हुआ है, समान तरीके से उसका विकास नहीं हो रहा है। जिसके कारण वहां के लोगों में क्षोभ बढ़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक किसान-घर से आता हूं। हमारा देश एक कृषि-प्रधान देश कहलाता है, जहां 70 प्रतिशत जनता कृषि पर आश्रित है। आपकी जो राष्ट्रीय आय है उसमें 42 प्रतिशत आय को कृषि से मिलता है। आपका जो बजट है, वह घाटे का बजट है। यदि आप कृषि की उपेक्षा नहीं करते तो आप कृषि उत्पादन से इस घाटे को पूरा कर सकते थे। लेकिन आपने कृषि की उपेक्षा कर दी है, जिसके फलस्वरूप कृषि की हालत खराब हो रही है। किसान आपसे क्या चाहता हूं ?...

[अनुवाद]

श्री वृद्धि चन्द जैन : वह मेरे संकल्प के समर्थन या विरोध में नहीं बोल रहे हैं। वह इस बजट का समर्थन कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें समर्थन करने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं आपके प्रस्ताव पर ही बोल रहा हूं। आपके इलाके में पानी का अभाव है, आपका इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, वहां पर आप पानी को ताले में बन्द करके रखते हैं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि यह स्थिति केवल आपके यहां ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी है, कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं—चाहे पानी का मामला हो, चाहे कृषि का मामला हो, सबका समुचित विकास होना चाहिए। यदि विकास नहीं होगा तो वहां के लोगों में क्षोभ बढ़ेगा। और लोग उसके लिए गलत तरीके से सोचते हैं। अब यह ठीक ही कहा है कि अगर आदमी का विकास नहीं होता है, तो वह आदमी गलत रास्ता पकड़ता है और हमारे राष्ट्र के लिए बाधा बनता है। इसलिए मैं यह कहूंगा कि यहां पर यह सवाल जो उठाया गया है, उस पर मंत्री जी ध्यान दें। माननीय सदस्य ने वहां की बहुत खराब स्थिति बतलाई है और वहां की स्थिति के बारे में यहां तक कहा है कि अगर वह गलत निकले, तो वह लोक सभा से रिजाइन कर देंगे। हमारे देश के अन्दर कुछ जगहों के सवाल यहां पर उठाए गये हैं और वे सही हैं और यह बात इस सरकार के लिए एक कलंक है कि इतने वर्षों की आजादी के बाद भी वह वहां का विकास नहीं कर सकी।

इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं जो रेज्योलूशन हमारे वृद्धि चन्द्र जैन जी लाए हैं, उनको अपनी ओर से और डेजर्ट एरियाज में रहने वाले 1 करोड़ 84 लाख लोगों की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सदन में उन्होंने उनकी कठिन समस्या के बारे में चर्चा करने का आज मौका दिया है। दरअसल में यह एक मानवीय समस्या है।

डेजर्ट एरियाज के क्षेत्रफल को हमने देखा, वह पहाड़ों का जो क्षेत्रफल है, उससे ज्यादा है। आज जो लोग वहां पर बसते हैं, उनके सामने पीने के पानी की समस्या है। मीलों दूर जाकर उनको पानी

लाना पड़ता है और उनका जीवन एक खानावदोश का जीवन है। नतीजा यह हो रहा है कि 37 वर्षों की स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी सरकार स्थायी तौर पर सुविधाएं नहीं दे पाई है। न वे अपने बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं और न स्वतन्त्रता का उनको लाभ मिल रहा है।

यह सही बात है कि प्लानिंग कमीशन ने देश में डेवलपमेंट के हिसाब से 6 स्पेशल प्राब्लम एरियाज को आइडेंटीफाई किया था। वे हैं, हिली एरियाज, डेजर्ट एरियाज, कोस्टल एरियाज, ट्राइबल एरियाज, ड्राऊट-प्रोन एरियाज और फ्लड एरियाज। ये छः ऐसे एरियाज थे जिन्हें स्पेशल फंड्स दे कर आवश्यकता के अनुरूप प्लानिंग करके डेवलप करना था लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक उन का पूरा डेवलपमेंट नहीं हो सका है। हमारे उत्तर प्रदेश में पहाड़ के 8 जिले हैं और इसके अलावा और भी जिले हैं, जिनको पहाड़ी जिला स्वीकार नहीं किया गया है जैसे मिर्जापुर है लेकिन यह निश्चित है कि डेजर्ट एरिया हिली एरियाज के मुकाबले में कठिन एरिया है। हमारे यहां इनके लिए 90 परसेन्ट फंड देते हैं और 10 परसेन्ट हमारी सरकार को खर्च करना है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिमालियाज की रेंज बार्डर से लगती है, उसी तरह से कुछ डेजर्ट एरिया को छोड़ कर बाकी बोर्डर से लगता है। राजस्थान का सारा डेजर्ट एरिया बोर्डर से लगा हुआ है और वह एक सेंसेटिव एरिया है और वहां पर इन्फ्रा-स्ट्रक्चर का निर्माण होना चाहिए था। उस डेजर्ट एरिया में न उद्योग की संभावना है, न कृषि की संभावना है और न काटेज इंडस्ट्री की संभावना है। वहां पर भेड़ों से ऊन निकाल कर लोग दूसरी जगहों पर सप्लाई करते हैं और वह एक ऐसा बोर्डर एरिया है, जहां का जीवन बड़ा कठिन है। इसलिए मैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि प्लानिंग कमीशन को राजस्थान को 100 परसन्ट सहायता देकर उस एरिया को डैवलप करना चाहिए बिना यह खयाल किए हुए कि वहां पर स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए व्यवस्था कर सकती है। जब ऐसा होगा, तभी वहां का विकास हो सकता है। हम श्री मूलचन्द डागा से सहमत हैं, जो बात उन्होंने कही है। आवश्यकता इस बात की है कि वहां पर एफोरेस्टेशन किया जाए लेकिन हमें तकलीफ इस बात की है कि इस बजट में एफोरेस्टेशन के लिए केवल 54 करोड़ रुपया मिला है।

इसलिए मैं चाहता हूं कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में 50 करोड़ रुपया एफारेस्टेशन के लिए मिलना चाहिए, यहां के उजाड़ को, पाल्यूशन को ठीक करने के लिए मिलना चाहिए और यह जो नहर है, कब तक हम इसको चलाएंगे। एक हजार करोड़ रुपया इसमें चला गया है मैं चाहता हूं कि इकट्ठा कहीं से साधन निकाल कर इस नहर को पूरा करवाइए, ताकि यह नहर उस पूरे क्षेत्र को हरा-भरा बनाए और एफारेस्टेशन के लिए कम से कम 50 करोड़ रुपया दीजिए। मान्यवर छटी पंचवर्षीय योजना में डेजर्ट डेवलपमेंट के लिए 100 करोड़ रुपया दिया गया था, लेकिन उस रुपए का उपयोग इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट मैचिंग ग्रांट की व्यवस्था नहीं कर सकी, इसलिए यह भी धरा का धरा रह गया। इस बैकलाग को पूरा करने के लिए और पिछले दिनों विकास की दृष्टि से जो इस क्षेत्र के साथ स्टैप मदरली ट्रीटमेंट किया गया है, इसके लिए और अधिक राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है कि हमारे प्लानिंग मिनिस्टर एस० बी० चव्हाण साहब ने हमारे माननीय सदस्य श्री वृद्धि चन्द्र जैन को उनके पत्र का उत्तर दिया है। समय-समय पर वृद्धिचन्द्र जी वहां के लोगों की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाते रहे हैं। मन्त्री महोदय ने 20.12 83 को उनको एक पत्र लिखा है, उसको मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इससे मुझे बड़ी आशा बंधी है, इसलिए मैं राज्यमन्त्री, प्लानिंग विभाग के जो हैं, उनसे मैं चाहता हूं कि उस पत्र के अनुसार जो आश्वासन दिया गया है, उसको पूरा किया जाए। इस पत्र में आश्वस्त किया गया है कि सातवीं योजना में हम इन सारी चीजों का देखेंगे और जो यह व्यवहार किया गया है राजस्थान के साथ उसको दोहराया नहीं

जाएगा। इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने 20.12.83 को पत्र लिखा है, प्लानिंग कमीशन में भी यह पत्र होगा। इसलिए आज हमको और वृद्धिचन्द्र जैन जी को आश्वस्त करें इस सदन में और डेजर्ट में रहने वाले 1 करोड़ 84 लाख लोगों को आश्वस्त करें कि वह क्षेत्र भी अब पिछड़ा हुआ नहीं रहेगा। उनके डेवलपमेंट के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जैसे कि आपने अन्य बैकवर्ड इलाकों के लिए किया है। इसी तरह से जो 48 स्पेशल प्राब्लम वाले जिले थे, उनके यहां पर कार्यक्रम चलाए गए थे, उस कार्य को भी बीच में ही छोड़ दिया गया। स्टेट गनर्नमेंट ने जिन योजनाओं को हाथ में लिया, वे भी पूरा नहीं हुई हैं, सेन्टर गवर्नमेंट ने, प्लानिंग कमीशन ने कई जगह पर इन योजनाओं को बन्द कर दिया है। हमारे मिर्जापुर में कई ब्लाक थे, चार ब्लाक अभी से निकाल दिए हैं और सिंचाई की जो योजना कोस्टल एरियाज में ली गई थी, बंधिया की, सड़कों की, नहरों की जो योजनाएं चल रह थीं, वे सब वैसे ही पड़ी हुई हैं। 36 जगह जमीन लेकर बंधिया का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन कमाण्ड एरिया क्रिएट नहीं कर सके, इसलिए वह काम नहीं हो सका। मैं प्लानिंग मिनिस्टर साहब का ध्यान इस ओर आकृषित करना चाहता हूं कि जो 6 प्रकार के स्पेशल प्राब्लम वाले इलाके हैं, ड्राउट प्रोन एरिया, कोस्टल एरिया आदि, उनमें कई काम नहीं हुए हैं। इस 6 तरह के हिस्सों में जब दैवी प्रकोप आता है तो करोड़ों रुपया अस्थायी तौर पर देना पड़ता है। इसलिए प्लानिंग कमीशन को इसके लिए अलग से कमेटी बनानी चाहिए, जो सिक एरियाज हैं जहां पर खासतौर से गरीब लोग रहते हैं, जिनकी हालत शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है, उनके डेवलपमेंट के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान करें। इसके लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाना चाहिए, इन स्पेशल एरियाज के लिए, ये जो 6 प्रकार के एरियाज हैं, हिली एरियाज, डेजर्ट एरियाज, कोस्टल एरियाज, ड्राउट प्रोन एरियाज, फ्लड एरियाज, प्राब्लम एरियाज, इनके लिए आप वर्किंग ग्रुप बनाइए और आवश्यकता पड़े तो उन क्षेत्रों से सम्बन्धित एक-एक संसद-सदस्य को भी उसमें रखा जाए और एक योजना इन क्षेत्रों के विकास के लिए बनाई जाए।

मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लेना चाहता। मुझे आशा है कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब हम लोगों को आश्वस्त करेंगे। मैं पुनः वृद्धिचन्द्र जैन जी को धन्यवाद देता हूं, इन्होंने केवल अपनी कांस्टीट्वेंसी के लिए नहीं, बल्कि 1 करोड़ 84 लाख इन्सानों के लिए, उन लोगों के विकास के लिए, आवाज उठाई है, जिनकी ओर ध्यान नहीं गया है। पत्र देखा तो पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि प्लानिंग मिनिस्टर साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें लिखा है। मुझे आशा है कि उस पत्र के अनुसार एक वर्किंग द्वारा इन सारे छह इलाकों के विकास का रास्ता प्रशस्त करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि पहला नम्बर डेजर्ट को दिया जाएगा और शतप्रतिशत ग्रान्ट देकर के उसका विकास किया जायेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण इस संकल्प के लिए दो घंटे निर्धारित किए गए थे। दो घन्टे हो चुके हैं। अभी भी सूची में 8 सदस्य हैं जिन्हें बोलना है। क्या सदन इस संकल्प पर चर्चा के लिए एक घन्टा बढ़ाने पर सहमत हैं ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : तो, इस संकल्प के लिए एक घन्टे का समय और बढ़ाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री वृद्धि चन्द्र जैन साहब

ने पहाड़ी और रेगिस्तान क्षेत्र के बारे में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। अभी डागा साहब ने ठीक ही फरमाया कि पेड़ों के कटने की वजह से रेगिस्तान हो जाता है। हिमाचल प्रदेश, काश्मीर, नागालैण्ड और अन्य द्वीपों जैसे लक्षद्वीप तथा कार-निकोबार वगैरह हैं, वहां पर पेड़ों की जिस तरह से कटाई होती है, उससे वहां रेगिस्तान बनने की संभावना होती है। सबसे बड़ी समस्या ट्राईबल एरियाज में होती है जहां पर गैस का इंतजाम नहीं होता बल्कि जलाने के लिए पेड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। वहां पर जिस बेदर्दी से पेड़ काटे जा रहे हैं, उससे रेगिस्तान ही हो रहा है। रेगिस्तान का क्षेत्र पाकिस्तान बार्डर तक चला गया है। पहाड़ी क्षेत्र के एक करोड़ 82 लाख आदमी बताए गए हैं जबकि चार करोड़ से ऊपर के लोग हैं। पेड़ों की कटाई होने से मिट्टी का इरोजन हो रहा है जिसकी वजह से रेगिस्तान बनता जा रहा है। नागालैण्ड, सिक्किम और जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर पेड़ों का कटाव होने से तमाम नदियां चौड़ी हो रही हैं और जो अच्छी जमीन थी, वह समाप्त होती जा रही है। गंगा और यमुना के लिए बड़ी अच्छी योजना बनाई गई है। मैं समझता हूं इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए भी करना पड़ेगा तभी हमारे क्षेत्र रेगिस्तान होने से बच सकते हैं। अभी जैन साहब ने हिमाचल के लाहौल और किन्नौर जिलों का नाम लिया था। वहां वाजिबुल-अर्ज में लोगों के जो जमीनों और पेड़ों के अधिकार है, वह सब लिखे हुए हैं। वहां पर बेशुमार दरख्त थे लेकिन अब रेगिस्तान होता जा रहा है। तिब्बत बार्डर देहरादून, पिथौरागढ़ और नागालैण्ड का जो इलाका है, वह भी रेगिस्तान बनता जा रहा है। क्योंकि पहाड़ों पर से जितना भूमि का कटाव होता जा रहा है, सब का सब रेगिस्तान बनता जा रहा है, उसको रोकने के लिए यदि पग नहीं उठाये गए तो उसका मतलब यह होगा कि वह इलाका रेगिस्तान के रूप में परिवर्तित हो जाएगा।

जहां तक हमारे साथियों ने राजस्थान की बात कही, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान को बनाने में पहाड़ी लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है, हिमाचल प्रदेश ने राजस्थान को पानी दिया है और उसके बाद भी आज हमारे लोग वहां आबाद नहीं किए जा रहे हैं। मैं राजस्थान के एम०पी० साहब से दरख्वास्त करूंगा कि कम से कम उनको वहां रहने की आज्ञा तो दी जाए। डंडे मार-मार कर उन पहाड़ियों को वहां से न भगाया जाए। उसके साथ ही मैं सरकार से भी एक अर्ज यह करना चाहूंगा कि पौंग डैम के बनने से हमारे जो लोग बेघर हुए हैं, उनको वहां आबाद कराने के लिए भारत सरकार पहल करे, पग उठाए और राजस्थान सरकार को कहे कि पौंग-डेम आउस्टीज की वहां बहुत बुरी दशा है, उनको बसाने में सहयोग करे। इसके साथ-साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि राजस्थान के लिए ज्यादा पैसा दिया जाए ताकि वहां रेगिस्तानी इलाके ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन हो सके और वह तभी होगा जब वहां पानी पहुंचेगा। यदि वहां सूखे में प्लांटेशन किया जाएगा तो उस पर जितना सरकार का पैसा खर्च होगा, वह भी व्यर्थ जाएगा। इसलिए योजना मन्त्री जी आप राजस्थान में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करें। मैं समझता हूं कि इसके लिए पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक से अधिक लिफ्ट इरीगेशन स्कीमें और ड्रिंकिंग वाटर स्कीमें बनाई जाएं क्योंकि उनका फायदा यह होगा कि जहां पहाड़ी क्षेत्रों का विकास होगा वहीं लोगों में खुशहाली आयेगी।

यहां पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के बारे में भी जिक्र आया है लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों का विकास तो तब होगा जब उनके सम्बन्ध में एक समान नीति अपनाई जाए। आप एक क्षेत्र को तो ट्राइब एरिया घोषित कर देते हैं लेकिन उसके मुकाबले के दूसरे पहाड़ी क्षेत्र को ट्राइब एरिया घोषित नहीं करते हैं इस कारण उन दोनों इलाकों में विभाजन का वातावरण बन जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का उत्तर काशी और देहरादून का इलाका, पौड़ी गढ़वाल का इलाका हमारे हिमाचल प्रदेश की सीमा पर लगता है और हमारी तरफ सिरमौर जिले की कई तहसीलें, जैसे शिलाई, रेणुका और चौपाल, रोहडू, रामपुर बुशहर आदि इलाका जनजातीय क्षेत्र अभी तक घोषित नहीं हुआ है, जब

कि दूसरी साइड का इलाका जनजातीय क्षेत्र घोषित हो चुका है। मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह हमारे उस एरिया को भी जनजातीय क्षेत्र घोषित करे ताकि वहां के लोगों को भी वैसी ही सुविधाएं मिल सकें और वे विकास कर सकें जैसे लाभ दूसरी ओर के इलाके को मिल रहे हैं। तभी हमारे लोगों का वास्तव में भला हो सकेगा।

कल भी यह बात चली और आज भी मैं कहना चाहूंगा कि जब भी पहाड़ों पर भूमि का कटाव होता है तो उससे मैदानी क्षेत्र भी सुरक्षित नहीं रह सकता। पंजाब की ही बात ले लीजिए, वहां हर साल, जब भी फ्लड आता है, लगभग 10 करोड़ रुपये की फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में भी नुकसान होता है, हरियाणा का भी होता है। इस नुकसान को रोकने का यही तरीका है कि पहाड़ी क्षेत्रों को विकास करने के लिए अधिक पैसा दिया जाए। जब वहां प्लांटेशन होगा, अधिक मात्रा में पेड़ लगाये जाएंगे तो भूमि का कटाव भी नहीं होगा और इससे मैदान भी सुरक्षित रहेंगे। इससे वहां फलों की पैदावार बढ़ेगी। यहां भी मैं एक निवेदन सरकार से और करना चाहता हूं कि हमारे यहां जितने फल पैदा होते हैं उनके लिए मार्केटिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इस कारण भी हमारे लोगों का विकास नहीं हो पाता। उनका विकास तभी होगा जब उनके फलों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था होगी, उनको अच्छे रेट मिलेंगे, गवर्नमेंट उनके फलों को ठीक भाव पर खरीदे और देश की दूसरी मंडियों को सप्लाई करे। अन्यथा आज़ादपुर मंडी के लोग पहाड़ियों को लूट लेते हैं, चाहे वे कश्मीर के हों। हिमाचल प्रदेश के हों या उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग हों। इसलिए पहाड़ों के विकास के लिए सबसे बुनियादी आवश्यकता उनके फलों के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था करने की है।

इसके साथ-साथ हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक से अधिक पनबिजली परियोजनाएं लगनी चाहिए। हमारे हिमाचल प्रदेश में 12 हज़ार 500 मेगावाट बिजली तैयार करने की क्षमता विद्यमान है। मेरा निवेदन है कि वहां के लिए अधिक मात्रा में पैसे का प्रावधान किया जाए ताकि बिजली से हमारा पूरा नार्दन जोन लाभान्वित हो सके।

यहां पर जिक्र किया जाता है कि हमारे यहां रेलवे लाइन नहीं है, यदि आप हिमाचल प्रदेश देखें तो वहां तो बिल्कुल ही रेलवे लाइन नहीं के बराबर है। राजस्थान में तो खाली रेगिस्तान है, शायद वहां ऊंट, घोड़े या खच्चर दौड़ते होंगे। यदि आप राजस्थान और हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की तुलना करें तो पर-स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहां आबादी बहुत कम है। इसलिए राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के लिए ऐसी योजनाएं बनानी चाहिएं जिनसे वहां पानी उपलब्ध हो सके, वहां अच्छी तरह से फसलें पैदा हो सकें और जो लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचा सकें। हमारी सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए।

अगर आप रेलवे का विस्तार करते हैं तो उसमें किराया अधिक होता है। पहाड़ी क्षेत्रों को जो कि विकास में पीछे हैं, आलू, सेब मार्किट में लाने के लिए किराया अधिक देना पड़ता है। हमारे मंत्री महोदय इस तरफ अवश्य ध्यान दें कि पहाड़ी क्षेत्रों का विकास करने के लिए अधिक मात्रा में जो पैसे की जरूरत है, उसको पूरा करेंगे। जिस प्रकार से रेल मंत्री ने गन्ने वालों को छूट दी है, उसी प्रकार से पहाड़ी क्षेत्र के आलू, सेब और सब्जियां पैदा करने वालों को भी इसी प्रकार की छूट दें।

इसके साथ-साथ हमारे यहां पीने के पानी की भी काफी तंगी है। जो पीने के पानी की सुविधा होनी चाहिए, वह इसलिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि नदी-नाले बहुत नीचे हैं, पहाड़ों पर गांव बसे हैं। इसलिए अधिक मात्रा में लिफ्ट इरिगेशन और लिफ्ट द्वारा पीने के पानी की स्कीमें बनानी चाहिए, ताकि वहां पर लोग पीने के पानी से लाभान्वित हो सकें।

यह जो गैस की एजेंसियां दी जाती हैं, इससे हम पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को वंचित रखा जाता है। जहां ऑलरेडी लकड़ी है, स्टोब वगैर हैं, उनको यह सुविधा दी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों की लकड़ी को अगर बचाना है तो यह गैस की एजेन्सियां पहाड़ी क्षेत्रों को दी जायें। ये एजेन्सियां आप बड़े-बड़े आदमियों को देते हैं, जो गरीब लोग हैं, ट्राइब हैं, पिछड़े लोग हैं, वह पीछे रह जाते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप इस तरफ अवश्य ध्यान दें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो मुझे बोलने का समय दिया है, उसके लिए धन्यावाद देता हूं।

[अनुवाद]

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : यह एक महत्वपूर्ण संकल्प है। अधिकांश लोगों को मालूम होना चाहिए कि राजस्थान प्राकृतिक रूप से रेगिस्तानी इलाका नहीं हैं बल्कि मानव द्वारा निर्मित रेगिस्तान है। बैज्ञानिकों ने, विशेषकर श्रीमती शीला कौल के पति स्वर्गीय डा० कौल ने एक बार मुझे बताया था कि विश्व के सभी वैज्ञानिक इस बात से सहमत हैं कि राजस्थान को इन्सानों ने रेगिस्तान बनाया है। इससे पहले यह उपजाऊ भूमि थी। लेकिन वहां के लोगों ने सभी पेड़ काट डाले जिससे जलवायु परिवर्तन हुआ और राजस्थान का सारा इलाका रेगिस्तान बन गया। इससे हमें सबक लेना चाहिए। हम केवल कानून बनाते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि उन्हें लागू किया गया है अथवा नहीं। भारत के बहुत से भाग हरे-भरे थे, वहां महत्वपूर्ण तथा भिन्न-भिन्न किस्मों के वृक्षों की भरमार थी लेकिन उन्हें काट दिया गया। कुछ दिन पहले ही मुझे हिमाचल प्रदेश जाने का अवसर मिला। मुझे यह देखकर बहुत आघात पहुंचा कि वहां ज्यादातर पहाड़ पूरी तरह से वृक्ष रहति हो गए हैं। वहां अब केवल पत्थर है, यहां तक की घास भी नहीं है। सोलन के पूर्वी हिस्से में जाने पर आपको वहां जड़ी-बूटियां मिलेगी, सोलन ही के पश्चिमी हिस्से में कुछ पठारों पर थोड़ी बहुत फसलें उगी दिखेंगी अन्यथा आपको पूर्णतया पत्थर ही दिखेंगे, और घास की नोक तक नहीं दिखेगी। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश बल्कि नीचे के मैदानी इलाके चाहे वह पंजाब हो, हरियाणा हो या राजस्थान, भी प्रभावित हो रहे हैं। क्या इन सभी बातों पर ध्यान दिया गया है? क्या योजना आयोग ने इस पर विचार किया है? क्या उपजाऊ भूमि के स्थान पर देश के उपेक्षित हिस्सों के विकास पर ध्यान दिया गया है? मेरा विचार है कि हम देश के उन सभी हिस्सों की उपेक्षा कर रहे हैं जो दूर दराज में स्थित है, पिछड़े हुए हैं, पहाड़ी इलाके हैं तथा जिनसे संचार माध्यमों से भी सम्पर्क नहीं किया जा सकता। हमने वायदा किया है कि लड़कियों को 12वीं कक्षा तक की स्कूली शिक्षा निःशुल्क दी जायेगी लेकिन ऐसी भी जगहें हैं जहां स्कूल ही नहीं है। लड़कियों को 5वीं कक्षा तक पढ़ने की सुविधा नहीं है। अतः इन सब बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

जहां तक रेगिस्तानी इलाकों का सम्बन्ध है आप उसे रोकने तथा इसे हरित क्षेत्र के रूप में विकसित करने के प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन क्षेत्रों के लिए क्या किया जा रहा है जो अब रेगिस्तान बनते जा रहे हैं? जब तक इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या नहीं माना जाएगा तब तक हम इससे कैसे निपट सकते हैं? इसमें हमारे संविधान के उपबन्ध आड़े आते हैं। आप वनों के सम्बन्ध में कानून पारित करते हैं लेकिन राज्य से सम्बन्धित विषय होने के कारण केन्द्र सरकार वनों के प्रबन्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। बहुत से दलों के सदस्य सरकार पर इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हैं। लेकिन जैसे ही सरकार इस सम्बन्ध में कोई कारगर उपाय करती है तो वे ही सदस्य इसको केन्द्र द्वारा राज्य के मामलों में किया गया हस्तक्षेप मानते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि अच्छे वनों की कितनी अहम् भूमिका होती है। दक्षिण की नदियों में बर्फीले पहाड़ों से जल नहीं आता बल्कि मध्य-

प्रदेश या विन्ध्यवास के घने वनों के कारण उन्हें जल मिलता है। वहां जितनी भी बारिश होती है वन उसे संरक्षित कर लेते हैं और वे इसके बहाव को विनियमित करते हैं। बाद में धीरे-धीरे रिस कर यह जल नदियों में जा मिलता है। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि, लोगों में लालच बढ़ने के कारण अब इन वनों को काटा जा रहा है। अगर हम वास्तव में चाहते हैं कि कहीं भी रेगिस्तान न हो, मौजूदा रेगिस्तानों को हरित क्षेत्र में बदला जाए तो हमें पानी की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा हम यह काम नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि जहां भी जल की व्यवस्था की गई है वहां रेगिस्तानी इलाके हरे-भरे खेतों में बदल गए हैं।

लेकिन वह तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम जंगलों के संरक्षता में सफल नहीं होते जैसा कि श्री सुल्तानपुरी ने सुझाव दिया है कि हमें अपने जंगलों को बचाना है, हमें उनका विकास करना है, हमने यह देखना है कि ये जंगल घने जंगलों में बदल जाएं। हमने यह देखना है कि बर्फ से निकले पानी तथा बरसात से आए पानी का उन जंगलों द्वारा सही नियन्त्रण हो तथा पहाड़ों से आने वाले पानी का बहाव तेज न रहे। हमने यह देखना है कि नदियों में पानी धीरे-धीरे आये तथा उन नदियों तथा नहरों में पानी नियमित रूप से आए। राजस्थान को पंजाब से नदियों के पानी का उचित हिस्सा मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश भी यह कह सकता है कि सारी नदियां हमारे क्षेत्र में से बहती हैं और उन पर नीचे वालों का कोई हक नहीं है। वास्तव में राजस्थान की यही समस्या है क्योंकि अन्य सभी राज्य यह ही कहते हैं कि पानी उनके राज्य में से होकर जाता है। इसलिए यह उनकी ही सम्पत्ति है। यह निराधार बात है। यदि लड़ाई ही करनी है तो इस तरह की परिभाषाएं बनाई जा सकती हैं लेकिन यह तर्कहीन है। पंजाब, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश की अब यह ही लड़ाई चल रही है। और राजस्थान की पूर्णतया उपेक्षा हो रही है।

राजस्थान को जब तक पर्याप्त पानी नहीं मिल जाता वह रेगिस्तान को हरित प्रदेश में नहीं बदल सकता। जहां कहीं भी वे पानी लेने में सफल हुए हैं उन्होंने रेगिस्तान के एक काफी बड़े भाग को कम किया है तथा वे इसे हरित प्रदेश में बदलकर काफी अनाज उत्पन्न करने में भी सफल हुए हैं। लेकिन वह तभी सम्भव है जब उन्हें पानी मिल सके। पानी के बिना भूमि की हालत को बदलना संभव नहीं है ?

रेतीले क्षेत्र की हालत को बदलने के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता है तथा जंगलों के माध्यम से ही पानी को सुरक्षित रखा जा सकता है। जम्मू तथा काश्मीर में भी जंगलों को बचाने के लिए विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन कुछ लोग अपेक्षा से अधिक वृक्ष काटकर जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। गैर सरकारी क्षेत्रों के लोग जरूरत से अधिक वन सम्पत्ति का उपयोग करके, अंधाधुंध पेड़ गिराकर हमारे जंगलों को सुखा रहे हैं जिसके कारण हमारा प्राकृतिक सन्तुलन बिगड़ रहा है। राज्य सरकारों को आदेश दिए जाने चाहिएं कि यह सब बन्द किया जाए, इसमें सख्ती नहीं बरती गई तो सर्वनाश हो जाएगा। केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग इसकी अवहेलना नहीं कर सकते।

जहां तक रेतीले क्षेत्रों की समस्या है। मेरे ख्याल से यह दो किस्म की है। प्रथम समस्या है रेतीलेपन की जो वहां पहले से ही मौजूद है जिसका नियन्त्रण आवश्यक है तथा जिसे हरित क्षेत्रों में बदलना है। हम पानी की व्यवस्था तो कर सकते हैं परन्तु कृषि विशेषज्ञ ही यह बता सकते हैं कि पानी की व्यवस्था के बाद वहां किस प्रकार की खेती हो सकती है। वृक्षों की विभिन्न किस्में होती हैं जिन्हें एक विशेष प्रकार के मौसम की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति ने जो मेरे राज्य में सीमा सुरक्षा बल की एक टुकड़ी का प्रभारी अधिकारी था तथा जो राजस्थान का रहने वाला था, मुझे बताया कि जब वह बच्चा था तो उसके गांव में शायद ही कभी वर्षा

होती थी तथा कभी-कभी तो यह 10 वर्ष बाद होती थी परन्तु अब क्योंकि वहां लोगों ने कांटों वाली झाड़ियां तथा पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं जो वहां नियमित रूप से बढ़ते हैं, उनके कारण मौसम बदल गया है तथा अब वहां नियमित रूप से वर्षा होती है।

एक समिति का सदस्य होने के नाते मुझे भारतवर्ष के विभिन्न हिस्सों का दौरा करने का मौका मिला तथा मैंने देखा कि यह बिल्कुल भुलाकर कि मौसम तक को बदलने में वृक्ष कितने सहायक होते हैं। वनों को उजाड़ा जा रहा है जब अधिक वर्षा होती है तो आप भूमि के कटाव को तब तक नहीं रोक सकते। जब तक आपके पास पर्याप्त मात्रा में वृक्ष नहीं हों। सब मूसलाधार वर्षा होती है तो वृक्ष, झाड़ियां तथा घास जमीन पकड़े रहते हैं तथा वे इसे कटाव से बचाते हैं।

इससे पहले कि यह समस्या नियन्त्रण से बाहर हो जाये, उसके बारे में पर्याप्त बेकाबू अध्ययन होना चाहिए। मैं जब मन्त्री था तो मैंने यह देखा है कि यदि आप एक ऋतु में किसी नदी या नाले पर नियन्त्रण नहीं कर सकते तो वर्षा का मौसम समाप्त होने तक इसका आकार बहुत बढ़ जाता है तथा फिर इस पर काबू पाने के लिए हमें दुगुना पैसा व्यय करना पड़ता है। मैं, इसलिए योजना मन्त्री से अनुरोध करता हूं कि विशेष मामले के तौर पर इस ओर ध्यान दें तथा इस पर शीघ्र नियन्त्रण करें क्योंकि वे लोग बहुत गरीब हैं जो इसके कारण नुकसान उठा रहे हैं। उपजाऊ क्षेत्रों में रहने वाले लोग तथा बड़े और अमीर कृषक आन्दोलन करके या राजनीतिक दबाव डलवाकर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन जो लोग मेरे द्वारा बनाई गई समस्याओं को सहन कर रहे हैं, वे केन्द्र पर या राज्य सरकार के ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकते जबकि दूसरे लोगों को इन सुविधाओं की बहुलता है। उद्योगपतियों के पास भी इनकी कोई कमी नहीं है। उद्योगपति तो दबाव भी डलवा सकते हैं लेकिन इन लोगों द्वारा वनों में व्याप्त कदाचार, वृक्षों के काटे जाने, जंगलातों को नष्ट करने तथा इमारती लकड़ी को बाजार में बेचने वालों के कारण जो लोग नुकसान उठा रहे हैं, वे इतने शक्तिशाली नहीं हैं। इसीलिए वे लगातार नुकसान उठा रहे हैं। कल हम लाभकारी कीमतों के बारे में बात कर रहे थे। उस मामले में भी हमने उन लोगों को शामिल नहीं किया जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं तथा जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कीमतें निरन्तर बढ़ती रहती हैं परन्तु उनकी आय में कोई वृद्धि नहीं होती। वह गरीब मनुष्य कीमतों में वृद्धि का मुकाबला नहीं कर सकता तथा हम उसके लिए क्रय शक्ति उत्पन्न नहीं कर सकते या रियायती दरों पर राशन नहीं दे सकते। योजना बनाते सयय प्रणाली की इन असंगतियों का हमें ख्याल करना होगा। इन असंगतियों का यदि हम समाधान नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि कहीं हमारी विचार प्रक्रिया में ढील न आ जाए, उस पर फिर नियन्त्रण पाना अति कठिन होगा।

इन शब्दों के साथ मैं श्री वृद्धि चन्द्र जैन द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हाबड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा तथा सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। श्री जैन द्वारा पेश किए गए संकल्प के प्रयोजन का मैं समर्थन करता हूं। मैं तो सोचता हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के चालू होने से पहले इस पर चर्चा करनी बड़ी लाभकारी होगी। यह योजना आयोग का मार्गदर्शन करेगी जिसमें मुझे पूरा विश्वास है। योजना आयोग के कर्मचारियों को यह कहकर कि उन्हें पूरी जानकारी नहीं है तथा उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण नहीं किया है सर्वथा उन्हें दोष देना उचित नहीं है। मैंने बहुत से सरकारी कर्मचारियों को कई राज्यों तथा जिलों में जाते हुए तथा वृक्षों से अपना अध्ययन करके लौटते हुए देखा है। बहुत बार उनके द्वारा दिए गए सुझावों को मैंने आजमाया है वे बहुत ही फायदे मन्द साबित हुए हैं।

अब मैं इस चर्चा में केवल चार बातों पर अधिक जोर देना चाहूंगा।

प्रथम यह है कि इस संकल्प पर वाद-विवाद रेतीले तथा पहाड़ी क्षेत्रों तक ही सीमित न रखकर उस पर विस्तार से चर्चा की जाये। उसके लिए हमें उस स्थिति को जानना होगा जिनके कारण ये क्षेत्र रेतीले प्रदेशों में बदल गए। इसके लिए मैं दो सामान्य कारण बताऊंगा।

जब आप रेगिस्तानी या पहाड़ी क्षेत्रों के विकास की बात करते हैं तो आपको पता ही है कि वहां पर विकास का कार्य राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है। हमेशा यह कहना बुद्धिमत्ता नहीं है कि राज्य सरकारों को भारी उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए क्योंकि उनकी अपनी वित्तीय कठिनाइयां हैं।

मेरा यह सुझाव है कि सातवीं योजना में योजना मन्त्री जी कृपया यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए कुल योजना नियतन में संसाधनों को जुटाने की की प्रतिशतता राज्यों पर अधिक नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय रोजकोष से इसको लिया जाना चाहिए। राज्य सरकारों के पास कई अन्य कार्यक्रम हैं जो विशेष प्रकार के भी हैं। पहाड़ी क्षेत्रों और रेगिस्तानी विकास कार्यक्रम की तरह विशेष स्वरूप वाले विकास कार्यक्रमों पर वे ध्यान नहीं रख सकते हैं क्योंकि इससे बहुत सी धन राशि लग जाती है योजना मंत्री जी से यह मेरा पहला अनुरोध है कि राज्य सरकारों पर इस तरह के विशेष कार्यक्रमों का भार न डाला जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी तमिलनाडु के रहने वाले हैं और आपने ये बातें नोट की होंगी। मैंने इस मामले का उल्लेख किसी अन्य दिन भी किया था योजना आयोग को इस तथ्य को नोट करना चाहिए कि पहाड़ी या इन रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास की गति क्यों धीमी है जबकि इस प्रयोजन के लिए धन आबंटित किया गया है मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि यह कहना हमेशा ठीक नहीं होता है कि सरकारी कर्मचारी चोर है। वे हमारी तरह देशभक्त भी हैं।

अगर आप यह महसूस नहीं करते हैं तो इनको दोष लगाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आपको उन पर निर्भर रहना है। अब मैं क्या महसूस करता हूं उसका मूल कारण विकास कार्यक्रम है। जिसका मैंने उल्लेख किया है मैं पश्चिम बंगाल से आया हूं मैं अपने अनुभव से यह जानता हूं कि जब तक मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था प्रचलित है और वहां पूरे जिले का प्रमुख कलक्टर होता है जिसकी सहमति के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता तथा उसके सभी अधीनस्थ कर्मचारी इसके साथ-सहयोग करते हैं यह कलक्टर या एम० डी० ओ या पंचायत प्राधिकारियों के लिए भी संभव नहीं है कि वे विकास कार्यक्रम को नियमित कर सके चाहें आप प्राधिकारियों को कोई भी व्यक्ति दे दें। उसके बावजूद। कुछ ऐसे भी प्रावधान हैं जहां उच्च प्राधिकारियों के बिना वे पूरी तरह के कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि हांलाकि हमारे पास भारतीय वन सेवा भारयीय रेल सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा है फिर भी पिछली छठी पंचवर्षीय योजना के अनुभव को देखते हुए मैं स्वयं महसूस करता हूं कि राष्ट्रीय संवर्ग से प्रत्येक राज्य में एक नियमित विकास एजेन्सी होनी चाहिए। इसे विकास कार्यक्रम के अलावा किसी भी अन्य कार्य के लिए नहीं कहा जाएगा। आप इसे भारतीय विकास सेवा कह सकते हैं। आप भावी युवा पीढ़ी को इसके लिए प्रेरित कर सकते हैं जो पूरी तरह से देश पर समर्पित होंगे। ऐसा क्यों हैं मैं आप को बताता हूं। अगर आप अधिकांश विकास अधिकारियों की डायरी और कार्यक्रम लें तो आप पाएंगे कि वे प्रशासनिक अधिकारी जो बिकास कार्य से सम्बन्धित हैं वे लोगों से मिलने, लोगों की शिकायतों को सुनने तथा कानून और व्यवस्था की समस्याओं से सम्बधित प्रशासनिक मामलों के लिए अपना 50 प्रतिशत तक समय निकालते हैं। देश में निर्वाचन गतिविधियों में उनका 25 प्रतिशत तक का समय निकलता है। मैंने देखा है कि जून में होने वाले चुनाव के लिए सारे लोग चुनाव होने से 8 महीने पहले ही चुनाव कार्य में जुट गए। उस समय वे विकास कार्यों पर ध्यान नहीं केन्द्रित कर सकते

थे। फाइलें बिना कार्रवाई के लम्बित पड़ी रहती थी। विकास कार्य की गति धीमी हो जाती है और एक इसकी गति धीमी हो जाने पर यह हमेशा के लिए धीमी हो जाती है।

दूसरा पहलू यह है कि अगर प्रशासन में काम करने वाले लोग भी विकास कार्य में सम्बद्ध हो जाएं और हमेशा की तरह हमारे लोकतन्त्र में राजनैतिक दबाव तथा बहुत अन्य दबाव डाले जाए तो पूरा समर्पण होगा और पूरे वायदे निभाये जाएगें। एक विशेष क्षेत्र के जिला मजिस्ट्रेट या एस०डी०ओ० जो विकास कार्य का समन्वय कर रहे है, हमेशा यही सोचता है कि वह कहां जा रहा है। यह या तो सचिवालय जा रहा है या केन्द्रीय सचिवालय से आ रहा है या उसे यहां या वहां पदोन्नति मिल रही है। लेकिन अगर भारतीय विकास सेवा जैसा सवंर्ग है जिसको गांधी से इंदिरा जी तक के ठोस विचारों के साथ केवल देश के विकास कार्यक्रमों को देखना है तो इससे रेगिस्तानी तथा पहाड़ी क्षेत्रों दोनों में विकास कार्यक्रम के लिए एक नई आधारभूत संरचना की स्थापना होगी। मैं इस मामले पर प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रभारी मंत्री जी के साथ विचार-विमर्श करने के लिए अनुरोध करता हूं जिसे हाल ही में हमारी सरकार ने स्थापित किया है और यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक विकास पहलुओं का सम्बन्ध हैं इसको भी विकसित किया जाना है।

उपाध्यक्ष महोदय मेरा तीसरा मुद्दा यह है "कृपया रेगिस्तान ग्रस्त तथा सूखा ग्रस्त क्षेत्रों को इससे बाहर न किया जाए।" देश में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां वर्षों से मैं नहीं जानता कि सूखे की स्थिति गम्भीर क्यों है। मैं आपके पश्चिम बंगाल के एक जिले के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर योजना मन्त्री दौरे पर इस जिले में जाएं तो आपको पता चलेगा कि यह सघन रूप से जनसंख्या का जिला जाना जाता है लेकिन इसकी दशा रेगिस्तान से भी बहुत खराब है। यहां मेरा आशय पूरूलिया जिले से है। मैंने वहां के गांवों में यात्रा की है। वहां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां एक वर्ष में 7 महीने तक पीने का पानी उपलब्ध नहीं हैं। केवल 5 महीने से ही पीने का पानी उपलब्ध है। वहां कुछ ऐसे गांव हैं जिन्हें रायोला चिटमक आदि के नाम से जाना जाता है। मैं लोकसभा के चुनाव की अवधि में वहां था। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूं। मैं समस्या के बारे में बात कर रहा हूं।

श्री बासुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह समस्या वहां थी लेकिन अब नहीं है।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यह समस्या अभी भी वहां है। आप उस तरह बोल रहे हैं ? अगर वहां समस्या नहीं होती है तो श्रेय आप पर जाता है। मैं आपके लिए प्रतिमा बनाऊंगा।

अब मेरा कहने का आशय है कि देश के कुछ गांवों में उदाहरणार्थ पश्चिम दिनाजपुर जिले में तपन गांव है जहां अभी भी समस्या बनी हुई है। पश्चिम दिनाजपुर जिला में उनके गांव तपन के बारे में महाभारत और रामायण में यह उल्लेख मिलता है कि वहां वाल्मिकी जी पूजा पाठ करने के लिए गए थे। यह पर्यटक केन्द्र है। मैं वहां रहा हूं। पश्चिम दिनाजपुर क्षेत्र के उस भाग में जहां तपन गांव है वहां एक वर्ष में छः महीने के लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। पानी का स्तर नीचा होने के कारण महिलाओं को दूसरे गांव में तालाब से पानी लेने के लिए 10 मील दूर तक चलना पड़ता है। वहां वनरोपण या अन्य कार्यक्रम नहीं हैं। मैं पिछले कुछ वर्षों से ध्यान से देख रहा हूं। वनरोपण के लिए जो बीज आप सूखा ग्रस्त क्षेत्र में बोए थे वे सभी हटा लिए गए हैं। आजकल वहां कुछ आतंकवादी गतिविधियां है। जब कभी उपज बढ़ती है तो वे मिट्टी खोदने वाले औजार से काट देते हैं और इसे बेच देते हैं। यह केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि देश में हो रहा है। एक के बाद एक इन सभी बातों को करने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारियों के साथ घनिष्ठ सांठ-गांठ है। जंगल वाले क्षेत्र फिर से मरुस्थल बनते जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से सातवीं योजना में व्यापक वनोपण कार्यक्रम के उच्च प्राथमिकता देने

तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में दबाब डालने के लिए अनुरोध करता हूं। अगर वनरोपण वहां है तो मैं आपको बता सकता हूं कि वातावरण में पूरा परिवर्तन आयेगा और लोग महसूस करेंगे कि कुछ कार्य किया जाए तथा वहां अधिक गतिविधियां होगी। अगली योजना के लिए जब आठवीं योजना शुरू होगी और अगर कार्यक्रम अभी लिए जाए तो इससे बजट से सम्बन्धित प्रक्रिया में भी बचत होगी आप पूरे देश में न जाइए केवल कुछ क्षेत्र चुने। योजना आयोग इसे राष्ट्रीय स्तर पर कर सकती है। यह अच्छा है। अब समय आ गया है जहां आपको कुछ क्षेत्र चुनने हैं उदाहरणार्थ राजस्थान मरुस्थल, सिक्किम और दार्जिलिंग के पहाड़ी क्षेत्र, अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह और इसी तरह के क्षेत्र इस कार्य के लिए चुनने हैं। आप कुछ क्षेत्रों को चुनिए और उनके लिए पूरी तरह से योजना बनायें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी स्वतन्त्रता विकास एजेन्सियां इस कार्यक्रम को शुरू करें और इसे चलायें जिसमें अन्य स्वैच्छिक एजेन्सियों की सम्बद्ध हों। मैं नहीं जानता कि 'केयर' क्या है। लोग कहते हैं कि इसमें विदेशी मुद्रा आदि हैं। देश में बहुत से स्वैच्छिक संगठन हैं। अगर योजना आयोग थोड़ी सी रुचि ले तथा उन्हें इस कार्यक्रम में प्रभावी ढंग से सम्बद्ध करे तो वे विभिन्न विकास कार्यक्रमों में बहुत योगदान भी दे सकते हैं।

जहां तक पूर्वोत्तर क्षेत्र का सम्बन्ध है, हांलाकि वहां धन है फिर भी उस क्षेत्र में विकास की द्रुत प्रगति स्पष्ट नहीं है। मैं वहां हाल ही में गया था। मैं एक उदाहरण दूंगा। योजना मंत्री इसको नोट कर सकते हैं। किसी भी पूर्वोत्तर परिषद विकास के किसी भी कार्यक्रम के लिए मैं किसी अधिकारी को अपने कार्यालयों की आधारभूत संरचना को प्रथम प्राथमिकता देने के लिए दोषी नहीं ठहराता। वे छः महीने के लिए बने हैं, वे उन्हें अगले छः महीने के लिए अभी भी सुसज्जित करेंगे। वे यह कहेंगे कि यह सोफा स्वीकार नहीं किया जाता। वह कुर्सी स्वीकार नहीं की जाती और इसी तरह की बातें वे कहते हैं। मैंने इन बातों को होते देखा है। मैंने मेघालय के एक क्षेत्र में इसे विस्तृत रूप से देखा है। 1-1/2 वर्ष के बाद वास्तविक कार्य शुरू हुआ। यह ठीक नहीं हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं और मैं इसे दुबारा कहता हूं कि आप एक विशिष्ट व्यक्ति की प्रेरणा को देखें जो फील्ड में होगा।

वहां व्यावसायिक और तकनीकी कार्य करने है। जब तक आप पूरी लग्न से इस कार्य को नहीं करेंगे तब तक आप इसे नहीं कर सकते हैं। मेरे विचार से नियमित प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत आप इसे नीचे नहीं ला सकते। अगर आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके कार्य करने से सम्बन्धित व्यक्तियों की प्रेरणा को लाना होगा और तब यह कार्य सम्भव होगा।

आखिर में मैं योजना मन्त्री जी से एक बात को नोट करने के लिए कहूंगा अर्थात् मंत्रिमण्डल से परामर्श करने के बाद आप सातवीं योजना में इस आशय का एक विधान लाइए कि वो राज्य जो जान बूझकर वन-अपरोपण के लिए उकसा रहे हैं (**व्यवधान**) मैं किसी पार्टी को दोष नहीं देना। मैं जानता हूं कि केवल कुछ वोट के लिए वन-अपरोपण को उकसाया जा रहा है। कुछ लोग चालाकी से लोगों को फंसा लेते हैं कि वे जंगल को काटेंगे और बाजार में इसकों बेचेंगे। मैं अपने क्षेत्र पश्चिम बंगाल में कुछ इलाकों को जानता हूं। पूरूलिया जिले में अयोध्या एक सुन्दर वन केन्द्र था आप अब वहां जाइये और इसे अब देखिए। अब वहां जंगल नहीं है। यह खुला रेगिस्तान है। रोज वृक्ष काटे जा रहे हैं उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। (**व्यवधान**) मैंने किसी पार्टी का हवाला नहीं दिया है।

श्री बसुदेव आचार्य : आप यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार इसे प्रोत्साहन दे रही है। यह आपकी पार्टी है जो यह कर रही है (**व्यवधान**)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : आप इसे प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप उन्हें रोज पेड़ों को काटने के लिए कह रहे हैं। यह आपकी राज्य सरकार है जो कर रही है। (**व्यवधान**) मैं अपनी बात पर अडिग हूं। मैंने किसी पार्टी का हवाला नहीं दिया है। मैं सामान्य रूप से बात कर रहा हूं।

श्री वसुदेव आचार्य : यह कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार वन-अपरोपण को रही हैं। यह आपकी पार्टी है जो प्रोत्साहन दे रही है। मैं आपको कई उदाहरण दे सकता हूं **(व्यवधान)**

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : अगर यह मेरी पार्टी करती है और आपकी राज्य सरकार इसका संरक्षण नहीं करती है तो यह अच्छा होगा कि आप त्यागपत्र दे दें। अपनी असमर्थता मत बताइए। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बीच में मत टोकें। आप कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

इसलिए मैं योजना मंत्री जी को सुझाव दूंगा कि कृपया इस बात का ध्यान रखें कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अगली बैठक में आप स्पम्ट मार्ग निर्देश दें। अगर कोई राज्य वन-अपरोषण

6.00 म० प०

प्रोत्साहित करता पाया गया और उसने इस पर कोई नियंत्रण नहीं रखा तो आपको उस राज्य को तत्काल धनराशि देना बन्द कर देना चाहिए। आप एक अधिकारी भेजें जो यह सुनिश्चित करें कि इस तरह की प्रणाली स्वीकृत की जाए। अन्यथा मुझे सन्देह है कि इस देश में किसी क्षेत्र में कोई सुधार नहीं होगा।

6-01 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार 23 मार्च, 1985/
2 चैत्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-110032 द्वारा मुद्रित